लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No......63..........
Dated..20 Nov 2008

सत्यमेव जयते

(खंड 28 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 28, ग्यारहवां सत्र, 2007/1929 (शक)]

अंक 5, शुक्रवार, 17 अगस्त, 2007/26 श्रावण, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 85	1–91
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 86 से 100	92–193
अतारांकित प्रश्न संख्या 751 से 950	193–544
सभा पटल पर रखे गए पत्र	545–553
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	
सदस्यों की निरर्हता के लिए याचिका को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना	554
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
संयुक्त राज्य अमरीका के साथ असैनिक परमाणु सहयोग समझौते पर चर्चा करने के लिए सूचनाओं की ग्राह्यता	554–556
वित्तीय समितियां—एक समीक्षा	556
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
बाईसवां, तेईसवां प्रतिवेदन और विवरण	557
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति	
बीसवां प्रतिवेदन	557–558
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ छियानवेवां, एक सौ सत्तानवेवां, एक सौ अट्ठानवेवां प्रतिवेदन	558
कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति	
इक्कीसवां प्रतिवेदन	559
कार्य मंत्रणा समिति	
उनतालीसवां प्रतिवेदन	559

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) वित्त मंत्रालय से संबंधित आर्थिक कार्य, व्यय और विनिवेश विभाग के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के तैंतालीसवें और पैंतालीसवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री पी. चिदम्बरम 559–561

(दो) ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के बाईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 561

(तीन) कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के उनचासवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री प्रेमचन्द गुप्ता 562

सभा का कार्य 562–566

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2007 566

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबन्ध) अध्यादेश, 2007 567

सदस्यों द्वारा निवेदन 567–586

(एक) भारत अमरीकी असैनिक परमाणु समझौते के संबंध में अमरीकी प्रवक्ता द्वारा कथित वक्तव्य के बारे में 567–581

(दो) श्री जार्ज फर्नान्डीज, संसद सदस्य द्वारा सभा के बारे में प्रधानमंत्री के विरुद्ध कतिपय टिप्पणी के बारे में 582–586

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 589

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 590–596

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 597–598

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 597–600

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

शुक्रवार, 17 अगस्त, 2007/26 श्रावण, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 81—श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख।

[हिन्दी]

नौवीं तथा दसवीं योजनाओं में विद्युत की उपलब्धता

+
*81. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:**
श्री के.एस. राव:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं योजना के अंत में विद्युत की कमी देश में नौवीं योजना के अंत की कमी से ज्यादा है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं योजना के अंत में स्रोतवार विभिन्न स्रोतों में प्रत्येक राज्य में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ;

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(घ) क्या कुछ पड़ोसी देशों ने विद्युत क्षेत्र में सहायता की पेशकश की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। 10वीं योजना की समाप्ति पर ऊर्जा एवं व्यस्ततमकालीन कमी क्रमश: 9.6% और 13.8% थी, जबकि 9वीं योजना के अंत में यह कमी क्रमश: 7.5% तथा 11.8% थी।

(ख) 10वीं योजना के अंतिम वर्ष अर्थात् 2006-07 में राज्यवार, स्रोत-वार ऊर्जा उत्पादन को अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) विद्युत मंत्रालय राज्य क्षेत्र में उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए सीधे सहायता उपलब्ध नहीं कराता है। तथापि गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत मंत्रालय ने नई उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना के लिए त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजीएण्डएसपी) के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी के रूप में लगभग 803 करोड़ रुपये जारी किए हैं। राज्यवार ब्यौरे अनुबंध-II में दिए गए हैं। इसके अलावा पावर फाइनेंस कारपोरेशन एवं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन ने नई उत्पादन क्षमता की स्थापना हेतु राज्यों को ऋण के रूप में लगभग 32,563 करोड़ रुपये और लगभग 9365 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। ब्यौरे अनुबंध-III में दिए गए हैं।

योजना आयोग संबंधित राज्यों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर राज्यों की वार्षिक योजनाओं को अनुमोदन प्रदान करता है। गत 3 वर्षों नामश: 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 में राज्य योजनाओं में विद्युत सेक्टर के लिए अनुमोदित परिव्यय के राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-IV में दिए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

अनुबंध I

वर्ष 2006-07 के दौरान राज्य/क्षेत्र/श्रेणीवार विद्युत उत्पादन का ब्यौरा

राज्य	क्षेत्र	श्रेणी	ईंधन	स्टेशन	मानीटर की गई क्षमता (31.3.07 के अनुसार) (मेगावाट)	वास्तविक उत्पादन (मि.यू.)
1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी क्षेत्र						
चंडीगढ़	राज्य	थर्मल	डीजल	चंडीगढ़ डीजी	2.0	0
चंडीगढ़ कुल					2.0	0

1	2	3	4	5	6	7
दिल्ली	केंद्रीय	थर्मल	कोयला	बदरपुर	720.0	5307.00
	राज्य	थर्मल	कोयला	आईपी स्टेशन	247.5	952.23
				राजघाट	135.0	634.99
			गैस	आईपी जीटी	180.0	1129.84
				आईपी डब्ल्यूएचपी	102.0	282.25
				प्रगति सीसीजीटी	330.4	2254.94
दिल्ली		थर्मल			1714.9	10561.25
दिल्ली कुल					1714.9	10561.25
हरियाणा	केंद्रीय	थर्मल	गैस	फरीदाबाद सीसीजीटी	430.0	2830.9
	राज्य	थर्मल	कोयला	फरीदाबाद विस्तार	180.0	616.29
				पानीपत	1360.0	9908.43
		हाइड्रो	हाइड्रो	पश्चिम यमुना कैनाल	62.4	255.78
हरियाणा		थर्मल			1970.0	13355.62
		हाइड्रो			62.4	255.78
हरियाणा कुल					2032.4	13611.4
हिमाचल प्रदेश	केंद्रीय	हाइड्रो	हाइड्रो	भाखड़ा	1325.0	5381.83
				देहर	990.0	2428.26
				पौंग	396.0	1470.25
				चमेरा	540.0	2365.67
				चमेरा-2	300.0	1431.59
				बैरास्यूल	198.0	698.37
				नाथपा झाकड़ी	1500.0	6000.79
	राज्य	हाइड्रो	हाइड्रो	गिरि बाटा	60.0	167.18
				संजय भाभा	120.0	511.01
				बस्ती	60.0	271.39
				बिनवा	6.0	30.11
				आंध्रा	17.0	60.75
				थिरोट	4.5	8.57

1	2	3	4	5	6	7
				गानवी	22.6	59.57
				लारजी	126.0	178.78
				गज	10.5	47.00
				बनेर	12.0	44.02
				खौली	0.0	0
	निजी	हाइड्रो	हाइड्रो	बास्पा	300.0	1315.37
				मलाना	86.0	323.49
हिमाचल प्रदेश		हाइड्रो			6073.6	22794
हिमाचल प्रदेश कुल					6073.6	22794
जम्मू-कश्मीर	केंद्रीय	हाइड्रो	हाइड्रो	सलाल	690.0	3462.53
				उड़ी	480.0	2818.09
				दुलहस्ती	390.0	46.77
	राज्य	थर्मल	नाफ्था	पाम्पोर जीटी	175.0	0
		हाइड्रो	हाइड्रो	लोअर झेलम	105.0	504.48
				अपर सिंध	127.6	407.14
				गांडेरबल	15.0	29.62
				चेनानी	33.0	11.11
				मोहरा	9.0	1.42
				कारगिल	3.8	7.71
				सेवा	9.0	10.35
				स्टकना	4.0	7
				पहलगाम	–	0
जम्मू-कश्मीर		थर्मल			175.0	0
		हाइड्रो			1866.4	7306.22
जम्मू-कश्मीर कुल					2041.4	7306.22
पंजाब	केन्द्रीय	हाइड्रो	हाइड्रो	गंगूवाल	83.6	362.49
				कोटला	84.6	421.51

1	2	3	4	5	6	7
	राज्य	थर्मल	कोयला	गुरु नानक देव टीपी (भटिंडा)	440.0	2221.16
				गुरु हरकिशन टी.पी. (लेहरा मुहब्बत)	420.0	3443.2
				गुरु हरकिशन टीपी-2 (लेहरा मुहब्बत)	0.0	0
				रोपड़	1260.0	9770.34
		हाइड्रो	हाइड्रो	शानन	110.0	495.67
				आनंदपुर साहिब	134.0	666.09
				रंजीत सागर	600.0	1679.49
				यूबीडीसी	91.5	384.61
				मुकेरियां	207.0	1170.44
पंजाब		थर्मल			2120.0	15435.7
		हाइड्रो			1310.7	5180.3
पंजाब कुल					3430.7	20615
राजस्थान	केंद्रीय	थर्मल	गैस	अंता जीटी	413.0	2941.7
		न्यूक्लीयर	न्यूक्लीयर	राजस्थान एपीएस	740.0	3496.29
	राज्य	थर्मल	थर्मल	कोटा	1045.0	8166.05
				सूरतगढ़	1250.0	10204.48
				गिराला टीपीपी	125.0	0
			गैस	रामगढ़ सीसीजीटी	113.8	402.82
				धौलपुर सीसीजीटी	0.0	0
		हाइड्रो	हाइड्रो	राणाप्रताप सागर	172.0	503.58
				जवाहरसागर	99.0	331.85
				माही बजाज	140.0	275.94
				अनूपगढ़	9.0	4.77
				सूरतगढ़	4.0	0
				आरएमसी मंगरोल	6.0	0

1	2	3	4	5	6	7
राजस्थान		थर्मल			2946.8	21715.05
		न्यूक्लीयर			740.0	3496.29
		हाइड्रो			430.0	1116.14
राजस्थान कुल					4116.8	26327.48
उत्तर प्रदेश	केंद्रीय	थर्मल	कोयला	सिंगरौली	2000.0	14687.6
				रिहंद	2000.0	16100.4
				ऊंचाहार	1050.0	7558.82
				दादरी (एनसीटीपीपी)	840.0	7041.4
				टांडा	440.0	3512.8
			गैस	औरैया जीटी	652.0	4613.8
				दादरी जीटी	817.0	5596.1
		न्यूक्लीयर	न्यूक्लीयर	नरौरा एपीएस	440.0	1023.7
	राज्य	थर्मल	कोयला	ओबरा	1550.0	5250.94
				पनकी	220.0	929.22
				हरदुआगंज	340.0	751.99
				परीछा	640.0	2215.39
				अनपरा	1630.0	12335.81
		हाइड्रो	हाइड्रो	रिहंद	300.0	675.64
				ओबरा	99.0	276.31
				माताटीला	30.0	127.69
				अपर गंगा कैनाल	15.6	27.2
				पूर्वी यमुना कैनाल	6.0	3.65
				खारा	72.0	306.12
उत्तर प्रदेश		थर्मल			12179.0	80594.27
		न्यूक्लीयर			440.0	1023.7
		हाइड्रो			522.6	1416.61
उत्तर प्रदेश कुल					13141.6	83034.58

1	2	3	4	5	6	7
उत्तरांचल	केन्द्रीय	हाइड्रो	हाइड्रो	टनकपुर	120.0	455.19
				धौलीगंगा	280.0	1094
				टिहरी चरण-1	1000.0	890.47
	राज्य	हाइड्रो	हाइड्रो	रामगंगा	198.0	154.16
				खटीमा	41.4	154.06
				पथरी	20.4	91.53
				चिबरो	240.0	756.13
				खोदरी	120.0	356.18
				चीला	144.0	740.54
				मनेरी भाली	90.0	466.87
				मनेरी भाली-2	0.0	0
				धकरानी	33.9	149.35
				धालीपुर	51.0	214.41
				कुल्हल	30.0	148.68
				मुहम्मदपुर	9.3	39.75
	निजी	हाइड्रो	हाइड्रो	विष्णु प्रयाग	400.0	977.9
उत्तरांचल		हाइड्रो			2778.0	6689.22
उत्तरांचल कुल					2778.0	6689.22
पश्चिमी क्षेत्र						
छत्तीसगढ़	केंद्रीय	थर्मल	कोयला	कोरबा एसटीपीएस	2100.0	16500.14
	राज्य	थर्मल	कोयला	कोरबा-2	200.0	1623.39
				कोरबा-3	240.0	1659.8
				कोरबा पूर्व-4	0.0	0
				कोरबा पश्चिम	840.0	5944.31
		हाइड्रो	हाइड्रो	हसदेव बांगो	120.0	358.57
				गंगरेल	5.0	29.84
छत्तीसगढ़		थर्मल			3380.0	25727.64
		हाइड्रो			125.0	388.41
छत्तीसगढ़ कुल					3505.0	26116.05

1	2	3	4	5	6	7
गोवा	निजी	थर्मल	नाफ्था		48.0	354.59
गोवा कुल					48.0	354.59
गुजरात	केन्द्रीय	थर्मल	गैस	कवास जीटी	644.0	3629
				गांधार जीटी	648.0	4555.53
		न्यूक्लीयर	न्यूक्लीयर	काकरापाड़ा एपीएस	440.0	2445.59
	राज्य	थर्मल	कोयला	धुवण	534.0	1330.31
				उकाई	850.0	4812.89
				गांधीनगर	660.0	3399.75
				वनाकबोरी	1260.0	9470.63
				सिक्का	240.0	1568.79
				गांधीनगर (यूनिट-5)	210.0	1434.56
				वनाकबोरी (यूनिट-7)	210.0	1518.87
			गैस	उतरान जीटी	144.0	1056.94
				धुवण सीसीजीटी	178.6	369.44
				हजीरा सीसीपीपी	156.1	1069.22
			लिग्नाइट	कच्छ लिग्नाइट	290.0	1289.56
				अकरीमोटा (लिग्नाइट)	250.0	373.63
		हाइड्रो	हाइड्रो	सरदार सरोवर आरबीपीएच	1200.0	3372.04
				सरदार सरोवर सीएचपीएच	250.0	229.09
				उकाई	305.0	916.91
				कदाना	240.0	352.44
	निजी	थर्मल	कोयला	टोरेंट पावर एईसीओ	60.0	492.14
				टोरेंट पावर साबरमती	330.0	2764.4
			गैस	टोरेंट पावर वटवा जीटी	100.0	598.36
				एस्सार जीटी (इम्पोर्ट)	515.0	1787.74
				बड़ौदा (जीआईपीसीएल-1 व 3)	305.0	2153.49
				पगुथान जीटीई कार्पो.	655.0	4390.35
			लिग्नाइट	सूरत लिग्नाइट	250.0	1751.98

1	2	3	4	5	6	7
गुजरात		थर्मल			8489.7	49826.58
		न्यूक्लीयर			440.0	2445.59
		हाइड्रो			1995.0	4870.48
गुजरात कुल					10924.7	57142.65
मध्य प्रदेश	केंद्रीय	थर्मल	कोयला	विन्ध्याचल एसटीपीएस	3260.0	20149.77
				सीपत एसटीपीएस	0.0	0
		हाइड्रो	हाइड्रो	इंदिरा सागर	1000.0	2605.69
	राज्य	थर्मल	कोयला	सतपुड़ा	1142.5	7357.98
				अमरकंटक	60.0	137.06
				अमरकंटक विस्तार	240.0	1108.85
				बीरसिंहपुर (संजय गांधी)	840.0	5406.23
		हाइड्रो	हाइड्रो	गांधी सागर	115.0	431.22
				बरगिस	90.0	517.93
				पेंच	160.0	484.96
				राजघाट	45.0	133.57
				माधीखेड़ा	40.0	12.28
				बाणसागर-1	315.0	1185.88
				बाणसागर-2	30.0	66.98
				बाणसागर-3	60.0	124.02
				बाणसगार-4	20.0	54.72
				बीरसिंहपुर	20.0	40.55
	निजी	हाइड्रो	हाइड्रो	तवा	13.5	39.9
मध्य प्रदेश		थर्मल			5542.5	34159.89
		हाइड्रो			1908.5	5697.7
मध्य प्रदेश कुल					7451.0	39857.59
महाराष्ट्र	केन्द्रीय	न्यूक्लीयर	न्यूक्लीयर	तारापुर एपीएस	1400.0	6498.87
	राज्य	थर्मल	कोयला	नासिक	910.0	6522.89
				कोराडी	1100.0	6798.22

1	2	3	4	5	6	7
				खापरखेड़ा-2	840.0	6582.86
				पारस	62.5	414.08
				पारस विस्तार	0.0	0
				भुसावल	482.5	3195.35
				पारली	690.0	4571.58
				पारली विस्तार	250.0	0.01
				चन्द्रपुर	2340.0	13160.85
			गैस	उरान जीटी	672.0	2599.9
				उरान डब्ल्यूएचपी	240.0	1422.04
		हाइड्रो	हाइड्रो	कोयना	1960.0	3956.41
				वैतरणा	61.5	203.66
				तिल्लारी	60.0	115.92
				भीरा टेलरेस	80.0	105.83
				इलदारी	22.5	54.76
				वीर	9.0	44.2
				भाटघर	16.0	45.84
				पाइथान	12.0	26.24
				भंडारधारा	44.0	49.53
				पावना	10.0	18.42
				राधानगरी	4.8	11.32
				खड़कवासला पंशेट	8.0	54.31
				खड़कवासला वारसा गांव	8.0	26.38
				भाटसा	15.0	111.56
				कन्हेर	4.0	16.12
				उज्जैनी	12.0	49.84
				सूर्या	6.0	14.29
				मानिकदोह	6.0	12.82
				धोम	2.0	11.87

1	2	3	4	5	6	7
				डिम्भे	5.0	20.79
				वारना	16.0	64.53
				दूधगंगा	24.0	58.81
	निजी	थर्मल	कोयला	दहाणु	500.0	4458.41
				ट्रांबे	1150.0	7841.26
			गैस	ट्रांबे जीटी	180.0	1339.98
			नापथा	रत्नागिरि जीटी-1	740.0	0
				रत्नागिरि जीटी-2	740.0	1627.36
		हाइड्रो	हाइड्रो	भीरा	150.0	509.64
				भीरा पीएसएस	150.0	736.52
				भिवपुरी	72.0	422.02
				खोपली	72.0	448.36
महाराष्ट्र		थर्मल			10897.0	60534.79
		न्यूक्लीयर			1400.0	6498.87
		हाइड्रो			2829.8	7236.99
महाराष्ट्र कुल					1526.8	74270.65
दक्षिणी क्षेत्र						
आंध्र प्रदेश	केंद्रीय	थर्मल	कोयला	रामागुंडम एसटीपीएस	2600.0	20247.5
				सिम्हाद्री एसटीपीएस	1000.0	8068.2
	राज्य	थर्मल	कोयला	कोठागुडम	680.0	4787.35
				कोठागुडम (न्यू)	500.0	3680.74
				विजयवाड़ा	1260.0	9953.95
				रामागुंडम बी	62.5	330.7
				रायल सीमा	630.0	3313.86
			गैस	विज्जेश्वरन	272.0	1513.74
		हाइड्रो	हाइड्रो	मचकुंड	114.9	823.05
				अपर सिलेरू	240.0	600.08

1	2	3	4	5	6	7
				लोअर सिलेरू	460.0	1336.29
				टीबी बांध	36.0	141.74
				हम्पी	36.0	98.79
				नागार्जुन सागर	810.0	1816.57
				नागार्जुन सागर आरसी	90.0	284.39
				नागार्जुन सागर एलसी	60.0	154.57
				दोंकरायी	25.0	127.36
				श्रीसेलम	770.0	1749.99
				श्रीसेलम लेफ्ट बैंक	900.0	2512.96
				पोचमपेड	27.0	102.01
				निजाम सागर	10.0	25.57
				पेन्ना अहोबेलम	20.0	13.61
				सिंगुर	15.0	10.92
				स्माल हाइड्रो	15.0	24.25
	निजी	थर्मल	गैस	पेद्दापुरम सीसीजीटी	220.0	945.39
				गौतमी सीसीपीपी	0.0	0
				जेगरूपाडु सीसीजीटी	455.4	1157.52
				कोनासीमा	0.0	0
				कोंडापल्ली जीटी	350.0	1688.6
				गोदावरी जीटी	208.0	1069.33
				वेमागिरि सीसीजीटी	370.0	117.77
			डीजल	एलवीएस पावर	36.8	0
आंध्र प्रदेश		थर्मल			8644.7	56874.65
		हाइड्रो			3628.9	9822.15
आंध्र प्रदेश कुल					12273.6	66696.8
कर्नाटक	केंद्रीय	न्यूक्लीयर	न्यूक्लीयर	कैगा एपीएस	440.0	2524.06
	राज्य	थर्मल	कोयला	रायचूर	1470.0	11483.39

1	2	3	4	5	6	7
				बेल्लारी टीपीपी	0.0	0
			डीजल	येलाहंका	127.8	139.65
		हाइड्रो	हाइड्रो	जोग	139.2	261.82
				शिवानसमुद्रम	42.0	318.25
				शिमसापुर	17.2	80.19
				मुनिराबाद	27.0	85.72
				शरावती	1006.2	5653.6
				कदरा	150.0	516.87
				कोडासल्ली	120.0	490.28
				कालिंदी	855.0	3979.64
				कालीनदी सुपर डीपीएच	100.0	617.87
				लिंगनामक्की	55.0	325.05
				वाराही	230.0	1161.76
				भद्रा	39.2	88.29
				घाटप्रभा	32.0	112.67
				मणि डीपीएच	9.0	33.17
				मल्लारपुर	9.0	0
				गेरूसुप्पा	240.0	631.45
				अलमाटी बांध	290.0	630.36
	निजी	थर्मल	कोयला	तोरांगल्लू	260.0	1531.07
			डीजल	बेल्लारी डीजी	25.2	60.5
				बेलगांव	81.3	181.1
			नापथा	तनीर बावी सीसीजीटी	220.0	503.5
		हाइड्रो	हाइड्रो	शिवपुरा	18.0	87.64
				शाहपुर	6.6	24.48
				हरांगी	9.0	3.55
				माधवमंत्री	4.5	26

1	2	3	4	5	6	7
				नारायणपुर	11.6	54.78
				मंडागेरे	3.5	5.73
कर्नाटक		थर्मल			2184.3	13899.21
		न्यूक्लीयर			440.0	2524.06
		हाइड्रो			3414.0	15189.17
कर्नाटक कुल					6038.3	31612.44
केरल	केंद्रीय	थर्मल	नापथा	कायमकुलम	350.0	1137.5
	राज्य	थर्मल	डीजल	ब्रह्मपुर डीजी	106.6	85.37
				कोझीकोड डीजी	128.0	161.58
		हाइड्रो	हाइड्रो	कुटियाडी	125.0	655.38
				इडुक्की	780.0	2436.95
				सबरीगिरि	300.0	1555.35
				इदमलयार	75.0	386.69
				काक्कड़	50.0	248.57
				शोलयार	54.0	265.76
				सेंगुलम	48.0	176.25
				नरीमंगलम	45.0	277.59
				पल्लीवसल	37.5	241.7
				पोरिंगलकुथू	32.0	184.48
				पोरिंगलकुट्टू एलबीई	16.0	107.82
				पन्नियार	30.0	168.21
				कल्लडा	15.0	76.23
				लोअर पेरियार	180.0	645.02
				मालनकारा	10.5	32.24
				चेम्बूकडावू	6.5	12.18
				उरूमी	6.2	14.53
				पेप्पारा	3.0	9.24

1	2	3	4	5	6	7
				मधुपट्टी	2.0	8.05
	निजी	थर्मल	डीजल	कसरगोड डीजी (निजी)	21.8	24.29
			नापथा	कोचीन सीसीजीटी	174.0	182.75
		हाइड्रो	हाइड्रो	मनियार	10.0	43.02
				कुथूंगल	21.0	47.52
केरल		थर्मल			780.4	1591.49
		हाइड्रो			1846.7	7592.78
केरल कुल					2627.1	9184.27
लक्षद्वीप	राज्य	थर्मल	लिग्नाइट	लक्षद्वीप डीजी	10.0	28.25
लक्षद्वीप कुल					10.0	28.25
पांडिचेरी	राज्य	थर्मल	लिग्नाइट	कराईकल	32.5	277.71
पांडिचेरी कुल					32.5	277.71
तमिलनाडु	केंद्रीय	थर्मल	कोयला	नैवेली-1	600.0	3989.03
				नैवेली-2	1470.0	8537.76
				नैवेली एफएसटी विस्तार	420.0	3265.73
		न्यूक्लीयर	न्यूक्लीयर	मद्रास एपीएस	440.0	2618.24
	राज्य	थर्मल	कोयला	एन्नौर	450.0	1427.88
				तूतीकोरिन	1050.0	8083.29
				मेत्तरू	840.0	6812.87
				नार्थ चेन्नई	630.0	4867.78
			गैस	नरीमन जीटी	10.0	0
				वलुथूर जीटी	94.0	727.58
				कुट्टालम जीटी	100.0	458.97
				कोविलकलप्पल	107.0	704.25
			नापथा	बेसिन ब्रिज जीटी	120.0	56.59
		हाइड्रो	हाइड्रो	पाइकारा	70.1	171.81
				पाइकारा बांध	2.0	8.77
				मोयार	36.0	173.63
				कुंडा	555.0	1988.14

1	2	3	4	5	6	7
				मेत्तूर बांध	40.0	91.42
				मेत्तरू टनल	200.0	655.5
				पेरियार	140.0	514.6
				कोडयार	100.0	314.07
				शोलयार	95.0	378.99
				अलियार	60.0	178.93
				सरकारपथी	30.0	150.22
				पापनासम	28.0	145.26
				सेरूलियार	35.0	108.54
				सेरवलार	20.0	41.67
				लोअर मेत्तूर	120.0	416.89
				कदमपराई	400.0	427.86
				वैगई	6.0	20.24
				लोअर भवानी	16.0	87.87
				सत्तनूर बांध	7.5	10.25
				पार्सन्स वैली	30.0	59.4
				पाइकारा अल्टीमेट	150.0	281.05
				भवानी कटलाई	30.0	59.19
	निजी	थर्मल	गैस	करुप्पुर	119.8	816.88
				पी. नल्लूर सीसीजीटी	330.5	1084.59
				वालनथरावी सीसीपीपी	52.8	347.55
			डीजल	समयानल्लूर डीजी	106.0	359.47
				समलपट्टी डीजी	105.7	379.65
				बेसिन ब्रिज डीजी	200.0	880.52
			लिग्नाइट	नैवेली (जेड)	250.0	1825.6
तमिलनाडु		थर्मल			7055.8	44625.99
		न्यूक्लीयर			440.0	2618.24
		हाइड्रो			2170.6	6284.3
तमिलनाडु कुल					9666.4	53528.53

1	2	3	4	5	6	7
पूर्वी क्षेत्र						
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य	थर्मल	डीजल	अंडमान निकोबार डीजी	40.1	73.27
		हाइड्रो	हाइड्रो	कलपोंग	5.3	9.34
	निजी	थर्मल	डीजल	बम्बू फ्लैट	20.0	108.78
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह		थर्मल			60.1	182.05
		हाइड्रो			5.3	9.34
अंडमान व निकोबार कुल					65.4	191.39
बिहार	केंद्रीय	थर्मल	कोयला	कहलगांव एसटीपीएस	840.0	6579.4
	राज्य	थर्मल	कोयला	बरौनी	320.0	37.25
				मुजफ्फरपुर	220.0	0
		हाइड्रो	हाइड्रो	कोसी	20.0	17.07
				सोन वेस्ट कैनाल	6.6	16.69
				सोन ईस्ट कैनाल	3.3	8.29
				पूर्वी गंडक कैनाल	15.0	25.16
बिहार		थर्मल			1380.0	6616.65
		हाइड्रो			44.9	67.21
बिहार कुल					1424.9	6683.86
झारखंड	केंद्रीय	थर्मल	कोयला	चंद्रपुरा	780.0	2144.91
				बोकारो बी	630.0	3304.47
			नापथा	मैथान जीटी	90.0	0
		हाइड्रो	हाइड्रो	पंचेट	80.0	163.93
				तिल्लैया	4.0	18.18
	राज्य	थर्मल	कोयला	पतरातू	840.0	615.88
				तेनुघाट	420.0	2712.73
		हाइड्रो	हाइड्रो	सुबर्ण रेखा	13.0	208.47
	निजी	थर्मल	कोयला	जोजोबेरा (इम्प.)	360.0	2002.83
झारखंड		थर्मल			3120.0	10780.82
		हाइड्रो			214.0	390.58
झारखंड कुल					3334.0	11171.4

1	2	3	4	5	6	7
उड़ीसा	केंद्रीय	थर्मल	कोयला	तालचेर ओल्ड	470.0	3548.3
				तालचेर एसटीपीपी	3000.0	23656.17
	राज्य	थर्मल	कोयला	इब वैली	420.0	3317.76
		हाइड्रो	हाइड्रो	बालीमेला	360.0	1623.4
				हीराकुंड	331.5	862.36
				रंगाली	250.0	669.91
				अपर कोलाब	320.0	1026.47
				इंदिरावती	600.0	3021.38
	निजी	थर्मल	कोयला	नालकोम (इम्प.)	0.0	604.34
				आईसीसीएल (इम्प.)	0.0	373.06
उड़ीसा		थर्मल			3890.0	31499.63
		हाइड्रो			1861.5	7203.52
उड़ीसा कुल					5751.5	38703.15
सिक्किम	केंद्रीय	हाइड्रो	हाइड्रो	रंगित	60.0	201.12
	राज्य	थर्मल	डीजल	गंगटोक	4.0	0.13
				रामपूल	1.0	0.02
		हाइड्रो	हाइड्रो	लोअर लग्याब	12.0	21.76
				अपर रोंगचू	8.0	0
				मोयांचू	4.0	3.75
				स्माल हाइड्रा	8.0	9.49
सिक्किम		थर्मल			5.0	0.15
		हाइड्रो			92.0	236.12
सिक्किम कुल					97.0	236.27
पश्चिम बंगाल	केंद्रीय	थर्मल	कोयला	दुर्गापुर	350.0	2063.05
				मेजिया	1090.0	6236.1
				फरक्का	1600.0	11399
		हाइड्रो	हाइड्रो	मैथान	60.0	175.2

1	2	3	4	5	6	7
	राज्य	थर्मल	कोयला	दुर्गापुर प्रोजेक्ट लि.	395.0	1781.05
				बांडेल	450.0	1546.65
				संथालडीह	480.0	1475.01
				कोलाघाट	1260.0	7680.19
				बक्रेश्वर	630.0	4913.6
				सागरडिघी टीपीपी	0.0	0
			नापथा	कस्बा जीटी	40.0	0
				सिलीगुडी जीटी	20.0	0
				हल्दिया जीटी	40.0	0
		हाइड्रो	हाइड्रो	जलढका	35.0	147.03
				मेस्सनजोर	4.0	0
				राम्मम	50.0	231.18
				तीस्ता	67.5	34.43
	निजी	थर्मल	कोयला	न्यू कोसीपुर	160.0	485.12
				टीटागढ़	240.0	1838.31
				सदर्न रिप्लेसमेंट	135.0	1010.13
				बज बज	500.0	4370.04
				दिशेरगढ़	14.2	46.23
				चिंकौरी	20.0	133.61
पश्चिम बंगाल		थर्मल			7424.2	44978.09
		हाइड्रो			216.5	587.84
पश्चिम बंगाल कुल					7640.7	45565.93
पूर्वोत्तर क्षेत्र						
अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय	हाइड्रो	हाइड्रो	रंगानदी	405.0	957.71
	राज्य	हाइड्रो	हाइड्रो	टागो एमएचएस	4.5	8
				नूरांग एमएचएस	6.0	0
अरुणाचल प्रदेश		हाइड्रो			415.5	965.71
कुल अरुणाचल प्रदेश					415.5	965.71

1	2	3	4	5	6	7
असम	केन्द्रीय	थर्मल	गैस	कैथालगुडी	291.0	1805.14
		हाइड्रो	हाइड्रो	कोपिली	225.0	816.85
	राज्य	थर्मल	कोयला	चन्द्रपुर	60.0	0
				बोंगईगांव	240.0	0
			गैस	नामरूप एसटी	30.0	94.79
				नामरूप जीटी	81.5	227.65
				नामरूप डब्ल्यूएचपी	22.0	56.08
				लकवा जीटी	120.0	469.31
				मोबाइल गैस टीजी	21.0	0
	निजी	थर्मल	गैस	डीएलएफ पावर कंपनी	24.5	104.82
असम		थर्मल			890.0	2757.79
		हाइड्रो			225.0	816.85
असम कुल					1115.0	3574.64
मणिपुर	केंद्रीय	हाइड्रो	हाइड्रो	लोकतक	90.0	475.42
	राज्य	थर्मल	डीजल	लीमाखोंग	36.0	2.68
मणिपुर		थर्मल			36.0	2.68
		हाइड्रो			90.0	475.42
मणिपुर कुल					126.0	478.1
मेघालय	केंद्रीय	हाइड्रो	हाइड्रो	खांडोंग	50.0	143.09
	राज्य	हाइड्रो	हाइड्रो	किरदमकुलाई	60.0	116.73
				उमियम	114.0	231.33
				उमत्रू	11.2	46.45
मेघालय		हाइड्रो			235.2	537.6
मेघालय कुल					235.2	537.6
मिजोरम	राज्य	थर्मल	डीजल	बैराबी	22.8	3.51
मिजोरम कुल					22.8	3.51
नागालैंड	केंद्रीय	हाइड्रो	हाइड्रो	दोयांग	75.0	182.01
	राज्य	थर्मल	डीजल	दीमापुर	0.0	0
		हाइड्रो	हाइड्रो	लिकिम	24.0	0

1	2	3	4	5	6	7
नागालैंड		थर्मल			0.0	0
		हाइड्रो			99.0	182.01
नागालैंड कुल					99.0	182.01
त्रिपुरा	केंद्रीय	थर्मल	गैस	अगरतला जीटी	84.0	652.96
	राज्य	थर्मल	गैस	बारामूरा जीटी	21.0	168.27
				रोखिया जीटी	90.0	343.08
		हाइड्रो	हाइड्रो	गुमटी	15.0	46.32
त्रिपुरा		थर्मल			195.0	1164.31
		हाइड्रो			15.0	46.32
त्रिपुरा कुल					210.0	1210.63
अखिल भारत (भूटान इम्प. को छोड़कर) कुल					123571.8	659512.9
भूटान इम्पोर्ट		हाइड्रो				3010.08
अखिल भारत (भूटान इम्पोर्ट सहित) कुल					123571.8	662522.96

अनुबंध II

एजीएण्डएसपी के अंतर्गत वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान राज्य क्षेत्र में नई उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना हेतु विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी निधियां

(करोड़ रुपये में)

राज्य	राशि
1	2
आंध्र प्रदेश	45.59
असम	19.41
गुजरात	143.8
हरियाणा	90.58
हिमाचल प्रदेश	25.75
जम्मू-कश्मीर	22.79
कर्नाटक	30.9
मध्य प्रदेश	13.61
महाराष्ट्र	85.08
दिल्ली	19.9
राजस्थान	68.28
तमिलनाडु	49.36
उत्तर प्रदेश	85.05
पश्चिम बंगाल	68.8
छत्तीसगढ़	34.3
कुल	803.2

अनुबंध III

नई उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान राज्यों को पीएफसी और आरईसी द्वारा मंजूर ऋण

(करोड़ रुपये में)

राज्य	पीएफसी	आरईसी	कुल
आंध्र प्रदेश	792	1544.51	2336.51
असम	195		195
गुजरात	2544		2544
हरियाणा	1949	1536.03	3485.03
हिमाचल प्रदेश	642	0	642
जम्मू-कश्मीर	520	0	520
कर्नाटक	1892		1892
मध्य प्रदेश	5336		5336
महाराष्ट्र	6985	3693	10678
राजस्थान	4109		4109
तमिलनाडु	94		94
उत्तर प्रदेश	3659		3659
उत्तराखंड	782		782
पश्चिम बंगाल	2917		2917
केरल	147	154.35	301.35
मेघालय		94	94
अरुणाचल प्रदेश		20.11	14.07
मिजोरम		40	40
छत्तीसगढ़		2283.176	2283.176
कुल	32563	9365.176	41928.176

अनुबंध IV

2004-05 से 2006-07 के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिए राज्यवार आबंटन

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2125.86	515.51	224.69
2.	अरुणाचल प्रदेश	155.30	80.73	97.52
3.	असम	290.48	586.29	426.59
4.	बिहार	667.88	476.54	739.61
5.	छत्तीसगढ़	157.17	100.00	112.90
6.	गोवा	98.99	111.52	115.00
7.	गुजरात	635.45	830.49	1011.70
8.	हरियाणा	470.00	445.00	445.00
9.	हिमाचल प्रदेश	57.50	115.83	77.01
10.	जम्मू-कश्मीर	719.89	1153.41	971.78
11.	झारखंड	380.63	401.37	1059.00
12.	कर्नाटक	2711.89	1849.73	2433.04
13.	केरल	693.00	750.00	900.39
14.	मध्य प्रदेश	916.92	1322.97	1164.29
15.	महाराष्ट्र	382.43	711.63	1399.99
16.	मणिपुर	61.20	57.90	73.89
17.	मेघालय	157.11	213.00	227.00
18.	मिजोरम	57.86	61.26	72.00
19.	नागालैंड	65.48	63.45	67.31
20.	उड़ीसा	502.25	795.71	501.79
21.	पंजाब	793.92	955.75	501.79
22.	राजस्थान	1816.18	1905.76	1991.00
23.	सिक्किम	90.75	36.40	32.04

1	2	3	4	5
24.	तमिलनाडु	1255.53	1362.36	1007.24
25.	त्रिपुरा	43.69	52.34	90.00
26.	उत्तर प्रदेश	835.78	710.09	1608.06
27.	उत्तरांचल	253.84	327.77	436.74
28.	पश्चिम बंगाल	1567.48	2078.55	2118.23
	कुल (राज्य)	17954.46	18071.36	20322.07

स्रोत: योजना आयोग

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, मुख्य उत्तर में एक शुद्धि है।

मुख्य उत्तर में शुद्धि:

(1) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में, लगभग 32,563 करोड़ रुपये के बाद और लगभग 9365 करोड़ रुपये" जोड़ा जाए।

(2) अनुबंध-III में, आईसी से अरुणाचल प्रदेश के संबंध में राशि को "14.07 करोड़ रुपये से बदल कर 20.11 करोड़ रुपए" किया जाए। आईसी द्वारा दिए गए कुल ऋण की राशि को "9359.136 करोड़ रुपये" के बजाए "9365.176 करोड़ रुपये" पढ़ा जाए। तदनुसार, कुल को "41,922.136 करोड़ रुपये" से परिवर्तित कर 41928.176 करोड़ रुपये कर दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

[अनुवाद]

*महोदय, विद्युत आपूर्ति के बिना देश प्रगति नहीं कर सकता है। विद्युत विकास का आधार है। पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के बिना कोई प्रगति संभव नहीं है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि देश में विद्युत की कुल कितनी मांग है तथा देश में उपलब्ध विद्युत कितनी है तथा मांग-आपूर्ति के बीच अंतर को पूरा करने के लिए क्या आपने विद्युत उत्पादन के लिए कोई नई योजना तैयार की है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि देश में विद्युत आपूर्ति और मांग के बीच अंतर को पूरा करने के लिए सरकार की क्या योजना है।

*मूलत: मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप मराठी में विदाउट नोटिस बोल रहे हैं।

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: मैंने कल परमीशन ली है।

अध्यक्ष महोदय: क्या आपने नोटिस भेजा है?

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: हां श्रीमान, नोटिस भेजा है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। आपके दोनों के बीच में चलेगा, हम क्या करेंगे।

श्री रामदास आठवले: दोनों मराठी हैं।

अध्यक्ष महोदय: अभी कृपा करके नैक्स्ट सप्लीमैन्ट्री हिन्दी में कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री आठवले, आप अपनी सीट पर जाइये, आपने गड़बड़ क्यों शुरू की? आपने देखा और शुरू हो गये।

श्री सुशील कुमार शिंदे: *माननीय सदस्य ने मुझसे कुछ सूचना मांगी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, चूंकि फिलहाल मराठी में भाषान्तरण की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए कृपया आप हम जैसे साधारण लोगों का भी ध्यान रखें।

*मूलत: मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार शिंदे: सर, मैं यह बताना चाहूंगा कि

[अनुवाद]

आप जिस भी भाषा में उत्तर देने का आदेश देंगे मुझे उसमें ही उत्तर देने में अत्यधिक प्रसन्नता होगी।

अध्यक्ष महोदय: मराठी एक मधुर भाषा है। परन्तु वर्तमान में मराठी में भाषान्तरण की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

श्री सुशील कुमार शिंदे: यह अत्यंत मधुर भाषा है।

[हिन्दी]

दसवीं योजना में जो कैपेसिटी एडीशन करना था, वह 41110 मेगावाट था, लेकिन एक्चुअल 21180 मेगावाट हुआ है। यदि देखा जाए तो नौवीं योजना के अंतिम वर्ष में हमारी एनर्जी शार्टेज 7.5% थी और दसवीं योजना के अंतिम वर्ष में एनजी शार्टेज 9.6% हुई। नौवीं योजना के अंतिम वर्ष में पिकिंग शार्टेज 11.8% थी और दसवीं योजना में 13.8% हो गई। लेकिन कैपेसिटी एडीशन नौवें प्लान में हमने 19015 मेगावाट की थी। यह बात सही है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में केवल 21180 मेगावाट की परिपूर्णता हुई है, जबकि हमारा टारगेट 41110 मेगावाट था। अभी भी पूरे देश में बिजली की कमी है और इस कमी का कारण यह है कि आठवें और नौवें प्लान में स्टेट्स में जो कैपेसिटी एडीशन होना चाहिए था, वह कैपेसिटी एडीशन नहीं हुआ। यह काम केवल भारत सरकार का नहीं है, बिजली देने का काम राज्यों का है। प्रथम काम उनका है। भारत सरकार का केवल सप्लीमेंट्री काम होता है। तो भी हमने एनटीपीसी और एनएचपीसी से काफी चर्चा करके बिजली देने का काम किया है। मैं सम्मानित सदस्य और आपके माध्यम से विनती करूंगा कि राज्यों को ज्यादा कैपेसिटी निर्माण करने का काम करना चाहिए। अभी हमने ग्यारहवीं योजना में 78,577 मेगावाट का टार्गेट लगाया है। यह जो लक्ष्य लगाया है, उसमें अल्ट्रा-मेगा पावर प्रोजेक्ट जो 4-4 हजार के एक-एक हैं, उसमें से दो अभी बेचे गये हैं, इसमें उनका इंक्लूजन नहीं है। यह छोड़कर हमने 78,577 कैपेसिटी एडीशन का तय किया है और इसकी मोनीटरिंग हम खुद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलायी थी। वहां प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया है कि पावर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया जायेगा और वह करने का अभी प्रयास चल रहा है।

[अनुवाद]

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: *महोदय, माननीय मंत्री महोदय राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने, कहा है कि यह राज्य सरकारों को विद्युत आपूर्ति करना केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है। वह राज्य सरकारों की स्थिति के बारे में जानते हैं। राज्य सरकारें अपनी वित्तीय स्थिति के कारण विद्युत उत्पादन करने की स्थिति में नहीं हैं। यदि केन्द्र सरकार कानून बनाकर राज्यों को सहायता प्रदान करती है तो वे विद्युत उत्पादन करने की स्थिति में होंगे। विद्युत कम्पनियां बहुत अधिक लाभ अर्जित कर रही हैं। विद्युत उत्पादन हेतु राज्यों को इन अर्जित लाभों से निधियां प्रदान की जा सकती है। क्या इस संबंध में कोई नया कानून अधिनियमित किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: उनके ''मत'' का अर्थ है, मंत्री महोदय का मत न कि अध्यक्षपीठ का मत।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार शिंदे: अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि मैं महाराष्ट्र राज्य का मुख्य मंत्री था और जब मैंने मुख्यमंत्री का पदभार लिया, पूर्व में वहां चाहे शिवसेना-बीजेपी का राज्य हो, उसमें केवल दाभोल मिला, यह कहना कि हमें 2150 मेगावाट का एक दाभोल मिल गया और वह थोड़े ही दिनों में बंद हो गया, उस पर हम निर्भर रहेंगे, उसके बंद होने के बाद कोई कैपेसिटी एडीशन राज्य ने नहीं किया। जब मैं वहां 2003 में चला गया, तभी पारस और परली का 500 मेगावाट का। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान मत डालिए। उन्होंने मंत्री महोदय से प्रश्न पूछा है। व्यवधान डालना ठीक नहीं है। इस व्यवधान को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* **

अध्यक्ष महोदय: उनकी सहायता के लिए किसी को आगे आने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, उन्होंने विशिष्ट रूप से यह कहा है कि जब मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था तब ऐसा हुआ था। इसलिए मैं इस मुद्दे का उत्तर दे रहा हूं। अन्यथा, अब यह बताने का कोई कारण न था।

---

*मूलत: मराठी में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इसका उल्लेख किया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार शिंदे: यह बात सही है कि मेरी कंपनियां 6000-7000 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाती हैं लेकिन आज भी रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन और पावर फाइनेंस से हम कर्जा देते हैं। जितना चाहिए, उतना हम कर्जा देने के लिए तैयार हैं लेकिन राज्य नहीं आते हैं। जब डेढ़ साल पहले मैं पावर मिनिस्टर बना, तभी मैंने रिव्यू ले लिया और पूरे देश में सभी मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को चिट्ठी लिखी और कैपेसिटी एडीशन करने की उनसे विनती की। उसी वजह से आज थोड़ा सा काम मुख्यमंत्रियों ने और राज्यों ने करने का प्रयास किया है। हम उनकी पूरी मदद करेंगे, महाराष्ट्र की भी पूरी मदद करेंगे। महाराष्ट्र की पोजीशन अच्छी है। वह कैपेसिटी एडीशन पूर्ण करने के लिए तैयार है।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव: महोदय, हमें अत्यंत खुशी है कि पिछले वर्ष की सकल घरेलू उत्पाद की विकास पर 2.4 रही तथा सरकार का लक्ष्य इस विकास दर को दो अंक तक प्राप्त करने का है।

विद्युत किसी देश के विकास की कुंजी है। माननीय मंत्री महोदय ने यह माना है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना से दसवीं पंचवर्षीय योजना तक विद्युत की कमी 2 प्रतिशत बढ़ गई है। इससे स्पष्ट है कि विद्युत उत्पाद बढ़ाने के बजाय घट रहा है। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री को उद्धृत करना चाहता हूं, उन्होंने कहा है कि देश में 150,000 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता है जिसमें से अब तक केवल 33,000 मेगावाट क्षमता का ही दोहन किया गया है।

जब वर्षों से ईंधन तथा गैस से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो गैस और कोयला के भण्डार समाप्त हो जाते हैं। इसके विपरीत जल विद्युत के मामले में ऐसा नहीं होता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। बिना विद्युत उत्पादन किए ही जल समुद्र में बह जाता है। देश में 150,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता है। आंध्र प्रदेश में 1450 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्र विद्युत उत्पादन के लिए तैयार हैं। वे केवल गैस आपूर्ति का इंतजार कर रहे हैं। इसमें निवेश किया गया है लेकिन गैस के अभाव में विद्युत का उत्पादन नहीं हो पाया है।

इन दो स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार, आंध्र प्रदेश में इन दो विद्युत संयंत्रों को गैस उपलब्ध कराने पर विचार करेगी तथा कम ब्याज दर पर निधि उपलब्ध कराकर जल विद्युत क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करेगी ताकि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आगामी दो-तीन वर्षों में 150,000 मेगावाट क्षमता की प्राप्ति की जा सके।

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, यह सही है कि पूरे हिमालयाई रेंज में एक लाख पचास हजार मेगावाट की भारी विद्युत क्षमता उपलब्ध है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने मुख्य मंत्रियों से सम्पर्क किया, उनकी बैठक बुलाई और उनसे चर्चा की।

अरुणाचल प्रदेश के मामले में, हमने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि 13,000 मेगावाट विद्युत क्षमता का सृजन किया जा सके। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्वयं निजीकरण पर विचार किया है तथा 4,000 से 5,000 मेगावाट विद्युत क्षमता के सृजन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वयं इस सभा में, मैंने कहा था कि देश को बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। डीपीआर के संबंध में कुछ विवाद उत्पन्न हुए हैं जिन्हें जल विद्युत निगम आरईसी तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया था। मैंने इस सभा को आश्वस्त किया था कि डीपीआर को निजी व्यक्तियों को सौंपा जाएगा तथा उससे हम इसमें होने वाले खर्च को वसूल करेंगे। देश को त्वरित क्षमता विस्तार की आवश्यकता है। यह समस्या का यह एक पहलू है।

पिछले पचास वर्षों से 'बैकलाग' है। मेरे मंत्रालय तथा भारत सरकार ने जल विद्युत के संबंध में नई नीति लाने का निर्णय लिया है। दो माह के भीतर जल्द ही देश के सामने नीति लाई जाएगी।

जहां तक, आंध्र प्रदेश में दो परियोजनाओं का प्रश्न है, वे गैस आधारित हैं परन्तु देश में गैस की कमी है। गैस उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आपने यह पहले भी बताया है।

श्री सुशील कुमार शिंदे: जब गैस उपलब्ध हो जाएगी। इन परियोजनाओं को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। मैंने मुख्यमंत्री तथा राज्य सरकार से फिलहाल इन परियोजनाओं को नेप्था से चलाने का अनुरोध किया है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार रत्नागिरी परियोजना को, जो डाभोल विद्युत परियोजना थी, ऐसे ही चला रही है। इसमें कुछ समस्याएं हैं। परन्तु हम यथाशीघ्र गैस उपलब्ध कराने का प्रयत्न कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री ने इस संबंध में 15 परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी दी है। मेरा विचार है कि पर्याप्त सूचना दी जा चुकी है। मैं इस मामले पर केवल दो ही माननीय सदस्यों को अनुमति दूंगा।

श्री रूपचंद पाल: महोदय, विद्युत उत्पादन तथा विद्युत उपलब्धता के स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने कतिपय अल्ट्रा मेगा विद्युत इकाईयों को स्थापित करने का निर्णय लिया है, सासन उनमें से एक है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सासन की निविदा प्रक्रिया के बारे में सरकार द्वारा कोई जांच शुरू की गई है अथवा करने का कोई विचार है।

श्री सुशील कुमार शिंदे: जहां तक सासन का संबंध है। यह देश को पता है तथा मैंने स्वयं इस सभा में कहा था कि दो अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं में से एक परियोजना को टाटा को दिया गया था तथा दूसरी को ग्लोबालैक लैंको को दिया गया था। यह एक संगठन था। इसमें कुछ त्रुटि थी। इसलिए सरकार ने ईजीओएम की नियुक्ति की थी।

सरकार द्वारा ईजीओएम नियुक्त किया गया था ईजीओएम ने इस पर विचार किया है। इसके लिए लैंको-ग्लोबालैक कंसोर्टियम साम्य (लेवलाईज्ड) मूल्य 1.19 रुपये प्रति यूनिट की दर से दिया गया था तथा सरकार ने देश को आश्वस्त किया था कि हम सस्ती व निर्बाध ऊर्जा देंगे। इसलिए जब लेवलाईज्ड मूल्य पर निर्णय किया गया तो, हम यह चाहते हैं कि यह कार्य इसी मूल्य पर कराया जाएगा। एक अन्य कंपनी ने इसे 1.29 रुपये प्रति यूनिट दर से कोट किया था परन्तु इसे यह कार्य नहीं दिया गया। परन्तु इसे 1.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से दिया गया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह पृथक परियोजनाएं हैं।

श्री सुशील कुमार शिंदे: इसलिए इसमें स्पष्टता है ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: कृपया इस प्रश्न पर आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हाफ एन आवर डिसकशन अभी नहीं हो सकता। उसके लिए नोटिस देना पड़ेगा।

[अनुवाद]

उन्होंने पूर्ण ब्यौरा दिया है।

[हिन्दी]

श्री विजय कृष्ण: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से जवाब दिया है। मैं स्पैसिफिकली जानना चाहता हूं कि बिहार में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन-कौन से उपाय किये जा रहे हैं और बाढ़ का एनटीपीसी प्रोजैक्ट कब तक पूरा होगा?

अध्यक्ष महोदय: आप उनके पास जाइए और उनको चाय पर इनवाइट कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बिहार में फ्लड पर डिसकशन करने के लिए हम समय देते हैं तो कोई सदन में नहीं होता है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। आपको भी वे चाय पर बुलाएंगे।

...*(व्यवधान)*

एन.आर.ई.जी.एस. का निष्पादन

***82. श्री टेक लाल महतो:**[+]
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों में विशेषकर झारखंड तथा उड़ीसा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) के अंतर्गत आबंटित निधियों के उपयोग के संबंध में अनियमितताओं की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान जारी किए गए रोजगार कार्डों, सृजित श्रम दिवसों तथा इससे लाभान्वित लोगों एवं आबंटित की गई तथा उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके अंतर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। एनआरईजीएस के अंतर्गत निधियों के उपयोग में अनियमितताओं के संबंध में 9 राज्यों से कुल 19 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विशेषकर झारखंड और उड़ीसा राज्य के मामले में झारखंड के पलामू, रांची और दुमका जिलों से तीन शिकायतें और उड़ीसा के बौध और नवरंगपुर जिलों से दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उस पर की-गई-कार्रवाई/की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई सहित इन शिकायतों और उनके ब्यौरे की सूची अनुबंध-I में दी गई है।

(ग) वर्ष 2006-2007 का अपेक्षित ब्यौरा संलग्न अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2006-2007 का अपेक्षित ब्यौरा संलग्न अनुबंध-III में दिया गया है।

अनुबंध I

एनआरईजीएस के अंतर्गत निधियों के उपयोग में अनियमितताओं संबंधी शिकायतों की सूची

क्र.सं.	राज्य	शिकायतकर्ता का नाम	लगाया गया आरोप	की गई/किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	झारखंड	श्री सुबोधकांत सहाय, राज्य मंत्री (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग) ने श्री के.एन. त्रिपाठी, महासचिव, झारखंड प्रदेश कांग्रेस समिति से प्राप्त अभ्यावेदन अग्रेषित किया	झारखंड में अनुचित कार्यान्वयन और एनआरईजीए निधियों का गबन	राज्य सरकार को जांच, आवश्यक कार्रवाई तथा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए अग्रेषित की गई।
2.	झारखंड	श्री सोमरा सोरेन और अन्य ग्रामवासी तथा श्री ए. भट्टाचार्य, कार्यकारी निदेशक, सुहरीत	निधियों का गबन, भ्रष्टाचार और एनआरईजीए का अनुचित कार्यान्वयन	राज्य सरकार को जांच, आवश्यक कार्रवाई तथा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए अग्रेषित की गई।
3.	झारखंड	श्री सुरेश यादव और मल्लुंगई, झारखंड के ग्रामवासी	भ्रष्टाचार तंत्र का इस्तेमाल और एनआरईजीए निधियों का गबन	राज्य सरकार को जांच, आवश्यक कार्रवाई तथा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए अग्रेषित की गई।
4.	उड़ीसा	श्री गणेश्वर मांझी, वार्ड सदस्य	एनआरईजीए के अंतर्गत सार्वजनिक निधियों का दुरुपयोग	राज्य सरकार को जांच, आवश्यक कार्रवाई तथा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए अग्रेषित की गई।
5.	उड़ीसा	सचिव, एनआरईजी समिति, नवरंगपुर	श्री सर्वेश्वर राऊत्रे द्वारा एनआरईजीए निधियों का दुर्विनियोजन	राज्य सरकार को जांच, आवश्यक कार्रवाई तथा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए अग्रेषित की गई।

1	2	3	4	5
6.	असम	श्री नगेन्द्र नाथ राय और अन्य	असम में सरकारी निधियों का दुर्विनियोजन और अनुचित कार्यान्वयन	राज्य सरकार को जांच, आवश्यक कार्रवाई तथा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए अग्रेषित की गई।
7.	बिहार	कैप्टन जे.एन.पी. निषाद, सांसद (राज्य सभा)	छपरा के दरियापुर (सारण) ब्लाक में निधियों का दुर्विनियोजन	राज्य सरकार को जांच, आवश्यक कार्रवाई तथा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए अग्रेषित की गई।
8.	तमिलनाडु	श्री एम. वेणुगोपाल, उपाध्यक्ष	एनआरईजीए निधियों का दुर्विनियोजन	राज्य सरकार को जांच, आवश्यक कार्रवाई तथा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए अग्रेषित की गई।
9.	छत्तीसगढ़	श्री एस.एल. सलुजा, राष्ट्रीय संयोजक	छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एनआरईजीए के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार	राज्य सरकार को जांच, आवश्यक कार्रवाई तथा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए अग्रेषित की गई।
10.	छत्तीसगढ़	श्री दिग्विजय सिंह, विधायक	भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और एनआरईजीए का अनुचित कार्यान्वयन	राज्य सरकार को जांच, आवश्यक कार्रवाई करने तथा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए अग्रेषित की गई।
11.	छत्तीसगढ़	"इंडियन एक्सप्रेस", का समाचार, 5.8.07	एनआरईजीए निधियों का उपयोग करके 5 करोड़ रुपये मूल्य के कीटनाशक की खरीद में अनियमितताएं	छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रोजगार गारंटी योजना के आयुक्त श्री पी.सी. मिश्रा की अध्यक्षता में एक 3-सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया है ताकि मामले की जांच की जा सके। कांकेर के जिला कलक्टर को स्थानांतरित कर दिया गया है और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।
12.	राजस्थान	श्री चमना राम मीणा, सरपंच ग्राम पंचायत वीरवारहा, सिरोही, राजस्थान	उसे बताए बिना सचिव और विकास अधिकारी द्वारा एनआरईजीए के अंतर्गत चैक संख्या 1408261 के माध्यम से एमजीबी बैंक से 1,93,600 रुपये का भुगतान	26.07.2007 को राज्य सरकार को अग्रेषित की गई।
13.	मध्य प्रदेश	श्री शकील कुरैशी, अधिवक्ता	श्योपुर जिले में श्री अशोक शर्मा द्वारा एनआरईजीए के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार	राज्य सरकार को जांच, आवश्यक कार्रवाई करने तथा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए अग्रेषित की गई।

1	2	3	4	5
14.	उत्तर प्रदेश	श्री श्यामा चरण गुप्ता, संसद सदस्य (लोक सभा)	बांदा जिले में निधियों का दुर्विनियोजन	राज्य सरकार को जांच, आवश्यक कार्रवाई करने तथा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए अग्रेषित की गई।
15.	उत्तर प्रदेश	श्री वी.के. पाण्डेय, अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन	भ्रष्टाचार और उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में एनआरईजीए के कार्यान्वयन में अनियमितताएं	राज्य सरकार को जांच, आवश्यक कार्रवाई करने तथा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए अग्रेषित की गई।
16.	उत्तर प्रदेश	श्री अशोक गहलोत, महासचिव, एआईसीसी	जिला-महोबा, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं	राज्य सरकार को जांच, आवश्यक कार्रवाई करने तथा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए अग्रेषित की गई।
17.	उत्तर प्रदेश	श्री तेज नारायण और विकास खण्ड सिंगपुर, जिला अमेठी के अन्य गरीब मजदूर	भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और एनआरईजीए का अनुचित कार्यान्वयन	राज्य सरकार को जांच, आवश्यक कार्रवाई करने तथा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए अग्रेषित की गई।
18.	उत्तर प्रदेश	श्री जी.सी. दिनकर, विधायक बीएसपी, उत्तर प्रदेश	बांदा जिले में एनआरईजीए का अनुचित कार्यान्वयन	राज्य सरकार को जांच, आवश्यक कार्रवाई करने तथा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए अग्रेषित की गई।
19.	उत्तर प्रदेश	श्री अवधेश कुमार सिंह, अध्यक्ष ग्राम प्रधान संघ	बांदा जिले में एनआरईजीए के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार	राज्य सरकार को जांच, आवश्यक कार्रवाई करने तथा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए अग्रेषित की गई।

अनुबंध II

क्र.सं.	राज्य	ऐसे परिवारों की संख्या जिन्हें जॉब कार्ड जारी किए गए हैं	सृजित रोजगार (लाख श्रमदिवस में)	ऐसे परिवारों की संख्या जिन्हें रोजगार दिए गए हैं	2006-07 के दौरान रिलीज की गई राशि (लाख रु. में)	कुल उपलब्ध निधियां (लाख रु. में)	संचयी व्यय (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	5066675	678.77	2161395	99961.43	114224.4	68020.32
2.	अरुणाचल प्रदेश	16926	4.53	16926	1210.85	1211.25	221.34

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	916753	572.92	792270	23970.85	70769.1	59252.93
4.	बिहार	3562761	596.87	1688899	48581.38	119117.8	71276.16
5.	गुजरात	632269	100.48	226269	6743.94	12374.74	8585.03
6.	हरियाणा	106772	24.12	50765	3129.39	4652.85	3594.67
7.	हिमाचल प्रदेश	99446	29.9	63514	4207.64	5719.2	3940.12
8.	जम्मू-कश्मीर	179133	32.3	121328	3776.37	5012.4	3454.44
9.	कर्नाटक	795600	222.01	545185	22970.69	34131.33	24829.67
10.	केरल	213840	20.48	99107	3179.51	4835.18	2789.73
11.	मध्य प्रदेश	4446195	1971.77	2866349	186954.2	213368.4	186268.63
12.	महाराष्ट्र	2753047	159.28	384944	19235.64	48693.66	17461.18
13.	मणिपुर	17880	18.57	18568	1252.89	1932.92	2025.5
14.	मेघालय	113255	24.22	96627	2564.68	2583.63	2111.85
15.	मिजोरम	21966	7.85	50998	1783.9	2598.21	1643.11
16.	नागालैंड	27884	13.08	27884	430.11	1595.96	1457.62
17.	उड़ीसा	2593194	799.34	1394169	76230.49	89018.66	73346.62
18.	पंजाब	37326	15.57	31648	2755.75	3839.21	2500.21
19.	राजस्थान	1508223	998.87	1175172	76161	85617.3	69306.14
20.	सिक्किम	4498	2.42	4107	451.5	456.5	261.89
21.	तमिलनाडु	1157525	182.79	683481	17089.21	25210.92	15163.63
22.	त्रिपुरा	75067	50.13	74335	1914.66	4977.63	4507.68
23.	उत्तर प्रदेश	4004287	822.91	2573245	56914.69	102871.2	77962.46
24.	पश्चिम बंगाल	5147141	440.08	3083757	35858.84	63023.42	39462.63
25.	छत्तीसगढ़	1848766	700.21	1256737	70130.74	84088.78	66882.16
26.	झारखंड	2304037	520.47	1394108	54994.59	98220.95	71155.13
27.	उत्तरांचल	199236	40.6	134312	3910.6	7105.31	4849.7
	कुल	37849702	9050.56	21016099	826365.5	1207251	882335.55

अनुबंध III

2006-07 के दौरान एनआरईजीए के अंतर्गत किए गए कार्यों की स्थिति रिपोर्ट

राज्य	कार्य/क्रियाकलाप																	
	जल संरक्षण और जल एकत्रीकरण		पारंपरिक जल निकायों का नवीकरण		अ.जा., अ.ज.जा., भूमि सुधार के लाभार्थियों की जमीन पर सिंचाई सुविधा का प्रावधान		लघु सिंचाई कार्य (लघु सिंचाई		सूखा रोधन (वन रोपण और वृक्ष रोपण)		बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा (जल जमाव वाले क्षेत्र में निकासी, तटबंधों का निर्माण एवं मरम्मत)		ग्रामीण सड़क संपर्क		भूमि विकास (पौधरोपण, भूमि समतलीकरण)		अन्य कार्य	
	पूरे हो चुके	चल रहे	पूरे हो चुके	चल रहे	पूरे हो चुके	चल रहे	पूरे हो चुके	चल रहे	पूरे हो चुके	चल रहे	पूरे हो चुके	चल रहे	पूरे हो चुके	चल रहे	पूरे हो चुके	चल रहे	पूरे हो चुके	चल रहे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
आंध्र प्रदेश	41963	61058	5455	10195	173	256	3709	4704	9083	30124	0	11	170	331	27018	27048	0	0
अरुणाचल प्रदेश	29	9	0	0	0	0	0	0	182	43	3	0	52	14	0	0	131	33
असम	612	388	155	48	157	85	355	378	151	149	1057	646	5219	3246	1027	933	785	16
बिहार	4255	8694	967	2539	107	153	689	1810	399	784	963	1285	15800	11015	176	405	6403	5437
गुजरात	2091	1188	112	302	0	1986	81	49	142	328	181	76	424	1280	102	81	4	2
हरियाणा	233	261	68	25	0	0	123	52	21	2	1	8	461	226	75	93	3	0
हिमाचल प्रदेश	475	321	239	108	17	6	192	349	142	81	402	252	2502	2354	77	123	676	410
जम्मू-कश्मीर	70	146	37	56	66	142	48	76	3	69	203	368	182	262	113	117	0	0
कर्नाटक	3869	3060	537	316	749	451	385	229	717	778	666	434	2937	2166	241	204	904	0
केरल	905	76	445	39	100	0	202	18	34	0	654	101	147	27	239	24	0	0
मध्य प्रदेश	35343	28743	2032	1028	20701	26093	1217	2420	6575	4652	606	355	10178	16629	5458	6534	438	156
महाराष्ट्र	3837	2379	39	18	0	0	3	18	811	1292	54	32	171	546	93	100	316	1183
मणिपुर	274	149	7	0	0	0	87	71	171	112	5	2	129	236	228	144	0	0
मेघालय	381	392	100	125	15	26	4	132	16	470	9	56	291	696	34	177	0	0
मिजोरम	24	3	0	0	0	0	0	0	0	0	12	9	160	27	0	0	20	8
नागालैंड	26	0	5	0	0	0	13	0	16	1	5	0	52	3	7	0	0	0
उड़ीसा	2326	2580	1984	2876	1129	10438	74	1463	894	722	296	303	9689	13120	144	150	2267	1066
पंजाब	0	0	140	156	0	0	0	0	15	0	54	0	454	378	86	45	0	0
राजस्थान	4271	5331	2141	1293	231	491	152	539	241	713	78	127	1426	4351	158	224	73	209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
सिक्किम	7	1	1	1	0	0	22	7	0	0	55	40	17	6	1	0	0	0
तमिलनाडु	605	691	954	2383	0	0	369	1036	7	0	7	34	271	362	0	0	0	0
त्रिपुरा	1493	185	193	219	69	0	318	18	214	6	184	8	1072	340	176	12	396	79
उत्तर प्रदेश	3059	6420	6495	6651	304	445	4231	454	3822	923	2480	1138	24916	11840	2152	915	3089	594
पश्चिम बंगाल	3850	3073	2262	2316	402	370	1517	671	3373	3459	2206	1194	8223	5858	1624	1064	824	775
छत्तीसगढ़	2095	2408	949	1569	61	492	143	569	3572	774	78	100	4150	4463	3386	5866	1671	117
झारखंड	8658	16468	1941	2545	3178	11952	142	434	106	316	83	54	6347	5796	1126	1044	2467	1158
उत्तरांचल	2235	1047	204	124	3	6	143	174	393	682	661	351	380	379	33	16	374	48
कुल	122986	145071	27462	34932	27462	53392	14219	15671	31100	46480	11003	6984	95820	85951	43774	45319	20841	11291

[हिन्दी]

श्री टेक लाल महतो: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि झारखंड राज्य में ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह आपका 'ड्राईंग रूम' नहीं है। यह भारतीय संसद है।

[हिन्दी]

श्री टेक लाल महतो: माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य की आबादी लगभग पौने तीन करोड़ है और अभी तक मात्र 2304037 मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, 1394108 लोगों को रोजगार दिया गया है और शेष करीब 50 लाख लोग बिलो पावर्टी लाइन में गुजर बसर कर रहे हैं। उनका निबंधन कब तक हो जाएगा? जिन 10 लाख लोगों का निबंधन हो चुका है, उनको अभी तक रोजगार नहीं दिया गया है, इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): अध्यक्ष महोदय, एनआरईजी कार्यक्रम डिमांड ड्रिवन है। जो कोई भी काम करने के इच्छुक हैं, वे अपने नाम का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको जाब कार्ड मिलता है। उसके पश्चात वे फिर दरख्वास्त देते हैं कि हम काम करना चाहते हैं। उसके 15 दिनों में उनको रोजगार मिलता है। रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसीलिए हम यह मानीटरिंग कर रहे हैं हर जगह जाब कार्ड के जो इच्छुक हैं, उनको जाब कार्ड दिया गया है या नहीं, और फिर जाब कार्ड के बाद उनको काम दिया गया है या नहीं। झारखंड में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है इसलिए कुछ कठिनाई होती है। चूंकि 50 प्रतिशत से अधिक पंचायती राज के माध्यम से यह लागू होता है। वहां पंचायती राज की तदर्थ व्यवस्था लोगों ने की है। उस पर वहां काम चल रहा है। इसलिए जो कोई काम मांग रहे हैं, हमने स्वयं झारखंड के कई गांवों में जाकर देखा कि जो मजदूर और आदिवासी भाई रांची में काम करने जाते थे, अब उनको गांवों में ही काम मिल रहा है और वे प्रसन्न हैं।

श्री टेक लाल महतो: अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य में जल संरक्षण और जल एकीकरण के लिए चल रही 16 लाख 466 योजनाएं निधि के अभाव में बंद पड़ी हुई हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप निधि कब तक भिजवाएंगे और ये योजनाएं कब तक पूरी होंगी?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, इसमें निधि कम होने का प्रश्न ही नहीं है। हरेक जिले में हमारे पैसे पड़े हुए हैं और कहा गया है कि वाटर कंजर्वेशन और ड्राउट प्रूफिंग टाप प्रायारिटी है। झारखंड के लिए एनआरईजी एक वरदान है क्योंकि वहां कहा गया है कि विभिन्न नदियों में चैक डैम बनाए जाएं ताकि वाटर कंजर्वेशन हो। 32000 गांव झारखंड में हैं। हमने कहा है कि कम से कम 64 हजार तालाबों का निर्माण कराया जाए। साथ ही जो ट्राइबल और आदिवासी भाई हैं, उनकी जमीन ऊबड़-खाबड़ है, उपजाऊ नहीं है। उसका हम लैन्ड डैवलपमैंट करा रहे हैं। हमने गुमला और रांची जिले में जाकर देखा है। दो तीन वर्षों में झारखंड का कायाकल्प हो जाएगा, इस तरह की योजना है। इसलिए पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। हरेक जिले में हम खुद देखते हैं कि वहां पैसे की कोई कमी न हो।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, सर्वप्रथम तो मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक असफल कार्यक्रम है। अनेक पुरानी परियोजनाओं जैसे स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना, कार्य के बदले अनाज योजना तथा अन्य दो कार्यक्रमों को एक साथ मिला कर सारी धनराशि को संचित कर दिया गया है। यह सच है। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि इतने काबिल तथा अपने भाषणों में इतने वाकपटु तथा इतने क्षमतावान मंत्री ...

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री तथागत सत्पथी: उन्हें इस परियोजना की जानकारी नहीं है। महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। परन्तु प्रश्न पूछने से पूर्व में भूमिका बनानी पड़ेगी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: बिल्ड अप का टाइम नहीं है।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, सम्भवतः मंत्री महोदय को यह पता नहीं है कि वास्तव में, सरकार को जमीनी हकीकत की बिल्कुल जानकारी नहीं है। महोदय, पंचायत अधिशेष सरकारी भूमि के बिना इस धनराशि का उपयोग नहीं कर सकती जो कि मंत्री जी के अनुसार राज्यों को दी गयी है। जहां सरकारी भूमि नहीं है वहां कोई कार्य नहीं किया जा सकता। यहां जन प्रतिनिधि झारखंड में पंचायत प्रणाली न होने के बारे में शिकायत करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, अपना प्रश्न पूछिए।

श्री तथागत सत्पथी: उड़ीसा में हम नियमित रूप से पंचायत चुनाव करा रहे हैं तथा हमारे पंचायती संस्थान लोकतांत्रिक रूप से सुस्थापित हैं।

अध्यक्ष महोदय: जी हां, अपना प्रश्न पूछिए। आपका प्रश्न क्या है?

श्री तथागत सत्पथी: क्या सरकार को उन जिम्मेदारियों की जानकारी है, जो पहले ही तथाकथित कार्यक्रम अधिकारी, जो कि खंड का खंड विकास अधिकारी है, को सौंपी गई है? क्या आपको यह पता है कि आप उन्हें और अधिक कार्य सौंप रहे हैं? क्या वे ये कार्य करने में सक्षम हैं? मेरा दूसरा प्रश्न यही है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं, मुझे खेद है। इस संबंध में सुस्थापित नियम हैं।

श्री तथागत सत्पथी: मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं। महोदय, कृपया मुझे प्रश्न पूछने दें। महोदय, वे उत्तर देने के इच्छुक हैं।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, सत्पथी जी, आपको केवल एक ही प्रश्न पूछने का अवसर दिया गया है।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, आप मुझे प्रश्न पूछने से बंचित कर रहे हैं ...

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको वंचित नहीं कर रहा हूं। मैं केवल जहां तक नियम अनुमति देते हैं, वहीं तक आपके अधिकार को मान रहा हूं।

श्री तथागत सत्पथी: मैं माननीय मंत्री जी से केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश भर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। मैंने जहां भी गया, मैं हर जगह मशीनों को नदारद पाया। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है?

अध्यक्ष महोदय: प्रथम भाग का उत्तर दें।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, ठीक है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि एनआरईजीएस कार्यक्रम विफल है, यह सौ फीसदी सफलता की ओर जा रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया शान्त रहें। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। आप जानते हैं कि मैं सभी माननीय सदस्यों से यह पूछूंगा कि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों की कितनी निगरानी कर रहे हैं। कृपया स्वयं से पूछिए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सदन के हरेक सत्र में हम इसके संबंध में सदन को आपकी कृपा से अवगत कराते रहे हैं और एक साल में दो सौ जिलों में, देश के तिहाई हिस्से में दो करोड़ दस लाख परिवारों को रोजगार मिला और 90 करोड़ मैन डेज़ सृजित हुए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया शान्त रहें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि यह प्रोग्राम देश भर में, आज से नहीं, 70 के दशक से लागू है और कभी भी 70-72 करोड़ से अधिक मैन डेज सृजित नहीं हुए। अब देश के केवल एक-तिहाई हिस्सों में 90 करोड़ मैन डेज सृजित हुए। मतलब यह कि देश भर में जब यह लागू होगा तो उसमें ढाई-तीन सौ करोड़ मैन डेज सृजित होंगे। इसलिए दो करोड़ दस लाख परिवार, जिसमें 38 परसैंट आदिवासी, ट्राइबल हैं। मैं चुनौती देता हूं कि ट्राइबल इलाकों में जाकर आदिवासियों से जाकर पूछा जाए। ...*(व्यवधान)* आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप मंत्री जी से इस प्रकार वाद-विवाद नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः आदिवासी, 38 परसैंट ट्राइबल भाईयों को रोजगार मिला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस सत्र के पहले दिन का प्रश्न काल चल रहा है और आप बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठकः चैलेंज करते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः ये चैलेंज करने का टाइम नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप भी तो मिनिस्टर रह चुके हैं।

[अनुवाद]

क्या आप इसे पसंद करते हैं?

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः महोदय, आदिवासी इलाकों में लोग इस योजना के नाम से जयकार बोल रहे हैं। 38 फीसदी आदिवासी भाईयों को रोजगार मिला, 40 फीसदी से अधिक महिलाओं को रोजगार मिला, 28 फीसदी अनुसूचित-जातियों को रोजगार मिला। इसलिए कृपा करके अपने इलाके में और खास कर ट्राइबल इलाके में भी आप देखने का कष्ट करें। माननीय सदस्य ने प्रोग्राम आफिसर के बारे में कहा। पहले दो फीसदी एस्टेब्लिशमेंट कास्ट था, उसे बढ़ा कर हमने चार फीसदी किया। राज्यों को कहा गया है कि पंचायत में अतिरिक्त रोजगार सेवक, प्रोग्राम आफिसर, डेडीकेटेड, खासकर इसी के लिए बनाएं। उन्होंने कहा है कि देश भर में मशीनें चल रही हैं, यह गलत है। कहीं-कहीं से शिकायतें आई हैं, जिसका हमने राज्यवार ब्यौरा दे दिया है और उस पर एक्शन टैकन भी दे दिया है। इसलिए किसी गरीब के लिए लागू किसी योजना को यहां बैठे-बैठे कह देना कि खराब हो गया और मशीन चल रही है, यह गलत है। ...*(व्यवधान)* अभी तक केवल 19 शिकायतें आई हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः माननीय मंत्री के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः यह बिल्कुल अनुचित है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया सभा में शान्ति बनाए रखें। इसके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय सामने आ गया है।

श्री दुष्यंत सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण निर्धनों को आजीविका तथा सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष भर में 100 दिन का रोजगार देने के लिए संसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया था। प्रथम चरण में यह कार्यक्रम सरकार द्वारा देश के 200 जिलों में शुरू किया गया था जिसमें राजस्थान के 6 जिले शामिल थे।

महोदय, मैं आदिवासी क्षेत्र से हूं। मैं आदिवासी क्षेत्र से चुन कर आता हूं और वहां के लोगों ने मुझे चुनकर संसद में भेजा है।

अध्यक्ष महोदयः वे बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री दुष्यंत सिंह: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्यान्वित करने के लिए जिले का चयन करने का मानदंड यह है कि उस जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की जनसंख्या अधिक होनी चाहिए तथा लोगों के कृषि तथा उत्पादकता से जुड़े मुद्दे हों।

अध्यक्ष महोदय: अपना प्रश्न पूछिए।

श्री दुष्यंत सिंह: राजस्थान एक विशाल कम वर्षा वाला मरुस्थलीय प्रदेश है तथा वहां की जलवायु कृषि के अनुकूल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: हर कोई यह जानता है कि इस योजना को राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाना है।

श्री दुष्यंत सिंह: महोदय, राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 15000 रु. है। जबकि आंध्र प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। परन्तु इस राज्य के 23 जिलों में से 13 जिलों को इस योजना में शामिल किया गया है। जबकि अभी तक राजस्थान के केवल 12 जिलों को इस योजना में शामिल किया गया है। मेरा आपसे यही प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: मुझसे नहीं, मंत्री जी से पूछिए।

श्री दुष्यंत सिंह: आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरा यही प्रश्न है। राजस्थान में प्रथम चरण में इस योजना में शामिल किए गए 6 जिलों में लगभग 8 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है तथा प्रत्येक जिले में लगभग 2.80 लाख रोजगार कार्ड दिए गए हैं। राजस्थान में अभी तक लगभग 15 लाख रोजगार कार्ड दिए गए हैं। इस निष्पादन को देखते हुए क्या संप्रग सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राजस्थान के और जिलों को शामिल करने का विचार कर रही है क्योंकि वह हमेशा आम आदमी की बात करती रहती हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपका धन्यवाद।

श्री दुष्यंत सिंह: मैं यह चाहता हूं कि सैद्धान्तिक बात करने के बजाय इस पर अमल अधिक किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: अपने वरिष्ठ सहयोगियों के पदचिह्नों पर मत चलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप मेरे स्नेह को जानते हैं। वे मेरे भतीजे हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, प्रथम चरण में देश में जहां दो सौ जिलों में यह योजना लागू हुई, राजस्थान के छः जिलों में लागू हुई थी। दूसरे चरण में जब 130 जिलों में लागू हुआ तो राजस्थान के छः जिलों में लागू हुई। माननीय सदस्य को जानकर खुशी होगी कि प्रथम चरण वाले छः जिलों की तो जानकारी है, दूसरे चरण में छः जिले और लिए गए, 12 जिले लिए गए, ऐसा लगता है कि अब तीसरे चरण में सब जिले ले लिए जाएंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती मिनाती सेन: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या यह सही है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत महिला श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों के बराबर पारिश्रमिक नहीं दिया है और उन्हें ऐसे कार्य यथा भारी जमीनी कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो कि एनीमिया तथा कुपोषण की शिकार महिलाओं को नहीं करना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सभी भारतीय वयस्कों को सार्वभौमिक आधार पर 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करती है।

अध्यक्ष महोदय: यह कानून है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, एन.आर.ई.जी.एस. कानून में महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है। दोनों को समान मजदूरी मिलनी है। इसलिए कहीं से इस तरह की शिकायत भी नहीं आई है कि महिलाओं को कम और पुरुषों को अधिक मजदूरी दी जा रही है। अतः यह सही नहीं है।

महोदय, माननीय सदस्या ने जो कहा है कि महिलाओं को कठिनाई होती है, कानून में यह है कि एक-तिहाई से अधिक महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि महिलाओं को 40 प्रतिशत रोजगार मिल रहा है और बड़े उत्साहपूर्वक महिलाएं काम कर रही हैं। अतः उसमें महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि महिलाओं को काफी तरजीह दी जा रही है।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के कई जिलों को इस योजना में शामिल किया गया है। यह केन्द्र

सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन इसका क्रियान्वयन केन्द्र सरकार के हाथों में नहीं है। इसका क्रियान्वयन राज्य सरकारों के हाथों में है। ...(व्यवधान)* परिणामस्वरूप इस योजना का पूरी तरह से सत्यानाश हो गया है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदय, हर गांव में सभी लोगों को, चाहे वे रोजगार के इच्छुक हैं या नहीं, सभी को जाब कार्ड दिया गया है, लेकिन वहां यह योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। कई बार हमने इस विषय को उठाया है और कहा है कि इसके अंतर्गत बनाए जा रहे स्थायी साधनों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार की ओर से एक टीम ...(व्यवधान)* योजना का मूल्यांकन करने के लिए भेजी जाए। ...(व्यवधान) इस योजना के अंतर्गत कई जगह बहुत अच्छा काम हुआ है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: यह बहुत अच्छी योजना है। ...(व्यवधान) मैं मंत्री जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि इस योजना का मूल्यांकन करने के लिए केन्द्र सरकार की एक टीम ...(व्यवधान)* भेजी जानी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: किसी राज्य का उल्लेख मत कीजिए। आप यह कह सकते हैं कि केन्द्र सरकार ऐसा कर सकती है। किसी राज्य विशेष का उल्लेख मत कीजिए। राज्य का नाम कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, जब कोई कार्यक्रम लागू होगा, तो उसमें कतिपय शिकायतें हो सकती हैं, उससे मैं इंकार नहीं कर सकता हूं, लेकिन माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि राज्य सरकारों और खासकर के पंचायतीराज के माध्यम से इस योजना को लागू करना है।

महोदय, इस योजना को ठीक प्रकार से लागू करने के लिए पीपुल्स पार्टीसिपेशन, स्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड मानीटरिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड एकाउंटेबिलिटी, ये चार चीजें रखी गई हैं। इसमें चार-सूत्रीय कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत स्टेट लैवल विजिलेंस एंड मानीटरिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड मानीटरिंग कमेटी, जो माननीय सदस्यों की अध्यक्षता में होती है और उसके सैक्रेट्री जिले के कलैक्टर होते हैं। उसकी एक साल में चार मीटिंगें करनी होती हैं। उसमें भी ऐसी कठिनाइयों का समाधान हो सकता है। उसके बाद नैशनल लैवल पर ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया शान्त रहें। माननीय सदस्यों के लिए ये अत्यंत अशोभनीय शब्द हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: नैशनल लैवल पर भी मानीटरिंग कमेटी है, उसको भी भेजा जाता है और एक जिले में कम से कम एक ब्लाक का परफारमेंस आडिट और जांच करने के लिए भारत के सी.ए.जी. से अनुरोध किया गया है कि वे आडिट और जांच करें और परफारमेंस बताएं कि क्या है। उसके बाद हर मंत्री और हर जिले के अधिकारी 10-10 गांवों में जाकर स्वयं निरीक्षण करेंगे। इसमें माननीय सदस्यों का भी सहयोग जरूरी है क्योंकि देश भर में भारत सरकार के 40 आफीसर्स के अलावा और कोई नहीं है। इसलिए हमारी सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि वे भी अपने-अपने जिले और अपनी-अपनी कांस्टीट्यूएंसी में देख कर रिपोर्ट करें, तो ज्यादा गड़बड़ी नहीं हो सकती है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी का प्रावधान है और सोश्यल आडिट यानी सामाजिक अंकेक्षण को भी देशभर में प्रथम बार लागू किया गया है। उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं।

[अनुवाद]

क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी

***83. श्री उदय सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विख्यात इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा की जा रही क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ियों की जानकारी है; और

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन धोखाधड़ियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने जानकारी दी है कि उसे इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा की जा रही क्रेडिट कार्ड संबंधी किसी भी धोखाधड़ी की कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री उदय सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि क्रेडिट कार्ड संबंधी धोखाधड़ी के इतने मामलों के होते हुए भी भारतीय रिजर्व बैंक के पास कोई जानकारी नहीं है। परन्तु इन सब ब्यौरे का उल्लेख किए बिना सच्चाई यह है कि ई-कामर्स का महत्व बढ़ता जा रहा है, इन्टरनेट के माध्यम से क्रेडिट कार्ड का उपयोग बढ़ रहा है, सरकार इस दृष्टि से ऐसा कानून बनाने के लिए क्या उपाय कर रही है जिससे कि प्रयोक्ता इन्टरनेट के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग अपने आंकड़ों की चोरी या उनके क्रेडिट कार्ड के दुरुपयोग के भय के बिना कर सकें?

अध्यक्ष महोदय: उनके पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, प्रश्न मूल रूप से इन्टरनेट सेवा प्रदाता से जुड़ा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी में इंटरनेट सेवाप्रदाता की सांठगांठ या उनके दोषी पाए जाने की कोई सूचना नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया, ऐसा न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: जहां तक दूसरे मुद्दे का संबंध है, में भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसी धोखाधड़ी के कारकों का उल्लेख करते हुए बैंकों द्वारा अपनाये जाने वाले सुरक्षोपायों के बारे में समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रकार की धोखाधड़ी न हो। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देश बैंकों को यह निर्देश देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उन्हें इस प्रकार की घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस बारे में किए गए उपायों के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे?

अध्यक्ष महोदय: यहां नहीं।

श्री पवन कुमार बंसल: इस प्रयोजनार्थ व्यापक सुरक्षा उपाय किए गये हैं, धोखाधड़ी के मामलों की संख्या वास्तव में इतनी अधिक नहीं है जिससे कि हम किसी भी प्रकार से चिंतित हों।

श्री उदय सिंह: मुझे मेरे अनेक सहयोगी सांसदों ने बताया है कि यद्यपि वे क्रेडिट कार्ड चोरी या गुम हो जाने की सूचना दे देते हैं इसके बावजूद उनसे शुल्क लिया जाता है। सरकार इस दिशा में क्या उपाय कर रही है कि जब क्रेडिट कार्ड खो जाए तो उन्हें तत्काल सील कर दिया जाए और ऐसे क्रेडिट कार्ड के धोखाधड़ी से उपयोग होने की स्थिति में उनसे शुल्क न लिया जाए?

अध्यक्ष महोदय: उन्हें क्रेडिट कार्ड संभाल कर रखना चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल: चोरी हुए तथा गुम हुए क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग धोखाधड़ी का एक कारण है। महोदय, जैसा कि आपने सही बताया कि क्रेडिट कार्ड खोने वाले व्यक्ति का यह प्रथम कर्त्तव्य है कि वह संबंधित बैंक को तुरंत इसकी जानकारी दे तथा इसके पश्चात् जारी करने वाला प्राधिकारी यह सुनिश्चित कर सकता है कि ऐसे कार्ड को तत्काल अमान्य कर दिया जाए और कोई भी उस कार्ड का प्रयोग कर इसके द्वारा धनराशि न निकलवा सके।

श्री पी.सी. थामस: सबसे पहले मैंने उस दिन जो कुछ कहा उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं।

अध्यक्ष महोदय: उस रात मैं सो नहीं सका। परन्तु आपका व्यवहार आज अनुकरणीय है, ऐसा ही होना चाहिए।

श्री पी.सी. थामस: मैं अध्यक्ष तथा सभा का बहुत आदर करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अपना प्रश्न पूछिए।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, कतिपय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, धोखाधड़ी कर रही हैं, वे लाटरी के नाम पर लोगों के क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुरा लेते हैं, वे लालच देते हैं कि आपने करोड़ों की लाटरी जीती है आपको करोड़ों रुपये मिलेंगे आप जानकारी देते हैं। इसके बाद वे क्रेडिट कार्ड की विस्तृत जानकारी मांगते हैं। अंततः आपसे थोड़ा पैसा भेजने के लिए कहा जाता है। उदाहरणार्थ, आप को 100 करोड़ या 10 करोड़ का लाभ होने वाला है। आपसे सेवा शुल्क आदि के लिए एक या दो लाख रुपये मांगे जाते हैं, अनेक व्यक्ति ऐसे धोखा खा जाते हैं और यदि वे पैसा नहीं खोते हैं तो कम से कम वे क्रेडिट कार्ड की जानकारी गंवा देते हैं। मेरे विचार से ऐसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा भारी धोखाधड़ी की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह, सरकार को इसकी जानकारी है तथा क्या इस पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: क्या यह प्रश्न से संबंधित है?

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, यह प्रश्न से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: चूंकि इन्होंने गलती पर आज क्षमा मांग ली है इसलिए मैं इन्हें अनुमति देता हूं।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक की जानकारी में अन्यथा ऐसी दो विधियां आई हैं, जिनमें धोखाधड़ी मुख्यतया स्किमिंग के द्वारा की जाती है। इस प्रक्रिया के तहत क्रेडिट कार्ड के मैगनेटिक टेप से डाटा चुरा लिया जाता है और उसके बाद फर्जी क्रेडिट कार्ड बना लिया जाता है तथा चुराए गए डाटा को ऐसे फर्जी क्रेडिट कार्ड में डाल दिया जाता है। ऐसे अनेक मामले पाए गए हैं। परन्तु महोदय, व्यवस्था इतनी सक्षम है कि ऐसे सभी मामलों का पता लगा लिया गया तथा कार्यवाही की गई।

अध्यक्ष महोदय: औद्योगिक विकास का यह एक दुखद पहलू है।

अब मोहम्मद सलीम प्रश्न पूछेंगे।

मोहम्मद सलीम: महोदय, वास्तव में क्रेडिट कार्ड लेन-देन का सुचारू तथा उपयोगकर्तानुकूल बनाने के लिए शुरू किया गया था। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। अधिक से अधिक लोग अब 'प्लास्टिक मनी पर निर्भर हैं। उपभोक्ता तथा बैंक के अलावा ऐसे अन्य सेवा प्रदाता हैं जो लेन-देन इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। इसलिए क्रेडिट कार्ड धारक को चिंता रहती है कि कहीं उसके साथ धोखाधड़ी न हो जाए।

समाचार-पत्रों तथा मीडिया में कार्ड धारकों के साथ धोखाधड़ी तथा अधिक शुल्क लिए जाने तथा पूरा भुगतान के बाद भी अधिक राशि के बिल के भेजे जाने संबंधी समाचार छपते हैं। क्या सरकार अर्थात् बैंकिंग विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को जानकारी देने हेतु क्या कोई उपाय किए गए हैं? जब हम प्रश्न पूछते हैं तो वे कहते हैं कि ऐसा-ऐसा किया जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या प्रयास कर रही है। मैं ऐसे संभावित क्षेत्रों को जानना चाहता हूं जहां उपभोक्ताओं या बिचौलियों या बैंकरों द्वारा धोखाधड़ी की जा सकती है, तथा इन्हें किस प्रकार रोका जा सकता है? यह नई तकनीकों तथा नए तरीकों के उपयोग से जुड़ा प्रश्न है। इस क्षेत्र में चतुर लोग भी हैं। इसलिए आपको उपभोक्ताओं को इसके बारे में शिक्षित करना होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा कर रही है या नहीं।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, बैंकों का स्वयं यह सुनिश्चित करने का कर्त्तव्य है कि इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों को समाप्त किया जाए। बैंक इसके बारे में जनता को जागरूक कर रहे हैं।

महोदय, एम.टी.एम. के बारे में भी इससे जुड़ी विशेषताओं को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाता है, इसमें किसी भी तरह की छेड़-छाड़ की जानकारी तुरन्त दी जाए जिससे प्रारम्भिक कार्यवाही की जा सके।

महोदय, कार्डों के संबंध में की जाने वाली धोखाधड़ी आवेदन फार्म भरते समय, अर्थात् आवेदक द्वारा की जाती है। यदि कोई व्यक्ति दो कार्डों के लिए आवेदन करता है। परन्तु यदि इसकी क्षमता भुगतान करने की नहीं है तो इसे धोखाधड़ी ही कहा जा सकता है। परन्तु बैंकों को इस मामले में सावधानी बरतनी होगी।

माननीय सदस्य ने बैंकों से धोखाधड़ी द्वारा पैसे निकालने की बढ़ती हुई घटना का उल्लेख किया है। वर्ष 2005-06 में ऐसे 15 मामलों का पता चला जिसमें 61.27 लाख रुपये निहित थे। वर्ष 2006-07 में देश भर में 79.45 लाख रुपये से जुड़े ऐसे 45 मामले सामने आए थे।

महोदय, फर्जी कार्ड बनाए जाने को रोकने हेतु विभिन्न उपाय किए गए हैं। मुझे सभा को जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि जब टेलीफोन टाप अप कार्ड को क्रेडिट कार्ड के रूप में उपयोग करने का प्रयास किया गया तो इसका तत्काल पता चल गया और ए.टी.एम. का उपयोग नहीं किया जा सका।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा। समस्या बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद है।

अब प्रश्न सं. 84—श्री अधीर चौधरी—उपस्थित नहीं।

श्री निखिल कुमार

बैंक लाकरों में चोरियां

***84. +श्री निखिल कुमार:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक देश में बैंक लाकरों में हुई चोरियों का बैंक-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ग्राहकों को पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या संबंधित बैंकों ने ग्राहकों को क्षतिपूर्ति करने में अनिच्छा दिखाई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इसमें बैंक अधिकारियों को संलिप्त पाया गया है; और

(च) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 (जून तक) के दौरान वाणिज्य बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित बैंक लाकरों में चोरी के बैंक-वार और राज्य-वार ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

वर्ष	बैंक और शाखा का नाम	राज्य	ब्यौरा
2004-05	पंजाब नेशनल बैंक, नौरोजी नगर	दिल्ली	16 लाकरों में छेड़-छाड़ की गई थी। 12 लाकरधारकों ने 68.34 लाख रुपए के दावे किए थे।
	भारतीय स्टेट बैंक, मालवीय नगर	दिल्ली	छः लाकरों से मूल्यवान वस्तुएं गायब थीं।
2005-06	शून्य	शून्य	शून्य
2006-07	इलाहाबाद बैंक, जिला गारिया, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	एक लाकर पिचका हुआ था। लाकर में कुछ भी नहीं था।
	भारतीय स्टेट बैंक, न्यू बालीगंज	पश्चिम बंगाल	एक लाकर का कैबिनेट टूटा हुआ था और वस्तुएं चुरा ली गई थीं।
2007-08 (जून तक)	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) से (घ) पंजाब नेशनल बैंक के बोर्ड ने ग्राहकों का भरोसा बनाए रखने तथा ग्राहकों का निरन्तर विश्वास सुनिश्चित करने के लिए 63.34 लाख रुपए तक वित्तीय हानि के लिए मुआवजा देने का निर्णय लिया है। ग्राहकों में से 15 से सम्पर्क किया गया था, जबकि शेष एक ग्राहक/उसके उत्तराधिकारियों का पता नहीं लगा। 15 ग्राहकों में से तीन ग्राहकों ने अपने लाकर खाली होने की सूचना दी थी। दस ग्राहकों ने राशि स्वीकार कर ली थी, परन्तु दो ने इस पर विवाद किया था। एक ग्राहक ने अत्यधिक मानसिक व्यथा के लिए 4.00 लाख रुपए का दावा किया है। एक अन्य ग्राहक ने अपने पहले के दावे की राशि बढ़ा दी है और साथ ही यात्रा खर्च के लिए 68,500/- रुपए का दावा किया है। इन दावों को स्वीकार नहीं किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक, मालवीय नगर, नई दिल्ली शाखा ने ग्राहकों के 46.80 लाख रुपए के दावे निपटाए हैं। भारतीय स्टेट बैंक की न्यू बालीगंज शाखा, पश्चिम बंगाल 5 लाख रुपए के दावे की जांच कर रही है।

(ङ) और (च) पंजाब नेशनल बैंक, नौरोजी नगर शाखा के मामले में पुलिस जांच में दो बाहरी व्यक्तियों के साथ शाखा के चपरासी के मामले में अंतर्ग्रस्त होने का पता चला था, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। चपरासी को निलंबित कर दिया गया था और विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी। अन्य चार कर्मचारियों के विरुद्ध बैंक की प्रणाली एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किए जाने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी। शेष बैंकों के मामले में स्टाफ की अन्तर्ग्रस्तता नहीं पाई गई थी।

श्री निखिल कुमार: अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि मुझे दो प्रश्न पूछने का विशेषाधिकार मिलेगा।

अध्यक्ष महोदयः जी हां, एक-एक करके।

श्री निखिल कुमारः महोदय, ग्राहकों को बैंक लाकरों की प्रणाली में बहुत विश्वास है। पूछे गए प्रश्न के उत्तर से यह स्पष्ट है कि इस विश्वास को झूठा साबित कर दिया गया है क्योंकि एक या दो नहीं बल्कि 19 से अधिक लाकरों के साथ छेड़छाड़ की गई है। महोदय, यह गंभीर मामला है और हमें यह जानना जरूरी है कि ऐसा कैसे हुआ। मेरा मानना है कि जांच में उस खामी का अवश्य उल्लेख किया जाना चाहिए था जिसका मात्र एक चपरासी द्वारा एक या दो नहीं बल्कि 16 लाकरों को खोलने में उपयोग किया गया। मुझे यह समझ में नहीं आता कि एक चपरासी को यह सब करने के लिए इतना समय और ऐसा अवसर कैसे मिला। यह स्पष्ट है कि इसमें उसे अपने पर्यवेक्षकों की भी सहायता मिली होगी तथा इस षडयंत्र में वे भी शामिल होंगे।

महोदय, मेरी समझ से यह उत्तर संतोषजनक नहीं है। इससे यह पता नहीं चलता कि इसमें विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका है या इसमें कोई वरिष्ठ विभागीय अधिकारी संलिप्त है। इसमें मात्र इतना ही कहा गया है कि विभागीय कार्यवाही की गई है। मेरा प्रश्न है कि क्या कोई वरिष्ठ विभागीय अधिकारी इसमें संलिप्त पाया गया है, यदि नहीं, तो यह कैसे संभव है कि इस प्रकार की गंभीर खामी का पता नहीं चला और यदि कोई वरिष्ठ विभागीय अधिकारी इसमें संलिप्त पाया गया है, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

श्री पी. चिदम्बरमः महोदय, चालू वर्ष सहित चार वित्तीय वर्षों के दौरान लाकरों के साथ छेड़छाड़ की मात्र चार घटनाएं हुई हैं। पहला मामला पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा में घटित हुआ, जिसमें एक ही व्यक्ति ने उसी शाखा में एक से ज्यादा लाकरों के साथ छेड़छाड़ की। वर्ष 2005-06 में ऐसी कोई घटना नहीं घटी, 2006-07 में ऐसी दो घटनाएं घटी और 2007-08 में अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी है।

अतः, ऐसी चार घटनाएं घटी हैं। इनमें सबसे गंभीर घटना पंजाब नेशनल बैंक की है, जहां जांच से पता चला है कि उस शाखा में शाखा का चपरासी दो बाहरी लोगों के साथ मिलकर लाकरों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए जिम्मेदार था, इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, इनके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं तथा चपरासी को निलंबित भी कर दिया गया है, विभागी कार्यवाही की गई है और बैंक के चार अधिकारियों जो कि पर्यवेक्षण अधिकारी थे, को लापरवाही करने का दोषी पाया गया है और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई है। अन्य तीन घटनाओं का इनसे कोई संबंध नहीं है।

चार वित्तीय वर्षों में ऐसी मात्र चार घटनाएं घटी हैं। मैं यह नहीं कहता कि चार ऐसी घटनाएं कोई अच्छी बात हैं, बल्कि मेरा यह कहना है कि उतनी चौंका देने वाली स्थिति नहीं है। हजारों की संख्या में लाकर हैं। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने दिशा निर्देशों के संबंध में एक मास्टर परिपत्र जारी किया है लाकरों का किस प्रकार संचालन किया जाए तथा किस प्रकार इनकी सुरक्षा की जाए और मैं समझता हूं कि स्थिति काफी नियंत्रण में है। पंजाब नेशनल बैंक की घटना निस्संदेह एक दुर्भाग्यपूर्ण परन्तु गंभीर घटना है।

अध्यक्ष महोदयः वे एक बहुत ही सख्त पुलिस अधिकारी रहे हैं, वे इससे संतुष्ट नहीं हैं।

श्री निखिल कुमारः महोदय, मैं विभागीय पर्यवेक्षकों की संलिप्तता के संबंध में और कोई सवाल नहीं पूछूंगा। मैं मानता हूं कि उन्हें उतना ही दोषी पाया गया है कि उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है, क्योंकि सामान्यतः आपराधिक अभियोजन में उनका नाम भी आना चाहिए था।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः ठीक है।

[अनुवाद]

श्री निखिल कुमारः मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है। उत्तर में यह कहा गया है कि ग्राहकों को कुछ क्षतिपूर्ति धनराशि दी गई है। यह उत्तर थोड़ा अस्पष्ट है। क्योंकि मेरी समझ में ग्राहकों को उनके लाकरों में रखी गई वस्तुओं के बारे में बताना आवश्यक नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदयः ऐसा कैसे हो सकता है।

श्री निखिल कुमारः यदि ऐसा है, तो बैंक या सरकार ने किस आधार पर यह तय किया कि ग्राहकों द्वारा यथावांछित या मांगी गई मुआवजे की राशि जायज है और उसका भुगतान किया जाना चाहिए था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आज यह प्रमाणित करने की स्थिति में है कि लाकरों में रखी गई वस्तुओं, जिसके लिए मुआवजा की मांग की गई थी, सही है।

अध्यक्ष महोदयः आप जानना चाहते हैं कि बिना यह जाने कि लाकर में क्या था, सरकार मुआवजे का आकलन कैसे कर सकती है।

श्री निखिल कुमारः जी हां। और यह भी कि क्या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव है कि ग्राहकों को अपने लाकरों में रखी गई वस्तुओं की घोषणा करनी होगी। यदि नहीं, तो क्यों?

अध्यक्ष महोदयः यह बात आयकर से संबंधित है।

श्री पी. चिदम्बरमः महोदय, प्रश्न के अंतिम भाग का उत्तर स्पष्ट है, हम ग्राहकों को उनके लाकरों में रखी वस्तुओं के बारे में बताने के लिए नहीं कहेंगे।

अध्यक्ष महोदयः स्विस बैंकों की तरह।

श्री पी. चिदम्बरमः लाकर रखने का यह प्रयोजन नहीं है। हमारे ग्राहकों में बहुत ईमानदारी है। 15 ग्राहकों में से तीन ग्राहकों ने यह बताया कि उनके लाकरों के साथ छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन उनके लाकर में कुछ नहीं था। उन्होंने किसी मुआवजे का दावा नहीं किया। इसलिए, मैं धन्यवादी हूं कि हमारे ग्राहक ईमानदार लोग हैं। शेष 10 लोगों ने समुचित मुआवजे की मांग की है। बैंक ने उनके दावों को स्वीकार कर लिया है और उन्होंने मुआवजा स्वीकार भी कर लिया है। केवल दो ऐसे मामले हैं, जिनमें विवाद है। बैंक उनकी जांच कर रहा है। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद ग्राहकों की आयकर विवरणियां, परिसम्पत्तियां या खाते के प्रचालन देखकर बैंक इन विवादों का कोई समाधान कर पाएगा।

इसलिए मैं ऐसा नहीं सोचता कि हमें बढ़ा-चढ़ाकर यह नहीं कहना चाहिए कि लोग बहुत ज्यादा दावा करेंगे। वास्तव में, तीन ग्राहकों ने कहा कि उनके लाकरों में कुछ नहीं था और वे कोई दावा पेश नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदयः उनके लाकरों में कालाधन भी हो सकता है।

श्री जे.एम. आरून रशीदः महोदय, तमिलनाडु के वरिष्ठ नागरिकों ने अपने लाकरों में कुछ कीमती सामान रखे थे। लेकिन यदि एक वर्ष तक लाकरों का कोई संचालन ही नहीं किया जाता, तो बैंक अधिकारियों ने कुछ पता लगाने वाली कार्यवाही की कि वे हैं भी या नहीं। यदि कोई मर जाता है, तो प्री-डेट में डालकर उनका सब पैसा और वैल्युएबल्स निकाल लेते हैं, ऐसी पुलिस कंप्लेन्ट्स हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय वित्त मंत्री जी को ऐसी घटनाओं की जानकारी है। यदि हां, तो ऐसे ग्राहकों के नजदीकी रिश्तेदारों को उनके कीमती सामान वापस करने के लिए वे क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदयः यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरमः जी हां, यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। लेकिन यदि लम्बे समय तक लाकर या संचालन नहीं किया जाता, तो बैंक यह पता लगाने के लिए बाध्य है कि लाकर का संचालन क्यों नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदयः स्वाभाविक है कि बैंक यह देखेगा कि व्यक्ति जीवित है या मर गया है।

श्री पी. चिदम्बरमः बैंक यह जानने के लिए बाध्य है कि यह लाकर किसका है? इसमें क्या बुराई है?

अध्यक्ष महोदयः इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। वास्तव में यह कार्यवाही और अधिक नियमित रूप से की जानी चाहिए।

बी.पी.एल. सूची को अंतिम रूप दिया जाना

+

*85. **श्री सनत कुमार मंडलः**
श्री इकबाल अहमद सरडगीः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बी.पी.एल. परिवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों जिन्हें इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता दी जा सकती है, का निर्धारण करने के लिए बीपीएल जनगणना कराता है। सामान्यतया बीपीएल जनगणना पंचवर्षीय योजना के शुरू में की जाती है तथा 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए ऐसा पहला सर्वेक्षण 1992 में कराया गया था। मंत्रालय ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए "बीपीएल जनगणना 2002" कराने हेतु राज्यों को सितम्बर, 2002 में दिशा-निर्देश जारी किए थे। तथापि, बीपीएल जनगणना, 2002 के परिणामों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पीयूसीएल बनाम केन्द्र सरकार के मामले में 2001 की रिट याचिका सं. 196 की सुनवाई के दौरान 5.5.2003 को स्थगन आदेश को खारिज कर दिया था। स्थगन आदेश को खारिज करने के तत्काल बाद राज्य सरकारों को पारदर्शी तरीके से बीपीएल सूची तैयार करने की सलाह दी गई थी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आम बैठकों में बीपीएल सूचियों को ग्राम सभाओं से अनुमोदित कराया जाना होता है। यह

भी सुझाव दिया गया था कि बीपीएल सूची तैयार करने की प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए इसे पंचायत मुख्यालयों में लगाया जाए। पंचायत मुख्यालयों में पुस्तिका के रूप में बीपीएल सूची की मुद्रित प्रतियां रखने, बीपीएल परिवारों की सूची को बढ़ते क्रम में पंचायत भवन की दीवार पर लिखने तथा बीपीएल सूची को वेबसाइट में डालने के दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। जन-शिकायतों का निवारण करने के लिए दो-स्तरीय अपील तंत्र भी बनाया गया है ताकि लोगों को नई बीपीएल सूची में अपने रैंक के संबंध में कोई शिकायत है तो वे तहसीलदार या एसडीएम जैसा भी मामला हो, के पास पहली अपील तथा कलक्टर के पास दूसरी अपील कर सकते हैं।

उपलब्ध नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, 14 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने नई बीपीएल सूची को ग्राम सभाओं से अनुमोदित कराकर इसे अंतिम रूप दे दिया है। शेष राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में नई बीपीएल सूची को अंतिम रूप देने का कार्य अंतिम चरण में है। राज्यवार स्थिति अनुबंध में दी गई है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश को खारिज करने के पश्चात् ग्राम सभाओं से बीपीएल सूचियों को अनुमोदित कराने तथा दो स्तरीय अपील प्रक्रिया को पूरा करने के कारण नई बीपीएल सूचियों को अंतिम रूप देने में समय लगा। राज्य सरकारों ने लोगों से अनेक आपत्तियां प्राप्त होने की जानकारी दी है तथा इनका समाधान करने में काफी समय लगा। अतः इस कारण से ही बीपीएल सूची को अंतिम रूप देने में विलम्ब हुआ।

अनुबंध

बीपीएल जनगणना, 2002 की राज्य-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्थिति
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित परिवारों की अंक आधारित सूची जिलों में पुस्तिका के रूप में उपलब्ध है।
2.	अरुणाचल प्रदेश	सभी तरह से बीपीएल सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है।
3.	असम	अधिकांश जिलों में सर्वेक्षण पूरा हो चुका है तथा बीपीएल सूची तैयार तथा मुद्रित हो चुकी है। तथापि, अपीलों के कारण नाम शामिल/हटाने की वजह से अंतिम रूप देने में विलम्ब हो रहा है।
4.	बिहार	13 को कट-आफ-प्वाइंट निर्धारित किया गया है। सूची को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है।
5.	छत्तीसगढ़	सभी तरह से बीपीएल सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है।
6.	गोवा	बीपीएल सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है।
7.	गुजरात	25 जिलों में से 23 जिलों ने बीपीएल सूची को अंतिम रूप दे दिया है।
8.	हरियाणा	राज्य सरकार ने 2002 में कराए गए बीपीएल सर्वेक्षण में अनेक अनियमितताएं पाई हैं। इतनी अधिक शिकायतों को देखते हुए समूचे सर्वेक्षण को बंद कर दिया गया है। सभी गांवों में एक नया सर्वेक्षण 1.3.2007 से शुरू किया गया है। बीपीएल सूची के अगस्त, 2007 तक तैयार हो जाने की संभावना है।
9.	हिमाचल प्रदेश	5 ग्राम पंचायतों को छोड़कर सभी ग्राम पंचायतों में सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। संबंधित जिलों के उपायुक्तों को निर्धारित समय में सभी मुद्दे सुलझाने का निर्देश दिया गया है।
10.	जम्मू-कश्मीर	कार्य प्रगति पर है तथा शीघ्र ही पूरा हो जाएगा।
11.	झारखंड	बीपीएल सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा वेबसाइट में डाल दी गई है।
12.	कर्नाटक	बीपीएल सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा वेबसाइट में डाल दी गई है।
13.	केरल	बीपीएल सूची को अगस्त, 2007 के मध्य तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
14.	मध्य प्रदेश	बीपीएल सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा वेबसाइट में डाल दी गई है।
15.	महाराष्ट्र	बीपीएल सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है।

1	2	3
16.	मणिपुर	अद्यतन स्थिति की प्रतीक्षा की जा रही है।
17.	मेघालय	सर्वेक्षण पूरा हो चुका है किन्तु बीपीएल सूची को अंतिम रूप दिया जाना है।
18.	मिजोरम	बीपीएल सूची को अंतिम रूप दे चुके जाने की सूचना दी गई है किन्तु यह अभी तक मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है।
19.	नागालैंड	बीपीएल सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है।
20.	उड़ीसा	बीपीएल सूची को अंतिम रूप देने के लिए उच्चाधिकार समिति की बैठक बुलाई जा रही है।
21.	पंजाब	बीपीएल सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है किन्तु अभी तक इसे वेबसाइट पर डाला जाना है।
22.	राजस्थान	जिलावार बीपीएल सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। 1997 सर्वेक्षण की तुलना में बीपीएल परिवारों की संख्या में 30% से अधिक की विविधता वाले जिलों को इसी के साथ स्थिति की पुन: जांच करने की सलाह दी गई है।
23.	सिक्किम	बीपीएल सूची तैयार कर ली गई हैं किन्तु वेबसाइट में नहीं डाली गई है।
24.	तमिलनाडु	कट-आफ-स्कोर 17 है। बीपीएल सूची को शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
25.	त्रिपुरा	बीपीएल सूची को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
26.	उत्तर प्रदेश	बीपीएल सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा वेबसाइट में डाल दिया गया है।
27.	उत्तराखंड	बीपीएल सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है।
28.	पश्चिम बंगाल	2005 में परिवारों का नया सर्वेक्षण कराया गया। यह जानकारी दी गई है कि ग्राम सभाओं ने बीपीएल सूचियों के मसौदे को अनुमोदित कर दिया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों से चर्चा की गई तथा अगस्त, 2007 के अंत तक अंतिम नतीजे मिलने की संभावना है।
29.	अंडमान	बीपीएल सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका है।
30.	दमन व दीव	बीपीएल सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका है।
31.	लक्षद्वीप	बीपीएल सूची प्रकाशित कर दी गई है। लोगों की आपत्तियों की जांच की जा रही है।

श्री सनत कुमार मंडल: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न है कि जुलाई, 2007 में पटना में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हुआ था जिसका शीर्षक था, ''गरीबी के मुद्दे पर पुनर्विचार: मापन, पहचान और उन्मूलन।'' उस सेमिनार में यह स्वीकार किया गया था कि 'गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना 13-मानक प्रक्रिया' में पद्धति से जुड़ी गंभीर खामियां हैं जिससे गरीब परीवारों की पहचान में व्यापक गलतियां हुई हैं। यदि ऐसा है, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में

[हिन्दी]

क्या हुआ था?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): महोदय, हमारे देश में सन् 1992 और उसके बाद सन् 1997 में बीपीएल का सर्वे हुआ। 1992 में जिस प्रकार की आमदनी प्रति वर्ष 11,000 रुपये थी, उससे कम वालों को बीपीएल माना गया। सन् 1997 में जो सर्वे हुआ, उसमें 20,000 रुपये तक की आमदनी वाले को माना गया। लेकिन सन् 2002 में बीपीएल सर्वे हुआ, उसमें ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्रियों ने बैठक की और उसमें 13 सोशियो-इकोनामिक पैरामीटर के आधार पर हरेक परिवार का सर्वे करके मार्किंग की गई कि उनके पास जमीन कितनी है, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उल्लेख कर रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: इंटरनेशनल कौन्फ्रैंस कहां हुई?

अध्यक्ष महोदय: पटना में हुई। क्या आपको नहीं बताया गया?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हाल ही में अर्थशास्त्री जुटे थे। उन्हें दो हजार बीपीएल सर्वे की जानकारी नहीं थी। असल में बिहार में बीपीएल सर्वे को लागू करने का जो काम हुआ, उसमें भारी शिकायतें हुईं। जनता की तरफ से भारी धरना, आन्दोलन और ब्लाक्स का घेराव हुआ। उसी के कारण वहां अर्थशास्त्री जुटे थे। योजना आयोग यह निर्धारित करता है कि हरेक राज्य में बीपीएल की संख्या कितनी होगी, उस पर उनका विवाद है। बीपीएल का सन् 2002 में जो सर्वे हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने हम पर रोक लगा रखी थी। हमने सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की कि पहले जो आईआरडीपी की सूची थी, उसमें बहुत से गरीब लोगों का नाम छूटा हुआ था, इसलिए नए बीपीएल सर्वे को लागू करने की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की। इसी कारण देर हुई। हमने बीपीएल सूची का राज्यवार ब्यौरा दे दिया है। आम तौर से सभी राज्यों ने उसे प्रकाशित कर दिया है। हमने तीन जगह कहा है—दीवार पर गरीबों का नाम गरीबी के घटते क्रम में, पूअरैस्ट आफ दी पुअर का नाम सबसे ऊपर रहेगा। उसी आधार पर उसका मूल्यांकन होगा और बैनीफिशियरीज की सूची तैयार होगी, फिर इसे वैबसाइट में डालने और पुस्तिका छपवाकर उसे प्रकाशित करना ताकि हरेक गरीब जान सके। हमने दो अपील मंजूर की हैं- एक ब्लाक स्तर पर और एक जिला स्तर पर कलैक्टर के पास, यदि कोई शिकायत हो। हरेक राज्य में लाखों-लाख शिकायतें हुईं। उसकी जांच-पड़ताल करके हमने राज्यवार ब्यौरा दे दिया है कि बीपीएल सूची की क्या स्थिति है। हरेक परिवार की ट्रांसपेरैंट, वैरीफाइएबल जांच की जा सकती है कि कौन व्यक्ति गरीब है या क्या है। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा है कि हरेक परिवार के 65 वर्ष से अधिक उम्र के बीपीएल व्यक्ति को भारत सरकार द्वारा नेशनल ओल्ड एज पैंशन के रूप में 200 रुपये महीने दिया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: 200 रुपये से क्या होगा? ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: 200 रुपये हम देंगे और 200 रुपये राज्य सरकार से देने के लिए कहा गया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, इसका उत्तर मत दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: हम बिहार में पहले से ही 200 रुपये से ज्यादा दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मंडल जी, आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री सनत कुमार मंडल: अपने दूसरे अनुपूरक प्रश्न में मैं कट-आफ स्कोर के बारे में जानना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहें।

श्री सनत कुमार मंडल: मैं जानना चाहता हूं कि क्या विभिन्न राज्यों में कट-आफ स्कोर अलग-अलग है। यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: सारी डिटेल दे दी है।

...*(व्यवधान)*

श्री सनत कुमार मंडल: कट-आफ स्कोर निर्धारित करने का आधार क्या है?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कट-आफ-स्कोर कैसे फिक्स हुआ?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, इसके 13 सोशियो-इकोनामिक पैरामीटर्स हैं। इसका मतलब है कि उस परिवार के पास जमीन है या नहीं? अगर जमीन नहीं है तो जीरो नम्बर दिये जाते हैं और कुछ अधिक जमीन है तो दो, तीन, चार नम्बर दिये जाते हैं। इसी तरह कपड़े हैं, भोजन कैसे किया जाता है, घर में ऐमेनिटीज क्या हैं, उनकी आमदनी क्या है, उनको लोन मिला है या नहीं, उनकी क्या स्थिति है, आदि ये तेरह पैरामीटर्स हैं। अब एक पैरामीटर पर चार नम्बर दिये जाते हैं तो तेरह पैरामीटर्स के 52 नम्बर हो गये। जिस परिवार का जीरो नम्बर होगा, वह सबसे ऊपर रहेगा। उसके बाद एक, दो तीन करके स्कोरिंग किया हुआ है। इसे वेबसाइट में डालने का भी काम किया गया है। देश भर में कोई भी व्यक्ति वेबसाइट में देख सकता है कि उसमें उसका परिवार है या नहीं। इसलिए इसमें अभी जो सुधार हुआ है, वह एक्यूरेसी के बहुत ज्यादा निकट है। इसमें दो अपील दी गयी हैं कि अगर कोई शिकायत हो, तो आदमी अपील करके न्याय ले

सकता है और अपना नाम सही करा सकता है। इसमें माननीय सदस्यों के सहयोग की जरूरत है। वे विजिलेंस मौनीटरिंग कमेटी में देखें कि दीवार पर टंगा है या नहीं, पुस्तिका छपी है या नहीं और वेबसाइट में डाला गया है या नहीं? किस तरह से निष्पादन हो रहा है इसकी पक्की सूची तैयार कर ली गई है।

[अनुवाद]

श्री इकबाल अहमद सरडगी: महोदय, यह बताया गया है कि सर्वेक्षण कार्य राज्य सरकार के अधीन आते हैं। इसलिए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्कोर योग्य 13 सामाजिक-आर्थिक मानदंड निर्धारित किए थे और पिछले तीन वर्षों से ऐसा किया जा रहा है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या अद्यतन सर्वेक्षण पिछले तीन वर्षों के लिए निर्धारित सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के अनुसार किया गया है। पिछले तीन वर्षों के लिए यही आंकड़ा दिया गया है। इसलिए मैं वर्ष 2007 का अद्यतन आंकड़ा जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: इतना ही काफी है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, माननीय सदस्य 13 सोशियो इकोनामिक पैरामीटर्स के बारे में पूछ रहे हैं। इसे हमने अभी स्पष्ट किया है। उस पर हरेक परिवार की मार्किंग हुई है। इसलिए माननीय सदस्य कृपा करके जानकारी ले लें कि 13 सूत्र, सभी तरह से उस परिवार की स्थिति क्या है, उसी संबंध में है। अब हरेक परिवार का मूल्यांकन हुआ है, मार्किंग हुआ है, स्कोरिंग हुई है। योजना आयोग की सूची में निर्धारित बीपीएल की संख्या के आधार पर यह कट आफ तय हुआ है। उसमें राज्यों की तरफ से कहीं-कहीं परामर्श आया है। कोई राज्य सरकार कहती है कि इसे बढ़ा दिया जाये, तो कोई राज्य सरकार कहती है कि हमें अधिक बीपीएल की संख्या चाहिए। यह बात ठीक है लेकिन निर्धारण का काम योजना आयोग का है। हमारा काम केवल बीपीएल सर्वे को लागू करना और उसके आधार पर बेनिफिशरीज को सहूलियतें देने का है।

[अनुवाद]

श्रीमती अर्चना नायक: महोदय, आपका धन्यवाद। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकती हूं कि उड़ीसा में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या राष्ट्रीय औसत से अधिक है और यदि हां, तो और अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: नेशनल एवरेज से क्या उड़ीसा में बीपीएल लोगों की परसेंटेज ज्यादा है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: नेशनल एवरेज देश भर की है, लेकिन विभिन्न राज्यों में बीपीएल की संख्या में फर्क होता है। उड़ीसा और बिहार में सबसे ज्यादा बीपीएल का प्रतिशत है। वहां काफी लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। ...*(व्यवधान)* नेशनल एवरेज में राज्यवार संख्या एक नहीं है। किसी राज्य में बीपीएल की संख्या अधिक है, तो किसी में कम है। ...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, बिहार का क्या हो रहा है? ...*(व्यवधान)* आप मंत्री जी से बिहार के बारे में पूछिये। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप न तो मंत्री हैं और न ही मैंने आपको बोलने को कहा है। नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। अब, श्री आनंदराव अडसूल बोलेंगे। वे चले गए हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक भी शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)* *

अब श्री सुरेश कुरूप।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव, आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री शाहनवाज हुसैन, यह उचित नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री सुरेश कुरूप का नाम पुकारा है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री जी को जवाब देने के लिए बोलिये। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी क्वेश्चन आवर खत्म होने में एक मिनट है इसलिए आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

एडवोकेट सुरेश कुरूप: महोदय, इस पूरी कार्यवाही की पारदर्शिता के बारे में कोई शिकायत नहीं कर रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया। आप यह क्या कर रहे हैं।

एडवोकेट सुरेश कुरूप: लेकिन शिकायत यह है कि सरकार द्वारा निर्धारित मानक या मानदंड ऐसे हैं कि सुपात्र गरीबी रेखा के नीचे कई पात्र परिवार गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों की सूची से बाहर हो गए हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

केरल सरकार ने इस बारे में पहले से ही अपनी चिंता व्यक्त की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन मानदंडों को संशोधित किया जाएगा। ताकि और अधिक पात्र परिवारों को गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों की सूची में सम्मिलित किया जा सके।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, अगर कोई परिवार बीपीएल में शामिल नहीं हो सका है और वह बीपीएल की श्रेणी में आने का दावा करता है तो उसके लिए दो अपील्स हैं। इण्डिविजुअल परिवार पेटीशन देगा, उसकी जांच की जाएगी और योग्य पाए जाने पर उसे बीपीएल में शामिल किया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप बोलते रहिए।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं को बंद किया जाना

***86. श्री संतोष गंगवार:**
श्री पंकज चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुछ शाखाओं को बंद करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुछ शाखाओं को बंद करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 11 जुलाई, 2006 के मास्टर परिपत्र संख्या बीएल.बीसी/11/03.05.90-ए/2006-07 में यथा निहित कतिपय शर्तों के अध्यधीन शाखाओं का विलय करने/स्थान बदलने/खोलने/अनुषंगी कार्यालयों में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस परिपत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नई शाखाएं खोलने के लिए नाबार्ड/भारतीय रिजर्व बैंक के पास आवेदन करने से पूर्व अपने निदेशक मण्डल का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में गठित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए शक्ति प्राप्त समिति आवेदनों की जांच करेगी और अपनी सिफारिशें करेगी तथा रिजर्व बैंक ऐसे आवेदनों का निपटान करेगा। शाखा को स्थानांतरित करने/अनुषंगी कार्यालय में परिवर्तित करने के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कतिपय शर्तों के अध्यधीन स्वयं निर्णय ले सकता है। कभी-कभी किसी शाखा को स्थानांतरित करना आवश्यक हो सकता है; कभी-कभी किसी शाखा को अनुषंगी कार्यालय में परिवर्तित करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन इसकी अनुमति यह सुनिश्चित करने के बाद दी जाती है कि कार्यालय नियत परिसर में विनिर्दिष्ट दिनों पर कार्य करेगा और ऐसे कार्यालय में सभी प्रकार के बैंकिंग संव्यवहार किए जाएंगे।

[अनुवाद]

सेवा कर के अंतर्गत क्षेत्र

***87. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत एक वर्ष के दौरान सेवा कर के अंतर्गत कुछ और क्षेत्रों को सम्मिलित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सेवा कर से अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(घ) वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान सरकार द्वारा सेवाकर से अनुमानतः कितना राजस्व अर्जित किए जाने का विचार है;

(ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान सेवा कर के रूप में सरकार द्वारा अभी तक संगृहीत राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या गत तीन वर्षों में सेवा कर में चूक के मामले हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बकाया राशि की वसूली करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2007-08 के दौरान निम्नलिखित सेवाओं को अलग-अलग कराधेयक सेवाओं के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया था:

(1) दूरसंचार सेवा (इसमें विभिन्न दूरसंचार संबंधित सेवाएं जो वर्तमान समय में पृथक कराधेय सेवाओं के रूप में विनिर्दिष्ट हैं, शामिल है);

(2) खनिज, तेल अथवा गैस के खनन के लिए आऊटसोर्स की गई सेवाएं;

(3) व्यवसाय अथवा वाणिज्य के सिलसिले में अथवा उसे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हेतु आवासीय सम्पत्तियों और रिक्त भूमि को छोड़कर अचल सम्पत्ति के किराए के संबंध में प्रदान की गई सेवाएं (धार्मिक निकाय द्वारा अथवा को प्रदान की गई ऐसी सेवाएं शामिल नहीं);

(4) कार्य संविदा के सम्पादन के संबंध में प्रदान की गई सेवाएं (राज्यों द्वारा कार्य संविदा के सम्पादन में शामिल माल के स्थानांतरण पर बिक्री कर लगाया जाता है);

(5) दूरसंचार सेवाओं, विज्ञापन एजेंसी सेवाओं और आन-लाईन सूचना और डाटाबेस सुविधा अथवा सुधार सेवाओं में उपयोग हेतु सामग्रियों का विकास और उसकी आपूर्ति;

(6) विभाग प्रबंधन सहित सम्पत्ति प्रबंधन और बैंकिंग कम्पनी अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी सहित वित्तीय संस्था अथवा किसी अन्य निकाय निगम अथवा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को छोड़कर सभी प्रकार की निधि प्रबंधन सेवा; और

(7) डिजाईन सेवाएं।

(ग) वित्त वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान संग्रहित सेवा कर की राशि क्रमशः 14200 करोड़ रु., 23055 करोड़ रु. और 37484 करोड़ रु. है। वर्ष 2006-07 के संबंध में आंकड़े अनंतिम हैं।

(घ) वर्ष 2007-08 के दौरान सेवा कर संग्रहण का बजट आकलन 50,200 करोड़ रु. का है।

(ङ) चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2007-08 (जून, 2007 तक) के दौरान संग्रहित सेवा कर की राशि 10,012 करोड़ रु. (अनंतिम) है।

(च) जी, हां।

(छ) विगत तीन वर्षों में सेवा कर अपवंचन के पकड़े गए मामलों का ब्यौरा नीचे की सारणी में दिया गया है:

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	वर्ष	पकड़े गए मामलों की सं.	शामिल राजस्व
1.	2004-05	2980	299.56
2.	2005-06	3913	725.71
3.	2006-07	4342	940.78

अन्वेषण पूरा हो जाने के बाद शामिल राजस्व की वसूली तथा अर्थदंड लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

[हिन्दी]

स्टाक मार्केट और रियल एस्टेट मार्केट में आतंकवादी संगठन

***88. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:**
श्री अवतार सिंह भडाना:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवादी संगठन अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चोरी-छिपे विभिन्न रूपों में स्टाक मार्केट और रियल एस्टेट मार्केटों में प्रवेश कर चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस मामले में कोई जांच कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर रोक लगाने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ङ) सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श किया है। सरकार के पास उपलब्ध सूचना में स्टाक मार्केट या रियल स्टेट मार्केट में आतंकवादी संगठनों के किसी चोरी-छिपे प्रवेश करने की बात ध्यान में नहीं आती है।

[अनुवाद]

जल निकासी प्रणाली में सुधार

***89. श्री स्वदेश चक्रवर्ती:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को हाल ही में कुछ राज्य सरकारों से उनके राज्यों की जल निकासी प्रणाली में सुधार करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों को राज्य-वार कितनी सहायता राशि प्रदान की गई है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) जी हां। केन्द्र सरकार को हाल ही में कुछ राज्य सरकारों से उनके राज्यों में जल निकास प्रणाली में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जल निकासी प्रणाली में सुधार लाने के लिए अब तक प्राप्त स्कीमों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(1) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) का घटक शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी)

प्राप्त, अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या तथा अब तक जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) की पहली किस्त इस प्रकार है:-

प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	जारी एसीए की पहली किस्त (लाख रु. में)
85	30	25112.67

जेएनएनयूआरएम के घटक शहरी अवस्थापना और शासन के अंतर्गत अनुमोदित जल निकास परियोजनाओं, जारी धनराशि और प्राप्त जल निकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और Iक में दिया गया है।

(2) छोटे और मझौल कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.):

यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत स्वीकृत जल निकास परियोजनाओं (सीवरेज और वर्षा जल नालियां) की संख्या, अनुमोदित लागत तथा जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) की पहली किस्त इस प्रकार है:-

	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)	उन परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए की पहली किस्त जारी की गई	जारी एसीए की पहली किस्त (लाख रु. में)
वर्षा जल नालियां	38	67375.55	27	16027.32
सीवरेज	46	125270.74	32	28300.02
कुल	84	192646.29	59	44327.34

यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत जल निकास स्कीमों का राज्यवार/कस्बा-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(3) पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लिए 10% एकमुश्त प्रावधान:

इस स्कीम के अंतर्गत सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में कस्बों के लाभ के लिए स्कीमें/परियोजनाएं शुरू की जाती हैं।

जल निकास प्रणाली के सुधार के लिए विचाराधीन प्रस्तावों तथा 10% एकमुश्त प्रावधान स्कीम के तहत स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(4) बृहत मुम्बई वर्षा जल निकास

1200.53 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से वर्षा जल निकास के सुधार के लिए बृहत मुम्बई वर्षा जल निकास स्कीम स्वीकृत की गई है।

विवरण I

वर्षा जल निकासी के संबंध में जेएनएनयूआरएम के शहरी अवसंरचना और शासन घटक के तहत अनुमोदित परियोजनाएं और जारी राशि की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	शहर	सैक्टर	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)	अनुमत्य केन्द्रीय अंश (लाख रु. में)	जारी करने के लिए अनुमोदित केन्द्रीय अंश (लाख रु. में)	संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की तारीख	जारी केन्द्रीय अंश (लाख रु. में)	जारी करने की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	गुजरात	अहमदाबाद	जल निकास/ बरसाती पानी नालियां	अहमदाबाद नगर निगम क्षेत्र के पश्चिमी जोन के लिए बरसाती पानी के निकास की प्रणाली	5914.00	2069.9	517.47	19.09.2006	517.47	13.10.2006
2.	गुजरात	अहमदाबाद	-वही-	अहमदाबाद नगर निगम क्षेत्र, अहमदाबाद के दक्षिणी एवं केन्द्रीय जोन के लिए बरसाती पानी का निकास	12088.00	4230.8	1057.70	25.10.2006	1057.70	20.12.2006
3.	गुजरात	अहमदाबाद	-वही-	अहमदाबाद नगर निगम क्षेत्र, अहमदाबाद के उत्तरी एवं पूर्वी जोन के लिए बरसाती पानी का निकास	12283.00	4299.05	1074.76	25.10.2006	1074.76	20.12.2006
4.	मध्य प्रदेश	भोपाल	निकासी/वर्षा जल निकासी	नालों का चैनलीकरण (वर्षा जल निकासी)	3057.00	1528.5	382.13	26.05.2006	382.13	14.06.2006
5.	कर्नाटक	बंगलौर	निकासी/वर्षा जल निकासी	केम्पामनहल्ली और अरकावती माइनरवेली-1 और कठोरीगुप्पा माइनरवेली-3 (3 डीपीआर सहित) वृषभावती घाटी में बंगलौर शहर में प्राथमिक और द्वितीय वर्षा जल निकासी को ठीक करना	22826.00	7989.1	1997.27	24.11.2006	1997.27	15.01.2007
6.	कर्नाटक	बंगलौर	निकासी/वर्षा जल निकासी	बंगलौर सिटी चाला घट्टा वेली में प्राथमिक और द्वितीय वर्षा जल निकासी को ठीक करना	11857.00	4149.95	1037.48	24.11.2006	1037.48	15.01.2007
7.	कर्नाटक	बंगलौर	निकासी/वर्षा जल निकासी	बंगलौर सिटी कोरमंगलवेली में प्राथमिक और द्वितीय वर्षा जल निकासी को ठीक करना	11149.00	3902.15	975.53	24.11.2006	975.53	15.01.2007
8.	कर्नाटक	बंगलौर	निकासी/वर्षा जल निकासी	बंगलौर सिटी हेब्बल वेली में प्राथमिक और द्वितीय वर्षा जल निकासी को ठीक करना	18474.00	6465.9	1616.47	24.11.2006	1616.47	15.01.2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	केरल	कोचीन	निकासी/वर्षा जल निकासी	कोची के केन्द्रीय क्षेत्र के सतही जल निकासी प्रणाली का उन्नयन	978.00	489	122.25	19.03.2007	122.25	31.03.2007
10.	हरियाणा	फरीदाबाद	निकासी/वर्षा जल निकासी	पुराने फरीदाबाद जोन में अवसंरचना विकास कार्य (जल निकासी)	3064.70	1532.25	383.09	20.04.2007	383.09	16.05.2007
11.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	वर्षा जल निकासी के री-माडलिंग-मुरकीनाला सेकेंडरी ड्रेनेज	4231.00	1480.85	370.00	21.03.2006	370.00	29.03.2006
12.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	वर्षा जल निकासी का री-माडलिंग मुरकीनाला पी-11, पी-12	3299.00	1154.65	288.00	21.03.2006	288.00	29.03.2006
13.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	वर्षा जल निकासी का री-माडलिंग-कुकटपल्ली (बेगमपेट) नाला पी-7	3136.00	1097.6	274.00	21.03.2006	274.00	29.03.2006
14.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	बल्लकापुर चैनल	3579.00	1252.65	313.00	21.03.2006	313.00	29.03.2006
15.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जल निकासी/बरसाती पानी नालियां	बारदा, पानी हाटी, नार्थ दमदम, दमदम एवं साउथ दमदम के भीतर जल निकास की रुकावट को हटाने के लिए अंतर म्यूनिसिपल स्कीम	4530.14	1585.549	158.55	25.10.2006	158.55	22.11.2006
16.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जल निकासी/बरसाती पानी नालियां	हावड़ा में जल निकास का सुधार	9338.03	3268.311	817.08	08.01.2007	817.08	23.01.2007
17.	तमिलनाडु	मदुरै	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	वर्षा जल निकासी और प्राकृतिक नाली का डीसेल्टिंग (वर्षा जल नाली का सुधार और निर्माण)	25181.00	12590.5	3147.63	20.04.2007	3147.63	13.06.2007
18.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	निकासी/वर्षा जल निकासी	थाणे के लिए एकीकृत नाला विकास फेज-2	11659.00	4080.65	1020.16	22.01.2007	405.65	20.02.2007
19.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	निकासी/वर्षा जल निकासी	थाणे के लिए एकीकृत नाला विकास फेज-1	9239.00	3233.65	808.41	08.01.2007	83.75	31.01.2007
20.	महाराष्ट्र	पुणे	निकासी/वर्षा जल निकासी	सीवरेज शोधन प्लांट और पम्पिंग स्टेशन की वृद्धि और अद्यतन	8613.00	4306.5	1076.60	10.05.2006	1076.60	08.06.2006
21.	महाराष्ट्र	पुणे	निकासी/वर्षा जल निकासी	नालों का निर्माण और विकास	9996.00	4998	1249.50	08.09.2006	1249.50	13.10.2006
22.	महाराष्ट्र	पुणे	जल निकास/बरसाती पानी नालियां	पुणे में सीवरेज एवं जल निकास का नवीकरण एवं प्रबंधन (केरीस को बढ़ाना, झीलों का पुनरुद्धार, नाले रीमेडिएशन तथा नाला एवं नदियों का भू-विन्यास)	9778.00	4889	1222.25	08.09.2006	1222.25	13.10.2006
23.	गुजरात	राजकोट	जल निकास/बरसाती पानी नालियां	भूमिगत जल निकास फेज-2 एवं फेज-3 (भाग-1) (सीवेज निपटान नेटवर्क एंव एसटीपी)	7542.00	3771	942.70	31.07.2006	942.70	18.08.2006
24.	गुजरात	सूरत	जल निकास/बरसाती पानी की नालियां	बरसाती पानी का निकास, वेसु क्षेत्र	4995.00	2497.5	624.38	28.06.2006	624.38	19.07.2006
25.	गुजरात	सूरत	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	एसएमसी क्षेत्र के लिए सूरत शहर की वर्षा जल निकासी प्रणाली	13382.54	6691.27	1672.81	20.04.2007	1672.81	13.06.2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	गुजरात	वडोदरा	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	वडोदरा शहर की वर्षा जल निकासी	14594.56	7297.28	1824.32	22.02.2007	1824.32	08.05.2007
27.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	अनसर्वड क्षेत्रों में भूमिगत जल निकासी सुविधाएं प्रदान करना	5656.00	2828	707.00	27.03.2006	707.00	29.03.2006
28.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	सर्किल-1, 2, 3 और बीएमसी केएमबी रोड में अनकवर्ड क्षेत्रों में वर्षा जल निकासी प्रणाली	4912.00	2456	614.00	10.11.2006	614.00	23.11.2006
29.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	एसएल केनाल का नियमितीकरण	339.00	169.5	42.30	10.05.2006	42.30	08.06.2006
30.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	बेंच नालों सहित मेघाद्रिगड्डा वर्षा जल निकासी में सुधार	921.00	460.5	115.00	10.05.2006	115.00	08.06.2006
				कुल (लाख रुपये में)	256611.97	106765.660	26451.84		25112.67	

विवरण Iक

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के घटक शहरी अवस्थापना और शासन के तहत प्राप्त जल निकासी परियोजनाओं की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	शहर	क्षेत्र	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	मंत्रालय में डीपीआर प्राप्ति की तारीख	अनुमोदन हेतु भेजने की तारीख	मूल्यांकन रिपोर्ट की प्राप्ति तारीख	मूल्यांकक एजेंसी	अनुमोदन समिति	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	वर्षा जल निकासी की रिमाडलिंग-मुर्की नाला सेकेन्डरी नालियां	4359.00	10.03.2006			सीपीएचईईओ	सीएसएमसी	प्रथम किस्त जारी की
2.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	वर्षा जल निकासी की रिमाडलिंग-मुर्की नाला पी-11, पी-12 नालियां	3328.00	10.03.2006	10.03.2006	20.03.2006	सीपीएचईईओ	सीएसएमसी	प्रथम किस्त जारी की
3.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	वर्षा जल निकासी की रिमाडलिंग-कुकटपल्ली (बेगमपेट) नाला पी-7	3186.00	10.03.2006	10.03.2006	27.03.2006	सीपीएचईईओ	सीएसएमसी	प्रथम किस्त जारी की
4.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	बालकापुर चैनल	3693.00	10.03.2006	10.03.2006	20.03.2006	सीपीएचईईओ	सीएसएमसी	प्रथम किस्त जारी की
5.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	रामीरपुरा केएस-5बी	465.00	02.03.2007	02.03.2007	16.03.2007	सीपीएचईईओ		संशोधन हेतु लौटा
6.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	एराम कुन्ता नाला केएस-6	360.00	02.03.2007	02.03.2007	16.03.2007	सीपीएचईईओ		संशोधन हेतु लौटाया
7.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	मुश्रमबागनाला केएस-7	157.00	02.03.2007	02.03.2007	16.03.2007	सीपीएचईईओ		संशोधन हेतु लौटाया
8.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	करकास से गुरम चेरवू नाला केएस-9	116.00	02.03.2007	02.03.2007	16.03.2007	सीपीएचईईओ		संशोधन हेतु लौटाया
9.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	सरननगर सरपल्ला नाला एसएस-1	2120.00	02.03.2007	02.03.2007	16.03.2007	सीपीएचईईओ		संशोधन हेतु लौटाया

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	गंडीपुतलमाईगुडा सरप्लस नाला एमएस-1 (केएस-1)	86.00	02.03.2007	02.03.2007	16.03.2007	सीपीएचईईओ		संशोधन हेतु लौटाया
11.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	गंडीपुतलमाईगुडा सरप्लस नाला एमएस-1 (केएस-2)	56.00	02.03.2007	02.03.2007	16.03.2007	सीपीएचईईओ		संशोधन हेतु लौटाया
12.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	गंडीपुतलमाईगुडा सरप्लस नाला एमएस-1 (केएस-3)	77.00	02.03.2007	02.03.2007	16.03.2007	सीपीएचईईओ		संशोधन हेतु लौटाया
13.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	किशनबाग नाला केएस-1	230.00	02.03.2007	02.03.2007	16.03.2007	सीपीएचईईओ		संशोधन हेतु लौटाया
14.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	बंजाराहिल्स नाला (एमएस-2)	903.00	02.03.2007	02.03.2007	16.03.2007	सीपीएचईईओ		संशोधन हेतु लौटाया
15.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	कलसाईगुडानाला एमएस-5	944.00	02.03.2007	02.03.2007	16.03.2007	सीपीएचईईओ		संशोधन हेतु लौटाया
16.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	इन्द्रा पार्क नाला केएस-10ए	277.00	02.03.2007	02.03.2007	16.03.2007	सीपीएचईईओ		संशोधन हेतु लौटाया
17.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	सरूरनगर झुग्गी नाला एमएस-7	1667.00	02.03.2007	02.03.2007	16.03.2007	सीपीएचईईओ		संशोधन हेतु लौटाया
18.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	अफजल सागर नाला केएस-4	1890.00	02.03.2007	02.03.2007	16.03.2007	सीपीएचईईओ		संशोधन हेतु लौटाया
19.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	मुगल का नाला केएस-3	700.00	02.03.2007	02.03.2007	16.03.2007	सीपीएचईईओ		संशोधन हेतु लौटाया
20.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	मुगल का नाला केएस-1 (केएस-3)	341.00	02.03.2007	02.03.2007	16.03.2007	सीपीएचईईओ		संशोधन हेतु लौटाया
21.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	बहादुरपुर नाला केएस-3	272.00	02.03.2007	02.03.2007	16.03.2007	सीपीएचईईओ		संशोधन हेतु लौटाया
22.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	किशनबागनाला केएस-2	449.00	02.03.2007	02.03.2007	16.03.2007	सीपीएचईईओ		संशोधन हेतु लौटाया
23.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	अलीकाबादनाला (केएस-2बी)	91.00	02.03.2007	02.03.2007	16.03.2007	सीपीएचईईओ		संशोधन हेतु लौटाया
24.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	वेस्समोरेड्डी गुडानाला (एमएस-1)	1332.00	02.03.2007	02.03.2007	16.03.2007	सीपीएचईईओ		संशोधन हेतु लौटाया
25.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	असुरक्षित क्षेत्रों को भूतल जल निकासी सुविधा प्रदान करना	8031.00	10.03.2006	10.03.2006	20.03.2006	सीपीएचईईओ	सीएसएमसी	पहली किस्त जारी
26.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	विजयवाड़ा में बरसाती जल नालियां प्रदान करना	4412.00	14.03.2006	14.03.2006	14.03.2006	सीपीएचईईओ		संशोधन हेतु लौटाया
27.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	शहर के पश्चिमी क्षेत्र (सर्कल-1) में बरसाती जल नालियां प्रदान करना	841.00	19.07.2006	21.07.2006	31.07.2006	सीपीएचईईओ		राज्य/शहर द्वारा वापस
28.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	शहर के पश्चिमी क्षेत्र (सर्कल-2) में बरसाती जल नालियां प्रदान करना	950.00	19.07.2006	21.07.2006	31.07.2006	सीपीएचईईओ		राज्य/शहर द्वारा वापस
29.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	शहर के पूर्वी भाग में (सर्कल-3) में बरसाती जल नालियां प्रदान करना	818.00	19.07.2006	21.07.2006	31.07.2006	सीपीएचईईओ		राज्य/शहर द्वारा वापस

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	एलबीरोड में बरसाती जल निकासी की सुविधा प्रदान करना	464.00	19.07.2006	21.07.2006	31.07.2006	सीपीएचईईओ		राज्य/शहर द्वारा वापस
31.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	बीआरटीएस के कॉरिडोर 1, 2, 3 और एलबी रोड में अकृषित क्षेत्रों में बरसाती जल निकास प्रणाली	5938.00	12.09.2006	01.11.2006	08.11.2006	सीपीएचईईओ	सीएसएमसी	प्रथम किस्त जारी
32.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	एसएल केनाल का नियमितीकरण	399.00	13.03.2006			सीपीडब्ल्यूडी	सीएसएमसी	प्रथम किस्त जारी
33.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	एरीगेडा बरसाती जल निकासी बेंच नालियों समेत सुधार	1085.00	13.03.2006			सीपीएचईईओ	सीएसएमसी	प्रथम किस्त जारी
34.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	मेघाद्रीगेडा ड्रेन केनाल 1, 2, 3क, 3ख, 4, 5क, 5ख, 6क, 6ख, 6ग और यू शाखाओं का सुधार	1831.00	07.02.007	07.02.2007	14.02.2007	सीपीएचईईओ		संशोधन हेतु लौटाया
35.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	गंगुलागुड्डा बरसाती जल निकासी और विशाखापट्टनम में उप नालियों के समूह का विकास	4273.00	07.02.2007	07.02.2007	23.02.2007	सीपीएचईईओ		संशोधन हेतु लौटाया
36.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	गजवाका क्षेत्र में बीएच कालोनी से एचबी कालोनी तक बरसाती जल नाली	740.00	07.02.2007	07.02.2007	30.03.2007	सीपीएचईईओ		संशोधन हेतु लौटाया
37.	बिहार	पटना	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	पटना म्यूनिसिपल क्षेत्र में बरसाती जल निकासी परियोजना	73153.30	22.09.2006	27.09.2006	15.11.2006	सीपीएचईईओ		संशोधन हेतु लौटाया
38.	बिहार	पटना	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	पटना के लिए (भाग-1) प्रमुख बरसाती जल निकासी प्रणाली	8809.79	10.04.2007	10.04.2007	19.04.2007	सीपीएचईईओ		संशोधन हेतु लौटाया
39.	छत्तीसगढ़	रायपुर	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	आंतरिक रिहायशी क्षेत्र से दुग्ध डेयरियों का बाहरी क्षेत्र में स्थानांतरण	1089.00	13.03.2006	13.03.2006	23.03.2006	सीपीएचईईओ		राज्य/शहर द्वारा वापस
40.	छत्तीसगढ़	रायपुर	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	बरसाती जल निकासी	1310.00	13.03.2006	13.03.2006	06.06.2006	सीपीएचईईओ		राज्य/शहर द्वारा वापस
41.	दिल्ली (एनसीटी)	दिल्ली	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	नजफगढ़ नाला के साथ-साथ इंटरसेप्टर सीवर, पूरक नाला और शाहदरा नाला	315000.00	13.12.2006	15.12.2006	26.12.2006	सीपीएचईईओ		संशोधन हेतु लौटाया
42.	गुजरात	अहमदाबाद	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	एएमसी एरिया के पश्चिमी जोन के लिए बरसाती जल निकासी प्रणाली	6029.00	05.09.2006	05.09.2005	13.09.2006	सीपीएचईईओ	सीएसएमसी	पहली किस्त जारी
43.	गुजरात	अहमदाबाद	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	एएमसी क्षेत्र, अहमदाबाद के दक्षिण एवं पूर्वी जोनों के लिए बरसाती जल निकासी	12088.00	11.10.2006	11.10.2006	16.10.2006	सीपीएचईईओ	सीएसएमसी	पहली किस्त जारी
44.	गुजरात	अहमदाबाद	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	एएमसी क्षेत्र, अहमदाबाद के उत्तरी एवं पूर्वी जोनों के लिए बरसाती जल निकासी	12283.00	11.10.2006	11.10.2006	16.10.2006	सीपीएचईईओ	सीएसएमसी	पहली किस्त जारी
45.	गुजरात	राजकोट	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	भूमिगत जल निकासी-फेज-2, फेज-3, (भाग-1) सीवरेज डिस्पोजल नेटवर्क एवं एसटीपी	7686.00	10.03.2006	07.07.2006	21.07.2006	सीपीएचईईओ	सीएसएमसी	पहली किस्त जारी
46.	गुजरात	सूरत	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	बरसाती जल निकासी वेसू एरिया	4995.00	10.03.2006	04.05.2006	19.06.2006	सीपीएचईईओ	सीएसएमसी	पहली किस्त जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.	गुजरात	सूरत	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	एसल्पली क्षेत्र के लिए सूरत शहर की बरसाती जल निकासी प्रणाली	13775.00	19.03.2007	19.03.2007	18.04.2007	सीपीएचईईओ	सीएसएमसी	पहली किस्त जारी
48.	गुजरात	वडोदरा	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	वडोदरा शहर की बरसाती जल निकास प्रणाली	9800.00	18.12.2006	02.02.007	20.02.2007	सीपीएचईईओ	सीएसएमसी	पहली किस्त जारी
49.	हरियाणा	फरीदाबाद	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	पुराना फरीदाबाद जोन में अवसंरचना विकास कार्य (जल निकासी)	3723.76	30.11.2006	10.04.2007	18.04.2007	सीपीएचईईओ	सीएसएमसी	पहली किस्त जारी
50.	कर्नाटक	बंगलौर	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	बंगलौर सिटी के केलमसन्द्रहल्ली और करमनहल्ली मानर घाटी-1 और कडीगुप्पा मानर घाटी-3 (3 डीपीआर) समेत वृषभावती घाटी में मुख्य एवं गौण बरसाती जल की री-माडलिंग	24554.00	03.10.2006	06.10.2006	21.11.2006	सीपीएचईईओ	सीएसएमसी	पहली किस्त जारी
51.	कर्नाटक	बंगलौर	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	केलमनहल्ली घाटी की मुख्य एवं गौण बरसाती जल निकासी की रिमाडलिंग, केलमनहल्ला	4070.96	03.10.2006	06.10.2006	22.11.2006	सीपीएचईईओ		राज्य/शहर द्वारा वापस
52.	कर्नाटक	बंगलौर	जल निकासी/वर्षा जल नालियां	बंगलौर शहर कालिरपूर्ं घाटी में मुख्य एवं गौण बरसाती नालियों की रिमाडलिंग	252.47	03.10.2006	06.10.2006	22.11.2006	सीपीएचईईओ		राज्य/शहर द्वारा वापस
53.	कर्नाटक	बंगलौर	जल निकासी/बरसाती जल नालियां	बंगलौर शहर चलघट्टा घाटी में मुख्य एवं गौण बरसाती नालियों की रिमाडलिंग	12484.00	03.10.2006	04.10.2006		सीपीएचईईओ	सीएसएमसी	पहली किस्त जारी
54.	कर्नाटक	बंगलौर	जल निकासी/बरसाती जल नालियां	बंगलौर शहर की कोरामंगला घाटी में मुख्य एवं गौण बरसाती नालियों की रिमाडलिंग	11842.00	03.10.2006	04.10.2006	20.11.2006	सीपीएचईईओ	सीएसएमसी	पहली किस्त जारी
55.	कर्नाटक	बंगलौर	जल निकासी/बरसाती जल नालियां	बंगलौर शहर हेब्बल घाटी में मुख्य एवं गौण बरसाती नालियों की रिमाडलिंग	19012.71	03.10.2006	04.10.2006	20.11.2006	सीपीएचईईओ	सीएसएमसी	पहली किस्त जारी
56.	केरल	कोचीन	जल निकासी/बरसाती जल नालियां	कोच्चि के केन्द्रीय क्षेत्र में शहरी जल निकास प्रणाली का उन्नयन	1145.00	15.02.2007	15.02.2007	16.03.2007	सीपीएचईईओ	सीएसएमसी	पहली किस्त जारी
57.	केरल	तिरुवनंतपुरम	जल निकासी/बरसाती जल नालियां	जल निकासी बाढ़ नियंत्रण अंतर्देशी जल परिवहन पर्यावरण फेज-1	7189.25	08.02.2007	23.05.2007		सीडब्ल्यूसी	सीएसएमसी	मूल्यांकनाधीन
58.	मध्य प्रदेश	भोपाल	जल निकासी/बरसाती जल नालियां	नाला का चैनलीकरण	4210.00	03.03.2006	03.03.2006	20.03.2006	सीपीएचईईओ	सीएसएमसी	पहली किस्त जारी
59.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	जल निकासी/बरसाती जल नालियां	जबलपुर बरसाती जल निकासी ओमती मुख्य नाला फेज-1 बैलत खंड	4696.00	22.03.2006	13.07.2006	11.08.2006	केलोनिवि	सीएसएमसी	स्वीकृति अधिकारी द्वारा रद्द
60.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	जल निकासी/बरसाती जल नालियां	ओमती मुख्य नाला के लिए बरसाती जल निकासी	5013.00	01.05.2007	01.05.2007	25.05.2007	सीपीएचईईओ	सीएसएमसी	आलोचन हेतु वापस
61.	मध्य प्रदेश	उज्जैन	जल निकासी/बरसाती जल नालियां	बरसाती जल नाली का विकास	591.00	02.05.2006	07.11.2006	05.02.2007	सीपीएचईईओ	सीएसएमसी	आलोचन हेतु वापस
62.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	जल निकासी/बरसाती जल नालियां	मीठी नदी और इसके आसपास के विकास एवं संरक्षण हेतु कार्य योजना	129880.00	13.02.2006	15.09.2006	17.10.2006	नीरी	सीएसएमसी	स्वीकृति अधिकारी के पास प्रस्तुत करने हेतु लंबित

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	जल निकासी/बरसाती जल नालियां	थाणे के लिए समेकित जल निकास परियोजना फेज-2	10000.00	07.11.2006	28.12.2006		सीपीएचईईओ	सीएसएमसी	पहली किस्त जारी
64.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	जल निकासी/बरसाती जल नालियां	थाणे के लिए समेकित जल निकास परियोजना फेज-1	9730.00	07.11.2006	28.12.2006		सीपीएचईईओ	सीएसएमसी	पहली किस्त जारी
65.	महाराष्ट्र	नासिक	जल निकासी/बरसाती जल नालियां	बरसाती जल निकासी	32833.00	27.06.2007	27.06.2007		सीपीएचईईओ	सीएसएमसी	मूल्यांकनाधीन
66.	महाराष्ट्र	पुणे	जल निकासी/बरसाती जल नालियां	पंपिंग स्टेशन की क्षमता बढ़ाना और उन्नयन करना	9795.00	13.02.2006	13.02.2006	23.03.2006	सीपीएचईईओ	सीएसएमसी	पहली किस्त जारी
67.	महाराष्ट्र	पुणे	ड्रेनेज/बरसाती पानी नाली	प्राकृतिक जलमार्गों को प्रदूषण से रोकथाम के लिए नालियों का निर्माण और सुधार और पुणे के साथ-साथ विरासत स्थलों का विकास (मुला मुथा नदी इकोलॉजी पर्यावरणीय बहाली/संरक्षण)	9996.00	17.03.2006	04.08.2006	31.08.2006	नीरी	सीएसएमसी	पहली किस्त जारी
68.	महाराष्ट्र	पुणे	ड्रेनेज/बरसाती पानी नाली	पुणे में सीवरेज और जल निकासी निपटान प्रणाली का नवीकरण और प्रबंधन (बेसिन का आवर्द्धन झीलों की बहाली बायोरेमेडिएशन और नाला तथा नदियों का पुनर्स्थापन)	9961.00	17.03.2006	04.08.2006	31.08.2006	नीरी	सीएसएमसी	पहली किस्त जारी
69.	महाराष्ट्र	पुणे	ड्रेनेज/बरसाती पानी नाली	निकासी प्रणाली प्रस्ताव संख्या 1 पिम्परी चिंचवाड़	7408.00	11.07.2006	25.07.2006	11.09.2006	नीरी		राज्य/शहर द्वारा रद्द
70.	महाराष्ट्र	पुणे	ड्रेनेज/बरसाती पानी नाली	निकासी प्रणाली प्रस्ताव संख्या 2 पिम्परी चिंचवाड़	4937.00	11.07.2006	25.07.2006	11.09.2006	हडको		राज्य/शहर द्वारा रद्द
71.	मेघालय	शिलांग	ड्रेनेज/बरसाती पानी नाली	शिलांग जल निकासी मास्टर प्लान	8449.00	19.01.2007	25.07.2007		सीपीएचईईओ		मूल्यांकनाधीन
72.	मेघालय	शिलांग	ड्रेनेज/बरसाती पानी नाली	शिलांग जल निकासी मास्टर प्लान	8449.15	17.04.2007	17.04.2007	04.05.2007	सीपीएचईईओ		संशोधन के लिए लौटाया गया
73.	नागालैंड	कोहिमा	ड्रेनेज/बरसाती पानी नाली	निकासी और सैंड स्लीप रक्षा	389.82	13.11.2006	17.07.2007		सीपीएचईईओ		मूल्यांकनाधीन
74.	तमिलनाडु	चेन्नई	ड्रेनेज/बरसाती पानी नाली	चेन्नई में विभिन्न स्थलों पर वर्षा जल निकासी का निर्माण	5508.00	22.01.2007	22.01.2007	13.02.2007	सीपीएचईईओ		संशोधन के लिए लौटाया गया
75.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	ड्रेनेज/बरसाती पानी नाली	भूमिगत जल निकासी स्कीम	16068.00	25.05.2006		26.05.2006	सीपीएचईईओ		राज्य/शहर द्वारा रद्द
76.	तमिलनाडु	मदुरै	ड्रेनेज/बरसाती पानी नाली	वर्षा जल नाला और प्राकृतिक नालियों की डी-सिल्टिंग (वर्षा जल नाला का सुधार और निर्माण)	20100.00	14.03.2007	14.03.2007	17.04.2007	सीपीएचईईओ	सीएसएमसी	पहली किस्त जारी
77.	उत्तर प्रदेश	आगरा	ड्रेनेज/बरसाती पानी नाली	आगरा के लिए वर्षा जल निकासी प्रणाली	10100.00	28.12.2006	29.12.2006	13.02.2007	सीपीएचईईओ		संशोधन के लिए लौटाया गया
78.	उत्तर प्रदेश	आगरा	ड्रेनेज/बरसाती पानी नाली	आगरा के लिए वर्षा जल निकासी प्रणाली फेज 1 (खंड 1, 2 और 3)	16884.20	04.07.2007	04.07.2007		सीपीएचईईओ		मूल्यांकनाधीन
79.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	ड्रेनेज/बरसाती पानी नाली	कानपुर में नाले का सुधार (खंड 1-3)	9673.00	03.07.2007	03.07.2007		सीपीएचईईओ		मूल्यांकनाधीन
80.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	ड्रेनेज/बरसाती पानी नाली	लखनऊ का वर्षा जल निकासी प्रणाली	11182.00	12.02.2007	12.02.2007	15.03.2007	सीपीएचईईओ		संशोधन के लिए लौटाया गया

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	ड्रेनेज/बरसाती पानी नाली	लखनऊ का वर्षा जल निकासी प्रणाली	48610.00	03.07.2007	03.07.2007		सीपीएचईईओ		मूल्यांकनाधीन
82.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	ड्रेनेज/बरसाती पानी नाली	लखनऊ का वर्षा जल निकासी प्रणाली (जोन-6)	11182.00	06.07.2007	06.07.2007		सीपीएचईईओ		मूल्यांकनाधीन
83.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	ड्रेनेज/बरसाती पानी नाली	वर्षा जल निकासी प्रणाली	28953.00	21.02.2007	21.02.2007	14.03.2007	सीपीएचईईओ		संशोधन के लिए लौटाया गया
84.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	ड्रेनेज/बरसाती पानी नाली	[illegible], [illegible], [illegible] और [illegible] के अंदर नालियों के एकीकरण को हटाने पर ट्रंक [illegible] स्कीम	4536.00	14.09.2006	14.09.2006	19.10.2006	सीपीएचईईओ	सीएसएमसी	पहली किस्त जारी
85.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	ड्रेनेज/बरसाती पानी नाली	हावड़ा में नाली का सुधार	9860.00	26.12.2006	27.12.2006	04.01.2007	सीपीएचईईओ	सीएसएमसी	पहली किस्त जारी
			कुल (लाख)		1056187.41						

विवरण II

दिनांक 14.8.2007 तक यूआईडीएसएसएमटी के तहत जल निकासी स्कीमों की राज्य/शहर-वार संचयी स्थिति

(लाख रु. में)

क्र.सं.	शहर	सीवरेज		वर्षा जल नाली		कुल परियोजनाओं की सं.		कुल अनुमोदित लागत	जारी एसीए की कुल राशि	जारी करने का वर्ष
		संस्वीकृत (कुल अनुमोदित लागत)	जारी (पहली किस्त)	संस्वीकृत (कुल अनुमोदित लागत)	जारी (पहली किस्त)	संस्वीकृत	जारी			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	आंध्र प्रदेश									
1.	मिर्यल्गुद	3493.00	1397.00			1.00	1.00	3493.00	1484.68	2006-07
2.	कदप	4915.00	1966.00			1.00	1.00	4915.00	1966.00	2006-07
3.	नलगोंडा	4688.00	1875.00			1.00	1.00	4688.00	2053.00	2006-07
4.	प्रोद्दुतुर	2973.00	0.00			1.00	1.00	2973.00	697.20	2006-07
5.	नर्सरोपेत	2641.00	1056.00			1.00	1.00	2641.00	1056.00	2006-07
6.	नगरि	983.00				1.00	1.00	983.00	1469.10	2006-07
7.	नांदयाल			216.00	89.64	1.00	1.00	216.00	89.64	
8.	चिरल			968.00	401.72	1.00	1.00	968.00	808.43	2006-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	निजामाबाद	8106.00	3363.99			1.00	1.00	8106.00	3363.99	2006-07
10.	करीम नगर	6237.00	2588.36			1.00	1.00	6237.00	2588.36	2006-07
11.	मचिलिपत्नम			5565.00		1.00	0.00	5565.00	0.00	
12.	अनकपल्लि			2222.00	922.13	1.00	1.00	2222.00	922.13	
13.	मेडक			262.00	108.73	1.00	1.00	262.00	108.73	
14.	बापटला			4896.00	2031.84	1.00	1.00	4896.00	2031.84	
	लागत	34036.00	12246.35	14129.00	3554.06			48165.00	15800.41	
	स्कीमों की संख्या	8.00	6.00	6.00	5.00	14.00	11.00			
	असम									
1.	तिनबर			828.85	385.41	1.00	1.00	829.85	385.41	2006-07
2.	पथसल			503.06	233.93	1.00	1.00	503.06	233.93	2006-07
3.	बोकखाट			545.74	253.77	1.00	1.00	545.74	253.77	2006-07
4.	धेकिअजुलि			582.61		1.00	0.00	582.61	0.00	
5.	हफ्रेन			613.62		1.00	0.00	613.62	0.00	
	लागत	0.00	0.00	3073.88	873.11			3073.86	873.11	
	स्कीमों की संख्या	0.00	0.00	5.00	3.00	5.00	3.00			
	हिमाचल प्रदेश									
1.	धरमशाला			190.18	78.93	1.00	1.00	190.18	78.93	
2.	हमीरपुर			334.12	138.66	1.00	1.00	334.12	138.66	
3.	मंडी			497.96	0.00	1.00	0.00	497.96	0.00	
	लागत	0.00	0.00	1022.26	217.59			1022.26	217.59	
	स्कीमों की संख्या	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	2.00			
	जम्मू-कश्मीर									
1.	डोडा			557.15	259.07	1.00	1.00	557.15	259.07	2006-07
2.	अखनूर			651.39	302.90	1.00	1.00	651.39	302.90	
3.	भद्रवह			822.55	382.49	1.00	1.00	822.55	382.49	2006-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	सुंदरबानी			1004.60	467.14	1.00	1.00	1004.60	467.14	2006-07
5.	सांबा			1013.66	471.35	1.00	1.00	1013.66	471.35	2006-07
6.	पुंछ			1271.35	591.18	1.00	1.00	1271.35	591.18	
7.	कठुआ			4089.00	1901.39	1.00	1.00	4089.00	1901.39	2006-07
	लागत	0.00	0.00	9409.70	4375.52			9409.70	4375.52	
	स्कीमों की संख्या	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00			
	कर्नाटक									
1.	दावनगेरे	336.00	139.44	5060.30	2100.02	2.00	2.00	5396.30	2239.46	2006-07
2.	पांडवपुर	602.09	249.87			1.00	1.00	602.09	249.87	2006-07
3.	लिंगपत्न	522.18	216.70			1.00	1.00	522.18	216.70	2006-07
4.	नंजंगुद	974.58	404.45			1.00	1.00	974.58	404.45	2006-07
5.	मलवल्ली	730.41	303.12			1.00	1.00	730.41	303.12	2006-07
6.	चन्नपटना	1311.00	544.06			1.00	1.00	1311.00	544.06	2006-07
7.	रंगम			1460.00		1.00	1.00	1460.00	0.00	
8.	शिकारीपुरा	1317.00	546.56			1.00	1.00	1317.00	546.56	2006-07, 2007-08
9.	होलेनरिसिपुर	303.00		800.00		2.00	0.00	1103.00	0.00	2006-07
10.	बस्वन बगेवाडी	844.00	350.26			1.00	1.00	844.00	350.26	2006-07, 2007-08
	लागत	6940.26	2754.46	7320.30	2100.02			14260.56	4854.48	
	स्कीमों की संख्या	9.00	8.00	3.00	1.00	12.00	9.00			
	केरल									
1.	चलक्कुडी	4978.00				1.00	1.00	4978.00	0.00	
	लागत	4978.00	0.00	0.00	0.00			4978.00	0.00	
	स्कीमों का नाम	1.00	0.00			1.00	0.00			
	मध्य प्रदेश									
1.	इटारसी	708.43	283.37			1.00	1.00	708.43	283.37	2006-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	बुदिन	195.05	78.02			1.00	1.00	195.05	78.02	2006-07
3.	रेहित	143.48	57.39			1.00	1.00	143.48	57.39	2006-07
4.	विदिशा	218.00	87.20			1.00	1.00	218.00	87.20	2006-07
5.	जओरा	294.25	117.70	27.60	11.04	2.00	2.00	321.66	128.74	2006-07
	लागत	1559.21	623.68	27.60	11.04			1586.81	634.72	
	स्कीमों की संख्या	5.00	5.00	1.00	1.00	6.00	6.00			
	महाराष्ट्र									
1.	लादूर			5531.00	2212.40	1.00	1.00	5531.00	2212.40	
2.	सांगली (डब्ल्यूएस, एस) मिराज, कुपवाद	6191.00				1.00	0.00	6191.00	0.00	
	सांगली, मिराज (डब्ल्यूएस, एस) कुपवाद	3379.00				1.00	0.00	3379.00	0.00	
3.	कोल्हापुर	3198.00	1327.17			1.00	1.00	3198.00	1327.17	2006-07
4.	सानेर	631.50	262.07			1.00	1.00	631.50	262.07	2006-07
5.	शिर्दि	2426.00	1006.79			1.00	1.00	2426.00	1006.79	2006-07
6.	आमबाद	811.00	336.57			1.00	1.00	811.00	336.57	2006-07
7.	मालेगांव	12254.00				1.00	1.00	12254.00	0.00	2006-07, 2007-08
8.	बीद	1977.00				1.00	1.00	1977.00	0.00	
9.	अमरावती	16004.00				1.00	1.00	16004.00	0.00	
10.	सतारा	3970.00				1.00	1.00	3970.00	0.00	
11.	वाशिम			1432.00		1.00	1.00	1432.00	0.00	
12.	दपोली			909.00		1.00	1.00	909.00	0.00	
13.	पंढरपुर			3175.00		1.00	0.00	3175.00	0.00	
14.	कतोल			1592.00		1.00	0.00	1592.00	0.00	
15.	अकोला			13275.00		1.00	0.00	13275.00	0.00	
	लागत	50841.50	2932.60	25914.00	2212.40			76755.50	5145.00	
	स्कीमों की संख्या	10.00	4.00	6.00	1.00	16.00	5.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	राजस्थान									
1.	प्रतापगढ़			148.03	61.43	1.00	1.00	148.03	61.43	
2.	जालौर	1066.31	442.51			1.00	1.00	1066.31	442.51	2006-07
3.	झालावार-झालरापाटा	1904.02	790.17			1.00	1.00	1904.02	790.17	2006-07
4.	सुमेरपुर	927.74	385.02			1.00	1.00	927.74	385.02	2006-07
5.	रामगंज मंडी			148.97	61.83	1.00	1.00	148.97	61.83	
6.	मंग्रोले			292.30	121.31	1.00	1.00	292.30	121.31	
7.	बूंदी			624.22	259.05	1.00	1.00	624.22	259.05	
	लागत	3898.07	1617.70	1213.52	503.62			5111.59	2121.32	
	स्कीमों की संख्या	3.00	3.00	4.00	4.00	7.00	7.00			
	तमिलनाडु									
1.	डिंडिगुल			343.00	137.20	1.00	1.00	343.00	137.20	
2.	मरैमलैनगर	375.00	150.00			1.00	1.00	375.00	150.00	2006-07
3.	ममल्लपुरम	608.00	243.20			1.00	1.00	608.00	243.20	2006-07
4.	थिरूचेंदुर	1122.00				1.00	1.00	1122.00	0.00	
5.	लेबैकुटिकदु	99.70				1.00	1.00	99.70	0.00	
	लागत	2204.70	393.20	343.00	137.20			2547.70	530.40	
	स्कीमों की संख्या	4.00	2.00	1.00	1.00	5.00	3.00			
	उत्तर प्रदेश									
1.	फिरोजाबाद	8691.66	3607.04			1.00	1.00	8691.66	3607.04	2006-07, 2007-08
2.	मैनपुरी	4874.18	2022.78			1.00	1.00	4874.18	2022.78	2006-07
3.	बलिया	4472.31	1856.01			1.00	1.00	4472.31	1856.01	2006-07, 2007-08
	लागत	18038.15	7485.83	0.00	0.00			18038.15	7485.83	
	स्कीमों की संख्या	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	पश्चिम बंगाल									
1.	सिलिगुडी			3386.39	1405.36	1.00	1.00	3386.39	1405.36	2007-08
2.	बलुरघाट			1535.90	637.40	1.00	1.00	1535.90	637.40	2007-08
	लागत	0.00	0.00	4922.29	2042.76			4922.29	2042.76	
	स्कीमों की संख्या	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00			
	दादर एवं नगर हवेली									
1.	सिल्वासा	1239.25				1.00	1.00	1239.25	0.00	
	लागत	1239.25	0.00			1.00	0.00	1239.25	0.00	
	स्कीमों की संख्या	1.00	0.00			1.00	0.00			
	दमन एवं दीव (यूटी)									
1.	दमन (मोती दमन एवं ननि दमन)	942.37				1.00	0.00	942.37	0.00	
	लागत	942.37						942.37	0.00	
	स्कीमों की संख्या	1.00	0.00			1.00	0.00			
	उड़ीसा									
1.	सम्बलपुर	593.23	246.20			1.00	1.00	593.23	246.20	2006-07
	लागत	593.23	246.20					593.23	246.20	
	स्कीमों की संख्या	1.00	1.00			1.00	1.00			
	कुल लागत	125270.74	28300.02	67375.55	16027.32			192646.29	44327.34	
80.	स्कीमों की संख्या	46	32	38	27	84	59			

विवरण III

पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लिए 10% एकमुश्त प्रावधान

10% एकमुश्त प्रावधान स्कीम के अंतर्गत विचाराधीन जल निकास प्रणाली का सुधार संबंधी प्रस्ताव इस प्रकार है:

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना लागत
1.	वर्षा जल निकास, करीमगंज, असम	1184.00
2.	गंगटोक, सिक्किम में क्षेत्र विकास, जल निकास, एप्रोच सड़क के सम्बद्ध कार्यों सहित लाल बाजार शापिंग काम्पलैक्स के फेज-2 (तीसरा एवं चौथा तल) के शेष कार्य का निर्माण	243.00

वर्ष 2006-07 के दौरान 10% एकमुश्त प्रावधान स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत जल निकासी प्रणाली का सुधार संबंधी प्रस्ताव इस प्रकार है:

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	जारी राशि
1.	धेमाजी कस्बा, असम के लिए जल निकास प्रणाली (निष्पादन अभिकरण राज्य सरकार)	1095.30	365.10
2.	सिलचर वर्षा जल निकास परियोजना (फेज-1) असम (निष्पादन अभिकरण राज्य सरकार)	1700.70	425.18
3.	नहरलागून, अरुणाचल प्रदेश में वर्षा जल निकास स्कीम (राज्य सरकार)	656.13	218.78
4.	टिनसुकिया मास्टर प्लान क्षेत्र वर्षा जल निकास स्कीम फेज-1, असम (राज्य सरकार)	1252.00	417.00

नया कंपनी अधिनियम

***90. श्री सुब्रत बोस:** क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कंपनी अधिनियम, 1956 का निरसन करके इसके स्थान पर नया कंपनी अधिनियम लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अधिनियम का निरसन करने के क्या कारण हैं; और

(ग) कंपनी अधिनियम के बदलने से कंपनियों द्वारा निवेशकों के साथ की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने में कितनी सहायता मिलने की संभावना है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) से (ग) सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 के व्यापक संशोधन तथा विधान बनाए जाने हेतु एक नये विधेयक की तैयारी संबंधी कार्य शुरू किया है जिससे कारपोरेट एनिटिटिज को बदलते आर्थिक परिप्रेक्ष्य के साथ तालमेल करने में, स्व-विनियमन सहित बेहतर नियमित शासन को बढ़ावा देने तथा निवेशकों और अन्य पणधारकों के हित संरक्षण में सामर्थ्य मिलेगा।

प्रस्तावित विधान में निगमित किये जाने हेतु विचारार्थ विधायी ढांचे के तहत कंपनियों द्वारा ई-गवर्नैंस के माध्यम से प्रकटीकरणों की बेहतर पद्धति के द्वारा निगमित संचालन में पारदर्शिता लाकर कंपनियों द्वारा किये जाने वाले धोखाधड़ियों को रोके जाने और रोकथाम होने की संभावना है जिससे कारपोरेट स्वामित्वों और प्रबंधन पर कानून के बेहतर अनुपालन के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेयता होगी।

काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठन

***91. श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय ने काफी संख्या में गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में डाला है और उनके विरुद्ध मामले दर्ज किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध कितने मामले दर्ज किए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठनों को ऐसा किए जाने के बाद भी धनराशि जारी की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार को ऐसे गैर-सरकारी संगठनों से धन वसूल करने में सफलता मिली है; और

(च) यदि नहीं, तो उनसे धन वसूल करने में क्या कठिनाई आ रही है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) 'लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट)' जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में एक स्वायत्तशासी निकाय है, ने अब तक 769 गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को काली सूची में डाला है। राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) काली सूची में डाले गए संगठनों में से 129 एनजीओ के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं जिनका ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। 10 मामले सीबीआई को जांच के लिए भेज दिए गए हैं। सूची विवरण-IIक में संलग्न है।

(ग) जी, हां। काली सूची में डाले जाने के बाद भी 5 एनजीओ को निधियां रिलीज की गई हैं। ऐसा 1991-92 से 1995-96 के दौरान हुआ। ब्यौरा विवरण-IIख में दिया गया है।

(घ) अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) कपार्ट में काली सूची में डाले गए 30 एनजीओ से 27.11 लाख रु. की वसूली की है जिसका ब्यौरा विवरण-IV में दिया गया है।

(च) अधिकांश मामले काफी पुराने हैं और गैर-सरकारी संगठनों एवं उनके पदाधिकारियों से पते बदल गए हैं। इसलिए कपार्ट को इन संगठनों का पता लगाने में कठिनाई हो रही है। अन्य मामलों में, एनजीओ के कार्य संचालन का क्षेत्र और उनके पंजीकृत कार्यालय अलग-अलग स्थानों में स्थित हैं। ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने की दृष्टि से पुलिस थाने का उपयुक्त अधिकार क्षेत्र निर्धारित करने में विलंब हो रहा है।

विवरण I

काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठनों के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	काली सूची में डाले गए एनजीओ की सं.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	178
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	1
4.	बिहार	123
5.	छत्तीसगढ़	1
6.	दिल्ली	21
7.	गुजरात	14
8.	हरियाणा	20
9.	हिमाचल प्रदेश	6
10.	जम्मू-कश्मीर	4
11.	झारखण्ड	8
12.	कर्नाटक	72
13.	केरल	33
14.	मध्य प्रदेश	14
15.	महाराष्ट्र	24
16.	मणिपुर	11
17.	मेघालय	1
18.	मिजोरम	4
19.	नागालैंड	10
20.	उड़ीसा	20
21.	पांडिचेरी	2
22.	राजस्थान	33
23.	तमिलनाडु	75
24.	उत्तर प्रदेश	70
25.	उत्तरांचल	1
26.	पश्चिम बंगाल	22
	कुल	769

विवरण II

31.7.2007 की स्थिति के अनुसार काली सूची में डाले गए उन गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ मुकदमों के राज्य-वार ब्यौरे, जिनमें एफआईआर दर्ज किए गए हैं

क्षेत्रीय समितियों के नाम	राज्य का नाम	ऐसे मुकदमों की संख्या जिनमें एफआईआर दर्ज किए गए हैं
1	2	3
धनबाद	कर्नाटक	12
	केरल	3
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	17
	तमिलनाडु	–
अहमदाबाद	महाराष्ट्र	4
जयपुर	राजस्थान	7
	मध्य प्रदेश	3
	दिल्ली	7
लखनऊ	उत्तर प्रदेश	5
	उत्तरांचल	–
पटना	बिहार	43
	झारखंड	–
चंडीगढ़	हरियाणा	9
गुवाहाटी	असम	1
	नागालैंड	6
	मणिपुर	4
	मिजोरम	–
भुवनेश्वर	उड़ीसा	3
	पश्चिम बंगाल	5
	कुल	129

विवरण IIक

जांच के लिए सीबीआई को भेजे गए मामलों की सूची

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम	फाईल सं.	कपार्ट से सहायता/स्वीकृत राशि (रु.)/तारीख	रिलीज की गई राशि (रु.)/तारीख
1	2	3	4	5
1.	आदर्श जन कल्याण केन्द्र, पो.-गंगापुर, जहानाबाद, बिहार	पीसी/बीआईएच/19/35/2002	4,51,000 18.2.2003	2,26,521 27.3.2003
2.	बिहार सामाजिक विकास समिति, ई-29, पीसी कालोनी, लोहियानगर, कंकड़बाग, पटना, बिहार	पीसी/बीआईएच/19/44/2002	6,52,000 24.12.2002	6,51,476 13.1.2003 और 1.10.2003
3.	भूमिका वैशाली, पो.-हरपुर, फटिकवाड़ा महनार, जि.-वैशाली, बिहार	पीसी/बीआईएच/19/112/2001	8,54,775 5.3.2002	8,54,775 27.3.2002 और 26.3.2003
4.	कल्याण उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान समिति, ग्राम बाहपाड़ा, बिहटा, जि.-पटना, बिहार	आर्ट्स/बीआईएच/19/4/2002	3,91,000 21.11.2002	3,91,000 16.12.2002 और 21.10.2003

1	2	3	4	5
5.	मावन जागृति ग्रा. मगुराही, हाजीपुर, वैशाली बिहार	पीसी/बीआईएच/19/101/2002	5,12,000 24.4.2003	2,43,028 7.8.2003
6.	ग्रामश्री खादी विकास संस्था, ग्रा. भूस्की, पो.-खुसरूपुर, पटना, बिहार	पीसी/बीआईएच/19/160/2001	5,74,000 27.3.2002	5,73,765 15.5.2002 और 2.8.2002
		पीसी/बीआईएच/19/229/2002	14,50,000 24.4.2003	14,50,000 29.5.2003 और 22.10.2003
		पीसी/बीआईएच/19/24/2003	15,93,218 18.10.2003	7,82,240 17.12.2003
7.	डा. हेडगेवार स्मारक समिति, ग्रा.पो. रामपुर चौरम, अरवल, जि.-जहानाबाद, बिहार	पीसी/बीआईएच/19/280/2002	5,91,442 29.10.2003	3,18,625 20.1.2004
8.	वैद्यनाथन महिला संस्कृति मंच, श्रीनिकेतन, अबुलेस लेन, मछुआ टोली, पटना, बिहार	आर्ट्स/बीआईएच/19/7/2002	3,30,000 20.12.2002	1,70,000 13.1.2003
9.	महिला एवं बाल उत्थान संस्थान, पो.-सिंघवाड़ा, ब्लाक लालपुर, दरभंगा, बिहार	पीसी/बीआईएच/19/255/2001	7,00,000 19.8.2003	4,50,000 20.12.2003
10.	सोसायटी फार एडवांसमेंट आफ ह्यूमन रिसोर्सेज, पी-1/18, विद्यापुरी, कंकडबाग, लोहियानगर, पटना, बिहार	पीसी/बीआईएच/19/121/2002	5,39,000 23.4.2003	2,71,722 8.8.2003

विवरण IIख

गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में डालने के बाद उन्हें रिलीज की गई निधियां

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम एवं पता	मंजूरी दिए जाने का वर्ष	काली सूची में डाले जाने का वर्ष	वित्तपोषण का वर्ष	काली सूची में डाले जाने के बाद रिलीज की गई निधियां
1.	सर्वोदय आश्रम, नालंदा, बिहार	1994-95	1989	1994	5,18,704
2.	निर्मला वीकर सेक्शन महिला, मंडी, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	1991-92	1992	1993	2,34,875
3.	मगध सोशल डेवलपमेंट सोसायटी, पटना	1994-95	1992	1993	5,18,704
4.	विजय वारंगल ट्रस्ट, महाराष्ट्र	1993-94	1994	1994	1,25,575
5.	पझाकुलम सोशल सर्विस सोसायटी, केरल	1995-96	1992	1995	37,02,788

विवरण III

प्रारंभ से लेकर जुलाई, 2007 तक कपार्ट के उन अधिकारियों की सूची, जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है और जिन्हें काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि मंजूर करने के लिए दंडित किया गया है

क्र.सं.	आरोपित अधिकारी का नाम	आरोप की प्रकृति (स्वैच्छिक संगठन तथा राशि)	विभागीय जांच के निष्कर्ष	दिया गया दंड
1	2	3	4	5
1.	श्री सी. मिंज, सेवानिवृत्त निदेशक, सं. 14-27/99-एईडी	काली सूची में डाले गए स्वैच्छिक संगठन को निधियों की रिलीज (5,18,704 रु.)	श्री सी. मिंज के खिलाफ लगाया गया आरोप जांच अधिकारी द्वारा साबित नहीं किया जा सका। जांच अधिकारी की रिपोर्ट स्वीकार की गई तथा उन्हें जनवरी, 1999 में आरोप से मुक्त कर दिया गया। (श्री आर.एस. नागपाल, जांच अधिकारी)	11.1.99 को आरोप से मुक्त किया गया। (श्री रंगन दत्ता, डीजी)
2.	श्री सुरेन्द्र सिंह, निदेशक सं. 14-20/95-एईडी	काली सूची में डाले गए स्वैच्छिक संगठन को निधियों की रिलीज (2,34,875 रु.)	आरोप सिद्ध हुआ। सक्षम प्राधिकारी ने दंडित किया। (श्री ए.के. गार्डे, जांच अधिकारी)	दो वर्षों की अवधि के लिए समय वेतनमान में दो स्तरों तक वेतन में कटौती का अर्थ दंड और साथ ही यह निदेश दिया गया कि वेतनमान की कटौती के दौरान और इस अवधि की समाप्ति के पश्चात उसे कोई वेतनवृद्धि नहीं मिलेगी। इस कटौती से 10.3.2000 को होने वाली वेतनवृद्धि रद्द हो जाएगी। (श्री रंगन दत्ता, डीजी, ईसी के अनुमोदन से)
3.	श्री ओम प्रकाश, सहायक निदेशक, सं. 14-27/97-एईडी	काली सूची में डाले गए स्वैच्छिक संगठन को निधियों की रिलीज (5,18,704 रु.)	लगाया गया आरोप जांच अधिकारी द्वारा साबित नहीं किया जा सका। जांच अधिकारी की रिपोर्ट स्वीकार की गई तथा उन्हें जनवरी, 1999 में आरोप से मुक्त कर दिया गया। (श्री आर.एस. नागपाल, जांच अधिकारी)	11.1.99 को आरोप से मुक्त किया गया। (श्री रंगन दत्ता, डीजी)
4.	श्री एस.डी. सिंह, सहायक निदेशक, सं. 14-8/98-एईडी	काली सूची में डाले गए स्वैच्छिक संगठन को निधियों की मंजूरी एवं रिलीज (36.00 लाख रु.)	आरोप सिद्ध हुआ। सक्षम प्राधिकारी ने दंडित किया। (श्री ए.के. गार्डे, जांच अधिकारी)	संचयी प्रभाव से एक वर्ष की अवधि के लिए एक वेनतवृद्धि की कटौती का अर्थदंड जिसे 5.8.2004 से लागू किया गया है। (श्री कोमल आनंद, डीजी, ग्रामीण विकास मंत्री (के अनुमोदन से)

1	2	3	4	5
5.	श्री वाई. भक्त, आरओ, सं. 14-66/एईडी	काली सूची में डाले गए स्वैच्छिक संगठन को निधियों की रिलीज (5,18,704 रु.)	आरोप सिद्ध हुआ। सक्षम प्राधिकारी ने दंडित किया। (श्री ए.के. गार्डे, जांच अधिकारी)	27.8.2001 को एक वेनतवृद्धि रोकने का लघु अर्थदंड। (श्री रंगन दत्ता, डीजी)
6.	श्री वाई. भक्त, आरओ, सं. 14-35/96-एईडी	एफएएस स्वैच्छिक संगठन को निधियों की रिलीज (2.21 लाख रु.)	जांच अधिकारी ने जांच के उपरांत पाया कि आरोप सही नहीं है (श्री ए.एन. कपूर, आईओ)	बिना कोई सजा दिए मामले को 10.1.2000 को बंद कर दिया गया (श्री अशोक ठाकुर, डीडीजी)
7.	श्री ए.आर.आर. पिल्लई, आरओ सं. 14-8/98-एईडी	काली सूची में डाले गए स्वैच्छिक संगठन को स्वीकृत और रिलीज की गई राशि (36.00 लाख रु.)	आरोप सिद्ध हुआ। सक्षम प्राधिकारी ने सजा दी। (श्री ए.के. गारडे, आईओ)	संचयी प्रभाव से तीन वर्ष की अवधि के लिए निचले स्तर तक तीन वेतनवृद्धि की कटौती का अर्थदंड जिसे 5.8.2004 से लागू किया गया है। (श्री कोमल आनंद, डीजी, ग्रामीण विकास मंत्री के अनुमोदन से)
8.	श्री पी.के. गुप्ता सं. 14(34) 99-एईडी	स्वैच्छिक संगठन को दूसरी किस्त के रूप में 125575 रु. उस समय रिलीज किए गए थे जब इसे कपार्ट की काली सूची में डाला गया था (1,25,575 रु.)	जांच अधिकारी के निष्कर्ष को स्वीकार किया गया तथा उसे 22.11.2005 को सीसीएस (सीसीए) नियम की धारा 14 के तहत आरोप से मुक्त किया गया (श्री इंद्र सिंह, आईओ)	22.11.2005 को आरोप रद्द कर दिया गया। (डा. कमल टावरी, डीजी)
9.	श्री एम.पी. सिंह, आरओ, सं. 14-66/99-एईडी	काली सूची में डाले गए स्वैच्छिक संगठन को रिलीज की गई राशि (1,01,200 रु.)	आरोप सिद्ध हुआ। सक्षम प्राधिकारी ने सजा दी। (श्री ओ.पी. गुप्ता, आईओ)	सीओ पर लघु अर्थदंड लगाया गया। 28.3.2002 को आदेश जारी किया गया। मामला पूरा हुआ और बंद कर दिया गया (श्री रंगन दत्तर, डीजी)
10.	श्री एस.के. दास, आरओ, सं. 14-54/99-एईडी	काली सूची में डाले गए स्वैच्छिक संगठन को रिलीज की गई राशि (1,02,788 रु.)	आरोप सिद्ध नहीं हुआ और सक्षम प्राधिकारी जांच अधिकारी के निष्कर्षों तथा दिए गए दंड से सहमत नहीं था। (श्री आर.के. धीर, आईओ)	भारी अर्थदंड लगाया गया। 23.9.2002 को 2 वर्ष की अवधि के लिए निचले स्तर तक एक वेतनवृद्धि की कटौती। (श्री जे.एस. गिल, डीजी) ग्रामीण विकास मंत्री के अपीलीय प्राधिकरण अर्थदंड को कम किया और 26.3.2004 को निंदा प्रस्ताव किया।

विवरण IV

काली सूची में डाले गए संगठनों से वसूली गई राशि का ब्यौरा (30.7.2007 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम और पता	वसूली गई राशि
1	2	3
1.	सामरितन सोसायटी आफ मिजौरम, बुंगकावन, जि. आइजोल, मिजोरम	17,727
2.	प्रिया सामाजिक कल्याण सेवा समिति, हाउस आफ योगेश लामटे 203, अंसार कालोनी एमआईजी, बीएच-पुलिस स्टेशन	1,49,500
3.	अम्बेडकर युवाजन संघम, गांधीनगर, निडाडावालु, जि. डब्ल्यूजी, आंध्र प्रदेश	10,000
4.	तरामरला इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल तरामरला, सत्य साईं तालुक, जि. अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	2,57,020
5.	आर्टिजन्स इंडिया इंटीग्रेटेड फाउंडेशन, बी-50, एसबीएच कालोनी, सैदाबाद, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	60,000
6.	मल्टीपर्पस सोशल डेवलपमेंट सोसायटी, ग्राम-गुंडीपतली, डुग्गान्नागराईएल्ली टीक्यू, पुलिवेंडाला, जि. कुडप्पा, आंध्र प्रदेश	55,800
7.	सोसायटी फार नेचुरल स्टडीज, 206, खन्ना पुरामहावेली, इंडस्ट्रीयल एरिया, जि. खम्माम, आंध्र प्रदेश	15,000
8.	किशोरी शिक्षण एवं प्रशिक्षण औद्योगिक संस्थान, कुंभाहेरी, ब्लाक-नागर, जि. भरतपुर, राजस्थान	22,500
9.	लोक सेवा दल, 137, पुचन्द हेल्थक्लब, एमटी, जि. रोहतक, हरियाणा	12,800
10.	थ्रिक्काडावूर फिश कल्टीवेटिंग सोसायटी, कुरीपुझा, पोपेरीनाड, जि. क्विलोन, केरल	79,800
11.	यूथ एसोसिएशन फार रूरल डेवलपमेंट, ग्राम-बेहटा, बुलंदशहर, उ.प्र.	40,500
12.	युवा एवं बाल विकास समिति, राम गुलाब टोला, जि. देवरिया, उ.प्र.	2,89,800
13.	नूतन ग्राम विकास समिति, ग्राम/पो. गोहावर, जि. बिजनौर, उ.प्र.	26,971
14.	खादी ग्रामोद्योग सेवा सदन, ग्राम/पो. खेमपुर, जि. रामपुर, उ.प्र.	29,400

1	2	3
15.	खादी ग्रामोद्योग विकास समिति, ग्राम-सलकाना, पो. चौकिनी, जि. मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	3,05,281
16.	श्री विद्यानाथ विद्यालय समिति, डी-428, राजाजी पुरम, जि. लखनऊ, उ.प्र.	26,000
17.	विवेकानंद चाइल्ड वेलफेयर होम, ग्राम/पो. काकद्वीप, जि. 24 परगना, पश्चिम बंगाल	2,90,000
18.	आशा वेलफेयर सोसायटी, ग्राम/पो. गणेश नगर, विनामखाना, जि. दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल	83,467
19.	नारी ओ शिशु कल्याण समिति, गणेशनगर, विनामखाना, 24 परगना, पश्चिम बंगाल	82,382
20.	आल इंडिया समाजोत्थान समिति, ए-3-51/1, एलआईजी, रोहिणी, सेक्टर-7, दिल्ली	83,788
21.	समाज सुधार सोसायटी, एफ-18, धरमपुरा, नजफगढ़, नई दिल्ली-43	84,350
22.	विकास एजुकेशनल सोशल वेलफेयर सोसायटी, 456/एस-1, विकासपुरी, नई दिल्ली	63,100
23.	अंबा सामाजिक विकास संस्थान, हरिगंज, पटना सिटी, जि. पटना, बिहार	27,500
24.	रश्मिरथी नव चेतना समिति, एच.क्यू. रश्मि ज्योति भवन, नया जनकपुर, जीपीयू पटना, बिहार	48,000
25.	दरभंगा जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, एच.ओ. बेटा रोड, पो. लाहेरिया सराय, जि. दरभंगा, बिहार	6,700
26.	कमला नेहरू समाज कल्याण केंद्र, गोपालगंज, सासाराम, जि. रोहतास	1,56,633
27.	कलेक्टिव रूरल आपरेशन आफ द पुअर, 2-86 द्वारा-पोतेदार, नरसम्बुलू, एपीएसईबी सब स्टेशन, परिगी, जि. रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश	2,47,500
28.	श्री योगानंद शिक्षण प्रसारक मंडल, महाराष्ट्र	71,000
29.	ब्राइटर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, आंध्र प्रदेश	58,475
30.	श्री लक्ष्मी हरिजन महिला मंडली, आंध्र प्रदेश	10,000
	कुल	27,10,994

जलापूर्ति बढ़ाने संबंधी योजनाएं

*92. प्रो. एम. रामदास:
श्री मदन लाल शर्मा:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जलापूर्ति बढ़ाने संबंधी कितनी योजनाएं प्राप्त हुई हैं और राज्य-वार कितनी योजनाएं केंद्र सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई ऐसी योजनाओं और उनके लिए आवंटित की गई धनराशियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार लम्बित योजनाओं की शीघ्र मंजूरी के लिए कोई विशिष्ट कार्रवाई कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) केन्द्र सरकार को विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से, जलापूर्ति बढ़ाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो इस प्रकार हैं:-

(1) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन का शहरी अवस्थापना तथा शासन संबंधी घटक:-

इस मिशन के आरंभ होने से लेकर अब तक, जल आपूर्ति सेक्टर के अंतर्गत 123 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, जिनके ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की सं.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	19
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	बिहार	1
4.	चंडीगढ़	2
5.	छत्तीसगढ़	2
6.	दिल्ली	10
7.	गुजरात	12
8.	जम्मू-कश्मीर	1
9.	कर्नाटक	4
10.	केरल	2
11.	मध्य प्रदेश	3
12.	महाराष्ट्र	24
13.	मेघालय	1
14.	पंजाब	1
15.	राजस्थान	2
16.	तमिलनाडु	15
17.	उत्तर प्रदेश	9
18.	पश्चिम बंगाल	14
	कुल	123

6128.68 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत वाली 68 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं और इन परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त के रूप में 569.45 करोड़ रु. जारी किए जा चुके हैं। जल आपूर्ति सेक्टर में अनुमोदित परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। योजना आयोग द्वारा जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत किए गए धन नियतन के राज्यवार ब्यौरे विवरण-II में हैं।

2. छोटे तथा मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम:

छोटे तथा मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम के अंतर्गत 439497.531 लाख रुपये की कुल लागत वाली जल आपूर्ति की 230 परियोजनाओं का अनुमोदन किया जा चुका है और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की गई प्राथमिकता के अनुसार 96806.966 लाख रुपये की रकम अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जा चुकी है। पिछले तीम वर्षों के दौरान जल आपूर्ति स्कीम का राज्यवार ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

शेष 74 जल आपूर्ति स्कीमों के लिए 78992.05 लाख रुपये की पात्र अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में पहली किस्त देने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है तथा निधियां उपलब्ध होने पर राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त दे दी जाएगी।

3. त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम:

इस स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान जल आपूर्ति की वृद्धि से संबंधित जो स्कीमें प्राप्त हुई तथा उनके लिए जो धनराशियां आबंटित और जारी की गई हैं उनका राज्यवार ब्यौरा विवरण-IV में दिया गया है।

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम का विलय छोटे तथा मझोले कस्बों के लिए 3 दिसम्बर, 2005 को शुरू की गई शहरी अवस्थापना विकास स्कीम में कर दिया गया है। इस प्रकार त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कोई नया परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो रहा है।

4. पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लिए 10 प्रतिशत एकमुश्त प्रावधान:

सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के कस्बों के लाभ के लिए स्कीमें/परियोजनाएं इस स्कीम के अंतर्गत शुरू की जाती हैं।

10 प्रतिशत एकमुश्त प्रावधान स्कीम के अंतर्गत जल आपूर्ति की वृद्धि हेतु विचाराधीन और स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा विवरण-V में है।

विवरण I

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवसंरचना और शासन घटक के तहत जलापूर्ति के संबंध में अनुमोदित परियोजनाएं और जारी राशि

क्र.सं.	राज्य	शहर	सेक्टर	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)	अनुमत्य केन्द्रीय अंश (लाख रु. में)	जारी करने के लिए अनुमोदित केन्द्रीय अंश (लाख रु. में)	संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की तारीख	जारी केन्द्रीय अंश (लाख रु. में)	जारी करने की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	राजस्थान	अजमेर-पुष्कर	जल आपूर्ति	अजमेर शहर के लिए जलापूर्ति	18873.00	15098.4	3774.60	06.10.2006	2400.00	20.12.2006
2.	गुजरात	अहमदाबाद	जल आपूर्ति	नर्मदा मेन नहर से कोटापुर डब्ल्यूटीपी तक पाइप लाइन, कोटरपुर के पास साबरमती नदी में 330 एमएलडी इन्टेक वैल, रासका में जल शोधन संयंत्र	5383.25	1884.137	471.00	21.03.2006	300.00	29.03.2006
3.	पंजाब	अमृतसर	जल आपूर्ति	अमृतसर के लिए जल आपूर्ति सीवरेज एवं सीवेज शोधन	17934.00	8967	2241.75	19.09.2006	2241.75	20.12.2006
4.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	जल आपूर्ति	जलाशय, वितरण तंत्र तथा अन्य संबद्ध कार्यों के साथ 7 एमजीडी डब्ल्यूटीपी	2878.00	1439	359.75	28.06.2006	359.75	22.11.2006
5.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	जल आपूर्ति	पश्चिम बंगाल में आसनसोल शहरी क्षेत्र के तहत रानी गंज में 42 एमएलडी जल आपूर्ति परियोजना	3627.00	1813.5	453.38	25.10.2006	453.38	19.7.2006
6.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	जल आपूर्ति	आसनसोल शहरी क्षेत्र के तहत जमुरिया में 22.7 एमएलडी जल आपूर्ति परियोजना, पश्चिम बंगाल	1453.00	726.5	181.63	25.10.2006	181.63	22.11.2006
7.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	जल आपूर्ति	आसनसोल नगर निगम के लिए जल आपूर्ति स्कीम	8982.96	4491.48	1122.87	22.02.2007	1122.87	31.03.2007
8.	मध्य प्रदेश	भोपाल	जलापूर्ति	गैस प्रभावित क्षेत्रों में जलापूर्ति	1418.00	709	177.29	21.03.2006	177.29	29.03.2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	कर्नाटक	बंगलौर	जलापूर्ति	सीडब्ल्यूएसएस स्टेज-4 फेज-1 से 100 एमएलडी अतिरिक्त पानी की वृद्धि	1226.00	429.1	85.82	08.12.2006	85.82	20.12.2006
10.	कर्नाटक	बंगलौर	जलापूर्ति	बंगलौर जल ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए बल्क फ्लो मीटरिंग प्रणाली	1531.00	535.85	107.17	08.12.2006	107.17	20.12.2006
11.	तमिलनाडु	मदुरै	ठोस कचरा प्रबंधन	मदुरै के लिए ठोस कचरा प्रबंधन	11374.30	5687.15	1421.79	28.12.2006	1421.79	15.01.2007
12.	चंडीगढ़ (संघ शासित)	चंडीगढ़	जल आपूर्ति	चंडीगढ़ में हरित क्षेत्रों की सिंचाई हेतु तृतीयक शोधित सीवेज के संग्रहण द्वारा पेयजल का संरक्षण	3672.60	2938.08	734.52	25.08.2006	734.52	23.05.2007
13.	चंडीगढ़ (संघ शासित)	चंडीगढ़	जल आपूर्ति	चंडीगढ़ में 24 घंटे जलापूर्ति हेतु रिमोट कंप्यूटरीकृत निरीक्षण सिस्टम के साथ उपयुक्त मानीटरिंग और आटोमेशन के लिए उपयुक्त जलापूर्ति अवसंरचनाओं का अद्यतन	2026.00	1620.8	405.20	25.08.2006	405.20	23.05.2007
14.	तमिलनाडु	चेन्नई	जल आपूर्ति	चेन्नई में जलापूर्ति प्रणाली में सुधार	32200.00	11270	2817.50	24.11.2006	2817.50	15.12.2006
15.	तमिलनाडु	चेन्नई	जल आपूर्ति	चेन्नई में आईटी कारीडोर के साथ जल आपूर्ति एवं सीवरेज प्रणाली अवस्थापना (7 पैकेज)	4177.00	1461.95	365.49	22.12.2006	365.49	23.01.2007
16.	तमिलनाडु	चेन्नई	जल आपूर्ति	तंबरम नगरपालिका में जल आपूर्ति का सुधार	3261.60	1141.56	285.39	08.01.2007	285.39	23.01.2007
17.	तमिलनाडु	चेन्नई	जल आपूर्ति	मिंजूर में समुद्री जल डीसेलीनेशन संयंत्र	8780.00	7024	1756.00	02.02.2007	1756.00	07.03.2007
18.	तमिलनाडु	चेन्नई	जल आपूर्ति	पोरूर नगर पंचायत के लिए जलापूर्ति सुधार	1235.79	432.5265	108.13	18.05.2007	108.13	13.06.2007
19.	तमिलनाडु	चेन्नई	जल आपूर्ति	मदुरावायल के लिए जलापूर्ति सुधार	2330.00	815.5	203.88	20.07.2007	0	
20.	केरल	कोचीन	जल आपूर्ति	कोच्चि भाग-1 के लिए जलापूर्ति प्रणाली	20117.00	10058.5	2514.65	22.02.2007	502.92	28.03.2007
21.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जलापूर्ति	साहेब नगर टीबीआर से प्रशासन नगर तक पाइप लाइन के लिए डीपीआर	9493.00	3322.55	831.00	27.03.2006	831.00	29.03.2006
22.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जलापूर्ति	कृष्णा नगर से सिकन्दराबाद का डायवर्जन	8120.00	2842	710.50	27.03.2006	710.50	29.03.2006
23.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जलापूर्ति	मुसी के उत्तर में अतिरिक्त संग्रहण सुविधाओं में ग्रीड-कार्य का सुधार	2981.00	1043.35	260.84	19.09.2006	260.83	13.10.2006
24.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जलापूर्ति	मुसी के दक्षिण में अतिरिक्त संग्रहण सुविधाओं में ग्रीड कार्य का सुधार	3355.00	1174.25	293.56	19.09.2006	293.56	13.10.2006
25.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जलापूर्ति	एचएमडब्ल्यूएसएसबी की पूरी प्रणाली में सभी जलाशयों और बड़ी आपूर्ति पाइप लाइनों के लिए पर्यवेक्षण नियंत्रण तथा डाटा अर्जन प्रणाली और फ्लो, लेवल और क्लोरीन उपाय मुहैया कराना	990.00	346.5	86.63	09.03.2007	86.62	08.05.2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	जलापूर्ति	यसवंत सागर जलापूर्ति प्रणाली वृद्धि स्कीम	2375.00	1187.5	297.00	27.03.2006	297.00	29.03.2006
27.	अरूणाचल प्रदेश	इटानगर	जलापूर्ति	इटानगर के लिए जलापूर्ति अभ्यर्द्धन	7725.32	6952.788	1738.20	26.03.2007	1738.20	28.06.2007
28.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जल आपूर्ति	धापा में जल शोधन योजना, 30 एमजीडी फेज-1	9875.00	3456.25	864.06	28.06.2006	864.06	19.07.2006
29.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जल आपूर्ति	मौजूदा जल वितरण नेटवर्क के साथ महेशतला भूमिगत जलाशय का समेकन	1717.00	600.95	150.24	28.06.2006	150.24	19.07.2006
30.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जल आपूर्ति	गांधी मैदान, अकरा में भूमिगत जलाशय-सह-बूस्टर पंपिंग स्टेशन	1066.00	373.1	93.28	28.06.2006	393.05	19.07.2006
31.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जल आपूर्ति	बास बेरिया में 15 एमजीडी जल शोधन योजना	4492.00	1572.2	393.05	28.06.2006	393.05	19.07.2006
32.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जल आपूर्ति	उलूबेरिया में 10 एमजीडी जल शोधन योजना	4558.00	1595.3	398.83	28.06.2006	398.83	19.07.2006
33.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जल आपूर्ति	बरुई पुर नगर पालिका के जल आपूर्ति स्कीम	951.86	333.151	83.29	22.02.2007	83.29	31.03.2007
34.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जल आपूर्ति	हावड़ा नगर निगम के जोड़े गए क्षेत्रों के लिए जलापूर्ति स्कीम	9068.91	3174.118	793.53	18.05.2007	793.53	13.06.2007
35.	तमिलनाडु	मदुरै	जल आपूर्ति	मदुरै निगम को जल आपूर्ति, सुधार कार्य एवं प्रणाली सुधार (फेज-1 तथा फेज-2)	5931.60	2965.8	741.45	14.07.2006	741.45	18.08.2006
36.	तमिलनाडु	मदुरै	जल आपूर्ति	थिरूपरकुंदरम नगर पालिका तथा हरवेपट्टी के लिए संयुक्त जल आपूर्ति स्कीम हेतु थिरूपरकुंदरम नगर पालिका विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	969.57	484.785	96.96	08.01.2007	96.96	23.01.2007
37.	तमिलनाडु	मदुरै	जल आपूर्ति	अवनियापुरम म्युनिसिपलिटी के लिए जलापूर्ति स्कीम के संबंध में अवनियापुरम म्युनिसिपलिटी डीपीआर	788.00	394	98.50	05.03.2007	98.50	08.05.2007
38.	तमिलनाडु	मदुरै	जल आपूर्ति	मदुरै के लिए वैगई नदी पर चेक डैम का निर्माण	477.00	238.5	59.63	22.02.2007	59.63	31.032007
39.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	जलापूर्ति	मुम्बई-4 के लिए मिडिल वैतरणा जलापूर्ति परियोजना	132950.00	46532.5	11633.13	22.02.2007	2326.00	28.03.2007
40.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	जलापूर्ति	भाण्डुप के अतिरिक्त 100 एमएलडी जलापूर्ति स्कीम के लिए डीपीआर	7118.00	2491.3	622.83	08.01.2007	249.13	31.01.2007
41.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	जलापूर्ति	मालाबार हिल जलाशय से क्रास मैदान (3.6 कि.मी.) भूमिगत टनल	9398.79	3289.576	822.39	20.07.2007	0	
42.	कर्नाटक	मैसूर	जलापूर्ति	मैसूर शहर के लिए जलापूर्ति वितरण की रिमाडलिंग	19454.00	15563.2	3890.80	08.12.2006	3112.64	15.01.2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	महाराष्ट्र	नंदेड़	जलापूर्ति	उत्तर नंदेड़ में जलापूर्ति का सुधार	9087.00	7269.6	1818.00	31.07.2006	1817.50	13.10.2006
44.	महाराष्ट्र	नंदेड़	जलापूर्ति	नंदेड़ दक्षिण के लिए जलापूर्ति	4945.00	3956	989.00	25.08.2006	989.00	13.10.2006
45.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	कैनाल की जगह पर मोटर लाइन एमएस पाइप लाइन द्वारा महादुल्ला तक पेंच जलाशय से लिफ्टिंग वाटर	14463.70	7231.85	1807.96	08.09.2006	1800.00	31.10.2006
46.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	नागपुर शहर में जलापूर्ति वितरण की वृद्धि और उन्नयन	3793.00	1896.5	474.12	21.03.2006	474.12	29.03.2006
47.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	जलापूर्ति के लिए ऊर्जा आडिट परियोजना	2503.62	1251.81	312.95	21.03.2006	312.95	29.03.2006
48.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	जल क्षेत्र रिसाव का पता लगाना	329.77	164.885	41.22	21.03.2006	41.22	29.03.2006
49.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	जल आडिट परियोजना	2500.00	1250	312.50	21.03.2006	312.50	29.03.2006
50.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	जलापूर्ति पेंच-4 भाग-2	6196.00	3098	774.50	28.12.2006	774.50	31.01.2007
51.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	जलापूर्ति पेंच-4 भाग-3	8059.27	4029.635	1007.38	28.12.2006	1007.38	31.01.2007
52.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	जलापूर्ति पेंच-4 भाग-4	10460.68	5230.34	1307.58	28.12.2006	1307.58	20.02.2007
53.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	कान्हन वृद्धि स्कीम	8217.00	4108.5	1027.12	22.12.2006	1027.12	31.01.2007
54.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	खराब जल का रिसाइकिल और पुनर्उपयोग	13011.00	6505.5	1626.38	22.12.2006	813.0	20.02.2007
55.	महाराष्ट्र	नासिक	जलापूर्ति	जलापूर्ति परियोजनाओं का चल रहा कार्य	5052.00	2526	631.50	10.11.2006	631.50	31.01.2007
56.	महाराष्ट्र	पुणे	जल आपूर्ति	पिंपरी चिंचवाड़ के लिए जल आपूर्ति प्रस्ताव (4)	35862.00	17931	4482.75	22.12.2006	4482.75	20.02.2007
57.	गुजरात	राजकोट	जल आपूर्ति	राजकोट के लिए जल आपूर्ति परियोजना	8562.00	4281	1070.00	27.03.2006	1070.00	29.03.2006
58.	छत्तीसगढ़	रायपुर	जल आपूर्ति	आरएमसी के विस्तार किए गए क्षेत्र सहित जलापूर्ति स्कीम बढ़ाना	30364.00	24291.2	6072.80	08.09.2006	4800.00	31.10.2006
59.	गुजरात	सूरत	जल आपूर्ति	सूरत शहरी विकास प्राधिकरण की वेसु शहरी बस्ती के लिए जल आपूर्ति परियोजना	1919.00	959.5	239.80	10.05.2006	239.80	08.06.2006
60.	गुजरात	सूरत	-वही-	पालनपुर क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति परियोजना	995.00	497.5	124.30	10.05.2006	124.30	08.06.2006
61.	गुजरात	सूरत	-वही-	एसएमसी के सरथाना, कतारगाम और रैंडर वाटर वर्क्स बढ़ाना	14068.65	7034.325	1758.58	26.03.2007	1758.58	08.05.2007
62.	केरल	तिरुवनंतपुरम	जल आपूर्ति	जलापूर्ति का सुधार	8716.00	6972.8	1743.20	26.03.2007	881.56	31.03.2007
63.	गुजरात	वडोदरा	जल आपूर्ति	जलापूर्ति स्रोत बढ़ाना	4105.00	2052.5	513.13	28.06.2006	513.13	19.07.2006
64.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	जल आपूर्ति	असर्विस्ड क्षेत्रों में भूमिगत जल निकासी सुविधाएं प्रदान करना	3548.00	1774	444.00	27.03.2006	444.00	29.03.2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	जल आपूर्ति	विजयवाड़ा नगर निगम में जलापूर्ति सुविधा बढ़ाना	7231.00	3615.5	903.88	02.02.2007	361.55	22.02.2007
66.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	जल आपूर्ति	जलापूर्ति बढ़ाने के लिए टीएसआर से पेनदुर्ती और कोमाडी जंक्शन तक जलापूर्ति लाइन मुहैया कराना	2340.00	1170	292.50	10.05.2006	292.50	05.10.2006
67.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	जल आपूर्ति	थाटीपुडी जलाशय से टाउन सर्विस जलाशय और पम्पिंग यूनिटों तक मौजूदा थाटीपुडी को बदलने के लिए डीपीआर	6228.00	3114	778.50	10.05.2006	778.50	08.06.2006
68.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	जल आपूर्ति	मधुरवाडा क्षेत्र तक जलापूर्ति बढ़ाना	3976.00	1988	497.00	05.03.2007	384.64	28.03.2007
				कुल (लाख रुपये में)	612868.24	302677.6465	75598.16		56944.58	

विवरण II

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत 2005-12 के लिए राज्यों/संघ क्षेत्रों को घटक-वार धन नियतन

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	अवस्थापना	यूआईडीएसएसएमटी	बीएसयूपी	आईएचएसडीपी	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1718.45	490.31	868.46	579.71	3656.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.40	7.46	2.57	4.52	21.95
3.	असम	173.20	101.29	111.94	47.25	433.68
4.	बिहार	442.41	254.78	496.54	140.06	1333.79
5.	छत्तीसगढ़	148.03	134.78	44.36	68.44	395.61
6.	गोवा	20.94	22.11	1.43	15.79	60.27
7.	गुजरात	2078.81	351.82	865.56	213.54	3509.74
8.	हरियाणा	223.32	195.59	32.31	133.05	584.27
9.	हिमाचल प्रदेश	30.66	17.44	21.29	16.19	85.58
10.	जम्मू-कश्मीर	338.36	35.45	95.96	80.22	549.99
11.	झारखंड	641.20	114.52	291.09	113.33	1160.13
12.	कर्नाटक	1374.59	443.14	362.28	137.34	2317.36
13.	केरल	474.76	232.82	215.00	165.69	1088.27
14.	मध्य प्रदेश	978.50	438.43	266.10	230.53	1913.56

1	2	3	4	5	6	7
15.	महाराष्ट्र	5055.55	664.76	3272.56	484.82	9477.69
16.	मणिपुर	52.87	12.60	11.83	12.35	89.65
17.	मेघालय	56.68	7.19	23.70	8.97	96.54
18.	मिजोरम	48.22	8.24	27.63	7.65	91.73
19.	नागालैंड	16.28	10.28	5.89	6.79	39.25
20.	उड़ीसा	172.35	181.79	58.74	140.85	553.73
21.	पंजाब	507.75	226.60	394.46	143.80	1272.62
22.	राजस्थान	598.69	401.43	348.45	353.80	1702.36
23.	सिक्किम	6.13	1.20	2.66	0.90	10.89
24.	तमिलनाडु	1950.66	705.97	1032.80	291.15	3980.58
25.	त्रिपुरा	40.18	13.76	13.66	8.36	75.96
26.	उत्तर प्रदेश	2119.41	947.92	1005.22	712.01	4784.55
27.	उत्तरांचल	205.34	46.70	67.84	43.58	363.47
28.	पश्चिम बंगाल	3018.40	315.25	2084.98	271.51	5690.14
29.	दिल्ली	2723.18	1.13	1456.28	0.00	4180.58
30.	पांडिचेरी	106.80	5.57	73.20	6.95	192.51
31.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.00	4.48	0.00	7.29	Ť1.78
32.	चंडीगढ़	170.87	0.00	95.20	0.00	266.07
33.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	1.93	0.00	0.56	2.49
34.	लक्षद्वीप	0.00	1.04	0.00	1.03	2.07
35.	दमन और दीव	0.00	2.20	0.00	1.98	4.18
	कुल	25500.00	6400.00	13650.00	4450.00	50000.00
	(प्रतिशत)	51.00	12.80	27.30	8.90	100.00

नोट: (घटक-वार नियतन सी सी ई ए नोट के अनुसार है)

1. अवस्थापना और शासन के लिए नियतन, मिशन शहरों की शहरी आबादी के आधार पर है।
2. यू आई डी एस एस एम टी के लिए नियतन, राज्य (-) मिशन शहरों की शहरी आबादी के आधार पर है।
3. बी एस यू पी के लिए नियतन, मिशन शहरों की शहरी स्लम आबादी के आधार पर है।
4. आई एच एस डी पी के लिए नियतन, राज्य (-) मिशन शहरों की शहरी स्लम आबादी के आधार पर है।

विवरण III

क्र.सं.	कस्बे	कुल अनुमोदित लागत	जारी एसीए (पहली किस्त)			डीपीआर तैयार करने हेतु प्रोत्साहन राशि सहित जारी कुल एसीए
			2005-06	2006-07	2007-08	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	111648.00	4832.00	14459.71	16771.00	36062.71
	स्कीमों की सं.	40	4	26		30
2.	असम	2230.16	0.00	490.82	0.00	490.82
	स्कीमों की सं.	2	0	1	0	1
3.	छत्तीसगढ़	6118.65	0.00	2447.46	0.00	2447.46
	स्कीमों की सं.	3		3	0	3
4.	गुजरात	27454.18	1452.76	6994.32	113.18	8560.26
	स्कीमों की सं.	32	5	20		25
5.	जम्मू-कश्मीर	11642.89	0.00	4263.86	1150.08	5413.94
	स्कीमों की सं.	6	0	6		6
6.	कर्नाटक	12908.70	0.00	1788.16	215.00	2003.16
	स्कीमों की सं.	7	0	5		5
7.	केरल	24277.00	0.00	2840.80	2642.60	5463.16
	स्कीमों की सं.	3		2		2
8.	मध्य प्रदेश	19134.89	0.00	6644.30	343.91	6988.21
	स्कीमों की सं.	17		17		17
9.	महाराष्ट्र	138530.70	0.00	4457.09	2024.92	6482.01
	स्कीमों की सं.	40	0	10		10
10.	मणिपुर	6277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	स्कीमों की सं.	5	0	0		0
11.	नागालैंड	6265.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	स्कीमों की सं.	4	0	0	0	0
12.	राजस्थान	5395.00	0.00	2060.08	178.31	2238.39
	स्कीमों की सं.	1	0	1	0	1

1	2	3	4	5	6	7
13.	तमिलनाडु	41229.07	0.00	7581.82	2878.55	10460.37
	स्कीमों की सं.	48	0	35		35
14.	उत्तर प्रदेश	10460.91	0.00	3069.58	1271.69	4341.27
	स्कीमों की सं.	9		7	2	9
15.	पश्चिम बंगाल	13084.19	0.00	4964.23	465.71	5429.94
	स्कीमों की सं.	11		10	1	11
16.	दादरा और नगर हवेली	1864.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	स्कीमों की सं.	1	0	0		0
17.	उड़ीसा	976.00	0.00	209.84	195.20	405.04
	स्कीमों की सं.	1	0	1		1
	कुल लागत	439497.53	6284.76	62272.07	28250.15	96806.98
	स्कीमों की कुल सं.	230	9	144	3	156

विवरण IV

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत प्राप्त और सरकार के विचाराधीन जल आपूर्ति बढ़ाने संबंधी स्कीमों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	एयूडब्ल्यूएसपी के तहत मंजूर स्कीमों की कुल संख्या	गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत स्कीमों की सं.			गत तीन वर्षों के दौरान जारी कुल राशि (लाख रु. में)		
			2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	42	20	शून्य	शून्य	1367.27	630.26	283.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	3		शून्य	शून्य	113.27	0.00	10.88
3.	असम	21	3	शून्य	शून्य	635.27	0.00	0.00
4.	बिहार	33	10	शून्य	शून्य	219.87	687.69	392.95
5.	छत्तीसगढ़	42	1	शून्य	शून्य	200.96	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	गोवा	4		शून्य	शून्य	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	70	19	शून्य	शून्य	867.83	212.84	296.42
8.	हरियाणा	38	4	शून्य	शून्य	563.80	166.33	263.11
9.	हिमाचल प्रदेश	16	4	शून्य	शून्य	232.15	170.46	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	15	10	शून्य	शून्य	1198.68	876.90	0.00
11.	झारखंड	16	7	शून्य	शून्य	417.93	18.09	339.87
12.	कर्नाटक	45	10	शून्य	शून्य	1060.73	953.99	148.16
13.	केरल	13	3	शून्य	शून्य	231.55	0.00	315.98
14.	मध्य प्रदेश	147	19	शून्य	शून्य	822.68	0.00	150.31
15.	महाराष्ट्र	37	9	शून्य	शून्य	1104.19	0.00	727.65
16.	मणिपुर	26	2	शून्य	शून्य	254.07	0.00	0.00
17.	मेघालय	2		शून्य	शून्य	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	8		शून्य	शून्य	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	2		शून्य	शून्य	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	35	7	शून्य	शून्य	577.39	299.92	245.19
21.	पंजाब	16	5	शून्य	शून्य	161.54	0.00	111.06
22.	राजस्थान	72	11	शून्य	शून्य	1545.97	31.77	788.96
23.	सिक्किम	2		शून्य	शून्य	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	93	31	शून्य	शून्य	808.19	249.56	109.79
25.	त्रिपुरा	12	3	शून्य	शून्य	309.53	63.56	240.55
26.	उत्तर प्रदेश	390	23	शून्य	शून्य	1664.93	0.00	272.83
27.	उत्तरांचल	22	3	शून्य	शून्य	138.77	62.63	65.51
28.	पश्चिम बंगाल	22	3	शून्य	शून्य	103.43	0.00	0.00
	कुल	1244	207			14600.00	4424.00	4763.02

विवरण V

पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लिए 10 प्रतिशत एकमुश्त प्रावधान

जल आपूर्ति वृद्धि स्कीमों के संबंध में विचाराधीन परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(लाख रुपये)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत
1.	तेजू जल आपूर्ति (वृद्धि तथा पुनर्गठन) परियोजना, अरुणाचल प्रदेश	1931.00
2.	नागालैण्ड पुलिस बल की बटालियनों के लिए विभिन्न परिसरों हेतु नागालैण्ड राज्य के लिए जल आपूर्ति वृद्धि	2327.00

10 प्रतिशत एकमुश्त प्रावधान स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत जल आपूर्ति वृद्धि परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

(लाख रुपये)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	दी गई राशि
	अरुणाचल प्रदेश		
	2004-2005		
1.	तवांग नगर, अरुणाचल प्रदेश को जल आपूर्ति की व्यवस्था (निष्पादक एजेंसी राज्य सरकार)	854.53	500.62
2.	परमपुर, अरुणाचल प्रदेश में जल आपूर्ति को बेहतर बनाना (निष्पादक एजेंसी राज्य सरकार)	627.19	392.19
3.	नमसाई नगर, अरुणाचल प्रदेश के लिए जल आपूर्ति की वृद्धि (निष्पादक एजेंसी राज्य सरकार)	606.91	404.60
	2005-2006		
1.	सेप्पा नगर, अरुणाचल प्रदेश के लिए जल आपूर्ति की वृद्धि (निष्पादक एजेंसी राज्य सरकार)	826.20	275.40
	नागालैण्ड		
	2004-2005		
1.	त्यूनसांग नगर के लिए ग्रेविटि जल आपूर्ति की व्यवस्था (निष्पादक एजेंसी राज्य. सरकार)	1511.80	1007.88

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन

***93. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण संबंधी कितने कार्यों को मंजूर दी गई है;

(ख) क्या उक्त योजना के सुचारू क्रियान्वयन में कोई बाधा आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: (क) से (ग) वर्ष 2004-05 से 2006-07 (चालू वर्ष सहित) तक प्रत्येक राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़क कार्यों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

चूंकि ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें अपनी-अपनी एजेंसियों के माध्यम से परियोजनाएं कार्यान्वित करती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन की गति को प्रभावित करने वाली कुछ प्रमुक कठिनाईयां नीचे दिए अनुसार हैं-

* कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए सांस्थानिक क्षमता का पर्याप्त न होना।
* परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संविदात्मक क्षमता का पर्याप्त न होना।
* महत्वपूर्ण निर्माण सामग्रियों का उपलब्ध न होना।
* भूमि का उपलब्ध न होना।
* वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्वीकृति सहित नियामक स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब।
* सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए किए गए कुछ उपाय हैं-

* निधियों का संवर्द्धित आबंटन।
* कार्यान्वयन एजेंसियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण।
* मशीन एवं सामग्री के अधिग्रहण के लिए ठेकेदारों को ब्याज मुक्त अग्रिम राशि मुहैया कराना।
* मानक बोली दस्तावेज और पैकेज के परिणाम में संशोधन कर इसे विशिष्ट योग्यता मानदंड सहित 50 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपये और 2 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए करना ताकि अधिक से अधिक ठेकेदार भागीदारी कर सकें।
* बड़े ठेकेदारों को भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्यों को 10 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज जारी करने में ढील दी गई।
* बड़े और छोटे ठेकेदारों के बीच संयुक्त उपक्रम की अनुमति देना।
* भविष्य में योग्यता निर्धारण में अधिक से अधिक वेटेज के माध्यम से समय पर कार्य पूरा करने के लिए सितम्बर, 2006 में निष्पादन के लिए प्रोत्साहन देना आरंभ किया गया।
* राज्यों में अनेक कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों में वृद्धि करना और राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करना।
* उन राज्यों के निष्पादन की नियमित निगरानी और समीक्षा जहां कार्यक्रम का कार्यान्वयन निर्धारित समय से पीछे है ताकि उनकी कार्यक्रम प्रबंधन क्षमता में वृद्धि की जा सके।
* बिहार और त्रिपुरा में केंद्रीय एजेंसियों की तैनाती।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत सड़क कार्यों की संख्या				
		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश		607	340	366	1313
2.	अरुणाचल प्रदेश		64	116		180

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	195	486	417		1098
4.	बिहार	75	252	430		757
5.	छत्तीसगढ़	187	990	924		2101
6.	गोवा	6				6
7.	गुजरात	128	370	449		947
8.	हरियाणा	18	26	47		91
9.	हिमाचल प्रदेश		208	639		847
10.	जम्मू-कश्मीर	67		251		318
11.	झारखंड		102			102
12.	कर्नाटक		190	256		446
13.	केरल	96		84	322	502
14.	मध्य प्रदेश		1191	2971	1332	5494
15.	महाराष्ट्र	240		1559		1799
16.	मणिपुर			59		59
17.	मेघालय		30	26		56
18.	मिजोरम		34		30	64
19.	नागालैंड		23		29	52
20.	उड़ीसा	418	827	851		2096
21.	पंजाब	59		119		178
22.	राजस्थान		1579	3634	1464	6677
23.	सिक्किम		34	67	39	140
24.	तमिलनाडु			379		379
25.	त्रिपुरा		36	266		302
26.	उत्तर प्रदेश		2301	2881		5182
27.	उत्तरांचल		79	102		181
28.	पश्चिम बंगाल	208	284	236		728
	कुल	1697	9713	17103	3582	32095

[हिन्दी]

चालू विद्युत परियोजनाओं को पूरा करना

*94. श्री रशीद मसूदः
श्री प्रभुनाथ सिंहः

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में चालू विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने और नई परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए कोई प्रभावी नीति है;

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान पूरी की गई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और वर्तमान में कितनी परियोजनाएं पूर्ण होने वाली हैं;

(ग) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास आज की तिथि के अनुसार अनुमोदनार्थ लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उनकी राज्य-वार अनुमानित लागत, विद्युत उत्पादन क्षमता तथा उनके पूर्ण होने की तिथि क्या है;

(घ) क्या उपकरणों का विनिर्माण करने वाली कुछ कंपनियां चालू विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने में हो रही धीमी प्रगति के लिए जिम्मेदार हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) सरकार ने विद्युत परियोजनाओं के विकास को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 लागू हो जाने से ताप उत्पादन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से तकनीकी-आर्थिक क्लीयरेंस लेना जरूरी नहीं रह गया है।

(2) जल विद्युत स्कीमें स्थापित करने के लिए के.वि.प्रा. की मंजूरी अब केवल वहीं जरूरी है, जहां अनुमानित पूंजीगत व्यय निम्नवत अधिसूचित सीमा से अधिक है:-

* 2500 करोड़, बशर्ते कि:
  - स्कीम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) में शामिल हो और एनईपी में यथा उल्लिखित क्षमता एवं प्रकार को पूरा करती हो, और
  - जल विद्युत उत्पादन स्टेशन की स्थापना हेतु स्थल केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से आबंटित किया गया हो।
* 500 करोड़ रुपये की ऐसी कोई भी स्कीम जो उपर्युक्त के तहत न आती हो।

(3) विद्युत अधिनियम के तहत यह अनिवार्य है कि केन्द्रीय पारेषण यूटीलिटी, राज्य पारेषण यूटीलिटियां तथा पारेषण लाइसेंसधारक अपनी पारेषण प्रणालियों में गैर-भेदभावपूर्ण खुली पहुंच प्रदान करेंगी। इससे उत्पादन कंपनियों को उनके द्वारा पैदा की गई बिजली के लिए क्रेता चुनने में लचीलापन प्राप्त हुआ है।

(4) सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं की मंजूरी के समय-चक्र को कम करने के लिए योजना आयोग की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता और पूर्व सार्वजनिक पूंजी निवेश बोर्ड द्वारा परीक्षण की जाने वाली क्रियाविधि की आवश्यकता को अब समाप्त कर दिया गया है।

(5) 5000 मेगावाट की जल विद्युत पहल पहले ही शुरू की जा चुकी है और राष्ट्रीय विद्युत नीति में संभावित जल विद्युत क्षमता में पूर्ण विकास पर अधिकतम बल दिया गया है।

(6) 6 जनवरी, 2006 को अधिसूचित टैरिफ नीति में यह व्यवस्था है कि भविष्य में बिजली की सारी जरूरतें वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक रूप से प्रापण की जानी चाहिए, सिवाए ऐसे मामलों के जहां मौजूदा परियोजना का विस्तार होगा अथवा जहां राज्य नियंत्रणाधीन/स्वामित्व वाली कंपनी एक विकासकर्त्ता के रूप में चिन्हित हो। सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं के लिए सभी नई उत्पादन एवं पारेषण परियोजनाओं के टैरिफ पांच साल बाद प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर निर्धारित किये जाने चाहिए या जब विनियामक आयोग इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी प्रतिस्पर्धा लागू करने के लिए माहौल माकूल है।

(7) टैरिफ आधारित बोली के जरिए प्रतिस्पर्धी प्रापण की जरूरत है, जिसमें क्रेताओं के लिए विद्युत की उपलब्धता और टैरिफ सुनिश्चित करते समय आंतरिक प्रचालनों संबंधी आपूर्तियों में लचीलेपन की व्यवस्था है। इसके

अलावा, स्पेशल परपज वेहिकिल (एसपीवी) माडल बोली आधारित टैरिफ के जरिए विकासशील विद्युत परियोजनाओं के लिए एक मार्ग है, जो परियोजनाओं को विकासकर्त्ताओं को सौंपने से पूर्व उनके लिए विभिन्न लिंकेज सुनिश्चित करता है।

इसके अलावा, मानीटरिंग मेकेनिज्म को सुदृढ़ बनाया गया है। सीईए ने प्रत्येक चालू परियोजना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। सीईए, सीपीयूज और अन्य स्टेक होल्डरों के साथ मंत्रालय में नियमित तिमाही समीक्षा बैठकें की जा रही है। हाल ही में सम्पन्न मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में प्रगति की मानीटरिंग के लिए नेशनल पावर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोर्ड का गठन करने और क्षमता अभिवृद्धि तथा सहबद्ध पारेषण परियोजनाओं का समय पर आरंभ सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया।

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान क्षमता के लगभग 6853 मे.वा. की बढ़ोत्तरी की गई। ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। इस समय कुल 50,910 मे.वा. की क्षमता निर्माणाधीन है। वर्ष 2007-08 में 1935 मे.वा. क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है, तथा कुल 14,400 मे.वा. की क्षमता 2007-08 में पूरी कर ली जाएगी। इन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) इस समय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(घ) और (ङ) जी हां। महत्वपूर्ण उपकरणों की आपूर्ति में विलंब हाल ही में विद्युत परियोजनाओं का निष्पादन पिछड़ने का एक प्रमुख कारण रहा है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (भेल), जो सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख संयंत्र एवं उपकरण विनिर्माता कंपनी है, की भारी उद्योग व सरकारी उपक्रम मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है; इसके अलावा भेल दिसम्बर, 2007 तक अपनी क्षमता को बढ़ाकर 10,000 मे.वा. और दिसम्बर, 2009 तक 15000 मे.वा. कर रहा है।

विवरण I

2006-07 के दौरान चालू परियोजनाओं की विस्तृत सूची

वर्ष 2006-2007 के लिए (01.04.2006 से 31.03.2007)

	चालू होने की तिथि/महीना	क्षेत्र/राज्य	प्रकार	(एमडब्ल्यू)
1	2	3	4	5
थर्मल				
वेंलेथारवी जीटीपीपी एसटी	14.04.06	एसएस/तमिलनाडु	गैस	14.8
वेमागिरी-I सीसीपीपी ब्लाक-II एसटी	08.06.06	पीएस/आंध्र प्रदेश	गैस	137
रत्नागिरी सीसीपीपी (डाभोल) एनटीपीसी	14.05.06	सीएस/महाराष्ट्र	गैस	740
विंध्याचल टीपीएस-III	27.07.06 08.03.07	सीएस/एनटीपीसी	कोयला	1000
ऊंचाहार टीपीएस-III	28.09.06	सीएस/एनटीपीसी	कोयला	210
परिच्छा टीपीएस विस्तार यूनिट-IV	28.12.06	एसएस/उत्तर प्रदेश	कोयला	210
रायलसीमा टीपीएस-II यू-III	25.01.07	एसएस/आंध्र प्रदेश	कोयला	210
न्यू पारली टीपीएस यू-I	16.02.07	एसएस/महाराष्ट्र	कोयला	250
गिराल लिग्नाइट यू-I	28.02.07	एसएस/राजस्थान	लिग्नाइट	125
धौलपुर सीसीपीपी फेस-I जीटी-I	29.03.07	एसएस/राजस्थान	गैस	110
कहलगांव एसटीपीएस-II (फेस-I) यू-5	31.03.2007	सीएस/बिहार	कोयला	500

1	2	3	4	5
मेजिया टीपीएस यू-5	31.03.2007	सीएस/डीवीसी	कोयला	250
कोरबा ईस्ट टीपीपी स्टेज-V यू-1	30.03.2007	एसएस/छत्तीसगढ़	कोयला	250
उप-जोड़ (थर्मल)				4006.8
न्यूक्लियर				
तारापुर-3	21.05.06	सीएस/महाराष्ट्र	न्यूक्लियर	540
उप-जोड़ (न्यूक्लियर)				540
हाइड्रो				
विष्णुप्रयाग	03.06.06, 23.06.06, 16.08.06, 30.09.06	पीएस/उत्तराखंड	हाइड्रो	400
टिहरी-I	17.07.06, 25.10.06, 30.01.07, 20.03.07	सीएस/टीएचडीसी	हाइड्रो	1000
लारजी	03.09.06, 24.09.06, 27.12.06	एसएस/हिमाचल प्रदेश	हाइड्रो	126
भवानी कैथलाई स्टेज-I	01.08.06, 22.09.06	एसएस/तमिलनाडु	हाइड्रो	30
सरदार सरोवर	20.06.06	एसएस/गुजरात	हाइड्रो	200
बाणसागर-IV	20.08.06, 30.08.06	एसएस/मध्य प्रदेश	हाइड्रो	20
मारीखेडा	28.08.06, 09.09.06	एसएस/मध्य प्रदेश	हाइड्रो	40
कारबी लंगपी	30.01.07, 20.03.07	एसएस/असम	हाइड्रो	100
दुलहस्ती	28.02.07, 18.03.07, 26.03.07	सीएस/जम्मू और कश्मीर	हाइड्रो	390
उप-जोड़ (हाइड्रो)				2306
सकल योग (थर्मल+न्यूक्लियर+हाइड्रो)				6852.8

संक्षिप्त रूप: राज्य क्षेत्र (एस.एस.), केन्द्रीय क्षेत्र (सी.एस.), निजी क्षेत्र (पी.एस.), नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी), दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन (टीएचडीसी)

विवरण II

2007-08 के दौरान चालू किए जाने हेतु प्रत्याशित परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र.सं.	संयंत्र का नाम	क्षेत्र	राज्य	एजेंसी	सेक्टर	प्रकार	क्षमता (मे.वा.)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2007-08				
केन्द्रीय क्षेत्र								
1.	तीस्ता I यू-1, 2, 3	पूर्व	सिक्किम	एनएचपीसी	केन्द्रीय	हाइड्रो	510	
2.	ओंकारेश्वर यू-1-8	पश्चिम	मध्य प्रदेश	एनएचडीसी	केन्द्रीय	हाइड्रो	520	2 यूनिट (2×65 मे.वा.) चालू
3.	चंद्रपुरा यू-7, 8	पूर्व	झारखण्ड	डीवीसी	केन्द्रीय	कोयला	500	
4.	मेडिया यू-6	पूर्व	पश्चिम बंगाल	डीवीसी	केन्द्रीय	कोयला	250	
5.	कहलगांव-II यू-6, 7	पूर्व	बिहार	एनटीपीसी	केन्द्रीय	कोयला	1000	
6.	सिपत-II यू-4 और 5	पश्चिम	छत्तीसगढ़	एनटीपीसी	केन्द्रीय	कोयला	1000	यू-4 (500 मे.वा.) चालू
7.	भिलाई जेवी यू-1, 2	पश्चिम	छत्तीसगढ़	एनटीपीसी	केन्द्रीय	कोयला	500	
8.	सिपत-I यू-1	पश्चिम	छत्तीसगढ़	एनटीपीसी	केन्द्रीय	कोयला	660	
9.	रत्नागिरी (डाभोल) जेवी	पश्चिम	महाराष्ट्र	एनटीपीसी	केन्द्रीय	गैस/लिग्नाइट	740	
10.	कैगा यू-3	दक्षिण	कर्नाटक	एनपीसी	केन्द्रीय	न्यूक्लियर	220	चालू
11.	कैगा यू-4	दक्षिण	कर्नाटक	एनपीसी	केन्द्रीय	न्यूक्लियर	220	
12.	राप यू-5, 6	उत्तर	राजस्थान	एनपीसी	केन्द्रीय	न्यूक्लियर	440	
	कुल केन्द्रीय क्षेत्र						6560	
राज्य क्षेत्र								
1.	जुराला प्रियदर्शनी यू-1-4	दक्षिण	आंध्र प्रदेश	एपीजेनको	राज्य	हाइड्रो	117	
2.	घाटघर पीएसएस यू-1, 2	पश्चिम	महाराष्ट्र	अजीओएमआईडी	राज्य	हाइड्रो	250	
3.	बालिमेला चरण-2	पूर्व	उड़ीसा	ओएचपीसी	राज्य	हाइड्रो	150	
4.	मनेरी भाली यू-1, 2, 3, 4	उत्तर	उत्तराखंड	यूजेवीएनएल	राज्य	हाइड्रो	304	
5.	पुरूलिया पीएसएस यू-1, 2, 3, 4	पूर्व	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईबी	राज्य	हाइड्रो	900	यू-1 (225 मे.वा.) चालू
6.	रायलसीमा यू-4	दक्षिण	आंध्र प्रदेश	एपीजेनको	राज्य	कोयला	210	

1	2		3	4	5	6	7	8
7.	कोरबा ईस्ट विस्तार यू-2	पश्चिम	छत्तीसगढ़	सीएसईबी	राज्य	कोयला	250	
8.	कच्छ लिग्नाइट टीपीएस यू-4	पश्चिम	गुजरात	जीएसईसीएल	राज्य	पीएच-लिग्नाइट	75	
9.	धुवरन सीसीबीटी	पश्चिम	गुजरात	जीएसईसीएल	राज्य	पीएच-लिग्नाइट	40	
10.	यमुना नगर यू-1, 2	उत्तर	हरियाणा	एचपीजीसीएल	राज्य	कोयला	600	
11.	बिरसिंगपुर विस्तार	पश्चिम	मध्य प्रदेश	एमपीजेनको	राज्य	कोयला	500	चालू
12.	परास विस्तार यू-1	पश्चिम	महाराष्ट्र	महाजेन	राज्य	कोयला	250	चालू
13.	दुर्गापुर यू-7	पूर्व	पश्चिम बंगाल	डीपीएल	राज्य	कोयला	300	
14.	बेल्लारी यू-1	दक्षिण	कर्नाटक	केपीसीएल	राज्य	कोयला	500	
15.	अमरकंटक टीपीएस विस्तार यू-5	पश्चिम	मध्य प्रदेश	एमपीजेनको	राज्य	कोयला	210	
16.	जीएच टीपीपी-2	उत्तर	पंजाब	पंजाब	राज्य	कोयला	500	
17.	धौलपुर	उत्तर	राजस्थान	आरवीयूएनएल	राज्य	गैस/लिग्नाइट	220	बीटी-2 (110 मे.वा.) चालू
18.	वालुथूर विस्तार	दक्षिण	तमिलनाडु	टीएनईबी	राज्य	गैस/लिग्नाइट	92	
19.	सागरदिघी यू-1, 2	पूर्व	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	राज्य	कोयला	600	
20.	संतालडीह यू-5	पूर्व	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	राज्य	कोयला	250	
21.	बकरेश्वर यू-4, 5	पूर्व	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	राज्य	कोयला	420	
	कुल राज्य क्षेत्र						6738.2	
निजी क्षेत्र								
1.	कोनासीमा सीसीजीटी	दक्षिण	आंध्र प्रदेश	आईपीपी	निजी	गैस/लिग्नाइट	445	
2.	गौतमी सीसीजीटी*	दक्षिण	आंध्र प्रदेश	आईपीपी	निजी	गैस/लिग्नाइट	4464	
3.	रायगढ़ टीपीपी-पीएच-1 और पीएच-2	पश्चिम	छत्तीसगढ़	जेआईएल पावर	निजी	कोयला	1000	
4.	सुगेज अखाखोल	पश्चिम	गुजरात	टोरेंट	निजी	गैस/लिग्नाइट	1128	
	कुल निजी क्षेत्र						3037	
	नोटः 1935 मे.वा. को पहले ही चालू कर लिया गया है							
	कुल 2007-08						16335	

पवन ऊर्जा का उत्पादन

*95. **श्री वी.के. ठुम्मर:**
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पवन ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन करने के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान पवन ऊर्जा से उत्पादित विद्युत का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) जी, हां। इस मंत्रालय के पवन संसाधन मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रिड-संबद्ध पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने हेतु संभाव्यता वाले स्थलों की पहचान करने के लिए 28 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 500 स्थलों पर पवन सर्वेक्षण किए गए हैं। हाल ही में 45 स्थलों पर पवन सर्वेक्षण किए गए हैं। राज्यवार सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) राज्य प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार पिछले दो वर्षों अर्थात् 2005-06 और 2006-07 के दौरान पवन विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत लगभग 15,650 मिलियन यूनिट है। राज्यवार सूचना विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

सर्वेक्षण किए गए और सर्वेक्षण किए जा रहे स्थलों के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सर्वेक्षण किए गए स्थलों की संख्या	उन स्थलों की संख्या जहां सर्वेक्षण किया जा रहा है
1	2	3	4
1.	तमिलनाडु	61	1
2.	केरल	25	-
3.	कर्नाटक	36	9
4.	आंध्र प्रदेश	59	3
5.	महाराष्ट्र	87	2
6.	गोवा	1	-
7.	मध्य प्रदेश	29	3
8.	गुजरात	56	2
9.	राजस्थान	36	1
10.	पंजाब	11	-
11.	हरियाणा	6	-
12.	हिमाचल प्रदेश	9	-
13.	जम्मू-कश्मीर	7	-
14.	उत्तराखंड	11	-
15.	उत्तर प्रदेश	3	1
16.	झारखंड	2	-
17.	छत्तीसगढ़	3	-
18.	उड़ीसा	10	-
19.	पश्चिम बंगाल	10	-
20.	सिक्किम	-	3
21.	असम	7	1
22.	अरुणाचल प्रदेश	4	5
23.	मणिपुर	-	5
24.	मिजोरम	-	5
25.	त्रिपुरा	3	-
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	10	4
27.	लक्षद्वीप	10	-
28.	पांडिचेरी	4	-
	कुल	500	45

विवरण II

पिछले दो वर्षों (2005-06 और 2006-07) दौरान पवन विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा की राज्यवार मात्रा

मिलियन यूनिट बिजली (किलोवाट घंटा)

राज्य	कुल
आंध्र प्रदेश	316.82
गुजरात	739.32
कर्नाटक	2332.69
मध्य प्रदेश	106.01
महाराष्ट्र	2482.03
तमिलनाडु	8713.12
राजस्थान	960.50
कुल	15650.49

[अनुवाद]

न्यायालयों में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग

*96. **श्री एम. अप्पादुरई:**
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में सभी कार्य हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी में किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार से तमिल को मद्रास उच्च न्यायालय के लिए सरकारी काम-काज की भाषा बनाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा अन्य निचली अदालतों के सरकारी काम-काज की भाषा बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (च) भारत के संविधान का अनुच्छेद 348(1)(क) यह उपबंध करता है कि जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी।

अनुच्छेद 348(2) के अधीन किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

चार राज्यों अर्थात्, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हिन्दी भाषा के प्रयोग को उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों के लिए प्राधिकृत किया गया है।

इस संबंध में संसद द्वारा कोई विधि नहीं बनाई गई है, अतः उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाहियों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी है।

उच्चतम न्यायालय की कार्यवाहियों में हिन्दी के प्रयोग के विषय की समीक्षा राजभाषा विभाग द्वारा उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री के परामर्श से की गई है। राजभाषा विभाग द्वारा किए गए एक निर्देश के संबंध में, भारत के उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार ने यह संसूचित किया है कि उच्चतम न्यायालय में सुनवाई और कार्यवाहियों में हिन्दी के वैकल्पिक प्रयोग को आरंभ करने के मुद्दे पर पूर्ण न्यायालय द्वारा दो बार अर्थात् 10.04.1990 और 26.09.1996 को विचार किया गया है। तथापि, भारतीय विधिज्ञ परिषद, उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन और उच्चतम न्यायालय अभिलेख अधिवक्ता एसोसिएशन के मत अभिनिश्चित करने के पश्चात् एकमत से यह संकल्प लिया गया था कि उच्चतम न्यायालय की कार्यवाहियों में हिन्दी का प्रयोग प्रारंभ करना इस आधार पर व्यावहारिक रूप से साध्य नहीं है कि इस न्यायालय में मामले देश के सभी भागों से फाइल किए जाते हैं और हिन्दी भाषा का प्रयोग केवल उत्तरी भारत में ही किया जाता है। यदि हिन्दी भाषा का प्रयोग आरंभ किया जाता है तो यह मुकदमेबाजों, माननीय न्यायाधीशों और साथ ही बार के सदस्यों, विशेषकर उन व्यक्तियों के लिए जो देश के दक्षिणी क्षेत्र से हैं, काफी अधिक कठिनाईयां उत्पन्न करेगा।

मद्रास उच्च न्यायालय में तमिल भाषा के प्रयोग के लिए अनुमति हेतु तमिलनाडु सरकार के अनुरोध को भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन महा रजिस्ट्रार को अग्रेषित किया गया था। भारत के

मुख्य न्यायमूर्ति ने कतिपय आधारों पर, जिनकी संसूचना राज्य सरकार को दे दी गई थी, उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन का पक्ष नहीं लिया था।

तत्पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री, तमिलनाडु ने माननीय विधि और न्याय मंत्री और साथ ही गृह मंत्री को इस विषय में शीघ्र विनिश्चय करने के लिए पत्र लिखे थे। यह विषय इस समय, संबंधित विभागों के परामर्श से सरकार के समीक्षाधीन है।

इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)

***97. श्री रघुनाथ झा:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) में पाई गई अनियमितताओं तथा कमियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इंदिरा आवास योजना ने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष अपना लक्ष्य प्राप्त किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत दी जा रही प्रति इकाई सहायता टिकाऊ मकान बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार को प्रति इकाई सहायता बढ़ाने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) कुल मिलाकर इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) संतोषजनक रूप से चल रही है। परंतु, जब कभी आईएवाई के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितताएं मंत्रालय की जानकारी में आती हैं तो मामले को उपयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के साथ उठाया जाता है क्योंकि योजना का कार्यान्वयन उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों तथा उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आईएवाई के अंतर्गत उपलब्धि, निर्धारित लक्ष्यों के 95% से अधिक रही है। वर्ष 2004-05 के दौरान 15.62 लाख आवासों के लक्ष्य की तुलना में 15.21 लाख आवासों का निर्माण/उन्नयन किया गया। इसी प्रकार, वर्ष 2005-06 के दौरान 14.41 लाख आवासों के लक्ष्य की तुलना में 15.52 लाख आवासों का निर्माण/उन्नयन किया गया तथा 2006-07 के दौरान 15.33 लाख आवासों के लक्ष्य की तुलना में 14.99 लाख आवासों का निर्माण/उन्नयन किया गया।

(घ) से (च) जी, हां। वर्तमान में, एक आईएवाई आवास के लिए मैदानी क्षेत्रों के लिए 25000/- रु. तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 27500/- रु. की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है। आईएवाई के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता, आईएवाई आवास की कुल लागत को पूरा नहीं भी कर सकती है और लाभार्थी को कम से कम श्रम के माध्यम से योगदान करना पड़ता है। इसके होते हुए भी, आईएवाई के अंतर्गत वित्तीय सहायता के मानकों में समय-समय पर संशोधन किया जाता है और सामग्री की लागत में वृद्धि आदि जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। आवास की लागत में वृद्धि के मद्देनजर आईएवाई हेतु वित्तीय सहायता में और बढ़ोत्तरी संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान इंदिरा आवास योजना के बारे में अनियमितताओं एवं कमियों के संबंध में प्राप्त शिकायतें

* बिहार के कटिहार जिले में आईएवाई आवासों के आबंटन में दुर्विनियोजन के संबंध में श्री युवराज, पूर्व संसद सदस्य (लोक सभा) से एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

की-गई-कार्रवाई

मामले की राष्ट्र-स्तरीय निगरानीकर्ता ने जांच की थी और कुछ अनियमितताएं पाई थीं। इस मामले को बिहार की राज्य सरकार के साथ उठाया गया था। राज्य सरकार से इस बारे में रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

* बिहार के गया जिले के तीन ब्लाकों अर्थात् अटरी, मोहरा तथा बथानी की 8 ग्राम पंचायतों में आईएवाई के अंतर्गत निधियों के कथित दुर्विनियोजन के बारे में श्रीमती कुन्ती देवी, विधायक, बिहार विधान सभा से शिकायत प्राप्त हुई थी।

की-गई-कार्रवाई

इस मामले की जांच करने के लिए राष्ट्र-स्तरीय निगरानीकर्ता (एनएलएम) की नियुक्ति की गई थी। एनएलएम की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ अनियमितताएं पाई गई थीं जिन्हें बिहार सरकार को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था। इस संबंध में राज्य सरकार की टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।

* बिहार के सीतामढ़ी जिले में आईएवाई योजना के अंतर्गत निधियों के दुरुपयोग के बारे में श्री संजय कुमार गुप्ता, विधायक, बिहार से शिकायत प्राप्त हुई थी।

की-गई-कार्रवाई

मामले की स्थल पर ही जांच करने के लिए एनएलएम को नियुक्त किया गया है। एनएलएम की रिपोर्ट मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है।

* श्री सीताराम यादव, सांसद (लोक सभा) से शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आईएवाई के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में ग्राम पंचायत-यूजार मध्य, ब्लाक कटरा, जिला मुजफ्फरपुर के ग्रामवासियों की शिकायतें अग्रेषित की गई थीं।

की-गई-कार्रवाई

मामले की एनएलएम द्वारा जांच की गई थी जिन्होंने कुछ अनियमितताएं पाई थीं। उन्हें राज्य सरकार को भेजा गया था। इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

* उड़ीसा में भीषण चक्रवात तथा बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के लिए नियत निधियों के दुरुपयोग के बारे में श्री जे.बी. पटनायक, नेता प्रतिपक्ष, उड़ीसा विधान सभा से शिकायत प्राप्त हुई थी।

की-गई-कार्रवाई

ग्रामीण विकास मंत्री जी ने इस मामले की जांच कराने का आदेश दिया है जिस पर कार्रवाई की जा रही है।

* उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में आईएवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में कैप्टन जगमाल सिंह वर्मा, वरिष्ठ नागरिक, गांव-कुडी कमालपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश से शिकायत प्राप्त हुई थी।

की-गई-कार्रवाई

मामले की एनएलएम द्वारा जांच की गई थी जिन्होंने कुछ अनियमितताएं पाई थीं। उन्हें उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के साथ उठाया गया था। राज्य सरकार ने एनएलएम की रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की हैं।

* राजस्थान के चूरू जिले में आईएवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के बारे में डा. चन्द्रशेखर वैद, विधायक से शिकायत प्राप्त हुई थी।

की-गई-कार्रवाई

राजस्थान सरकार के साथ मामला उठाया गया था। जिला प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार, दोषी लाभार्थियों से आईएवाई राशि की वसूली के लिए आदेश जारी किया गया था। जिले से अंतिम रिपोर्ट आनी बाकी है।

* उड़ीसा में भीषण चक्रवात तथा बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के लिए नियत निधियों के दुरुपयोग के संबंध में श्री सीताकान्त महापात्र, विधायक से शिकायत प्राप्त हुई थी।

की-गई-कार्रवाई

ग्रामीण विकास मंत्री जी ने मामले की जांच कराने का आदेश दिया है जिस पर कार्रवाई की जा रही है।

* उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में आईएवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, किसान मंच, उत्तर प्रदेश, निवासी-गांव जानूवधी खुर्द, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से शिकायत प्राप्त हुई थी।

की-गई-कार्रवाई

मामले की एनएलएम द्वारा जांच की गई थी जिन्होंने कुछ अनियमितताएं पाई थीं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया था। इस बारे में स्थिति रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

* पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एनएलएम की जांच से कुछ कमियों का पता चला है।

की-गई-कार्रवाई

पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मामला उठाया गया है और उनसे इस बारे में टिप्पणियों/की-गई-कार्रवाई रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है जो कि अभी प्रतीक्षित है।

गायब हो जाने वाली कंपनियां

***98. श्री हितेन बर्मन:**
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत तीन वर्षों के दौरान कई कंपनियां पब्लिक इश्यू के माध्यम से जनता से धन की उगाही करने के बाद गायब हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कंपनियों से संबंधित गठित की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो यह समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी;

(ङ) क्या सरकार ने निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए ऐसी चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद्र गुप्ता): (क) और (ख) लुप्त कंपनियों की पहचान हेतु विशेष मानदंड अपनाए गए हैं। इन मानदंडों के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से जनता से निधियों की उगाही करने के पश्चात् कोई भी कंपनी लुप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) लुप्त कंपनियों एवं उनके प्रवर्तकों से संबंधित मुद्दों की जांच करने तथा उनके खिलाफ की-गई-कार्रवाई की प्रगति की निगरानी करने हेतु सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय एवं अध्यक्ष, सेबी की सह-अध्यक्षता में केन्द्रीय समन्वय एवं निगरानी समिति (सीएमसी) का गठन किया गया है। इस समिति का कार्य सतत प्रकृति का है।

(ङ) और (च) जबकि पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई भी कंपनी लुप्त नहीं हुई है, मूल रूप से 229 कंपनियों की लुप्त कंपनियों के रूप में पहचान की गई थी जो वर्ष 1992-98 की अवधि के दौरान आईपीओज के साथ आई थीं। सीएमसी के अनवरत प्रयासों से 116 कंपनियों को ढूंढ लिया गया है जिसके परिणामस्वरूप अब लुप्त कंपनियों की संख्या घटकर 113 हो गई है। पुनः सीएमसी ने 9 और लुप्त कंपनियों को भी लुप्त कंपनियों की सूची में शामिल किया है जो वर्ष 1998-2001 के दौरान आईपीओज के साथ आई थीं। कंपनी अधिनियम, 1956 के संबंधित उपबंधों तथा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अंतर्गत सरकार द्वारा लुप्त कंपनियों एवं उनके प्रवर्तकों/निदेशकों के खिलाफ निम्नलिखित कार्रवाई की गई हैं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 62/63, 68 एवं 628 के अंतर्गत अभियोजन दायर किए गए।

(2) सांविधिक विवरणियों की फाइलिंग न करने हेतु कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अभियोजन दायर किए गए।

(3) भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्टें भी दायर/पंजीकृत किए गए हैं।

(4) सेबी ने सेबी अधिनियम की धारा 11ख के अंतर्गत प्रवर्तकों/निदेशकों को पांच वर्षों की अवधि के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करने से रोक दिया है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शेयरों की खरीद

*99. **श्री पी. मोहन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के शेयरों की बिक्री की प्रस्तावित योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों को शेयर बाजार में राष्ट्रीयकृत बैंकों के शेयर खरीदने की अनुमति दिए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस उपाय का बैंकिंग आपरेशन तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ग) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/80 की धारा 3(2घ) व्यक्तियों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और अन्य कार्पोरेटों सहित अप्रवासियों को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की कुल चुकता पूंजी के 20 प्रतिशत से अनधिक शेयर धारित करने या प्राप्त करने की अनुमति देती है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, व्यक्तिगत विदेशी संस्थागत निवेशक की शेयरधारिता को किसी बैंक की चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत तक सीमित करते हैं। इन सांविधिक प्रावधानों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा

*100. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:**
श्री सर्वे सत्यनारायण:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आजकल विद्युत की अत्यधिक कमी चल रही है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार राज्यों में विद्युत की कमी मांग की तुलना में राज्य-वार कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार न केवल विद्युत उत्पादन तथा विद्युत पारेषण में सक्षमता हासिल करने बल्कि कम लागत के लिहाज से उपभोक्ताओं के लिए बेहतर विकल्प हेतु निजी कंपनियों के लिए विद्युत क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) देश में विद्युत की समग्र रूप से कमी है, ये कमियां राज्य-दर-राज्य, मौसम-दर-मौसम तथा दिन के अलग-अलग समय में विद्युत की मांग व आपूर्ति के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है। वर्तमान वर्ष के दौरान (अप्रैल से जुलाई, 2007) देश में समग्र ऊर्जा कमी और व्यस्ततमकालीन कमी क्रमशः 7.9% और 13.4% थी। जुलाई, 2007 तथा अप्रैल से जुलाई, 2007 के दौरान राज्यवार वास्तविक विद्युत आपूर्ति की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना विद्युत अधिनियम, 2003 के लक्ष्यों में से एक है।

अधिनियम के अंतर्गत यथोचित विनियामक आयोग को वह टैरिफ स्वीकार करने अपेक्षित होंगे जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किए गए हों। केंद्र सरकार वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत प्राप्त करने के लिए बोली प्रक्रिया के माध्यम से टैरिफ निर्धारित किए जाने हेतु दिशानिर्देश पहले ही जारी कर चुकी है। वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत प्रतिस्पर्धात्मक रूप में प्राप्त किए जाने पर विद्युत प्राप्ति की समग्र लागत के कम हो जाने तथा विद्युत बाजारों का विकास सुगम बन जाने की प्रत्याशा है। केंद्र सरकार ने "पारेषण सेवा संबंधी टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया दिशानिर्देश" के बारे में भी दिशानिर्देश जारी किए हैं।

टैरिफ नीति में यह भी निर्धारित है कि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत की भावी आवश्यकता प्रतिस्पर्धात्मक रूप में प्राप्त करनी होगी। नीति का संबंधित उद्धरण पुनः प्रस्तुत किया गया है।

"वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक रूप से विद्युत की सभी भावी आवश्यकताओं को प्राप्त किया जाना चाहिए सिवाय मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार करने के मामले में, अथवा जहां पर चिन्हित किए गए विकासकर्त्ता के रूप में राज्य द्वारा नियंत्रित/स्वामित्व वाली कंपनी हो और जहां पर रेग्यूलेटरों को मानकों पर आधारित, टैरिफ निर्धारण का सहारा लेना पड़ता हो बशर्ते कि इस प्रयोजनार्थ निजी विकासकर्ताओं द्वारा विद्युत उत्पादन क्षमता का विस्तार किया जाना एक समय की अभीवृद्धि तक ही सीमित होगी जो कि विद्यमान क्षमता के 50% से अधिक नहीं होगी।

यहां तक कि सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के संबंध में भी सभी नई विद्युत उत्पादन एवं पारेषण परियोजनाओं की टैरिफ का निर्णय पांच वर्षों की अवधि के पश्चात अथवा जब विनियामक आयोग इस बात से संतुष्ट हो जाए कि वर्तमान स्थिति इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा आरम्भ करने के लिए अनुकूल है के बाद प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के आधार पर किया जाना चाहिए।"

विद्युत अधिनियम, 2003 में राज्य आयोगों के लिए अपेक्षित है कि वे 27 जनवरी, 2009 तक विनियम द्वारा उन सभी उपभोक्ताओं को विद्युत हेतु खुली पहुंच प्रदान करें जिनके लिए आमुख समय में उपलब्ध कराई जाने वाली अधिकतम विद्युत के लिए आपूर्ति की आवश्यकता एक मेगावाट से अधिक हो। अधिनियम के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी टैरिफ नीति में निर्धारित किया गया है कि जिस भी राज्य में स्थिति अनुकूल बनती है वहां विनियामक आयोग यहां तक कि सीमा रेखा से पहले भी इस प्रकार की खुली पहुंच आरंभ कर सकते हैं।

अधिनियम में एक ही क्षेत्र में दो या अधिक व्यक्तियों को उनकी अपनी वितरण प्रणाली के जरिए विद्युत का वितरण करने हेतु लाइसेंस देने का भी प्रावधान है।

विवरण

विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति (अनंतिम)

(आंकड़े मि.यू. निवल में)

राज्य प्रणाली क्षेत्र	जुलाई, 2007				अप्रैल-जुलाई, 2007			
	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी(-) (मि.यू.)	अधिशेष/कमी(-) (%)	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी(-) (मि.यू.)	अधिशेष/कमी(-) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	144	144	0	0.0	549	549	0	0.0
दिल्ली	2,329	2,324	-5	-0.2	8,650	8,630	-2C	-0.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरियाणा	2,953	2,753	-200	-6.8	9,841	9,122	-719	-7.3
हिमाचल प्रदेश	511	511	0	0.0	1,921	1,910	-11	-0.6
जम्मू-कश्मीर	712	642	-70	-9.8	3,423	2,571	-852	-24.9
पंजाब	4,908	4,708	-200	-4.1	15,439	14,888	-551	-3.6
राजस्थान	2,593	2,593	0	0.0	11,023	10,984	-39	-0.4
उत्तर प्रदेश	5,334	4,584	-750	-14.1	20,754	18,225	-2,529	-12.2
उत्तरांचल	596	596	0	0.0	2,264	2,231	-33	-1.5
उत्तरी क्षेत्र	20,080	18,855	-1,225	-6.1	73,864	69,110	-4,754	-6.4
छत्तीसगढ़	1,164	1,116	-48	-4.1	4,746	4,467	-279	-5.9
गुजरात	4,457	4,079	-378	-8.5	21,727	18,773	-2,954	-13.6
मध्य प्रदेश	2,428	2,358	-70	-2.9	11,430	10,170	-1,260	-11.0
महाराष्ट्र	8,247	7,361	-886	-10.7	37,287	30,647	-6,640	-17.8
दमन और दीव	139	125	-14	-10.1	557	504	-53	-9.5
दादरा और नगर हवेली	260	260	0	0.0	1,076	1,076	0	0.0
गोवा	222	221	-1	-0.5	929	920	-9	-1.0
पश्चिमी क्षेत्र	16,917	15,520	-1,397	-8.3	77,752	66,557	-11,195	-14.4
आंध्र प्रदेश	5,259	5,096	-163	-3.1	20,561	19,453	-1,108	-5.4
कर्नाटक	3,058	3,031	-27	-0.9	12,924	12,609	-315	-2.4
केरल	1,203	1,191	-12	-1.0	5,105	4,993	-112	-2.2
तमिलनाडु	5,634	5,593	-41	-0.7	22,070	21,712	-358	-1.6
पांडिचेरी	161	161	0	0.0	641	641	0	0.0
लक्षद्वीप#	2	2	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	15,315	15,072	-243	-1.6	61,301	59,408	-1,893	-3.1
बिहार	734	680	-54	-7.4	2,980	2,754	-226	-7.6
डीवीसी	1,092	1,078	-14	-1.3	4,375	4,292	-83	-1.9
झारखंड	386	369	-17	-4.4	1,565	1,498	-67	-4.3
उड़ीसा	1,612	1,594	-18	-1.1	6,083	5,986	-97	-1.6
पश्चिम बंगाल	2,463	2,402	-61	-2.5	9,999	9,715	-284	-2.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
सिक्किम	21	20	-1	-4.8	84	82	-2	-2.4
अंडमान निकोबार#	20	15	-5	-25	80	60	-20	-25.0
पूर्वी क्षेत्र	6,308	6,143	-165	-2.6	25,086	24,327	-759	-3.0
अरुणाचल प्रदेश	28	26	-2	-7.1	120	102	-18	-15.0
असम	445	420	-25	-5.6	1,557	1,442	-115	-7.4
मणिपुर	50	47	-3	-6.0	153	139	-14	-9.2
मेघालय	154	125	-29	-18.8	534	370	-164	-30.7
मिजोरम	24	19	-5	-20.8	93	72	-21	-22.6
नागालैंड	29	26	-3	-10.3	132	115	-17	-12.9
त्रिपुरा	68	62	-6	-8.8	242	223	-19	-7.9
पूर्वोत्तर क्षेत्र	798	725	-73	-9.1	2,831	2,463	-368	-13.0
अखिल भारत	59,418	56,315	-3,103	-5.2	240,834	221,865	-18,969	-7.9

#लक्षद्वीप तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्टैंड एलोन प्रणालियां हैं इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का हिस्सा नहीं हैं।

नोट- व्यस्ततमकालीन मांग की पूर्ति एवं ऊर्जा उपलब्धता दोनों विभिन्न राज्यों में निवल खपत दर्शाते हैं (पारेषण हानियों समेत) आयात करने वाले राज्यों की खपत में निवल निर्यात की गणना की गई है।

न्यूनतमकालीन मांग/व्यस्ततमकालीन आपूर्ति (अनंतिम)

(आंकड़े निवल मे.वा. में)

राज्य प्रणाली क्षेत्र	जुलाई, 2007				अप्रैल-जुलाई, 2007			
	व्यस्ततमकालीन मांग (मेगावाट)	व्यस्ततमकालीन पूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी(-) (मेगावाट)	अधिशेष/कमी(-) (%)	व्यस्ततमकालीन मांग (मेगावाट)	व्यस्ततमकालीन पूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी(-) (मेगावाट)	अधिशेष/कमी(-) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	264	264	0	0.0	275	275	0	0.0
दिल्ली	3,909	3,903	-6	-0.2	4,075	4,030	-45	-1.1
हरियाणा	5,000	4,433	-567	-11.3	5,000	4,583	-417	-8.3
हिमाचल प्रदेश	874	874	0	0.0	874	874	0	0.0
जम्मू-कश्मीर	1,377	1,227	-150	-10.9	1,700	1,306	-394	-23.2
पंजाब	8,000	6,987	-1,013	-12.7	8,000	7,052	-948	-11.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
राजस्थान	4,088	4,088	0	0.0	4,792	4,792	0	0.0
उत्तर प्रदेश	9,000	8,264	-736	-8.2	9,228	8,328	-900	-9.8
उत्तरांचल	1,054	1,054	0	0.0	1,099	1,080	-19	-1.7
उत्तरी क्षेत्र	32,072	29,414	-2,658	-8.3	32,072	29,414	-2,658	-8.3
छत्तीसगढ़	2,064	1,823	-241	-11.7	2,266	1,853	-413	-18.2
गुजरात	9,642	7,982	-1,660	-17.2	10,728	8,376	-2,352	-21.9
मध्य प्रदेश	4,172	4,151	-21	-0.5	5,932	4,829	-1,103	-18.6
महाराष्ट्र	15,127	11,242	-3,885	-25.7	18,441	12,837	-5,604	-30.4
दमन और दीव	218	199	-19	-8.7	218	199	-19	-8.7
दादरा और नगर हवेली	433	398	-35	-8.1	433	398	-35	-8.1
गोवा	404	376	-28	-6.9	457	408	-49	-10.7
पश्चिमी क्षेत्र	30,397	24,268	-6,129	-20.2	36,371	26,732	-9,639	-26.5
आंध्र प्रदेश	8,410	7,866	-544	-6.5	9,701	8,641	-1,060	-10.9
कर्नाटक	4,850	4,715	-135	-2.8	6,583	5,506	-1,077	-16.4
केरल	2,556	2,545	-11	-0.4	2,764	2,711	-53	-1.9
तमिलनाडु	8,716	8,561	-155	-1.8	8,776	8,591	-185	-2.1
पांडिचेरी	245	245	0	0.0	276	276	0	0.0
लक्षद्वीप#	6	6	0	0	6	6	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	24,083	23,207	-876	-3.6	25,682	24,194	-1,488	-5.8
बिहार	1,493	1,243	-250	-16.7	1,493	1,243	-250	-16.7
डीवीसी	1,733	1,715	-18	-1.0	1,787	1,757	-30	-1.7
झारखंड	660	651	-9	-1.4	672	672	0	0.0
उड़ीसा	2,725	2,669	-56	-2.1	2,725	2,669	-56	-2.1
पश्चिम बंगाल	4,763	4,714	-49	-1.0	4,887	4,854	-33	-0.7
सिक्किम	45	45	0	0.0	45	45	0	0.0
अंडमान निकोबार#	40	32	-8	-20	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	10,874	10,510	-364	-3.3	10,874	10,562	-312	-2.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अरूणाचल प्रदेश	78	57	-21	-26.9	81	57	-24	-29.6
असम	799	707	-92	-11.5	829	707	-122	-14.7
मणिपुर	100	90	-10	-10.0	100	90	-10	-10.0
मेघालय	388	278	-110	-28.4	404	278	-126	-31.2
मिजोरम	60	52	-8	-13.3	77	52	-25	-32.5
नागालैंड	82	82	0	0.0	82	82	0	0.0
त्रिपुरा	142	141	-1	-0.7	147	141	-6	-4.1
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1,589	1,343	-246	-15.5	1,589	1,343	-246	-15.5
अखिल भारत	99,015	88,742	-10,273	-10.4	102,428	88,742	-13,686	-13.4

#लक्षद्वीप तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्टैंड एलोन प्रणालियां हैं इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का हिस्सा नहीं हैं।

नोट-व्यस्ततमकालीन मांग की पूर्ति एवं ऊर्जा उपलब्धता दोनों विभिन्न राज्यों में निवल खपत दर्शाते हैं (पारेषण हानियों समेत) आयात करने वाले राज्यों की खपत में निवल निर्यात की गणना की गई है।

[हिन्दी]

चूककर्ता श्रेणी के अंतर्गत कंपनियां

751. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में ऐसी कितनी औद्योगिक इकाइयां/कंपनियां हैं जिन्हें विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा चूककर्ता श्रेणी में रखा गया है;

(ख) इनमें से ऐसी कितनी चूककर्ता इकाइयां/कंपनियां हैं जिनके विरुद्ध उनके द्वारा बरती गई वित्तीय अनियमितताओं के लिए जांच शुरू की गई है; और

(ग) ऐसे कितने चूककर्ता हैं जो चूककर्ता होने के बावजूद भी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने में सफल रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (सीआईबीआईएल) के अनुसार 30 सितम्बर, 2006 तक मध्य प्रदेश में 1 करोड़ रुपए और उसके ऊपर की राशि के चूककर्ताओं के गैर-वाद खातों की दर्ज संख्या 77 है।

(ख) यथा उपलब्ध सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक को इस तरह की किसी भी विशिष्ट घटना की जानकारी नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण अग्रिम

752. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को आवास निर्माण/खरीद/नवीकरण के प्रयोजनार्थ आवास निर्माण अग्रिम दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी शर्तें क्या हैं;

(ग) आवास निर्माण अग्रिम के लिए प्राप्त आवेदनों का ब्यौरा क्या है, उन पर क्या कार्रवाई की गई तथा गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि जारी की गई है;

(घ) क्या भवन निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर सरकार द्वारा उक्त आवास निर्माण अग्रिम की उच्चतम सीमा को बढ़ाए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) सरकारी कर्मचारियों को मकान/फ्लैट के निर्माण/खरीद के प्रयोजन से मकान निर्माण अग्रिम ग्राह्य है। मकानों के नवीनीकरण के लिए मकान निर्माण अग्रिम ग्राह्य नहीं है।

(ख) सरकारी कर्मचारियों को मकान निर्माण अग्रिम निम्नलिखित प्रयोजनार्थ ग्राह्य है:-

(1) भूखंड खरीदने तथा उस पर मकान निर्माण करने अथवा स्व-वित्तपोषित आधार पर सहकारी समूह आवास सोसायटियों की सदस्यता के मार्फत मकान प्राप्त करने के लिए।

(2) आवास बोर्डों, विकास प्राधिकरणों तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अन्य स्वायत्तशासी अथवा अर्धसरकारी निकायों से तथा साथ ही निजि पंजीकृत निर्माताओं से, न कि निजि व्यक्तियों से, नए निर्मित मकान/फ्लैट की सीधी खरीद के लिए।

(3) किसी कर्मचारी अथवा उसकी पत्नी/पति के संयुक्त स्वामित्व वाले मौजूदा मकान में रिहायशी वास के विस्तार के लिए।

अग्रिम की राशि

(1) मूल वेतन तथा महंगाई वेतन (डीपी) को मिलाकर उसके 34 गुणा के बराबर राशि से अधिक न हो, परंतु मकान/फ्लैट के निर्माण/खरीद के मामले में अधिकतम 7.5 लाख रुपये तथा मकान/फ्लैट के विस्तार के मामले में अधिकतम 1.8 लाख रु. होगी।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण के मामले में, भूमि तथा मकान निर्माण की वास्तविक लागत अथवा रिहायशी वास के विस्तार के मामले में वास्तविक लागत के 80% तक सीमित होगी। यदि कार्यालय अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि संबंधित ग्रामीण क्षेत्र किसी कस्बे अथवा शहर की परिधि में आता है, तो इस राशि में ढील देकर 100% तक स्वीकृति दी जा सकती है।

अनुपालनार्थ शर्तें

(1) सरकारी कर्मचारी को उसकी पूरी सेवा के दौरान केवल एक अग्रिम स्वीकृत किया जाएगा।

(2) कर्मचारी अथवा कर्मचारी की पत्नी/पति/अव्यस्क बच्चे के पास उस कस्बे/शहरी समूह में पहले से कोई मकान नहीं होना चाहिए, जहां पर मकान निर्माण अग्रिम लेकर मकान का निर्माण अथवा अर्जन करने का प्रस्ताव है।

(3) भूमि का स्वामित्वाधिकार सुस्पष्ट होना चाहिए; भूमि का स्वामित्व कर्मचारी अथवा कर्मचारी व कर्मचारी की पत्नी/पति के नाम संयुक्त रूप से होना चाहिए।

(4) निर्मित/खरीदे जाने वाले मकान की लागत (भूखंड की लागत निकालकर), 134 गुणा (मूल वेतन + महंगाई वेतन) से अधिक नहीं हो, परंतु न्यूनतम 7.5 लाख रु. तथा अधिकतम 18 लाख रु. हो।

(ग) जहां तक गत तीन वर्षों के दौरान मकान निर्माण अग्रिम की स्वीकृति हेतु प्राप्त व कार्रवाई किए गए आवेदनों और जारी धनराशि के ब्यौरों का संबंध है, यह बताया जाता है कि यह मंत्रालय सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त मकान निर्माण अग्रिम के आवेदन पर कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि मकान निर्माण अग्रिम की स्वीकृति के लिए संबंधित कर्मचारियों से प्राप्त मकान निर्माण अग्रिम आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। अत: गत तीन वर्षों में प्राप्त आवेदनों व उन पर की गयी कार्रवाई तथा जारी धनराशि के ब्यौरे इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) मंत्रालय के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान निर्माण अग्रिम की स्वीकृति के लिए मकान के निर्माण खरीद/की अधिकतम लागत सीमा में संशोधन करने के लिए छठे वेतन आयोग के विचारार्थ प्रस्ताव भेजा है।

टकसालों का आधुनिकीकरण

753. श्री रामदास आठवले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सिक्कों की मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए टकसालों का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो आधुनिकीकरण का कार्य कब तक शुरू और पूरा होने की संभावना है;

(ग) इस समय प्रत्येक टकसाल में ढाले जा रहे सिक्कों और मूल्यवर्ग-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) आधुनिकीकरण के बाद प्रत्येक टकसाल में कितने सिक्के ढाले जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) टकसालों का आधुनिकीकरण और स्तरोन्नयन एक सतत प्रक्रिया है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निवेदित मांग को पूरा करने की टकसालों के पास पर्याप्त क्षमता है।

वर्ष 2006-07 के दौरान प्रत्येक टकसाल में उत्पादित सिक्कों की संख्या निम्नानुसार है:-

2006-07

टकसाल का नाम	मूल्य वर्ग (मिलियन अदद)			
भारत सरकार टकसाल	एक रुपया	दो रुपए	5 रुपए	10 रुपए
हैदराबाद	शून्य	221.9		
मुम्बई	शून्य	143.3		
कोलकाता	शून्य	259.8	2.5	
नोएडा	5.7	26.7		16.9

[अनुवाद]

किसानों के लिए ऋण सुविधा

754. श्रीमती नीता पटैरिया:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में 89.3 मिलियन किसान परिवारों में से 51.4 प्रतिशत किसान संस्थागत अथवा गैर-संस्थागत स्रोतों से ऋण प्राप्त नहीं कर सकते;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा "किसान परिवारों की ऋणग्रस्तता" (किसानों के स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण-59वां दौर के भाग के रूप में) पर 2003 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 89.35 मिलियन में से 43.42 मिलियन (48.6%) किसान परिवारों के ऋणग्रस्त होने की सूचना थी। परिणामस्वरूप, 51.4% किसान परिवार की संस्थागत या गैर-संस्थागत किसी भी स्रोत तक पहुंच नहीं थी।

(ग) सरकार ने वित्तीय समावेशन को सुगम बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं:-

* बैंकों को सलाह दी गयी है कि वे या तो शून्य या बहुत कम न्यूनतम शेष से मुख्य बैंकिंग 'अतिरिक्त सुविधा रहित' खाता मुहैया करवाएं।
* अतिरिक्त सुविधा रहित खाता खोलने के नियमों को आसान बनाया गया है।
* क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बिना किसी जमानती के, अतिरिक्त सुविधा रहित खातों में सीमित ओवरड्राफ्ट सुविधाओं की अनुमति देने की सलाह दी गयी है।
* एक बार में भुगतान योजना के तहत, ऋण का भुगतान करने वाले छोटे उधारकर्ताओं को नए ऋण प्राप्त करने का पात्र बनाया गया है।
* जमानत राशि, उद्देश्य या ऋण के अंतिम प्रयोग के आग्रह के बिना, उपयुक्त लाभार्थियों को सामान्य क्रेडिट कार्ड जारी करना।
* बैंकों को वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने में गैर-सरकारी संगठनों, स्वसहायता समूहों, व्यष्टि वित्त संस्थानों और अन्य नागरिक समाज संगठनों की, मध्यस्थ के रूप में सेवाएं लेने की अनुमति दी गयी है।
* सभी राज्य स्तरीय बैंककारी समिति के संयोजक बैंकों को 100% वित्तीय समावेशन के लिए अपने-अपने राज्य/संघीय प्रदेशों के कम से कम एक जिले की पहचान हेतु कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। कई राज्यों में, एसएलबीसी ने 100% वित्तीय समावेशन हेतु बड़ी संख्या में जिलों की पहचान की गई है और उन्हें कवर करने के लिए कदम उठाए हैं।
* बैंकों को वित्तीय समावेशन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयास बढ़ाने के लिए कहा गया है।

सिडबी द्वारा ऋण संवितरण

755. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना की गई है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा कितना ऋण संवितरित किया गया है;

(ख) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का विचार अपने क्रियाकलापों का विस्तार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यमों की कुल संख्या क्रमशः 118.59, 123.42 और 128.44 लाख है। इस दौरान भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यमों को 18992.80 करोड़ रुपए की राशि वितरित की है।

(ख) और (ग) 31.3.2007 तक विद्यमान 64 शाखाओं की तुलना में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की वर्ष 2009 तक 100 शाखाएं खोलने की योजना है। तेजी से बढ़ने वाले लघु एवं मझौले उद्यमों को इक्विटी/शेयर सहायता देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने 100 करोड़ रुपए का एक कोष भी बनाया है। इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को बैंकों और संस्थाओं से बिना समर्थक प्रतिभूति/अन्य व्यक्ति की गारंटी के ऋण प्राप्त करने में, इक्विटी पूंजी सहायता के लिए तथा लघु एवं मझौले उद्यम इकाई को प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाएं देने के लिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने भारत सरकार और बैंकों के साथ मिलकर कई सहयोगी संस्थाओं का संवर्धन किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जलापूर्ति योजना

756. श्री गिरिधारी यादव: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में ऐसे कितने कस्बे और शहर हैं जहां पर त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) क्या इन शहरों में उक्त योजना के अंतर्गत कार्य की प्रगति बहुत धीमी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य की गति को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ग्राम ऊर्जा सुरक्षा

757. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बायोमास के संग्रहण के लिए ग्रामों/तालुका में एक सहकारी आंदोलन शुरू करने और बायोमास से विद्युत उत्पादन और वितरण में उन्हें हिस्सेदार के रूप में शामिल करने की किसी योजना पर विचार किया है ताकि ग्राम स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा प्रदान की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) ऐसा कोई सहकारी आंदोलन आरंभ करने की योजना नहीं बनाई गई है। तथापि, स्थानीय रूप से उपलब्ध बायोमास संसाधनों के इस्तेमाल से कुकिंग, रोशनी और मोटिव पावर संबंधी संपूर्ण ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्राम ऊर्जा सुरक्षा पर परीक्षण परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यथाविधि गठित एक ग्राम ऊर्जा समिति के माध्यम से इन परियोजनाओं की योजना बनाने और कार्यान्वयन में महिलाओं सहित ग्राम समुदाय को शामिल किया जाता है। यह समिति बायोमास सामग्री की आपूर्ति को सुनिश्चित करने, ऊर्जा उत्पादन यूनिटों के प्रचालन और इन परियोजनाओं के समग्र प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। इस समय 11 राज्यों में 79 परीक्षण परियोजनाएं कार्यान्वयन के अंतर्गत हैं।

[हिन्दी]

द्वारका में काआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज

758. श्री नवीन जिन्दल: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रजिस्ट्रार आफ काआपरेटिव हाउसिंग सोसायटिज ने द्वारका, नई दिल्ली में बड़ी संख्या में काआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों (सी.जी.एच.एस.) द्वारा फ्लैटों के आबंटन की स्वीकृति को कानूनी अड़चनों के कारण लंबे समय से रोका हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में कानूनी अड़चन दूर कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो द्वारका में उन काआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों का ब्यौरा क्या है, जिनके आबंटन रोके गए हैं और किस तारीख से लंबित हैं;

(घ) क्या सरकार प्रतीक्षा सूची में दर्ज हजारों आवेदकों/सदस्यों को राहत पहुंचाने के लिए उक्त कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के फ्लैटों को शीघ्र आबंटित करने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं, तथा काआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के सभी सदस्यों को उनके फ्लैट कब तक आबंटित कर दिए जाएंगे?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) सहकारी समितियों के पंजीयक (आरसीएस) ने यह सूचित किया है कि द्वारका में सहकारी समूह आवास सोसायटियों (सीजीएचएस) में फ्लैटों का आबंटन मुख्यत: (1) दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों पर सी.बी.आई. द्वारा जांच; (2) सोसायटियों द्वारा सदस्यों के पंजीयन में दिल्ली सहकारी समिति (डीसीएस) नियमावली, 1973 के नियम 24(2) के उल्लंघन तथा सोसायटियों द्वारा फ्लैटों के आबंटन के लिए अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण रोका हुआ है।

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सहकारी समिति नियमावली, 1973 के नियम 24(2) का उल्लंघन करके पंजीकृत किए गए सदस्यों को प्रारंभ से ही गैर-कानूनी घोषित किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सहकारी समिति नियमावली, 1973 के नियम 24(2) की संवैधानिक वैधता की भी पुष्टि की है।

(ग) द्वारका में सहकारी समूह आवास समितियों, जिनका आबंटन रोका गया है तथा उनके लंबित रहने की तारीखों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) सहकारी समितियों के पंजीयक ने यह बताया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेहरू सीजीएचएस बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार मामले में सिविल रिट याचिका सं. 19967/2004 में दिनांक 7.9.2006 के अपने आदेश के तहत, दिल्ली सहकारी समिति नियमावली, 1973 के नियम, 24(2) का उल्लंघन करके पंजीकृत किए गए सदस्यों को प्रारंभ से ही गैर-कानूनी घोषित किया है और साथ ही सी.बी.आई./अपराध शाखा को, अभिकथित उल्लंघनों के लिए ऐसी सोसायटियों की जांच करने का निदेश दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजीव मुखोपाध्याय बनाम आर सी एस मामले में सिविल रिट याचिका सं. 1403-14/2006 में अपने दिनांक 2.7.2007 के आदेश के तहत दिल्ली सहकारी समिति नियमावली, 1973 के नियम 24(2) की संवैधानिक वैधता की भी पुष्टि की है। सदस्यों को सहकारी समूह आवास सोसायटियों के फ्लैटों के आबंटन पर, सी.बी.आई. जांच पूरी होने, सोसायटियों द्वारा फ्लैटों के आबंटन के लिए सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालय को अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने और सहकारी समितियों के पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा सदस्यता की स्वीकृति दिए जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

विवरण

क्र.सं.	सोसायटी का नाम	ड्रा के लिए आवेदन करने की तारीख
1	2	3
1.	अशोका एंकलेव सी.जी.एच.एस. लि.	15.12.05
2.	आई.आई.टी. इंजीनियर्स सी.जी.एच.एस. लि.	14.10.05
3.	रामा कृष्णा सी.जी.एच.एस. लि.	15.03.05
4.	इंटरप्रेन्यूर्स सी.जी.एच.एस. लि.	23.07.06
5.	गोल्ड क्राफ्ट सी.जी.एच.एस. लि.	11.02.07
6.	संचार विहार सी.जी.एच.एस. लि.	अक्टूबर, 2006
7.	दिल्ली अपार्टमेंट सी.जी.एच.एस. लि.	30.09.05
8.	आशा दीप सी.जी.एच.एस. लि.	24.07.04

1	2	3
9.	कुंज विहार सी.जी.एच.एस. लि.	मार्च, 2006
10.	सपना घर सी.जी.एच.एस. लि.	मार्च, 2006
11.	गांधी आश्रम सी.जी.एच.एस. लि.	दिसम्बर, 2005
12.	विश्वास नगर सी.जी.एच.एस. लि.	अक्टूबर, 2006
13.	सत्यम सी.जी.एच.एस. लि.	मार्च, 2005
14.	सन्मति सी.जी.एच.एस. लि.	अक्टूबर, 2005
15.	नावल टेक. सी.जी.एच.एस. लि.	मार्च, 2006
16.	अंजना सी.जी.एच.एस. लि.	25.01.06
17.	सेठ विहार सी.जी.एच.एस. लि.	20.09.06
18.	संत सुंदर दास सी.जी.एच.एस. लि.	26.05.06
19.	नव जीवन सी.जी.एच.एस. लि.	13.02.07
20.	सावन सी.जी.एच.एस. लि.	01.04.07
21.	सुरंगिनी सी.जी.एच.एस. लि.	21.11.05
22.	स्वामी दयानन्द सी.जी.एच.एस. लि.	01.11.06
23.	मैनेजमेंट अल्मुनि सी.जी.एच.एस. लि.	29.04.03
24.	जवाहरलाल सी.जी.एच.एस. लि.	08.05.07
25.	चोपड़ा सी.जी.एच.एस. लि.	06.04.03
26.	भारत पैट्रोलियम सी.जी.एच.एस. लि.	05.09.05
27.	डायमण्ड स्क्वैयर सी.जी.एच.एस. लि.	22.01.07
28.	दिल्ली ट्रांसपोर्ट सी.जी.एच.एस. लि.	30.11.05
29.	नव निर्माण सी.जी.एच.एस. लि.	25.01.05
30.	ग्रेड ल्यालपुर सी.जी.एच.एस. लि.	13.09.06
31.	सदभावना सी.जी.एच.एस. लि.	26.05.05
32.	सरल सी.जी.एच.एस. लि.	18.09.06
33.	चिनार सी.जी.एच.एस. लि.	15.02.06
34.	कंसलटिंग इंजीनियर्स सी.जी.एच.एस. लि.	13.07.06
35.	वेग संचार सी.जी.एच.एस. लि.	15.12.05
36.	डी.डी.ए. इंजीनियर्स सी.जी.एच.एस. लि.	20.03.06
37.	एयर इंडिया इम्प्लाईज सी.जी.एच.एस. लि.	30.03.06
38.	शियाम सी.जी.एच.एस. लि.	28.08.04

बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयां

759. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लोगों को विशेषकर उड़ीसा में बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में बैंकों को कोई अनुदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जानकारी दी कि उनके पास इस संबंध में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है। आरबीआई ने, 5 मई, 2003 को अपने परिपत्र के जरिए "उदारदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता" के संबंध में बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित किया गया है कि उधारदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उधारकर्ताओं के ऋण आवेदन का उचित मूल्यांकन हो, उधारदाताओं को उधार देने के मामले में लिंग, जाति और धर्म के आधार पर उधारकर्ताओं के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, आदि। इसके अलावा, आरबीआई द्वारा मार्च 2007 में जारी अतिरिक्त निर्देशों के अनुसार, बैंकों से अपेक्षित है कि वे ग्राहक को ऋण की अस्वीकृति के कारण बताएं।

हिमाचल प्रदेश को वित्तीय सहायता

760. प्रो. प्रेम. कुमार धूमल: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को राज्य में लघु, मध्यम और बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एचपीएसईबी) को विद्युत परियोजनाएं शुरू करने के लिए विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन नहीं है। किन्तु, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) हिमाचल प्रदेश समेत विशेष समूह के अन्य राज्यों को 25 मे.वा. क्षमता तक के स्टेशन की स्थापना हेतु पहले मेगावाट के लिए 2.25 करोड़ रु. प्रति मे.वा. तथा बाद के मे.वा. के लिए क्रमिक रूप से कम करते हुए सब्सिडी दे रहा है। एमएनआरई ने अब तक एचपीएसईबी द्वारा शुरू की गई 33 मे.वा. की 6 लघु जल विद्युत परियोजनाओं को सहायता दी है। कुल 43.53 करोड़ रु. की सब्सिडी स्वीकृत की गई है और इसकी तुलना में एचपीएसईबी को 26.84 करोड़ रु. की धनराशि जारी की जा चुकी है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कर्मचारियों की कमी

761. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) में कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) के.लो.नि.वि. में कर्मचारियों की आवश्यकता चलाई जा रही परियोजनाओं की संख्या और स्थलों की संख्या जहां वे अवस्थित हैं, के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है। विगत वर्षों के केलोनिवि का कार्यभार बढ़ा है जबकि नई नियुक्तियों पर प्रतिबंध के कारण कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है। अब तक केलोनिवि द्वारा कर्मचारियों की वास्तविक आवश्यकता की तुलना में विभिन्न श्रेणियों में उनकी उपलब्धता का विस्तृत विश्लेषण नहीं किया गया है।

नाबार्ड द्वारा ऋण

762. श्री नवीन जिन्दल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का विचार रजत जयंती मनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नाबार्ड का विचार उत्पादन ऋण के माध्यम से ऋण संवितरित करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कार्यक्रम से राज्यवार कितने किसानों के लाभान्वित होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) नाबार्ड ने 12 जुलाई, 2007 को राष्ट्र सेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। नाबार्ड की रजत जयंती मनाने के लिए 20 जुलाई, 2007 को बैंक के मुम्बई मुख्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। केन्द्रीय वित्त मंत्री और कृषि मंत्री तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में भाग लिया।

(ग) से (ङ) नाबार्ड न तो किसानों को सीधे उधार देता है न ही उसका किसानों को सीधे उधार देने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि ऐसा करने के लिएं उसके पास आवश्यक संरचनात्मक और संगठनात्मक ढांचा नहीं है। यद्यपि, नाबार्ड कृषि ऋण के लिए बैंकों को पुनर्वित्त मुहैया करवाता है। वर्ष 2006-07 के दौरान नाबार्ड ने भारत सरकार की ब्याज आर्थिक सहायता के जरिए जिला केन्द्रीय मध्यवर्ती बैंकों की ओर से प्रति वर्ष 2.5% की रियायती ब्याज दर पर राज्य सहकारी बैंकों को अल्पकालिक (मौसमी कृषि कार्यों) पुनर्वित्त उपबलब्ध करवाया है। इस पुनर्वित्त को प्राप्त करने की शर्त यह है कि सहकारी बैंक प्रति वर्ष 7% की ब्याज दर से प्रत्येक उधारकर्ता को 3.00 लाख रुपए का फसल ऋण प्रदान करेंगे। इस छूट वाले पुनर्वित्त पर ब्याज दर को 2007-08 में प्रतिवर्ष 3% तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, 3,00,000 रु. के मूल तक फसल ऋण की ब्याज दर उधारकर्ता के लिए वही रहेगी। किसानों को प्रति वर्ष 7% की ब्याज दर से अल्पकालिक उत्पादन ऋण उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड की क्षेत्रीय बैंकों को पुनर्वित्त की ब्याज दर 4.5% प्रतिवर्ष ही रहेगी।

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के अंतर्गत मामले

763. श्री नरहरि महतो: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा मामलों का पता लगाने और अभियोजन में ज्यादा समय लगता है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के विशेष कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार का उन मामलों की जांच का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बड़े बांधों से स्वैच्छिक तापन उत्सर्जन

764. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत का 19 प्रतिशत वैश्विक तापन उत्सर्जन बड़े बांधों से होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मीथेन उत्पादन और उत्सर्जन के स्तर और पर्यावरण पर उसके संभावित प्रभाव को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) महोदय, सरकार को ब्राजील के वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा हाल ही में किए गए उस अध्ययन की जानकारी है जिसने पाया कि विश्व भर में बड़े-बड़े बांध ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। तथापि, अध्ययन में किसी भारतीय बांध स्थल के उत्सर्जन का मापन नहीं किया गया है। बांध स्थलों पर ग्रीन हाउस गैसों का मापन करने के बाद ही इन उत्सर्जनों को कम करने के लिए उपाय किए जा सकते हैं।

फिल्म निर्माताओं का पैनल बनाना

765. श्री नारायण चंद्र बरकटकी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फिल्म निर्माताओं का पैनल बनाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्वोत्तर से किसी का चयन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) जी, नहीं। सरकार ने फिल्म निर्माताओं का कोई पैनल नहीं बनाया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा भण्डार में गिरावट

766. **श्री प्रहलाद जोशी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह पाया है कि वर्तमान राजकोषीय वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा के भण्डार में अत्यधिक गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस असंतुलन को दूर करने के लिए कोई विशिष्ट कार्य नीति अपनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी नहीं। विदेशी मुद्रा भण्डार (जिनमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित ट्रांश स्थिति शामिल है) 31 मार्च, 2007 के 199.18 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से बढ़ता हुआ 3 अगस्त, 2007 को 229.34 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया था।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कहलगांव और बाढ़ ताप विद्युत परियोजनाएं

767. **श्री राम कृपाल यादव:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार की कहलगांव और बाढ़ सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई और अब तक कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) उनको पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) बिहार के भागलपुर जिले में स्थित कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-2, फेज-1 (2×500 मे.वा.) एवं फेज-2 (1×500 मे.वा.) एवं पटना जिले में स्थित बाढ़ सुपर ताप विद्युत परियोजना (3×660 मे.वा.) की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है:

(1) कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना:

* **चरण-2, फेज-1, के अधीन 500 मे.वा. की पहली यूनिट:**

  मार्च, 2007 में यूनिट को तुल्यकालिक किया गया। कोल प्रज्जवलन के लिए मिलिंग प्रणाली को चालू करने का कार्य चल रहा है। यूनिट में सितम्बर, 2007 में कोयले से बिजली उत्पादन शुरू होने की संभावना है।

* **चरण-2 फेज-1 के अधीन 500 मे.वा. की दूसरी यूनिट:**

  बायलर पहले ही प्रज्जवलित कर दिया है तथा अलकली बायल आऊट की तैयारी तथा भाप ब्लोइंग का कार्य चल रहा है। यूनिट के अक्तूबर, 2007 में तुल्यालिक होने की संभावना है।

* **चरण-2, फेज-1 के अधीन कहलगांव सुपर ताप परियोजना की 500 मे.वा. यूनिट:**

  बायलर हाइड्रो परीक्षण पूरा हो चुका है तथा बायलर प्रज्जवलन प्रगति पर है। टीजी एवं अन्य उप शाखाओं में कार्य प्रगति पर है। यूनिट के दिसम्बर, 2007 में चालू होने की संभावना है।

(2) बाढ़ सुपर ताप विद्युत ताप विद्युत परियोजना:

* 3013 एकड़ भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है।

* मुख्य संयंत्र पैकेज (भाप जेनरेटर एवं टरबाइन जेनरेटर) मार्च, 2005 में प्रदान कर दिए गए एवं आफ साइट गतिविधियां भी प्रगति पर हैं।

* परियोजना की 3 यूनिटें क्रमशः मार्च 2009, जनवरी, 2010 एवं नवम्बर, 2010 में चालू होना सुनिश्चित है।

31.07.2007 तक परियोजनाओं की अनुमोदित परियोजना लागत एवं हुआ व्यय निम्नवत है:

राशि (रु./करोड़)

परियोजना	अनुमोदित लागत	31.07.2007 तक संचयी व्यय (अनंतिम)
कहलगांव चरण-2 (3×500 मे.वा.)	5868.38	3735.72
बाढ़ (3×660 मे.वा.)	8692.97	1592.97

पवन चक्कियों की स्थापना

768. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में पवन चक्कियों की स्थापना के लिए चयनित स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनसे कितनी विद्युत उत्पादित होने की संभावना है;

(ग) क्या महाराष्ट्र में किन्हीं नये स्थलों का चयन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) महाराष्ट्र में 91 स्थलों पर पवन संसाधन मूल्यांकन किए गए हैं और राज्य में 50 मीटर की ऊंचाई पर 200 वाट/वर्ग मीटर अथवा इससे अधिक के वार्षिक औसत पवन विद्युत घनत्व वाले 31 स्थलों की पहचान की गई है जो पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं। इन स्थलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। संभाव्यता वाले इन स्थलों से लगभग 4580 मेगावाट की पवन विद्युत संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। वर्ष 2007-08 के दौरान इस राज्य में 3 नए स्थलों नामतः वास्पेट तथा भुड (जिला सांगली) और रोहिना (जिला लातूर) की पहचान की गई है।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त संभाव्यता स्थलों का जिलावार विवरण

क्र.सं.	स्थलों की संख्या	जिला
1	2	3
1.	आलमप्रभु पठार	कोल्हापुर
2.	अम्बेरी	सतारा
3.	औंधेवाड़ी	नासिक
4.	ब्रह्मनवेल	धुले
5.	चकला	नन्दुरबार
6.	चलकेवाड़ी	सतारा
7.	ढलगांव	सांगली
8.	डोंगरवाड़ी	सांगली
9.	गावलवाड़ी	नासिक
10.	गुधेपंचगनी	सांगली
11.	कंकोरा	औरंगाबाद
12.	कास	सतारा
13.	कावद्याडोंगर	अहमदनगर
14.	खांडके	अहमदनगर
15.	कोलगांव	अहमदनगर
16.	लोनावाला	पुणे
17.	मंधारदेव	सतारा
18.	मात्रेवाड़ी	सतारा
19.	पंचपट्टा	अहमदनगर
20.	पंचगनी	सतारा
21.	रायपुर	धुले
22.	पालसी	सतारा
23.	सौताड़ा	बीड़
24.	टाकरमौली	धुले
25.	थौसेघर	सतारा
26.	विजयदुर्ग	सिंधु दुर्ग
27.	वंकुशवाड़े	सतारा
28.	वारेकरवाड़ी	सतारा
29.	वास्पेट	सांगली
30.	भुड	सांगली
31.	रोहिना	लातूर

क्रेडिट कार्डों संबंधी नए मानदण्ड

769. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण संग्रहण उपायों में किसी व्यक्ति को डराने-धमकाने पर अंकुश लगाने के लिए क्रेडिट कार्डों संबंधी नए मानदण्ड जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालन के संबंध में, दिनांक 2.7.2007 को एक मूल परिपत्र जारी किया है जिसमें सभी बैंकों/एनबीएफसी/उनके अभिकर्ताओं को यह सलाह दी गई है कि वे ऋण वसूली के क्रम में किसी व्यक्ति के विरुद्ध मौखिक या शारीरिक किसी भी तरह की डांट-डपट या उत्पीड़न का कार्य नहीं करें। बैंकों को विशेष रूप से यह हिदायत दी गई है कि वे क्रेडिट कार्ड धारकों को सार्वजनिक रूप से अपमानित न करें अथवा उनके परिवार के सदस्यों, रेफर करने वाले व्यक्तियों और मित्रों की निजता में हस्तक्षेप न करें और धमकी भरी अथवा अज्ञात कालें या झूठे और गुमराह करने वाले आफर न दें।

[हिन्दी]

विद्युत वितरण के निजीकरण पश्चात् विद्युत प्रशुल्क

770. श्री पुष्प जैन: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न राज्यों में विद्युत वितरण के निजीकरण के बाद गलत मीटर पठन और ज्यादा राशि वाले बिलों की शिकायतें बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त निजी कंपनियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) विद्युत वितरण के निजीकरण के बाद विभिन्न राज्यों में विद्युत प्रशुल्क में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) राज्य विद्युत यूटिलिटियों का निजीकरण राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा उड़ीसा राज्य में विद्युत वितरण का निजीकरण कर लिया गया है। वितरण कंपनियां विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) द्वारा विनियमित होती हैं। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वितरण लाइसेंसी द्वारा अपने प्रचालन क्षेत्र में एक उपभोक्ता शिकायत निपटान मंच गठित करने का प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत एसईआरसी द्वारा एक लोकपाल की नियुक्ति भी आवश्यक है। लोकपाल का मुख्य कार्य शिकायत निपटान मंच द्वारा शिकायतों को नहीं निपटाए जाने की जांच करना है। अधिनियम की धारा 57 तथा 86(1) के अंतर्गत एसईआरसी को लाइसेंसधारियों द्वारा दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता, निरंतरता एवं विश्वसनीयता के मानकों को विनिर्दिष्ट एवं लागू करने का भी कार्य सौंपा गया है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) द्वारा उड़ीसा विद्युत विनियामक आयोग (ओईआरसी) ने निष्पादन मानक अधिसूचित कर दिए हैं।

डीईआरसी ने सूचित किया है कि विगत दो-तीन वर्षों में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपभोक्ताओं से दोषपूर्ण मीटर रीडिंग तथा ऊंची बिलिंग के शिकायत प्राप्त हुए हैं, जो मुख्यत: फास्ट रनिंग इलैक्ट्रानिक मीटरों के संबंध में लोगों की अवधारणा की वजह से है। वितरण कंपनियों (डिस्काम), (डीईआरसी) तथा दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र द्वारा मीटर टेस्टिंग के अनेक अभियान चलाए गए हैं। इन सभी अभियानों से यही पता चला कि मोटा-मोटी तौर पर इलैक्ट्रानिक मीटर भारतीय विद्युत नियमावली द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही कार्य कर रहे हैं।

डीईआरसी द्वारा 1 अक्टूबर, 2005 से 10 जनवरी, 2006 के बीच अभियान केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई), बेंगलूर तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की सहायता से चलाया गया था। इसके अंतर्गत 536 मीटरों की जांच की गई और केवल 4 में ही निर्धारित सीमा से अधिक खपत होने का पता चला। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र द्वारा गठित लोक शिकायक कक्ष ने सीपीआरआई के जरिए मई, 2007 में थर्ड पार्टी मीटर टेस्टिंग अभियान चलाया है।

ओईआरसी ने सूचित किया है कि दोषपूर्ण मीटर रीडिंग तथा ऊंची बिलिंग की शिकायत के मामले इसके ध्यान में नहीं आए हैं।

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत टैरिफ का निर्धारण उचित विद्युत विनियामक आयोग का कार्य है। उपभोक्ता की विद्युत लागत में समग्र विद्युत खरीद लागत तथा पारेषण लागत एवं डिस्काम के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय निष्पादन, अर्थात् सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि, प्रचालन व्यय, प्रणाली उन्नयन/संवर्धन हेतु पूंजी निवेश, उपभोक्ता विवरण, सब्सिडी एवं क्रास सब्सिडी शामिल हैं।

डीईआरसी ने सूचित किया है कि जहां दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वर्ष 2002-03 में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, वहीं वर्ष 2003-04 में टैरिफ में 5% की वृद्धि हुई। वर्ष 2004-05 में 10% की पुनः वृद्धि हुई, और टैरिफ में 6.6% की वृद्धि हुई। वर्ष 2005-06 से लेकर अब तक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

ओईआरसी ने सूचित किया है कि उड़ीसा में 1.4.1999 से विद्युत वितरण का निजीकरण किया गया। वित्तीय वर्ष 1999-2000 में कुल रिटेल टैरिफ में 4.5% की वृद्धि हुई। वर्ष 2000-01 में रिटेल सप्लाई टैरिफ में 10.23% तक की बढ़ोत्तरी हुई। वर्ष 2000-01 के बाद रिटेल टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

[अनुवाद]

सहकारी बैंकों के लिए नई मौद्रिक एवं ऋण नीति

771. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सहकारी बैंकों के समक्ष आ रही नकदी की समस्या के संदर्भ में सहकारी बैंककारी क्षेत्र को प्रभावित करने वाली नई मौद्रिक एवं ऋण नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक से पुनः विचार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य राज्यों के सहकारी बैंककारी क्षेत्र से भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही और यथा उपलब्ध जानकारी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

शहरी अवसंरचना कोष

772. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास शहरी अवसंरचना कोष (यूआईएफ) की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) से संबंधित विश्वसनीय परियोजनाओं/स्कीमों को वित्तीयन के स्रोत के लिए ट्रस्ट के रूप में एक राष्ट्रीय शहरी अवसंरचना धनराशि कोष (एनयूआईएफ) के गठन का प्रस्ताव है। तथापि, प्रस्ताव के ब्यौरे केवल तभी मिल सकते हैं जब उनका गठन किया जाए।

[हिन्दी]

आयकर प्रतिदाय

773. चौ. मुनव्वर हसन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आयकर प्रतिदाय की राशि और वितरित ब्याज का आयुक्तालय-वार/राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में जिम्मेवारी निर्धारित की गई है/की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर आयुक्तालय-वार/राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) आयकर वापसियों तथा इन पर अदा किए गए ब्याज से संबंधित ब्यौरे केन्द्रीय रूप से आयुक्तालय-वार/राज्य-वार नहीं रखे जाते हैं। तथापि, विगत तीन वर्षों के दौरान वापसियों की राशि तथा इन पर अदा किए गए ब्याज के संबंध में अद्यतन आंकड़े इस प्रकार हैं:-

वित्त वर्ष	वापसी की राशि (करोड़ रुपए में)	प्रदत्त ब्याज (करोड़ रुपए में)
2003-04	25737	4701
2004-05	28514	3865
2005-06	29435	4553

(ख) आयकर अधिनियम 1961 के सांविधिक उपबंधों के अनुसार कर निर्धारिती को वापसी स्वीकृत करना अथवा कर निर्धारण के परिणामस्वरूप उससे राशि की मांग उठाना आयकर विभाग की एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार ही, कर निर्धारितियों को राशि लौटाई जाती है तथा इस राशि पर उन्हें ब्याज अदा किया जाता है।

(ग) इसे ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

आवास ऋण पर ब्याज दर

774. **श्री थावरचन्द गेहलोत:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002 से आज की तिथि तक आवास ऋण पर बढ़ाई गई ब्याज दर का ब्यौरा क्या है;

(ख) आवास ऋण की ब्याज दर में अभूतपूर्व वृद्धि के क्या कारण हैं जो निर्धन और मध्यवर्ग के परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है;

(ग) क्या इसी वजह से आवास क्षेत्र में मन्दी आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वर्ष 2001-02 से 2005-06 (नवीनतम उपलब्ध) में आवास ऋणों पर भारित औसत उधार दर निम्नानुसार है:-

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
प्रतिशत	12.13	11.60	10.66	8.85	8.61

टिप्पणी: दिए गए आंकड़े 2 लाख रुपए से अधिक की सीमा वाले खातों के आधार पर हैं।

ब्याज दरों में गिरावट की प्रवृत्ति देखी जा सकती है।

(ख) बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1994 से अविनियमित कर दी गई है। बैंक ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 2 लाख रुपए तक के ऋणों पर ब्याज दर बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ब्याज दरें बाजार द्वारा संचालित होती हैं तथा, कोई परिवर्तन लाने से पहले, बैंक निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हैं:-

(1) बैंकों में सामान्य ऋण ग्रहण;

(2) ऋण प्रबंधन में बैंक का अनुभव;

(3) बैंक की चल निधि की स्थिति;

(4) भारतीय रिजर्व बैंक की नीति;

(5) बैंकिंग प्रणाली में विद्यमान ब्याज दरें;

(6) मुद्रास्फीति की विद्यमान दर;

(7) निधियों की लागत।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया आवास ऋणों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(करोड़ रुपए)

मार्च 2005	मार्च 2006	मार्च 2007
134,270	179,053	224,469

यह देखा जा सकता है कि मार्च 2005 और 2007 के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बकाया ऋण में वृद्धि की प्रवृत्ति चल रही है।

[अनुवाद]

एस.बी.आई. में रिक्तियां

775. **श्री प्रतीक पी. पाटील:** क्या वित्त मंत्री दिनांक 4 मई, 2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4188 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उक्त उत्तर में दी गई सूचना को एकत्र कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक एकत्र किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) जी, हां। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

ग्रेड	पिछले तीन वर्षों के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की संख्या
अधिकारी	1441 (अ.जा.-219 अ.ज.जा.-76)
लिपिक	-
अधीनस्थ	1112 (अ.जा.-211 अ.ज.जा.-67)
योग	2553 (अ.जा.-430 अ.ज.जा.-143)

एम.सी.ई. पर आयकर छापा

776. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग ने हाल ही में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीई) और इसकी अनुषंगी कम्पनियों पर छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा छापे में जब्त किये गए सामान और गिरफ्तार व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) आयकर विभाग द्वारा जून, 2007 में मल्टी कमाडिटी एक्सचेंज (एमसीई) एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों के मामले में तलाशी एवं जब्ती कार्रवाई की गई थी।

(ख) मामलों के समूह में की गई तलाशी कार्रवाई के परिणामस्वरूप परिसम्पत्तियों की जब्ती हुई है। खाता-बहियों एवं अन्य दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। तलाशी कार्यवाहियों के दौरान आयकर प्राधिकारियों के पास आयकर अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत बन्दी बनाने की शक्तियां नहीं होती हैं।

(ग) मल्टी कमाडिटी एक्सचेंज एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों के मामलों में आय के निर्धारण के लिए आयकर अधिनियम के अनुसार कानूनी कार्रवाई की गई है।

सीएलआर के अंतर्गत धनराशि का उपयोग

777. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण (सी.एल.आर.) के लिए केरल सरकार को प्रदान की गई धनराशि का सरकार ने पूर्ण उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत केरल की राज्य सरकार को 12.61 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। राज्य सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार उनके द्वारा 10.78 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग कर लिया गया है।

गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी

778. **श्री जुएल ओराम: क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी अवस्थिति, अनुमानित लागत, विद्युत उत्पादन क्षमता और उनके वाणिज्यिक उत्पादन का अनुमानित समय क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के चयन में क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार गैस आधारित परियोजनाओं सहित थर्मल विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से तकनीकी आर्थिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार कोई भी उत्पादन कंपनी थर्मल विद्युत संयंत्र स्थापित कर सकती है यदि वह ग्रिड के साथ सम्बद्धता से संबंधित तकनीकी मानकों के अनुसार कार्य करती है।

तथापि, 11वीं योजना के दौरान लाभों हेतु परिकल्पित कुल 4,266 मेगावाट (एमडब्ल्यू) की निर्माणाधीन तथा नई गैस आधारित परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना/एजेंसी का नाम	राज्य	क्षमता	चालू होने की तारीख	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
1.	धौलपुर जीटी-2 एण्ड एसटी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (आरआरवीयूएनएल)	राजस्थान	220	एसटी 2007-08	जीटी-2 जून, 2007 में समकालिक बनाया गया। एसटी-निर्माणाधीन

1	2	3	4	5	6
2.	रत्नागिरी ब्लाक-3 (डाभोल) जेवी मै. रत्नागिरी गैस एण्ड पावर प्रा.लि.	महाराष्ट्र	740	2007-08	परियोजना निर्माणाधीन है।
3.	धुवरन सीसीपीपी विस्तार (एसटी)-गुजरात राज्य इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लि. (जीएसईसीएल)	गुजरात	40	2007-08	परियोजना निर्माणाधीन है।
4.	उतरान (जीएसईसीएल)	गुजरात	350	2009-10	परियोजना निर्माणाधीन है।
5.	सुगेन टोरेंट मै. टोरेंट	गुजरात	1128	2007-08	माड्यूल-1 के लिए जीटी, एसटी और जेनरेटर नीव पर रखे गए तथा इनके अक्टूबर, 2007 में समकालिक होने की संभावना है। शेष 2 माड्यूल बाद में समकालिक होंगे।
6.	वालूथर विस्तार तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (टीएनईबी)	तमिलनाडु	92	2007-08	परियोजना निर्माणाधीन है।
7.	कोनासीमा मै. ओकवेल	आंध्र प्रदेश	445	2007-08	परियोजना निर्माणाधीन है।
8.	गौतमी मै. गौतमी पावर	आंध्र प्रदेश	464	2007-08	परियोजना निर्माणाधीन है।
9.	लकवा वेस्ट हीट असम स्टेट जेनरेशन कारपोरेशन (एएसजीईएनसीओ)	असम	37	2008-09	परियोजना निर्माणाधीन है।
10.	त्रिपुरा गैस त्रिपुरा पावर डेवलपमेंट कंपनी प्रा.लि.	त्रिपुरा	750	2011-12	मुख्य संयंत्र एवं उपकरण के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं।
	कुल		4,266		

एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत कठिनाइयां

779. श्री सुभाष महरिया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के संबंध में बैंकों को क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकारों को बैंकों के असहयोग की वजह से योजना के क्रियान्वयन में परेशानी हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) सरकार के वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुसार, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत स्वरोजगारियों को वित्तीय सहायता देने के दो घटक हैं अर्थात् ऋण और सब्सिडी। जहां ऋण बैंकों द्वारा संवितरित किया जाता है, वहीं सब्सिडी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) द्वारा प्रदान की जाती है। ऋण की मात्रा परियोजना के स्वरूप पर निर्भर करती है। यह सम्मिश्र ऋण होता है जिसमें नियत और कार्यशील पूंजी, दोनों सम्मिलित होती है। बैंक ऋण के रूप में स्वरोजगारियों को सब्सिडी सहित परियोजना की पूरी लागत संवितरित करते हैं। सब्सिडी वित्तीय सहायता का अंतिम भाग होती है और ऋण की आखिरी कुछ किस्तों से समायोजित की जाएगी।

इस योजना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 50%, महिलाओं के लिए 40% और विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% की सीमा तक कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक खंड में बनाए गए 50% स्वसहायता समूह अनन्य रूप से महिलाओं के लिए होने चाहिएं। इसके अलावा, इस योजना में हिताधिकारी द्वारा शुरू की गई गतिविधि के आधार पर 5 से 9 वर्षों की अवधि के अंदर वापसी अदायगी का प्रावधान है।

(ख) और (ग) भारत सरकार द्वारा गठित केन्द्र स्तरीय समन्वय समिति (सीएलसीसी) ने अपनी नौवीं बैठक में बैंकों के पास एसजीएसवाई के अंतर्गत लम्बित एवं अस्वीकृत किए गए ऋण आवेदनों के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया था। सीएलसीसी की नौवीं बैठक में किए गए विचार-विमर्श के अनुपालन में वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को ऋण आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए तंत्र विकसित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं और राज्य सरकार डीआरडीए के माध्यम से ऋण आवेदनों को समय पर प्रायोजित करना सुनिश्चित करेगी।

डाकघरों के माध्यम से आयकर विवरणी जमा कराने की योजना को बन्द करना

780. **श्री मिलिन्द देवरा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डाकघरों के माध्यम से आयकर विवरणी (आईटीआर) को जमा करने की योजना को बन्द कर दिया है जैसा कि दिनांक 27 जुलाई, 2007 के 'द इकोनामिक टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस योजना को जारी रखने के लिए डाक विभाग के प्रतिनिधियों के साथ कोई चर्चा की गई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) डाकघरों के माध्यम से आयकर विवरणी स्वीकार करने की स्कीम कर्मचारी संघ द्वारा जुलाई, 2006 में दिए गए हड़ताल के आह्वान को ध्यान में रखते हुए एक आपातकालीन उपाय के रूप में गत वर्ष शुरू की गई थी। इस स्कीम को बन्द करने का मुख्य कारण प्रस्तावित हड़ताल से उत्पन्न संकट का और अधिक न होना था और विभाग विवरणी प्राप्ति के कार्य के लिए सभी उपकरणों से लैस है।

(ग) जी, हां।

(घ) चालू वर्ष के दौरान डाक विभाग ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को इस स्कीम को जारी रखने के बारे में लिखा था। इस स्कीम को बन्द करने से पूर्व, वित्त मंत्रालय द्वारा इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया था।

(ङ) भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए 'शून्य'।

आयात शुल्क में कटौती

781. **श्री पी.सी. थामस:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पामोलिन और अन्य खाद्य तेलों के आयात शुल्क में बार-बार परिवर्तनों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) खाद्य तेलों के लिए आयात शुल्क ढांचे में परिवर्तन के संबंध में सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) उक्त अभ्यावेदन खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कमी के खिलाफ हैं और इनमें आयात शुल्क में वृद्धि की मांग की गई है।

(ग) खाद्य तेलों के मूल्य में, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मूल्यों में, गत एक वर्ष के दौरान काफी वृद्धि हुई है। खाद्य तेलों के घरेलू मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने गत एक वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में एक से अधिक बार कमी की है। शुल्क में कटौती के बावजूद खाद्य तेल के मूल्य अभी भी गत वर्ष में मौजूद मूल्यों से अधिक हैं।

सरकार खाद्य तेल की मांग और पूर्ति के परिदृश्य तथा खाद्य तेलों के मूल्य की स्थिति पर गहन निगरानी रख रही है ताकि जब कभी ऐसी आवश्यकता हो तब उसमें हस्तक्षेप किया जा सके।

मास्टर प्लान और भवन उपनियमों का उल्लंघन

782. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडिया इंस्टीट्यूट आफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट (आईआईपीएम), कुतुब औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली सहित दिल्ली के कई संगठनों ने अपने परिसरों का पूर्णतः वाणिज्यिक क्रियाकलापों के लिए दुरुपयोग करके मास्टर प्लान और भवन उप-नियमों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या डीडीए ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) डीडीए ने ऐसे अनेक संगठनों के खिलाफ, आबंटन निरसन करने, परिसर को सील करने तथा एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत आवंटित धनराशि

783. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत आने वाले शहरों/कस्बों का ब्यौरा क्या है तथा इस मिशन के अंतर्गत धनराशि प्रदान करने के लिए मानदंड क्या है; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत 15 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों तथा 15 लाख से कम की आबादी वाले शहरों/कस्बों को राज्य-वार अभी तक कितनी धनराशि वितरित की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार चुनिंदा 63 शहरों/शहरी बस्तियों (यूए) को मिशन के अंतर्गत कवरेज हेतु शामिल किया गया है। शहरों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। संलग्न विवरण-II में दिए गए मानदण्ड के अनुसार मिशन के अंतर्गत धनराशि मुहैया करायी जाती है।

(ख) जेएनएनयूआरएम मांग आधारित कार्यक्रम है जिसके तहत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) स्वीकृत की जाती है बशर्ते कि जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत धनराशि मुहैया करायी जाती है।

15 लाख से कम आबादी वाले शहरों/कस्बों की तुलना में 15 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को पिछले दो वर्षों के दौरान जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत वितरित धनराशि की राज्य-वार विस्तृत सूची क्रमशः संलग्न विवरण-III और IV में दी गई है।

विवरण I

अभिज्ञात शहरों की सूची

क्र.सं.	शहर	राज्य का नाम	आबादी (लाख में) (2001 की जनगणना के अनुसार)
1	2	3	4
(क) मेगा शहर			
1.	दिल्ली	दिल्ली	128.77
2.	ग्रेटर मुम्बई	महाराष्ट्र	164.34
3.	अहमदाबाद	गुजरात	45.25
4.	बंगलौर	कर्नाटक	57.01
5.	चेन्नई	तमिलनाडु	65.60
6.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	132.06
7.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	57.42

1	2	3	4
(ख)	**मिलियन प्लस शहर**		
1.	पटना	बिहार	16.98
2.	फरीदाबाद	हरियाणा	10.56
3.	भोपाल	मध्य प्रदेश	14.58
4.	लुधियाना	पंजाब	13.98
5.	जयपुर	राजस्थान	23.27
6.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	22.46
7.	मदुरै	तमिलनाडु	12.03
8.	नासिक	महाराष्ट्र	11.52
9.	पुणे	महाराष्ट्र	37.60
10.	कोचीन	केरल	13.55
11.	बनारस	उत्तर प्रदेश	12.04
12.	आगरा	उत्तर प्रदेश	13.31
13.	अमृतसर	पंजाब	10.03
14.	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश	13.45
15.	वडोदरा	गुजरात	14.91
16.	सूरत	गुजरात	28.11
17.	कानपुर	उत्तर प्रदेश	27.15
18.	नागपुर	महाराष्ट्र	21.29
19.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	14.61
20.	मेरठ	उत्तर प्रदेश	11.61
21.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	10.98
22.	जमशेदपुर	झारखण्ड	11.04
23.	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	10.67
24.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	10.42
25.	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	10.39
26.	राजकोट	गुजरात	10.03
27.	धनबाद	झारखण्ड	10.65
28.	इंदौर	मध्य प्रदेश	16.40

1	2	3	4
(ग)	**एक मिलियन से कम आबादी वाले अभिज्ञात शहर**		
1.	गुवाहाटी	असम	8.19
2.	इटानगर	अरुणाचल प्रदेश	0.35
3.	जम्मू	जम्मू-कश्मीर	6.12
4.	रायपुर	छत्तीसगढ़	7.00
5.	पणजी	गोवा	0.99
6.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	1.45
7.	रांची	झारखण्ड	8.63
8.	तिरुवनन्तपुरम	केरल	8.90
9.	इम्फाल	मणिपुर	2.50
10.	शिलांग	मेघालय	2.68
11.	एजवाल	मिजोरम	2.28
12.	कोहिमा	नागालैंड	0.77
13.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	6.58
14.	गंगटोक	सिक्किम	0.29
15.	अगरतला	त्रिपुरा	1.90
16.	देहरादून	उत्तरांचल	5.30
17.	बोधगया	बिहार	3.94
18.	उज्जैन	मध्य प्रदेश	4.31
19.	पुरी	पुरी	1.57
20.	अजमेर-पुष्कर	राजस्थान	5.04
21.	नैनीताल	उत्तरांचल	2.20
22.	मैसूर	कर्नाटक	7.99
23.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	5.05
24.	चंडीगढ़	पंजाब और हरियाणा	8.08
25.	श्रीनगर	जमू-कश्मीर	9.88
26.	मथुरा	उत्तर प्रदेश	3.23
27.	हरिद्वार	उत्तरांचल	2.21
28.	नांदेड	महाराष्ट्र	4.31

विवरण II

वित्तीय पद्धति

* मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं का वित्तपोषण इस प्रकार होगा:-

शहरों/कस्बों/शहरी बस्तियों की श्रेणी	अनुदान		वित्तीय संस्थानों से शहरी स्थानीय निकाय अथवा पैरास्टेटेल अंश/ऋण
	केन्द्र	राज्य	
वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 4 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर/शहरी बस्तियां	35%	15%	50%
वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1 मिलियन से अधिक किन्तु 4 मिलियन से कम जनसंख्या वाले शहर/शहरी बस्तियां	50%	20%	30%
पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू तथा कश्मीर में शहर/कस्बे/शहरी बस्तियां	90%	10%	-
उपर्युक्त उल्लिखित शहरों के अलावा अन्य शहरों/शहरी बस्तियों से इतर	80%	10%	10%
खारे जल तथा सतही स्रोत की अनुपलब्धता के कारण प्रमुख रूप से जल की कमी का सामना कर रहे समुद्र तटीय और अन्य शहरी क्षेत्रों से 20 किमी. के भीतर जल का खारापन दूर करने के संयंत्र लगाने के लिए	80%	10%	10%

विवरण III

2001 की जनगणना के अनुसार 15 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

क्र.सं.	शहर	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुल परियोजना लागत*	भारत सरकार अंश प्रतिबद्धता*	जारी करने हेतु स्वीकृत भारत सरकार अंश*	वित्त मंत्रालय द्वारा जारी भारत सरकार अंश*
1	2	3	4	5	6	7
1.	विजयवाड़ा	8	40288.00	20144.00	5036.52	4444.55
2.	विशाखापट्टनम	8	87249.00	43624.50	10905.93	8960.27
3.	इटानगर	2	8919.70	8027.73	2006.94	2006.94
4.	गुवाहाटी	1	3516.71	3165.04	791.26	791.26
5.	चंडीगढ़	2	5698.60	4558.88	1139.72	1139.72

1	2	3	4	5	6	7
6.	रायपुर	1	30364.00	24291.20	6072.80	4800.00
7.	राजकोट	4	27971.00	13985.50	3496.08	2121.08
8.	वडोदरा	4	32313.03	16156.51	4039.14	2837.45
9.	फरीदाबाद	3	21097.70	10550.85	2637.72	1680.97
10.	शिमला	2	2613.06	2090.45	522.61	522.61
11.	जम्मू	1	12923.00	11630.70	2907.68	1163.07
12.	श्रीनगर	1	13292.00	11962.80	2990.70	1196.28
13.	मैसूर	1	19454.00	15563.20	3890.80	3112.64
14.	कोचीन	4	37748.00	18874.00	4673.43	2661.80
15.	तिरुवनंतपुरम	2	30257.00	24205.60	6051.40	1743.20
16.	भोपाल	5	30956.00	15478.00	3869.55	3869.55
17.	जबलपुर	2	14882.00	7441.00	1860.00	1860.00
18.	नांदेड	10	68704.45	54963.55	13741.75	13741.00
19.	नासिक	3	25897.23	12948.61	3237.16	1969.50
20.	इम्फाल	1	2580.71	2322.64	580.66	0.00
21.	भुवनेश्वर	2	50492.66	40394.13	10098.53	5278.66
22.	अमृतसर	2	32883.00	16441.50	4110.38	4110.38
23.	अमजेर-पुष्कर	1	18873.00	14098.40	3774.60	2400.00
24.	कोयम्बटूर	3	58738.18	29369.09	7342.26	7342.26
25.	मदुरै	7	63710.17	31855.09	7939.92	5073.17
26.	पुडुचेरी	1	20340.00	16272.00	4068.00	0.00
27.	आगरा	1	2754.47	1377.23	385.49	344.31
28.	मथुरा	1	991.60	793.28	198.32	198.32
29.	मेरठ	1	2259.40	1129.70	282.43	282.43
30.	आसनसोल	5	21298.23	10649.12	2662.29	2662.29
31.	कोलकाता	13	105060.47	36771.16	6839.69	6839.69
		102	894126.14	522135.46	128153.86	95153.4

विवरण IV

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 15 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची

क्र.सं.	शहर	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुल परियोजना लागत*	भारत सरकार अंश प्रतिबद्धता*	जारी करने हेतु स्वीकृत भारत सरकार अंश*	वित्त मंत्रालय द्वारा जारी भारत सरकार अंश*
1.	हैदराबाद	15	68129.51	23845.33	5959.06	5959.04
2.	पटना	1	3695.40	1847.70	461.93	461.93
3.	अहमदाबाद	20	129156.52	45204.78	11303.09	10938.82
4.	सूरत	16	60328.77	30164.39	7539.95	7434.78
5.	बंगलौर	19	115126.03	40264.12	10025.23	7673.17
6.	इंदौर	6	52961.33	26480.67	6620.29	5852.16
7.	ग्रेटर मुम्बई	10	273245.72	95636.01	23909.01	10382.51
8.	नागपुर	14	81144.49	40572.25	10143.52	9322.18
9.	पुणे	9	161141.18	80570.59	20142.63	11870.06
10.	जयपुर	5	28580.37	14290.19	3547.56	1746.93
11.	चेन्नई	11	88940.97	35080.34	8770.09	8566.21
12.	कानपुर	1	4788.63	2394.31	702.98	598.58
13.	लखनऊ	1	3494.61	1747.31	536.55	436.83
	कुल	128	1070733.76	438127.99	109661.89	81243.2

एन.जी.ओज. के लिए धनराशि की आवक

784. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्राप्त धनराशि की आवक को विनियमित करने हेतु निर्धारित विनियमों, दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्राप्त धनराशि की भारी आवक से उत्पन्न किसी समस्या का सामना कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा धनराशि के उपयोग में किसी अनियमितता का पता चला है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत भारत में विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पंजीकरण प्राप्त करने या पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के बाद सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक या धार्मिक क्षेत्रों में सद्भावना वाले क्रियाकलापों के लिए विदेशी स्रोतों से विदेशी

अंशदान प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। अधिनियम के अंतर्गत विदेशी निधियां प्राप्त करने के लिए, पंजीकरण या पूर्वानुमति एनजीओ के पदाधिकारियों के क्रियाकलापों और पूर्ववृत्तों के यथोचित सत्यापन के पश्चात प्रदान की जाती है। विदेशी निधियां कानूनी बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त होती हैं और वे संवीक्षा एवं जांच के लिए उपलब्ध रहती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले संगठनों की जांच की जाती है और विस्तृत जांच करने के पश्चात उन्हें विदेशी अंशदान प्राप्त करने हेतु या तो निषिद्ध श्रेणी में अथवा पूर्वानुमति की श्रेणी में रखा जाता है। निषिद्ध/पूर्वानुमति श्रेणी के अंतर्गत रखे गए संगठनों की सूची गृह मंत्रालय की वेबसाइट http://www.mha.nic.in/fore.htm पर उपलब्ध है।

[हिन्दी]

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी

785. श्री सज्जन कुमारः
श्री जे.एम. आरून रशीदः
डा. राजेश मिश्राः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी द्वारा निकट भविष्य में स्वास्थ्य क्षेत्रों में मेडीक्लेम और अन्य नीतियों के प्रीमियम की दर को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मेडीक्लेम के अंतर्गत सरकार के ध्यान में अनियमितता/भ्रष्टाचार का कोई मामला आया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इसे सुकर बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईएसीएल) ने दिनांक 16.8.2007 से बढ़ी हुई प्रीमियम दरों सहित एक संशोधित मेडीक्लेम पालिसी आरम्भ की है। मेडीक्लेम पालिसी के संदर्भ में, 2003-04 में 102% से 2005-06 में 128.71% तक की दावा अनुपात की बिगड़ती स्थिति ने कंपनी की हानि को कम करने के लिए प्रीमियम दरों की वृद्धि करके संशोधित करने के लिए प्रेरित किया। मेडीक्लेम पोर्टफोलियो के क्षेत्र-वार दावा अनुभव के आधार पर एनआईएसीएल भिन्न प्रीमियम दरों सहित देश को तीन अंचल में विभाजित किया है। जो इस प्रकार हैं:

अंचल-I	-	मुम्बई
अंचल-II	-	दिल्ली तथा बेंगलूर
अंचल-III	-	भारत के बाकी क्षेत्र

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

निजी टेलीफोन कंपनियों द्वारा सेवा कर में चूक

786. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहताः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दूरसंचार कंपनियों से सेवाकर की वसूली में धीरे-धीरे गिरावट देखने को मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किसी दूरसंचार कंपनी के विरुद्ध सेवाकर अपवंचन हेतु मुकदमा चलाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है एवं एकत्रित होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति

787. श्री काशी राम राणाः क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के अंतर्गत इसकी शुरूआत से लेकर अब तक प्राप्त हुई वित्तीय सहायता के प्रस्तावों और आज की तारीख तक वितरित की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रस्तावों को अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) शून्य/राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति केवल नीतिगत निर्देश ही बनाता है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

एन.आर.ई.जी.एस. के क्रियान्वयन हेतु स्टाफ की नियुक्ति

788. श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना हेतु नियुक्त तकनीकी जनशक्ति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) एनआरईजीएस में से उन पर कितना व्यय किया जा रहा है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए नियुक्त तकनीकी स्टाफ का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तकनीकी स्टाफ का वेतन/पारिश्रमिक प्रशासनिक खर्चे में से वहन किया जाता है, जो कुल परियोजना लागत का 4% है।

विवरण

राज्य का नाम	तकनीकी स्टाफ की श्रेणी	नियुक्त कर्मियों की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	(क) तकनीकी सहायक	2607
	(ख) कम्प्यूटर आपरेटर	1814
अरुणाचल प्रदेश	(क) तकनीकी सहायक	प्रत्येक ब्लाक के लिए 1
	(ख) कम्प्यूटर आपरेटर	प्रत्येक ब्लाक के लिए 1
असम	जानकारी उपलब्ध नहीं	
बिहार	जिला, ब्लाक और पंचायत स्तर पर कर्मियों की नियुक्ति का काम जारी है	
छत्तीसगढ़	(क) तकनीकी सहायक	396
	(ख) कम्प्यूटर आपरेटर	उपलब्ध नहीं
गुजरात	(क) लेखा अधिकारी	3
	(ख) उप कार्यपालक अभियंता	4
	(ग) सहायक अभियंता	6
	(घ) अतिरिक्त सहायक अभियंता	130
हरियाणा	(क) अभियंता	102
	(ख) एमआईएस कर्मी	28
	(ग) लेखा कर्मी	29

1	2	3
हिमाचल प्रदेश	(क) अभियंता	178
	(ख) एमआईएस कर्मी	14
	(ग) लेखा कर्मी	37
जम्मू-कश्मीर	जानकारी उपलब्ध नहीं	
झारखण्ड	(क) एमआईएस कर्मी	136
	(ख) लेखा कर्मी	470
कर्नाटक	जानकारी उपलब्ध नहीं	
केरल	(क) अभियंता/पर्यवेक्षक	132
	(ख) कम्प्यूटर सहायक-सह-लेखाकार	132
मध्य प्रदेश	(क) तकनीकी कर्मी	444
	(ख) एमआईएस कर्मी	171
	(ग) लेखा कर्मी	196
महाराष्ट्र	(क) तकनीकी सहायक	10 ग्राम पंचायतों के लिए एक
मणिपुर	जानकारी उपलब्ध नहीं	
मेघालय	जानकारी उपलब्ध नहीं	
मिजोरम	(क) तकनीकी सहायक (जे.ई.)	17
	(ख) कम्प्यूटर आपरेटर	1
	(ग) लेखा अधिकारी	2
नागालैंड	(क) अभियंता	1
	(ख) एमआईएस कर्मी	6
	(ग) लेखा कर्मी	6
उड़ीसा	जानकारी उपलब्ध नहीं	
पंजाब	स्टाफ की नियुक्ति चल रही है	
राजस्थान	जानकारी उपलब्ध नहीं	
सिक्किम	तकनीकी स्टाफ को नियुक्त किया जाना है	
त्रिपुरा	(क) तकनीकी सहायक	39
	(ख) कम्प्यूटर आपरेटर	14
	(ग) लेखा सहायक	13

1	2	3
तमिलनाडु	(क) तकनीकी सहायक	563
	(ख) कम्प्यूटर सहायक	180
उत्तराखण्ड	जानकारी उपलब्ध नहीं	
उत्तर प्रदेश	(क) सहायक अभियंता	प्रत्येक जिले के लिए 1
	(ख) कनिष्ठ अभियंता	प्रत्येक ब्लाक के लिए 2
	(ग) लेखाकार	प्रत्येक ब्लाक के लिए 3
	(घ) तकनीकी	1328
पश्चिम बंगाल	(क) सहायक अभियंता	प्रत्येक जिले के लिए 1
	(ख) डाटा एन्ट्री आपरेटर	प्रत्येक जिले के लिए 1
	(ग) लेखा लिपिक	प्रत्येक जिले के लिए 1

[अनुवाद]

खरीफ की फसल हेतु ऋण

789. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोत्चा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय बैंकों द्वारा किसानों को फसल ऋण न देने के संबंध में कोई शिकायत निवारण तंत्र है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उसमें कितनी शिकायतों का निवारण किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास फसल ऋणों से संबंधित शिकायतों सहित ग्राहकों की सभी शिकायतों का समाधान करने के लिए आंतरिक शिकायत निवारण व्यवस्था है। इस संबंध में समय-समय पर बैंकों को कई अनुदेश दिए गये हैं। फसल ऋण का संवितरण न किए जाने में शामिल की जा सकने वाली वास्तविक शिकायत वाले किसी भी ग्राहक की शिकायत पर संबंधित बैंक द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(ख) आंकड़ा सूचना प्रणाली द्वारा पूछे गये तरीके के अनुसार सूचना नहीं रखी जाती है।

भारत-जापान संयुक्त कार्यदल

790. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में जापान में शहरी विकास के बारे में भारत-जापान संयुक्त कार्यदल की कोई बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसमें जिन-जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) जापान ने किन-किन क्षेत्रों में अपना सहयोग देने पर सहमति प्रकट की है; और

(घ) जापान के साथ जिन शहरी विकास समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए उनका ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) शहरी विकास से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई थी:-

* शहरी नवीकरण
* भूकंपरोधी एवं अग्नि शमन उपायों सहित आपदा निवारण
* महानगरीय आयोजना

* जीआईएस के प्रयोग द्वारा शहरी सुविधाओं की मैपिंग
* जल की हानि कम करने के लिए प्रबंध व्यवस्था
* गंदे पानी के शोधन हेतु विकल्प
* शहरी क्षेत्रों में जलाशय संरक्षण एवं बाढ़ प्रबंधन
* शहर विशिष्ट परिवहन माडल
* निर्देशित शहरी परिवहन तंत्र के एक समान सुरक्षा मानकों के लिए प्रलेखन तथा नियामक अधिनियम
* साफ्टवेयर नियंत्रित कुशल परिवहन व्यवस्था
* शहरी परिवहन के लिए पी.पी.पी माडल्स।

(ग) और (घ) शहरी विकास से संबंधित विशष्ट क्षेत्रों में सहयोग के लिए जापान के साथ किसी प्रकार के करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

कंपनी अधिनियम का उल्लंघन

791. **श्री नरहिर महतो: क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करने वाली दोषी कंपनियों के विरुद्ध वर्ष-वार कितने मुकदमे चलाए गए;

(ख) दायर किए गए मुकदमों में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या मंत्रालय ने उल्लंघन के लंबित मामलों के संबंध में कंपनी ला बोर्ड से सलाह मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या तथा दर्ज मामलों की प्रगति संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कंपनी अधिनियम, 1956 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन के लिए दांडिक उपबंधों के अनुसार ये मामले/याचिकाएं यथोचित आदेश हेतु सक्षम न्यायालयों के समक्ष दायर की जाती हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (2005-2006 तक) के दौरान कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या तथा मामलों की प्रगति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विषय	2003-04	2004-05	2005-06
1.	वर्ष के दौरान शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या	6552	8129	5128
2.	वर्ष के आरंभ में लंबित अभियोजन की संख्या	45763	45562	49061
3.	वर्ष के दौरान निपटान किए गए अभियोजनों की संख्या	4563	4630	8484
4.	दोष-सिद्धि की संख्या	2665	3099	2686
5.	दोषमुक्ति के रूप में समाप्त अभियोजनों की संख्या	370	164	185
6.	वापस किए गए या अन्यथा निपटान किए गए अभियोजनों की संख्या	990	890	1763
7.	वर्ष के अंत में लंबित अभियोजनों की संख्या	45562	49061	45706

जम्मू और कश्मीर में पंजतीर्थी जल विद्युत परियोजना

792. **चौधरी लाल सिंह:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर में उज्ज नदी पर पंजतीर्थी बहुद्देशीय जल विद्युत परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) राज्य को उससे किस प्रकार से लाभ मिलने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) उज्ज विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) सरकार द्वारा परियोजना (का नाम पंजतीर्थी बहुद्देश्यीय जल विद्युत परियोजना पुनः रखा गया) की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) 50000 मे.वा. जल विद्युत पहल के अंतर्गत तैयार की गई थी। पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार उज्ज जल विद्युत परियोजना एक भंडारण परियोजना है तथा पंजतीर्थी के ठीक डाउन स्ट्रीम में उज्ज नदी के आर-पार 119 मीटर ऊंचा मिट्टी एवं पत्थर पूरित बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। जिससे 593 मीटर धनकी जल का लाइव भंडारण उपलब्ध किया जा सके तथा इसमें 2.5 कि.मी. लंबी 8.5 ब्यास की हार्स शू आकृति की हेड रेस सुरंग का निर्माण शामिल है।

परियोजना से 90% विश्वसनीय निर्भर वर्ष में 465.06 मि.यू. विद्युत उत्पादन की जा सकेगी। परियोजना की लागत जून 2003 मूल्य स्तर पर 1390.20 करोड़ रु. अनुमानित की गई है। पहले वर्ष का प्रशुल्क तथा स्तरीकृत प्रशुल्क क्रमशः 5.06 रु./के.डब्ल्यू.एच. तथा 4.42/के.डब्ल्यू.एच. अनुमानित किया गया है, जो ज्यादा प्रतीत होता है। जे एंड के सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी है। डीपीआर तैयार किये जाने तथा इसकी व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के बाद परियोजना का कार्यान्वयन कार्य शुरू किया जा सकेगा।

परियोजना से राज्यों को सिंचाई तथा पेयजल सुविधाओं में वृद्धि के अलावा 280 मे.वा. विद्युत की क्षमता अभिवृद्धि उपलब्ध कराई जा सकेगी।

खेल-कूद विकास कोष के अंतर्गत आयकर छूट

793. **श्री एल. राजगोपाल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय खेल-कूद विकास कोष के अंतर्गत किए गए अंशदान को आयकर अधिनियम की धारा 80-छ के अंतर्गत शत-प्रतिशत छूट मिलती है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने प्रस्तावित आंध्र प्रदेश राज्य खेल-कूद विकास कोष को आयकर अधिनियम की धारा 80-छ के अंतर्गत कर छूट देने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) जी, हां। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ (2) (iiiजछ) के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल-कूद विकास कोष को दिए गए दान शत-प्रतिशत कटौती के लिए पात्र हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) आंध्र प्रदेश राज्य खेल-कूद विकास कोष को दिए गए चन्दों को शत-प्रतिशत कटौती का लाभ नहीं दिया गया था क्योंकि यह कोष राष्ट्रीय महत्व के कोष की अर्हता पूरी नहीं करता है।

राज्यों में मेट्रो रेल परियोजनाओं की स्थापना

794. **श्री चन्द्र भूषण सिंह:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कुछ राज्य सरकारों से अपने राज्यों में मेट्रो रेल परियोजनाएं स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) परियोजनाओं के अनुमोदन की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में प्रत्येक परियोजना के सामने दी गई है।

विवरण

राज्य	ब्यौरा	वर्तमान स्थिति
1	2	3
आंध्र प्रदेश	**हैदराबाद मैट्रो रेल परियोजना** आंध्र प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित 3 कोरीडोर में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में निर्माण, प्रचालन और अंतरण (बीओटी) आधार पर मैट्रो रेल परियोजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया है:- मियापुर-एलबी नगर - 29.87 किमी. सिकंदराबाद-फलकनुमा - 14.78 किमी. हबसिंहगुडा-शिल्पारमम - 21.74 किमी. कुल लंबाई - 66.39 किमी. अनुमानित निर्माण लागत (भूमि लागत सहित) - 8760 करोड़ रु. निर्माण की संभावित अवधि - 4 वर्ष	वित्त मंत्रालय के अधिकारिता संस्थान जिसमें 'अवस्थापना में सार्वजनिक निजी भागीदारी के वित्तीय समर्थन संबंधी स्कीम' के अंतर्गत 1.5.2007 को परियोजना पर विचार किया था, ने तकनीकी बोलीदाताओं को शार्टलिस्ट करने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार को अनुमति दी है।
महाराष्ट्र	**मुम्बई मैट्रो रेल परियोजना-फेज-1** **प्रथम कारीडोर** **वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर:** महाराष्ट्र सरकार ने निजी भागीदार के रूप में रिलायंस समूह की अगुवाई में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड तथा चुनिंदा मुंबई मैट्रो कंसोरटियम-1 में बीओओटी आधार पर इस कारीडोर को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया। निर्माण की संभावित अवधि - 4 वर्ष कुल लंबाई - 11.07 किमी. अनुमानित पूर्णता लागत - 2356 करोड़ रुपये	**प्रथम कारीडोर** व्यय वित्त समिति (ईएफसी ज्ञापन) के लिए नोट जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत परियोजना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत करने हेतु भेजा गया है। (डिमांड किया गया व्यवहार्यता अंतराल 650 करोड़ रुपये है)
	दूसरा कारीडोर चारकोप-बांद्रा-मानखुर्द कुल लंबाई - 31.87 किमी. अनुमानित पूर्णता लागत (भूमि लागत सहित) - 5527 करोड़ रुपये	**दूसरा कारीडोर** वित्त मंत्रालय के अधिकारिता संस्थान ने 22.1.07 को 'सैद्धांतिक रूप से' अनुमोदन प्रदान किया है। महाराष्ट्र सरकार को निजी भागीदार का चयन करना है।
	तीसरा कारीडोर कोलाबा-माहीम-बांद्रा कारीडोर कुल लंबाई (भूमिगत 17.73 किमी. सहित) - 19.95 किमी. अनुमानित लागत - 10751 करोड़ रुपये	**तीसरा कारीडोर** महाराष्ट्र सरकार ने जेबीआईसी ऋण के लिए रोलिंग प्लान में इस परियोजना को शामिल करने का विचार किया है। उनसे व्यापक मोबिलिटी प्लान के साथ प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

1	2	3
केरल	**कोच्चि मैट्रो** कुल लंबाई - 25.3 किमी. (सभी एलीवेटेड) अलवाये से पैत्ता तक (त्रिपुनीथुरा) अनुमानित लागत - 1966 करोड़ रुपये 3008 करोड़ रु. तक अद्यतन	केरल सरकार से प्रौद्योगिकी न्यूटल बोलियां आमंत्रित करने तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी विकल्प का पता लगाने का अनुरोध किया गया है।
दिल्ली	**दिल्ली मैट्रो** **दिल्ली रेलवे स्टेशन से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक हाईस्पीड एक्सप्रेस लिंक** कुल लंबाई - 19.2 किमी. अनुमानित पूर्णता लागत - 3076 करोड़ रु.	20.4.07 को सरकार द्वारा अनुमोदित
	केन्द्रीय सचिवालय से बदरपुर कारीडोर कुल लंबाई - 20.16 किमी. अनुमानित पूर्णता लागत - 4012 करोड़ रु.	20.4.07 को सरकार द्वारा अनुमोदित
	द्वारका सेक्टर-21 से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट कुल लंबाई - 3.5 किमी. अनुमानित पूर्णता लागत - 793 करोड़ रु.	30.7.07 को दिल्ली मैट्रो रेल निगम द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
तमिलनाडु	**चेन्नई मैट्रो** निम्नलिखित दो कारीडोरों में 50 किमी. की कुल लंबाई (1) टालगेट से चेन्नई एअरपोर्ट तक - 27.5 किमी. (2) चेन्नई फोर्ट से गुंडई तक - 22.5 किमी. अनुमानित पूर्णता लागत - 9347 करोड़ रुपए	तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव की जेबीआईसी ऋण के लिए रोलिंग प्लान में शामिल करने हेतु सिफारिश की गई है।
पश्चिम बंगाल	**कोलकाता मैट्रो** **ईस्ट-वेस्टर मैट्रो कारीडोर** **हावाड़ा स्टेशन से साल्टलेक सैक्टर 5** कुल लंबाई - 13.77 किमी. (8 किमी. भूमिगत तथा 5.7 किमी. एलीवेटेड) अनुमानित पूर्णता लागत - 5068 करोड़ रु.	पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव की जांच की गई है तथा "सैद्धांतिक" अनुमोदन हेतु योजना आयोग को इसे भेजा गया है।
हरियाणा	**दिल्ली मैट्रो का गुड़गांव तक विस्तार** कुल लंबाई - 14.47 किमी. अनुमानित पूर्णता लागत - 1600.92 करोड़ रु.	17.10.2006 को सरकार द्वारा अनुमोदित
	दिल्ली मैट्रो का फरीदाबाद तक विस्तार कुल लंबाई - 13.875 किमी. अनुमानित पूर्णता लागत - 20.28 करोड़ रु.	डीपीआर पर टिप्पणियां अनुपालना हेतु हरियाणा सरकार और डीएमआरसी को भेजी गई। इस प्रस्ताव को जीएनसीटीडी द्वारा अभी संस्तुत किया जाना है।
उत्तर प्रदेश	**दिल्ली मैट्रो का नोएडा तक विस्तार** कुल लंबाई - 07 किमी. अनुमानित पूर्णता लागत - 840.56 करोड़ रु.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान करने तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाई गई अन्य शर्तों के अध्यधीन 17.10.06 को केन्द्र सरकार द्वारा 'सैद्धांतिक रूप से' अनुमोदित।

विवाह का पंजीकरण

795. श्री एम. राजामोहन रेड्डी:
श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्री बची सिंह रावत "बचदा":

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेश को देखते हुए सभी संप्रदायों के लिए विवाह को पंजीकृत कराना अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में एक विधेयक पुर:स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने 2005 की सिविल रिट याचिका सं. 291/2005, श्रीमती सीमा बनाम अश्वनी कुमार वाले मामले में अपने तारीख 23.07.2007 के निर्णय में तारीख 14.02.2006 के अपने पूर्ववर्ती निर्णय को दोहराया है कि ऐसे सभी व्यक्तियों के, जो भारत के नागरिक हैं और भिन्न-भिन्न धर्मों के हैं, विवाहों को उनके ऐसे संबंधित राज्यों में, जहां विवाह अनुष्ठापित किया जाता है, अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकरण बनाया जाना चाहिए। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों के आधार पर और उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय के अनुसार विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण से संबंधित एक समुचित विधान को अधिनियमित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। मामले की महत्ता और जटिलता को देखते हुए मंत्रिमंडल के समक्ष विधेयक रखे जाने में कुछ समय लग सकता है।

[हिन्दी]

आवास निर्माण हेतु प्रस्ताव

796. श्री मित्रसेन यादव:
श्री अमिताभ नन्दी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में देश के विभिन्न राज्यों में इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत धनराशि के दुर्विनियोजन के बारे में कुछ अनियमितताएं आई हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार बेघर लोगों को घर दिलाने हेतु एक नई नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) कुल मिलाकर इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) संतोषजनक रूप से चल रही है। परंतु, जब कभी आईएवाई के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितताएं मंत्रालय की जानकारी में आती हैं तो मामले को उपयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के साथ उठाया जाता है क्योंकि योजना का कार्यान्वयन उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों तथा उन पर की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। परन्तु यह कार्रवाई प्रारंभिक अवस्था में है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान इंदिरा आवास योजना के बारे में अनियमितताओं एवं कमियों के संबंध में प्राप्त शिकायतें

* बिहार के कटिहार जिले में आईएवाई आवासों के आबंटन में दुर्विनियोजन के संबंध में श्री युवराज, पूर्व संसद सदस्य (लोक सभा) से एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

की-गई-कार्रवाई

मामले की राष्ट्र-स्तरीय निगरानीकर्ता ने जांच की थी और कुछ अनियमितताएं पाई थीं। इस मामले को बिहार की राज्य सरकार के साथ उठाया गया था। राज्य सरकार से इस बारे में रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

* बिहार के गया जिले के तीन ब्लाकों अर्थात् अटरी, मोहरा तथा बथानी की 8 ग्राम पंचायतों में आईएवाई के अंतर्गत निधियों के कथित दुर्विनियोजन के बारे में

श्रीमती कुन्ती देवी, विधायक, बिहार विधान सभा से शिकायत प्राप्त हुई थी।

की-गई-कार्रवाई

इस मामले की जांच करने के लिए राष्ट्र-स्तरीय निगरानीकर्ता (एनएलएम) की नियुक्ति की गई थी। एनएलएम की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ अनियमितताएं पाई गई थीं जिन्हें बिहार सरकार को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था। इस संबंध में राज्य सरकार की टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।

* बिहार के सीतामढ़ी जिले में आईएवाई योजना के अंतर्गत निधियों के दुरुपयोग के बारे में श्री संजय कुमार गुप्ता, विधायक, बिहार से शिकायत प्राप्त हुई थी।

की-गई-कार्रवाई

मामले की स्थल पर ही जांच करने के लिए एनएलएम को नियुक्त किया गया है। एनएलएम की रिपोर्ट मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है।

* श्री सीताराम यादव, सांसद (लोक सभा) से शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आईएवाई के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में ग्राम पंचायत-यूजार मध्य, ब्लाक कटरा, जिला मुजफ्फरपुर के ग्रामवासियों की शिकायतें अग्रेषित की गई थीं।

की-गई-कार्रवाई

मामले की एनएलएम द्वारा जांच की गई थी जिन्होंने कुछ अनियमितताएं पाई थीं। उन्हें राज्य सरकार को भेजा गया था। इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

* उड़ीसा में भीषण चक्रवात तथा बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के लिए नियत निधियों के दुरुपयोग के बारे में श्री जे.बी. पटनायक, नेता प्रतिपक्ष, उड़ीसा विधान सभा से शिकायत प्राप्त हुई थी।

की-गई-कार्रवाई

ग्रामीण विकास मंत्री जी ने इस मामले की जांच कराने का आदेश दिया है जिस पर कार्रवाई की जा रही है।

* उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में आईएवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में कैप्टन जगमाल सिंह वर्मा, वरिष्ठ नागरिक, गांव-कुढ़ी कमालपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश से शिकायत प्राप्त हुई थी।

की-गई-कार्रवाई

मामले की एनएलएम द्वारा जांच की गई थी जिन्होंने कुछ अनियमितताएं पाई थीं। उन्हें उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के साथ उठाया गया था। राज्य सरकार ने एनएलएम की रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की हैं।

* राजस्थान के चूरू जिले में आईएवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के बारे में डा. चन्द्रशेखर वैद, विधायक से शिकायत प्राप्त हुई थी।

की-गई-कार्रवाई

राजस्थान सरकार के साथ मामला उठाया गया था। जिला प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार, दोषी लाभार्थियों से आईएवाई राशि की वसूली के लिए आदेश जारी किया गया था। जिले से अंतिम रिपोर्ट आनी बाकी है।

* उड़ीसा में भीषण चक्रवात तथा बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के लिए नियत निधियों के दुरुपयोग के संबंध में श्री सीताकान्त महापात्र, विधायक से शिकायत प्राप्त हुई थी।

की-गई-कार्रवाई

ग्रामीण विकास मंत्री जी ने मामले की जांच कराने का आदेश दिया है जिस पर कार्रवाई की जा रही है।

* उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में आईएवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, किसान मंच, उत्तर प्रदेश, निवासी-गांव जानूवधी खुर्द, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से शिकायत प्राप्त हुई थी।

की-गई-कार्रवाई

मामले की एनएलएम द्वारा जांच की गई थी जिन्होंने कुछ अनियमितताएं पाई थीं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया था। इस बारे में स्थिति रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

* पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एनएलएम की जांच से कुछ कमियों का पता चला है।

की-गई-कार्रवाई

पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मामला उठाया गया है और उनसे इस बारे में टिप्पणियों/की-गई-कार्रवाई रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है जो कि अभी प्रतीक्षित है।

वाणिज्यिक रीयल एस्टेट क्षेत्र हेतु ऋण

797. **श्री राजीव रंजन सिंह "ललन": क्या वित्त मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वाणिज्यिक रीयल एस्टेट क्षेत्र को दिए गए ऋण की तुलना में गैर-कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋण की राशि और उसके प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चालू वर्ष के पहले तीन महीनों में वाणिज्यिक रीयल एस्टेट हेतु स्वीकृत की जा रही ऋण राशि में भारी वृद्धि की गई है;

(ग) यदि हां, तो यह वृद्धि किस सीमा तक की गई है;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस वृद्धि पर अपनी चिंता व्यक्त की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मई 2007 को कुल बकाया गैर-खाद्य सकल बैंक ऋण, गैर-कृषि ऋण तथा स्थावर संपदा क्षेत्र ऋण निम्नलिखित हैं:-

(करोड़ रु.)

	मई, 2007 की स्थिति के अनुसार बकाया
कुल गैर-खाद्य सकल ऋण	17,52,349 (100)
गैर-कृषि ऋण	15,30,307 (87.5)
जिनमें से स्थावर संपदा ऋण	46,295 (2.6)

टिप्पणी: 1. आंकड़े अनन्तिम हैं तथा चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल गैर-खाद्य सकल बैंक ऋण में हिस्सा दर्शाते हैं।

(ख) और (ग) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, वाणिज्यिक स्थावर संपदा के लिए बकाया ऋणों में मार्च 2007 और जून 2007 के बीच 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2006-07 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति संबंधी वार्षिक विवरण की तीसरी तिमाही समीक्षा में यह पाया गया था कि स्थावर संपदा क्षेत्र में लगातार उच्च ऋण वृद्धि, बकाया क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशि, पूंजी बाजार निवेश तथा वैयक्तिक ऋण के रूप में अर्हता प्राप्त ऋण एवं अग्रिम चिंता का विषय है। अतः ऋण एवं अग्रिमों की पूर्वोक्त चार श्रेणियों (रिहाइशी आवास ऋणों को छोड़कर) में मानक आस्तियों के संबंध में प्रावधान संबंधी अपेक्षा में मौजूदा एक प्रतिशत के स्तर से बढ़ाकर दो प्रतिशत किया जाना आवश्यक है, ताकि उच्च ऋण वृद्धि को देखते हुए आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके।

छोटे और सीमांत किसानों को ऋण

798. **श्री धर्मेन्द्र प्रधान:**
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:
श्री कीरेन रिजीजू:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक के अनुमानों के अनुसार 80 प्रतिशत सीमांत किसानों और 70 प्रतिशत छोटे किसानों को वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से ऋण नहीं मिल पाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके फलस्वरूप किसानों ने और ज्यादा आत्महत्याएं की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) विश्व बैंक ने 'इंडिया स्केलिंग अप एक्सेस टु फाइनैन्स फार इंडियाज रूरल पुअर" पर अपनी रिपोर्ट में बताया है कि लगभग 66 प्रतिशत बड़े किसानों के पास जमा खाता है और केवल 44 प्रतिशत की ऋण तक पहुंच है। लगभग 87 प्रतिशत गरीब परिवारों (सीमांत किसानों) का सर्वेक्षण करने पर पता चला कि उनकी ऋण तक पहुंच नहीं और 71 प्रतिशत की, बचतों के लिए औपचारिक स्रोत तक पहुंच नहीं हैं। (औपचारिक

ऋण तक पहुंच वस्तुत: आकस्मिक खर्च पूरा करने के लिए एक मुख्य समस्या है और औपचारिक वित्त तक कम पहुंच होने के परिणामस्वरूप, निर्धन ग्रामीण परिवारों की अनौपचारिक वित्त हेतु अधिकांशत: साहूकारों और दुकानदारों पर निर्भरता बढ़ जाती है)।

सांख्यिकी एक कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा "कृषक परिवारों की ऋणग्रस्तता" (कृषकों की स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण का एक भाग-59वां दौर) पर वर्ष 2003 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 89.35 मिलियन परिवारों में से 43.42 मिलियन (48.6) के ऋणग्रस्त होने की सूचना थी। परिणामस्वरूप 51.4 कृषक परिवारों की संस्थागत या गैर-संस्थागत किसी भी स्रोत से ऋण तक पहुंच नहीं थी।

(ग) और (घ) देश में किसानों द्वारा आत्महत्या के कई कारणों में से एक कारण उनका ऋण चुकाने में असमर्थ होना है। अन्य कारण-अनौपचारिक स्रोतों से अत्यधिक ऋण लेना, सामाजिक तनाव, कृषि उपज तथा उनकी आय को प्रभावित कर रहा लगातार सूखा, सामाजिक वातावरण में आ रहे परिवर्तनों तथा व्यक्तियों का परिवार एवं समाज से विलगाव हैं। सरकार ने चार राज्यों—महाराष्ट्र (6), आंध्र प्रदेश (16), कर्नाटक (6) और केरल (3) के उन 31 ऋणग्रस्त जिलों में राहत पैकेज की घोषणा की है जहां से, आत्महत्या के अधिकतम मामलों की सूचना मिली है। दिनांक 01.07.2006 की स्थिति के अनुसार अतिदेय ऋणों पर सम्पूर्ण ब्याज माफ करना राहत पैकेज का एक अंग है। ये अतिदेय ऋण एक वर्ष के ऋण स्थगन सहित 3-5 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्निर्धारित कर दिये गये हैं। ऐसे जिलों में कृषि ऋण की अधिक उपलब्धता भी सुनिश्चित कर दी गई है।

नैनो प्रौद्योगिकी

799. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास पर ध्यान केन्द्रित करने वाले संस्थानों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): देश में अनेक अनुसंधान संस्थान और विश्वविद्यालय नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। कुछ अग्रणी संस्थान हैं- भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-मुम्बई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-दिल्ली, इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फार पाउडर मैटलर्जी एंड न्यू मैटीरियल्स (एआरसीआई), हैदराबाद, एस.एन. बोस राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केन्द्र, कोलकाता, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र, पुणे, केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, पिलानी, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली, आदि।

[हिन्दी]

राजस्थान में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का कार्य-निष्पादन

800. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:**
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण विकास के अंतर्गत राजस्थान में कितने गैर-सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अवधि के दौरान उनको कितनी राशि स्वीकृत/संवितरित की गई;

(घ) क्या सरकार उनके कार्य-निष्पादन से संतुष्ट है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ग) लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद (कपार्ट) जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी निकाय है, ने राजस्थान में 356 गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहायता प्रदान की है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कपार्ट ने राजस्थान में 79 गैर-सरकारी संगठनों के लिए 99 परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। उक्त अवधि के दौरान अनुमोदित की गई योजनावार राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(घ) से (च) अनुमोदित की गई 99 परियोजनाओं में से 38 परियोजनाओं को संतोषजनक रूप से पूरा कर लिया गया है। शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण

राजस्थान (2004-05)

वर्ष 2004-05 के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की सूची

(राशि रु. में)

क्र.सं.	एनजीओ के नाम और पते	योजना	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	अखिल भारतीय समझौतन समिति, भिटेरा, ग्राम भिटेरा, पीओ रेवाली, थाना बहरोर, जिला-अलवर-301701	आर्टस	262490	262490
2.	ग्राम विकास समिति, 18-19 श्री काम्प्लेक्स, सी ब्लाक, सेक्टर-9, गिरवा, उदयपुर, राजस्थान-313002	पीसी	355599	355599
3.	ग्रामीण महिला विकास संस्थान, बुबानी, ग्राम बुबानी, वाया गगवाना, ब्लाक श्रीनगर, अजमेर (राज.)-23	ओबी	55000	55000
4.	ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण संस्था, ग्राम बसादी, पीओ उदावाला, वाया सैंथान, दौसा, राजस्थान-303507	आर्टस	262490	262490
5.	ज्ञानी आर्गेनाइजेशन फार ओप्रैस्ड डेवलपमेंट, विलेज एवं पीओ खुररा, तहसील लालसोत, जिला-दौसा, राजस्थान	आर्टस	119250	107325
6.	आईबीटीएबीए, प्लाट नं. 4, योजना-8, आंधी नगर, अलवर, राजस्थान-301001	आर्टस	148000	133200
7.	जय भारतीय प्रसार समिति, 2जे18, काला कुंआ, अलवर	आर्टस	262490	262490
8.	जन चेतना संस्थान, झडौल, ग्राम पोस्ट झडोल, उदयपुर-313702	पीसी	900900	900900
9.	जन कल्याण संस्थान, नत्थुसर, पोस्ट नत्थुसर, तहसील पोखारण, जिला जैसलमेर	पीसी	39045	39045
10.	किसमिडेसर खादी एवं ग्रामोद्योग समिति, चिम्पोन का मौहल्ला, जीएस रोड, बीकानेर	आर्टस	262490	262490
11.	क्षेत्रीय खादी ग्रामोद्योग समिति, ग्राम पूनखार, लक्ष्मणगढ़, अलवर (राज.)	आर्टस	262490	262490
12.	लोक सेवा समिति जेठाना, ग्राम+पीओ जेठाना, जिला अजमेर-305001 (राज.)	ओबी	400000	400000
13.	माताश्री गोमती देवी जनसेवा निधि, 26, मोतीदुंगारी, अलवर, राजस्थान-301001	आर्टस	262490	262490
14.	राधा बाल मंदिर विद्यालय समिति, बस स्टैंड, पीपर सिटी, बिलारा, जिला जोधपुर-राज.	आर्टस	249000	0

1	2	3	4	5
15.	राजस्थान एग्रीकल्चर एंड रूरल होर्टिकल्चर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, 14, गोकुलपुरी, एयरपोर्ट थाना सर्कल के समीप, संगनेर, जयपुर	पीसी	240526	240526
16.	राजस्थान बाल कल्याण समिति, ग्राम/पीओ-झडोल, जिला उदयपुर, राजस्थान	आर्टस	524980	524980
17.	राजस्थान ग्राम विकास सेवा संस्थान, 18 वेद वाटिका, न्यू संगनेर रोड, सौडाला, जयपुर	आर्टस	524980	524980
18.	राजस्थान पर्यावरण एवं विकास संस्थान, 4/323, केन्द्रीय विद्यालय-1 के समीप, भीम मंडी, कोटा-324002	आर्टस	524980	524980
19.	सांस्कृतिकी कल्चरल सोसाइटी, 8-बी, ब्रज कालोनी, चंबल पावर हाउस, सिविल लाइन्स, जयपुर-19	आर्टस	113396	113396
20.	सिक्योर (सोसाइटी फार इनहैंसमेंट आफ कम्यूनिटी बाई अर्बन एंड रूरल एनरिचमेंट), 65, बरकत नगर, टोंक फाटक, जयपुर-302015, राजस्थान	आर्टस	262490	262490
21.	उरमुल ज्योति संस्थान, सुजानगढ़ रोड, नौखा, जिला बीकानेर, राजस्थान-334803	ओबी	55000	55000
22.	भारतीय शिक्षा प्रसार एवं नागरिक कल्याण समिति, बी-657, एमआईजी फ्लैट्स, ईस्ट आफ लोनी रोड, शाहदरा, दिल्ली (परियोजना क्षेत्र-राजस्थान)	आर्टस	212792	212792
23.	चन्द्र ज्योति वेलफेयर सोसाइटी, 12-एच, अपोजिट ट्रेफिक कोतवाली, दरियागंज, नई दिल्ली-02 (परियोजना क्षेत्र-राजस्थान)	आर्टस	262490	138245
24.	सोसाइटी फार एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूजी-3, ई-77, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092 (परियोजना क्षेत्र-राजस्थान)	ओबी	55000	55000
25.	द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फार द वेलफेयर आफ ट्राइबल्स (आईएनटीडब्ल्यूओटी) हाउस नं.-230, पाकेट-सी-7, सेक्टर-7, रोहिणी, नई दिल्ली-85 (परियोजना क्षेत्र-राजस्थान)	पीसी	73637	73637
26.	ग्राम स्वराज्य संस्थान, हिसार, 196-प्रेम नगर, ब्लाक/जिला-हिसार, हरियाणा-125001 (परियोजना क्षेत्र-राजस्थान)	आर्टस	415644	415644
27.	वाटरशेड कंसल्टेंट्स आर्गेनाईजेशन (डब्ल्यूएएससीओ) 230, श्रीगोपाल नगर, गोपालपुरा बाईपास रोड, जयपुर	डब्ल्यूएसडी	200000	200000
28.	द रामकृष्ण मिशन, एटी/पीओ-बालुरमठ, जिला-हावड़ा, प. बंगाल (परियोजना क्षेत्र-राजस्थान)	पीसी	172114	172114

नोट: योजना का पूरा नाम अनुबंध-II में दर्शाया गया है।

वर्ष 2004-05

राज्य: राजस्थान

राजस्थान (2005-06)

वर्ष 2005-06 के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की सूची

(राशि रु. में)

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम	योजना	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	आदर्श बाल विद्या मंदिर समिति चरेडा (एएसएमबीवी संस्था), 8/20, विकास कालोनी, दौसा, राजस्थान-303303	टीआरडीआईटी	160500	144450
2.	आदर्श शिक्षा समिति सैरियापाटिलवाडा, वार्ड नं.-7, तहसील सालुमबार, उदयपुर, राजस्थान-313027	एनआरडीएम	386914	348223
3.	आदिवासी सांस्कृतिक सेवा संस्थान, जयपुर, ई-32-ए, सरस्वती नगर, बिहाइंड सेक्टर-6, मालवीय नगर, जयपुर-302017 (राजस्थान)	टीआरडीआईटी	348000	313200
4.	जीआईएमएटी एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, 27, न्यू कालोनी, नियर खाटीपुरा रेलवे फाटक, जोतवारा रोड, जयपुर-302012	टीआरडीआईटी	600000	600000
		एचआरडी	140000	140000
5.	ग्रामीण महिला विकास संस्थान, बुबानी, ग्राम बुबानी, वाया गंगवाना, ब्लाक श्रीनगर, अजमेर (राजस्थान)-305023	आर्टस	168000	168000
6.	ग्रामीण विकास संस्थान, रावण की बेरी, ग्राम/पोस्ट लुखु, वाया धोरीमन्ना, जिला बाडमेर-3447044	आरआईडीएस	432000	388800
7.	हेल्थ केयर संस्थान, डी-22, गणेश मार्ग, बापूनगर, जयपुर, राजस्थान	पीसी	299640	299640
8.	कमलनिष्ठ संस्थान, कोलसिया, ग्राम/पीओ-कोलसिया, ब्लाक नवलगढ़, जिला झुनझुनु, राजस्थान-33042	ईडब्ल्यूएससीडी	189425	170483
9.	लोक विकास समिति, उदयपुर, 8, धोली मगरी, पनेरियो की मडरी, गिरवा, उदयपुर-313002 (राजस्थान) पीसी	आर्टस	132000	118800
10.	लोकार्पण संस्थान, व्यापारी मौहल्ला, नियर पावर हाउस, मदनगंज-किशनगढ़ (राजस्थान)-305801	पीसी	155680	140112
11.	लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन, 160 कृष्णा नगर, जिला भरतपुर, राजस्थान-321001	पीसी	301500	158250

1	2	3	4	5
12.	मारू पर्यावरण संरक्षण संस्थान (डीईसीओ), जोधपुर, 7-सी-18, नंदावन नगर, जोधपुर-342008, राजस्थान	पीसी	440000	440000
13.	मरूस्थलिया उत्थान ग्रामीण विकास समिति, 1-एबीसी, सरस्वती नगर, अपोजिट सेक्टर 6-7, मालवीय नगर, ब्लाक चकसू, जयपुर-302017 (राजस्थान)	आरआईडीएस	150000	135000
14.	मोहमडन सिंधी समाज विकास समिति, फलोडी, नियर बस स्टैंड फलोडी, जिला जोधपुर, राजस्थान-342301	टीआरडीआईटी	253050	253050
15.	नवयुवक मंडल संस्थान, रामपुर बेरी, पोस्ट रामपुर, बेरी, राजगढ़, चुरू, राजस्थान-331301	आरआईडीएस	462000	462000
16.	पीपल राइट एंड रूरल एजुकेशन नेटवर्क संस्थान, चौधरी ट्रैक्टर्स, अपो. न्यू सब्जी मंडी, रिको रोड, बाडमेर (राजस्थान)	पीसी	420000	420000
17.	राजस्थान नवचेतना समिति, कोटपुटाली, बजाजों का मौहल्ला, मरवार, मुंडवा, जिला नागौर, राजस्थान-26	आरआईडीएस	361440	325296
18.	रिद्म साफ्ट टवायेज एंड ट्रेनिंग स्कूल सोसाइटी, 2केएच43, हिरानमगरी सेक्टर नं. 5, उदयपुर, राजस्थान	पीसी	90200	72000
19.	रूयाल इंस्टीट्यूट आफ हेल्थ अवेरनेस एंड एजुकेशन (आरईएचएई) नियर राम मंदिर, पितृजी वाली गली, तहसील/जिला-चुरू, राजस्थान-331001	पीसी	1065000	1065000
20.	समग्र ग्राम्य विकास संस्थान, माहवा खेरला बुजुर्ग, तह-महुवा, दौसा, राजस्थान-332240	आर्ट्स	166750	150075
21.	सामाजिक आर्थिक विकास समिति ग्राम-नया रलवाड़ा, पो.-गरूनवासी तह.-चाकसू, जयपुर-303901	एनआरडीएम	612678	551410
22.	स्मृति समाज कल्याण संस्थान खावस जीकी हवाली, महल चौक ब्लाक-तिजारा, जिला-अलवर, राजस्थान-301001	पीसी	118000	118000
23.	सरस्वती विद्यालय शिक्षण संस्थान पुलिस स्टेशन के पीछे, सरदार शहर, चुरू-331403	आर्ट्स	192000	192000
24.	सरोजिनी नायडू महिला विकास एवं कल्याण संस्थान एनएच-8, देहली रोड, पौटा, जिला-जयपुर राजस्थान-303106	आर्ट्स	293300	293300
25.	शिक्षा एवं जनकल्याण समिति ब्लाक-फलोडी, जिला-जोधपुर, राजस्थान	आरआईडीएस	1950000	1755000
26.	शिल्पी संस्थान (पर्यावरण शिक्षा संस्कृति ललित कला विकास संस्थान) खागल मोहल्ला, बाड़मेर-344001	आरआईडीएस	1200000	1200000

1	2	3	4	5
27.	श्री गोपाल गोवर्धन गोशाला आनंदवन पठमेढ़ा, ब्रह्मचर्य आश्रम, आनंदवन, पठमेढ़ा, पो.-हाडेतर, तह.-सानचोर, जिला-जालौर राजस्थान-343041	टीआरडीआईटी	100000	1000000
28.	सोशल वर्क एंड एन्वायरमेंट रूरल एडवांसमेंट मु.+पो.-फरकिया (श्रीनगर) जिला-अजमेर	पीसी	487200	487200
29.	सोसायटी फार कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन एंड पीपल्स एजुकेशन वाटर वर्क्स के पीछे, लोहारू रोड, पिलानी, झुनझुनु-333031	एनआरडीएम	190518	0
30.	स्पैन एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसायटी, एफ-44, दास एंड यादव काम्प्लेक्स, राजा पार्क, पंचवटी सर्कल, जयपुर-4	टीआरडीआईटी	183000	98500
31.	सुजस सांस्कृतिक सेवा संस्थान, 45-ए, शिवनगर, हरनाथपुर, निवास रोड, बाइपास चौराहा, जयपुर (राजस्थान)-302012	टीआरडीआईटी	332250	299025
32.	त्रिमूर्ति शिक्षा प्रसार समिति, उदयपुर, 3जेएच 21, प्रभात नगर, हिरन मागरी, सेक्टर-5, गिरवा, उदयपुर	आर्ट्स	166750	150075
33.	युवा चेतना एवं जनकल्याण समिति, मघोनी, ग्राम/पोस्ट-मघोनी जिला/तह.-भरतपुर, राजस्थान-26	एनआरडीएम	233800	210420

राजस्थान (2006-07)

वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

राज्यः राजस्थान

(राशि रु. में)

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम	योजना	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	आदर्श महिला विकास संस्थान, लुंकरांसर, वैध मघराम कालोनी डूडी धर्मकांटा के पीछे, गजनेर रोड, बिकानेर, राजस्थान-334001	पीसी	405000	364500
2.	आम्रपाली प्रशिक्षण संस्थान, कारीगर मोहल्ला वार्ड नं. 24,	पीसी	700000	0
	देवली जिला-टांक, राजस्थान	पीसी	7442400	0
3.	चंबल सेंटर फार डेवलपमेंट सर्विसेज सोसायटी, 107,	पीसी	3721200	0
	नटराज सिनेमा के पीछे, कोटा जून, कोटा	पीसी	700000	0

1	2	3	4	5
4.	ल्युपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च, फाउंडेशन, 160, कृष्णा नगर, जिला-भरतपुर, राजस्थान	पीसी	1224000	0
5.	मानव प्रगति संस्थान, राहगढ़, इन्फारमैटिक कम्प्यूटर सेंटर,	पीसी	700000	0
	डिलक्स होटल के सामने, कोर्ट रोड, चुरू, राजस्थान-01	पीसी	7442400	0
6.	मोहम्मडन सिंधी समाज विकास समिति, फलोड़ी, बस स्टैंड के पास, फलोड़ी, जिला-जोधपुर, राजस्थान-342301	पीसी	1705000	852500
7.	नेहरू नवयुवक मंडल, गौरडिया, ग्राम-गौरडिया, पो.-हरसाधी, जिला-जोधपुर, बाड़मेर-344013	पीसी	1140000	570000
8.	सहयोग शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, भरतपुर,	पीसी	3934000	0
	214, कृष्णा नगर, भारतपुर, राजस्थान	पीसी	3721200	0
9.	सेवा मंदिर, ओल्ड फतेहपुर, उदयपुर-313004	पीसी	2362000	0
10.	सोसायटी फार एजुकेशन कंसटाइजेशन अवेयरनेस एंड	पीसी	962000	0
	ट्रेनिंग (ईसीएटी) कोटड़ी, वाया-रूपगढ़, जिला-अजमेर, राजस्थान	पीसी	3721200	0
11.	सोसायटी टू अपलिफ्ट रूरल इकानमी, पो. बाक्स नं. 29, गुरुद्वारा रोड, बाड़मेर, राजस्थान-344001	पीसी	48400	43560
12.	डा. बी.आर. अम्बेडकर प्रशिक्षण संस्थान, प्रभात हाऊस, लिंक रोड, ग्रा. और पो. रतनगढ़, चुरू-331022, राजस्थान	ओबी	49500	0
13.	सहयोग शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, भरतपुर, 214, कृष्णा नगर, भरतपुर, राजस्थान-321001	ओबी	48142	43328
14.	आम्रपाली प्रशिक्षण संस्थान, कारीगर मोहल्ला वार्ड नं. 4, देवली जिला-टांक, राजस्थान	आर्ट्स	3918200	0
15.	चंबल सेंटर फार डेवलपमेंटल सर्विसेज सोसायटी 107, नटराज सिनेमा के पीछे, कोटा जून, कोटा	आर्ट्स	827120	0
16.	ल्युपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च, फाउंडेशन, 160, कृष्णा नगर, जिला-भरतपुर, राजस्थान	आर्ट्स	1550947	0
17.	मानव प्रगति संस्थान, राहगढ़, इन्फारमैटिक कम्प्यूटर सेंटर, डिलक्स होटल के सामने, कोर्ट रोड, चुरू, राजस्थान-331001	आर्ट्स	4135860	0
18.	सोसायटी फार एजुकेशन कंसंटाइजेसन अवयेरनेंस एंड ट्रेनिंग (ईसीएटी) कोटड़ी, वाया-रूपगढ़, जिला-अजमेर, राजस्थान	आर्ट्स	2288250	0
19.	शिल्पी संस्थान (पर्यावरण शिक्षा संस्कृति ललितकला विकास संस्थान) खागल मोहल्ला, बाड़मेर-344001 (राजस्थान)	एनआरडीएम	2171500	1085750

1	2	3	4	5
20.	वालंटरी एसोसिएशन आफ एग्री. जनरल डेव. हेल्थ एंड रीकंस्ट्रक्शन अलायंस 3/153, खांडू कालोनी, जिला-बांसवाड़ा, राजस्थान-327001	आरआईडीएस	719000	426300
21.	ह्यूमन डेवलपमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, 150-डी, रंजीत नगर, जिला-भरतपुर, राजस्थान-321001	आरआईआईएमए	366100	183050
22.	नूतन इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कोशल नगर, बंदीकुई, जिला-दौसा, राजस्थान		1007400	492550
23.	निर्माण संस्थान, बीपीओ देशमान, जिला-टांक	जीवीए	585050	292525
24.	एक्स सोल्जर्स पेंशनर्स सर्विस सोसायटी, गुरुद्वारा रोड, बाड़मेर	आरआईडीएस	500000	250000
25.	सीमांत किसान सहयोग संस्थान, पुगाल, जिला-बिकानेर	जीवीए	912430	456215
26.	जागरण विकास समिति, वाली, जिला-उदयपुर	जीवीए	853150	426575
27.	तुलसी शिक्षा समिति, धौलपुर गांव, जिला-धौलपुर	जीवीए	1002250	501125
28.	वालंटरी एसोसिएशन आफ एग्री. जनरल डेव. हेल्थ एंड रीकंस्ट्रक्शन अलायंस 3/153, खांडू कालोनी, जिला-बांसवाड़ा, राजस्थान-327001	जीवीए	839150	419575
29.	जिला युवक कल्याण कोष समिति, पो. बाक्स नं. 42, बाड़मेर	जीवीए	931464	465732
30.	समिति एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, न्यू कालोनी, जयपुर	जीएसएम	950000	450000
31.	लोक सेवा समिति, जेठान, जिला-अजमेर	जीएसएम	45000	337500

उन योजनाओं का पूरा नाम जिनके तहत परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं

आर्ट्स	ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन योजना
ईडब्ल्यूएससीडी	ग्रामीण महिलाओं, अनु. जाति, अनु. जनजाति और उपेक्षित समूहों तथा ग्रामीण क्षेत्र के अपंग व्यक्तियों को सशक्त बनाने की योजना
जीएसएम	ग्राम श्री मेला
जीवीएम	ग्रामीण विकास आंदोलन
एचआरडी	मानव संसाधन विकास योजना
एनआरडीएम	प्राकृतिक संसाधन विकास एवं प्रबंधन
ओबी	लाभार्थियों का संगठन
पीसी	जन सहयोग
आरआईआईएमए	ग्रामीण औद्योगिकीकरण, आय सृजन और बाजार तक पहुंच
आरआईडीएस	ग्रामीण अवसंरचना विकास योजना
टीआरडीआईटी	ग्रामीण विकास के लिए प्रौद्योगिकियां सूचना प्रौद्योगिकी का संवर्धन
डब्ल्यूएसडी	वाटरशेड विकास।

[अनुवाद]

बैंकों में रिक्तियां

801. **श्री अमिताभ नन्दीः**
श्री विजय कृष्णः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियुक्तियां नहीं होने के कारण कर्मचारियों की भारी कमी का सामना करना पड़ा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की आउट सोर्सिंग की नीति के कारण बैंकों का काम-काज प्रभावित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है और वे अपनी आवश्यकतानुसार समय-समय पर भर्ती करते हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने कोर कार्यों की एक सूची बनायी है, आउटसोर्स नहीं करवाया जा सकता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को, कोर कार्यों को छोड़कर दूसरे कार्यों को आउटसोर्स करवाने की अनुमति दी गयी है। ऐसी आउटसोर्सिंग से बैंकों के कार्य-कलापों पर कोई बाधा नहीं आयी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

छोटे मूल्यवर्ग के सिक्कों की कमी

802. **श्री जे.एम. आरून रशीदः**
श्री रेवती रमन सिंहः
श्री पी.एस. गढ़वीः
श्री एम. जनार्दन रेड्डीः
श्री थावरचन्द गेहलोतः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में छोटे मूल्यवर्ग के सिक्कों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या छोटे मूल्यवर्ग के सिक्कों की पड़ोसी देशों में भारी मात्रा में तस्करी अधिक लाभ के लिए आभूषण बनाने के लिए की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) कतिपय बाजारों में सिक्कों की कमी के संबंध में जनता से कुछ सूचनाएं एवं शिकायतें प्राप्त हुई हैं। 6 महीने की अवधि में सिक्कों की मांग में असाधारण वृद्धि हुई है। इसके लिए निम्नलिखित को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है:-

(1) धातु के मूल्यों में वृद्धि के कारण उच्च मूलभूत मूल्य की वजह से क्यूप्रो-निकल सिक्कों को गलाने की तथाकथित सूचनाएं;

(2) देश के विभिन्न भागों और बंगलादेश में ब्लेडों के विनिर्माण और अन्य उपयोगों के लिए एफएसएस सिक्कों को तथाकथित गलाने की सूचनाएं;

(3) स्थिति का लाभ उठाने के लिए बेईमान तत्वों द्वारा इनकी जमाखोरी करना।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) सरकार वर्ष 2005 से 2 रुपए के सिक्कों की ढलाई क्यूप्रो निकल के बजाए फेरिटिक स्टेनलेस स्टील में कर रही है और पांच रु. के सिक्के की ढलाई भी क्यूप्रो निकल के बजाय फेरिटिक स्टेनलेस स्टील में ही करने का निर्णय लिया है।

(2) 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की ढलाई त्वरित आधार पर की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न निर्गम कार्यालयों ने सिक्कों के मेले लगाए हैं, बाजार स्थलों आदि पर मोबाइल बैंकों के माध्यम से सिक्कों का वितरण किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चुनिन्दा मुद्रा तिजोरी शाखाओं को भी ऐसा करने की सलाह दी है।

(3) होटलों, रेस्तरांओं, खुदरा दुकानों आदि की बड़ी मांग को पूरा करने के लिए पंजीकृत संगठनों/व्यापार निकायों, जहां कहीं वे इस प्रयोजन के लिए आगे आए हैं, के माध्यम से वितरण की व्यवस्था की गई है।

(4) मुम्बई में, पांच डाकघरों के माध्यम से सिक्कों के वितरण की व्यवस्था की गई है और अन्य राज्यों में भी ऐसी ही व्यवस्था की जा रही है।

(5) सभी बैंकों को अपनी मुद्रा तिजोरी शाखाओं के माध्यम से सक्रिय रूप से सिक्कों का वितरण सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है और उन्हें सिक्का वितरण के विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रत्येक जिले में कुछ शाखाओं की पहचान करने की सलाह भी दी गई है।

(6) बैंकों को सिक्का वेंडिंग मशीनें लगाने पर विचार करने की सलाह दी गई है।

नाबार्ड

803. श्रीमती पी. सतीदेवी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने केरल स्थित सहकारी बैंकों की पुनर्वित्त पूर्ति करने से मना कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सहकारी बैंक की पुनर्वित्तपूर्ति के लिए विद्यमान मानदंडों में परिवर्तन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) नाबार्ड कृषि ऋण हेतु बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करता है। नाबार्ड ने वर्ष 2006-07 के दौरान पात्र जिला *मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) की ओर से राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) को भारत सरकार से ब्याज-अनुदान सहित 2.5% वार्षिक की रियायती ब्याज दरों पर अल्पावधि मौसमी कृषि परिचालन* (एसटी-एसएओ) पुनर्वित्त प्रदान किया है। *यह* पुनर्वित्त प्राप्त करने की शर्त यह है कि सहकारी बैंक 7% वार्षिक की ब्याज-दर पर प्रति ऋणकर्ता को 3.00 लाख रुपए तक फसल ऋण उपलब्ध कराएं।

योजना को अंतिम रूप देते समय यह निर्णय लिया गया था कि नाबार्ड वर्ष 2006-07 में 2.5 पर सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करेगा और यह दर प्रति वर्ष 50 आधार अंकों में बढ़कर वर्ष 2009-10 तक 4% वार्षिक के स्तर पर पहुंच जाएगी। परिणामस्वरूप, पुनर्वित्त पर ब्याज-दर निम्नानुसार निर्धारित की गई थी:—वर्ष 2006-07 के दौरान 2.5%, वर्ष 2007-08 के दौरान 3.0%, 2008-09 के दौरान 3.5% तथा वर्ष 2009-10 के दौरान 4.0%। इस निर्णय की सूचना नाबार्ड को भी दे दी गई थी, अतः नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त देने की मूल योजना में कोई संशोधन नहीं किया गया है। इस योजना के अनुसार, इस रियायती पुनर्वित्त पर ब्याज दर वर्ष 2007-08 के लिए 3% वार्षिक है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में संदेहास्पद लेन-देन

804. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा संदेहास्पद लेन-देन के कितने मामलों की रिपोर्ट की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (एफआईयू-आईएनडी) को दी गयी सूचना के अनुसार, वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 (जुलाई तक) के दौरान संदेहास्पद लेनदेन की संख्या निम्नांकित है:-

वर्ष	मामलों की संख्या
2005-06	शून्य
2006-07	16
2007-08 (जुलाई तक)	18
कुल	34

(एफआईयू-आईएनडी), वर्ष 2005 के उत्तरार्द्ध से कार्यरत है और वित्तीय वर्ष 2006-07 से बैंकों से संदेहास्पद लेन-देम की सूचनाएं प्राप्त कर रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में निजी भागीदारी

805. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी कंपनियां विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए अनिच्छुक हैं; और

(ख) यदि हां, तो विद्युत क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी, नहीं। पूर्व में स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) को राज्य विद्युत बोर्डों की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण वित्तीय समापन प्राप्त करने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि रा.वि. बोर्ड ही उनके एकमात्र ग्राहक थे। किन्तु, विगत पूर्व में भारत सरकार ने अनेक नीतिगत पहल किए हैं, जिनसे सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में निवेश के जरिए विद्युत उत्पादन में वृद्धि होने की आशा है। किए गए कुछ मुख्य पहलें निम्नानुसार हैं-

(1) ताप विद्युत उत्पादन तथा कैप्टिव विद्युत उत्पादन को लाइसेंसरहित अनुमति।

(2) राज्य विद्युत बोर्डों का संरचनात्मक सुधार।

(3) केन्द्रीय एवं राज्य विनियामक आयोगों का गठन।

(4) राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण।

(5) पारेषण एवं वितरण में खुली पहुंच।

(6) विद्युत व्यापार को पृथक कार्य का दर्जा दिया जाना।

(7) त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम।

(8) टी. एंड डी. हानियों में कमी को प्रोत्साहन।

उपर्युक्त विधायी संरचना तथा उपरोक्त पहलों से प्रोत्साहित होकर 16 निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाएं, जिनकी कुल क्षमता 7320 मे.वा. है, ने पिछले ढाई वर्षों में वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया है और निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।

विद्युत एक्सचेंज की स्थापना

806. श्री बसुदेव आचार्य: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा दूसरे विद्युत एक्सचेंज की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है जैसा कि दिनांक 25 जुलाई, 2007 के "बिजनेस लाइन" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) एन टी पी सी लि. अन्य पणधारकों के सहयोग से पिछले दो वर्षों से विद्युत एक्सचेंज के विकास पर कार्य कर रहा है। तदनुसार एन टी पी सी लि., ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के पास एन टी पी सी लि. नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एन एच पी सी) लि., नेशनल कामोडिटी एंड डेराइवेटिव्स एक्सचेंज (एन सी ई ई एक्स) तथा अन्यों द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तित पृथक कंपनी के द्वारा विद्युत केन्द्र की स्थापना तथा प्रचालन की अनुमति की मंजूरी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। एन टी पी सी लि. के आवेदन में विशेष रूप से उल्लिखित विद्युत केन्द्र योजना की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) एन टी पी सी लि. का आवेदन के.वि.वि. आयोग द्वारा सुनवाई के लिए अभी तक सूचीबद्ध नहीं हुआ है।

विवरण

प्रस्तावित विद्युत केन्द्र की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं-

(क) भौतिक सुपुर्दगी हेतु विद्युत की पूरे राष्ट्र में व्यापार के लिए पारदर्शी एवं तटस्थ सामान्य प्लेटफार्म, जिससे यह बाजार के सभी पात्र प्रतिभागियों तक पहुंच सके।

(ख) प्रभावी, उचित तथा विश्वस्त-उत्प्रेरक कम्प्यूटरीकृत व्यापार प्रणाली तथा कुशल मूल्य खोज हेतु उचित एवं पारदर्शी नियम।

(ग) राज्य यूटिलिटीज आईपीपीज/मर्चेण्ट पावर प्लांट्स आदि द्वारा अल्पावधि अधिशेष ऊर्जा के व्यापार हेतु ऐच्छिक बाजार स्थल, शुरू में दिन अग्रिम आधार पर।

(घ) दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थापित किया जाना प्रस्तावित।

(ङ) सघन प्रबंधन सहित एकल खिड़की के माध्यम से ऊर्जा संविदाओं तथा पारेषण स्वीकृति को साथ-साथ संचालित

करना फलस्वरूप सुपुर्दगी हेतु भौतिक तथा वित्तीय बाध्यकारी संविदाएं की जा सकें।

(च) विद्युत व्यापार और समय सारणी का प्रबंध करना एवं ग्रिड कोड से मिलाना तथा खुली पहुंच विनियम, आदि।

(छ) वित्तीय जोखिम से निपटने हेतु कुशल प्रणाली तथा व्यापार के भुगतानों हेतु प्रतिभागियों को पर्याप्त गारण्टी प्रदान करना।

(ज) प्रतिभागियों को मूल्य निर्धारण तथा व्यापार से संबंधित सूचना के लिए विसंगति रहित पहुंच उपलब्ध कराना।

(झ) स्वच्छ व्यापार तथा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी बाजार मानीटरिंग प्रणाली।

(ञ) व्यापार निपटान तथा समाशोधन एवं निपटान और प्रशिक्षण हेतु अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा।

(ट) उत्पाद संरचना नियमों एवं प्रचालन प्रक्रिया-विधियों को परिभाषित करने में प्रतिभागियों की प्रभावी भूमिका।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता संबंधी विशेषज्ञ समिति

807. डा. एम. जगन्नाथः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण ऋणग्रस्तता संबंधी एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो समति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) जी, हां। सरकार द्वारा डा. आर. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित ग्रामीण ऋणग्रस्तता के संबंध में विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

इस रिपोर्ट में उन संस्थाओं और लिखतों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जो विशेष रूप से कृषि समुदाय और सामान्य रूप से ग्रामीण भारत के लिए ऋण संवितरण तंत्र को सुदृढ़ बनाएंगे। ऐसा करते समय, इसमें ऋण की खपत और मांग पक्ष से संबंधित मुद्दों का समाधान करने की अनिवार्यताओं पर ध्यान दिया गया है। कृषि संकट का समाधान करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप और संस्थागत सुधार, जो ऋण वितरण प्रणाली से परे है, भी इस रिपोर्ट के अंग है। वित्तीय प्रणाली के दीर्घकालिक हित में बैंक ऋणों की सकारात्मक वापसी अदायगी की संस्कृति का सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाना यथोचित है।

रिपोर्ट में की गयी सिफारिशें निम्नानुसार हैं:-

1. तत्काल ऋण उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित है:

   प्रधानमंत्री के राहत पैकेज का कार्यान्वयन: व्यक्तिगत परिवारों की आवश्यकताओं को आवश्यक लचीलेपन के साथ ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित किसानों के ऋण का पुर्ननिर्धारण। वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए ऋण; अनौपचारिक ऋण का औपचारिकीकरण, वित्तीय दृष्टि से अलग लोगों का समावेशन, परियोजना पर आधारित ऋण;

2. वित्तीय ढांचे में निम्नलिखित शामिल है:

   एजेन्सी और मोबाइल बैंकिंग, भारत किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली, अग्रणी बैंक योजना में सुधार, किसानों के लिए ऋण की काउंसलिंग, बंधक रखने की प्रक्रिया को सरल बनाना, लेन-देन लागत को कम करने की प्रक्रिया को सरल बनाना, अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, व्यष्टि वित्त संस्थाओं का मुख्य धारा की बैंकिंग के साथ एकीकरण, आरआईडीएफ का उन्नत विनियोजन।

3. संस्थागत ढांचे में निम्नलिखित शामिल है:

   कृषक के संघ-स्वसहायता समूह

4. जोखिम समाप्त करने के उपायों में ये सम्मिलित हैं: फसल बीमा, मौसम बीमा, कीमत के जोखिम को समाप्त करना, परिवर्ती प्रशुल्क, फसल की निगरानी, नकली विनिष्टियों के जोखिम को समाप्त करना, अनुसंधान और विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ बनाना।

5. अन्य उपायों में ये सम्मिलित हैं: जीविका के आधार और ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना।

[हिन्दी]

दाभोल विद्युत परियोजना

808. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दाभोल विद्युत परियोजनाओं को गैस की आपूर्ति आरंभ कर दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसकी आपूर्ति कब तक शुरू किए जाने तथा पूरी तरह से विद्युत उत्पादन कब तक आरंभ होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी, हां। रत्नागिरि गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीएल) जिसका कार्यान्वयन डाभोल विद्युत परियोजना द्वारा किया जा रहा है, ने सूचित किया है कि आरजीपीपीएल के लिए रिगैसीफाइड लिक्विफाइड नैचुरल गैस (आरएलएनजी) की आपूर्ति शुरू हो गई है। पैट्रोनेट के दहेज स्थित टर्मिनल के आर-एलएनजी की आपूर्ति हेतु गेल इंडिया लि. द्वारा निर्मित की गई दहेज-डाभोल पाइपलाईन 11 जुलाई, 2007 को पूर्ण हो गई। दहेज-डाभोल पाइपलाइन 11 जुलाई 2007 को पूर्ण हो गई थी और आरजीजीपीएल के पावर ब्लाक में आरएलएनजी 23.7.2007 को उपलब्ध करवा दी गई थी। इसके बाद, आरजीपीपीएल का पावर ब्लाक-2 (740 मेगावाट) दिनांक 4.8.2007 से नेप्था से बदलकर एलएनजी आधारित हो गया है। पावर ब्लाक-3 (740 मेगावाट) के संबंध में पुनरुद्धार कार्य चल रहा है और गैस पर उत्पादन हेतु 31.8.2007 तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है।

(ख) आरएलएनजी से उत्पादित बिजली की आरजीजीपीपीएल द्वारा महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. (एमएसडीसीएल) की आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति कंपनी (एमएसईडीसीएल) की आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति की जा रही है। एमएसईडीसीएल से विद्युत की मांग न किए जाने की स्थिति में पावर ब्लाक-2 का रिजर्व शट डाऊन के तहत अनुरक्षण किया जा रहा है। और माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने पूल आधारित मूल्य पर आरएलएनजी की बिक्री पर दिनांक 31.7.2007 को रोक लगा दी है। एमएसईडीसीएल ने उच्चतर आरएलएनजी मूल्य/स्पाट मार्किट दरों पर बिजली खरीदने की पुष्टि नहीं की है।

छत्तीसगढ़ में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

809. **श्री पुन्नूलाल मोहले:**
श्री अविनाश राय खन्ना:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब तथा छत्तीसगढ़ की सरकारों को विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कितनी विदेशी सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार इन निधियों के उपयोग की मानिटरिंग करती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पंजाब और छत्तीसगढ़ सरकारों को दी गई विदेशी सहायता के परियोजनावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। संघ सरकार ने सहायता के उपयोग में सुधार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिसमें राज्य सरकार के बजटों में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करना, अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं को सरल और सुसाध्य बनाना, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विदेशी सहायता के प्रवाह में मध्यस्थता न करना, कुछ राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों में परियोजना निगरानी इकाइयों को सुदृढ़ करना, राज्यों के लिए तथा परियोजनाओं आदि की नियमित समीक्षा के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करना शामिल हैं।

विवरण

पंजाब (रुपए हजार में)

परियोजना का नाम	दाता एजेंसी	ऋण राशि			ऋण का उपयोग		
		2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8
पी 4170 प्रो. पंजाब राज्य सड़क परियोजना की अग्रिम तैयारी	आईबीआरडी	89,794.41	0.00	0.00	17,504.00	12,941.22	16,326.59
4843-पंजाब में राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना	आईबीआरडी	0.00	0.00	11,381,552.00	0.00	0.00	0.00*

1	2	3	4	5	6	7	8
4251-पंजाब में ग्रामीण जल आपूर्ति और सफाई परियोजना	आईडीए	0.00	0.00	7,003,830.30	0.00	0.00	0.00*
टीएफ 054594 पंजाब ग्रामीण जल आपूर्ति और सफाई परियोजना	वाईडीए	0.00	19,909.65	0.00	0.00	5,236.28	14,681.00
आईडीपी-146 पंजाब वानिकी परियोजना (2)	जापान	1,950,000.00	0.00	0.00	442,755.35	221,403.25	245,924.36
आईडीपी 132 पंजाब वानिकीकरण परियोजना (1)	जापान	2,415,500.00	0.00	0.00	-	-	2,443,600.00
आईडीपी 186 अमृतसर सीवरेज परियोजना	जापान	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00**
छत्तीसगढ़							
205-आईएनडी छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास (क्षेत्र) परियोजना	एडीबी	8,081,496.90	0.00	0.00	0.00	0.00	316,738.81
2159-आईएनडी छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना	एडीबी	0.00	2,039,986.81	0.00	-	-	12,280.00
022 राज्य सहभागी कार्यक्रम	ईसी	0.00	0.00	4,432,300.00	0.00	0.00	585,710.00
आईडीपी-133 छत्तीसगढ़ रेशम उत्पादन परियोजना	जापान	810,000.00	0.00	0.00	65,465.97	40,043.89	46,217.46

*करार की तारीख 26.2.2007

**करार की तारीख 30.3.2007।

पीएमजीएसवाई में अनियमितताएं

810. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों विशेषकर राजस्थान सरकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) में की जा रही अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा विशेषकर राजस्थान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) राजस्थान सरकार सहित राज्य सरकारों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) में की जा रही अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कार्यों में उच्च स्तरीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पीएमजीएसवाई कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र की व्यवस्था है। गुणवत्ता नियंत्रण के पहले दो स्तरों की देखरेख राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत राज्य गुणवत्ता समन्वयकों द्वारा की जाती है। गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र का पहला स्तर कार्यान्वयन एजेंसी के स्तर पर अंतर्निहित गुणवत्ता नियंत्रण है। क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं ठेकेदारों द्वारा स्थापित की जाती हैं तथा सामग्री और कार्य कौशल की गुणवत्ता संबंधी अनिवार्य परीक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन एककों

के पर्यवेक्षण में कराए जाते हैं। दूसरे स्तर में स्वतंत्र राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्त्ताओं के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा गुणवत्ता की निगरानी करने की व्यवस्था है। राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्त्ता यह सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं कि पहले स्तर पर ही गुणवत्ता मुद्दों पर उचित ढंग से ध्यान दिया जा रहा है। इस व्यवस्था के तीसरे स्तर में स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्त्ताओं द्वारा यादृच्छिक निरीक्षणों के माध्यम से गुणवत्ता की निगरानी की जाती है।

इसके अतिरिक्त, पीएमजीएसवाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मानक बोली दस्तावेज, आनलाइन निगरानी, जन सूचना बोर्डों इत्यादि को लगाना जैसे उपाय किए गए हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना

811. **श्री अनवर हुसैन:**
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:
श्री एल. राजगोपाल:
श्री फ्रांसिस फैन्थम:
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के दूसरे चरण के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसके अंतर्गत राज्य-वार कितने जिले शामिल किए गए हैं;

(ग) उन्हें कितनी राशि आबंटित की गयी है और इसके अंतर्गत कितने रोजगार कार्ड जारी किए गए हैं;

(घ) क्या एनआरईजीएस के अंतर्गत परियोजनाओं की ग्राम सभाओं द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) ग्राम सभाएं अधिनियम के प्रावधानों तथा परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार एनआरईजीएस के तहत परियोजनाओं की नियमित रूप से सामाजिक लेखा-परीक्षा करती रही हैं और कमियों/अड़चनों को दूर करने के लिए आवश्यक उपचारात्मक/सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्यों के नाम	द्वितीय चरण में कवर किए गए जिलों की संख्या	जारी की गई निधियां (लाख रु. में)		जारी किए गए जाब कार्डों की संख्या	रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या	परिवारों की संख्या जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया
			2006-07	2007-08			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	6	2580.00	24482.44	331486	73755	73755
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	240.00	105.38	एनआर	एनआर	एनआर
3.	असम	6	2580.00	26093.88	502	एनआर	एनआर
4.	बिहार	15	6250.00	22427.48	1782808	440875	429933
5.	छत्तीसगढ़	3	1720.00	13917.65	742481	374287	374287
6.	गुजरात	3	690.00	1254.28	64376	4098	4098
7.	हरियाणा	2	460.00	1331.65	17475	7369	7369
8.	हिमाचल प्रदेश	2	460.00	5470.63	67296	21652	17998

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	जम्मू-कश्मीर	2	360.00	2058.96	एनआर	एनआर	एनआर
10.	झारखंड	2	860.00	1942.67	202758	38698	35837
11.	कर्नाटक	6	1880.00	10082.58	एनआर	एनआर	एनआर
12.	केरल	2	560.00	942.18	एनआर	एनआर	एनआर
13.	मध्य प्रदेश	13	3990.00	54163.70	एनआर	एनआर	एनआर
14.	महाराष्ट्र	6	2580.00	401.96	एनआर	एनआर	एनआर
15.	मणिपुर	2	440.00	588.13	एनआर	एनआर	एनआर
16.	मेघालय	3	660.00	1209.63	एनआर	एनआर	एनआर
17.	मिजोरम	2	240.00	865.25	51629	51629	51629
18.	नागालैंड	4	480.00	1833.28	एनआर	एनआर	एनआर
19.	उड़ीसा	5	2150.00	5861.64	250878	16401	13474
20.	पंजाब	3	690.00	1650.17	7977	एनआर	एनआर
21.	राजस्थान	6	1880.00	27497.21	587962	404477	403909
22.	सिक्किम	2	240.00	364.75	एनआर	एनआर	एनआर
23.	तमिलनाडु	4	1320.00	2997.80	16	एनआर	एनआर
24.	त्रिपुरा	2	840.00	10716.23	332267	188761	131297
25.	उत्तरांचल	2	560.00	4513.10	15376	एनआर	एनआर
26.	उत्तर प्रदेश	17	-	25587.91	480959	185850	119940
27.	पश्चिम बंगाल	7	3010.00	45207.68	1596928	609168	477003
	कुल	130	37720.00	293568.22			

एनआर-सूचित नहीं

[हिन्दी]

पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन में अनियमितताएं

812. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण के मामले में संसद सदस्यों की राय नहीं ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत वर्ष के दौरान इस संबंध में संसद सदस्यों से कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के दिशानिर्देशों

में माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने की व्यवस्था है। कार्यक्रम दिशानिर्देशों के पैरा 4.6 के अनुसार, कोर नेटवर्क और जिला ग्रामीण सड़क योजना पर माननीय संसद सदस्यों के सुझावों पर पूर्ण रूप से विचार करने के बाद इन्हें जिला पंचायत द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है। कार्यक्रम दिशानिर्देशों के पैरा 6.4 के अनुसार, माननीय संसद सदस्यों से परामर्श के बाद और उनके सुझाव लेकर व्यापक नई संपर्क प्राथमिकता सूची (सीएनसीपीएल) और व्यापक अद्यतन प्राथमिकता सूची (सीयूपीएल) तैयार की जाती है। दिशानिर्देशों में सड़क कार्यों के वार्षिक प्रस्ताव तैयार करने में माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने की भी व्यवस्था है।

(ग) वर्ष 2006-07 के दौरान, पीएमजीएसवाई में अनियमितताओं के संबंध में माननीय संसद सदस्यों से 17 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(घ) इन 17 शिकायतों में से, 11 शिकायतें संबंधित राज्य सरकारों/राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) को जांच तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं। 6 शिकायतों के संबंध में, जांच के लिए राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं की तैनाती की गई थी और जांच रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं। इनमें से 5 रिपोर्टें संबंधित राज्य सरकारों की कार्यान्वयन एजेंसियों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं और एक मामले में, जांच के दौरान कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी।

विजन प्लान-2025

813. श्री अजीत जोगी:
श्री नवीन जिन्दल:
श्री कीरेन रिजीजू:
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए विजन डाक्यूमेंट-2025 जारी किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) और (ख) जी, हां। ग्रामीण सड़क विकास योजना विजन-2025, में वर्ष 2021-22 तक 250 से अधिक जनसंख्या वाली बसावटों को सड़क-संपर्क उपलब्ध कराने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। उक्त विजन दस्तावेज में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क-संपर्क उपलब्ध कराने के लिए निम्नानुसार रूपरेखा की सिफारिश की गई है-

(1)	1000 से अधिक जनसंख्या वाली बसावटें (पहाड़ी, पूर्वोत्तर राज्यों, मरूस्थलों तथा जनजातीय क्षेत्रों के मामले में 500)	:	वर्ष 2009-10
(2)	500 से अधिक जनसंख्या वाली बसावटें (पहाड़ी, पूर्वोत्तर राज्यों, मरूस्थलों तथा जनजातीय क्षेत्रों के मामले में 250)	:	वर्ष 2014-15
(3)	250 से अधिक जनसंख्या वाली बसावटें	:	वर्ष 2021-22

विजन दस्तावेज में सड़क सुरक्षा, पर्यावरणीय संरक्षण, रख-रखाव कार्यनीति, सामग्री की आवश्यकता और ग्रामीण सड़कों का वित्तपोषण जैसे प्रमुख मुद्दों को भी शामिल किया गया है। इसमें उपयुक्त मानव संसाधन विकास, अनुसंधान तथा विकास और सभी संबंधित संगठनों के लिए कार्यान्वयन कार्यनीति को रेखांकित किया गया है।

[अनुवाद]

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा एनआरईजीएस की लेखा परीक्षा

814. डा. आर. सेनथिल:
श्री तूफानी सरोज:
श्री महावीर भगोरा:

श्री एस.के. खारवेनथन:
श्रीमती मिनाती सेन:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के अंतर्गत राज्य अपने हिस्से की धनराशि जारी और खर्च कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा जारी और खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा एनआरईजीएस की लेखा परीक्षा कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो कितने जिलों में इस योजना की लेखा परीक्षा की जा रही है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रथम चरण वाले 200 जिलों में से 69 जिलों की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी।

विवरण

2006-07 के दौरान एनआरईजीए के अंतर्गत वित्तीय कार्यनिष्पादन

क्र.सं.	राज्य	पिछले वर्ष जारी परंतु चालू वर्ष में प्राप्त रिलीज			चालू वर्ष के दौरान रिलीज			वित्तीय प्राप्ति	1.4.06 की स्थिति के अनुसार अथ शेष सहित निधियों की कुल उपलब्धता	कुल व्यय
		केन्द्र	राज्य	जोड़	केन्द्र	राज्य	जोड़			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	7624.96	0	7624.96	99961.43	5750	105711.43	0	114224.39	68020.32
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	1210.85	0	1210.85	0	1211.25	221.34
3.	असम	15236.82	0	15236.82	23970.85	618	24588.85	14571.8	70769.1	59252.93
4.	बिहार	9631.84	0	9631.84	48581.38	8015.95	56597.33	3324.62	119117.81	71276.16
5.	गुजरात	591.52	0	591.52	6743.94	745.39	7489.33	280.13	12374.74	8585.03
6.	हरियाणा	37.17	0	37.17	3129.39	312.94	3442.33	3.77	4652.85	3594.67
7.	हिमाचल प्रदेश	0	55.55	55.55	4207.64	229.86	4437.5	70.51	5719.2	3940.12
8.	जम्मू-कश्मीर	151.14	0	151.14	3776.37	331.74	4108.11	20.21	5012.4	3454.44
9、	कर्नाटक	1277.7	113.51	1391.21	22970.69	1920.22	24890.91	0	34131.33	24829.67
10.	केरल	0	0	0	3179.51	476.4	3655.91	17.22	4835.18	2789.73
11.	मध्य प्रदेश	1467.28	25.84	1493.12	186954.2	20811.53	207765.73	1696.63	213368.36	186268.63
12.	महाराष्ट्र	3888.68	0	3888.68	19235.64	529.32	19764.96	415.8	48693.66	17461.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	मणिपुर	436.63	0	436.63	1252.89	0	1252.89	0	1932.92	950
14.	मेघालय	0	0	0	2564.68	0	2564.68	16.35	2583.63	2111.85
15.	मिजोरम	129.44	9.8	139.24	1783.9	0	1783.9	29.37	2598.21	1643.11
16.	नागालैंड	498.42	45	543.42	430.11	99	529.11	7.57	1595.96	1457.62
17.	उड़ीसा	1293.73	431.25	1724.98	76230.49	7623.04	83853.53	204.11	89018.66	73346.62
18.	पंजाब	398.77	0	398.77	2755.75	323.39	3079.14	21.14	3839.21	2500.21
19.	राजस्थान	0	0	0	76161	7551.22	83712.22	0	85617.3	69306.14
20.	सिक्किम	0	0	0	451.5	5	456.5	0	456.5	261.89
21.	तमिलनाडु	1402.8	0	1402.8	17089.21	2538.49	19627.7	886.61	25210.92	15163.63
22.	त्रिपुरा	1688	0	1688	1914.66	450	2364.66	19.71	4977.63	4507.68
23.	उत्तर प्रदेश	12975.68	10.47	12986.15	56914.69	3344.75	60259.44	1317.26	102871.22	77967.46
24.	पश्चिम बंगाल	5621.4	0	5621.4	35858.84	3984.3	39843.14	932.91	63023.42	39462.63
25.	छत्तीसगढ़	123.78	21.03	144.81	70130.74	7748.72	77879.46	287.47	84088.78	66882.16
26.	झारखंड	4300.17	307.99	4608.16	54994.59	6016.31	61010.9	756.06	98220.95	71155.13
27.	उत्तरांचल	660.66	29.23	689.89	3910.6	765.61	4676.21	28.12	7105.31	4849.7
	कुल	69436.59	1049.67	70486.26	826365.54	80191.18	906556.72	24916.37	1207250.9	881260.05

2007-08 के दौरान एनआरईजीए के अंतर्गत वित्तीय कार्यनिष्पादन

क्र.सं.	राज्य	पिछले वर्ष जारी परंतु चालू वर्ष में प्राप्त रिलीज			चालू वर्ष के दौरान रिलीज			वित्तीय प्राप्ति	1.4.06 की स्थिति के अनुसार अथ शेष सहित निधियों की कुल उपलब्धता	कुल व्यय
		केन्द्र	राज्य	जोड़	केन्द्र	राज्य	जोड़			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	2652	0	2652	41864.83	5814	47678.83	0	98650.43	42743.07
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	105.38	0	105.38	0	105.38	0
3.	असम	0	0	0	35091.87	0	35091.87	7227.58	57756.15	10852.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	बिहार	0	622.22	622.22	27264.88	2786.17	30051.05	2876.27	97043.15	18420.49
5.	गुजरात	0	0	0	2883.78	153.21	3036.99	135.43	9496.37	2604.79
6.	हरियाणा	240.59	80.2	320.79	4130.46	335.2	4465.66	6.85	5855.98	567.96
7.	हिमाचल प्रदेश	557.64	152.54	710.18	5470.63	24.79	5495.42	2.03	8187.66	1157.37
8.	जम्मू-कश्मीर	1031.03	0	1031.03	4176.29	35.03	4211.32	0	5771.47	0
9.	कर्नाटक	0	0	0	14781.62	132.46	14914.08	0	23857.74	3305.5
10.	केरल	0	0	0	1453.28	0	1453.28	0	3500.73	1467.62
11.	मध्य प्रदेश	5337.86	0	5337.86	116596.16	4565.96	121162.12	114.77	153766.59	55274.77
12.	महाराष्ट्र	4.5	0	4.5	1008.75	0	1008.75	1907.42	35088.61	2907.92
13.	मणिपुर	0	0	0	588.13	0	588.13	0	588.13	0
14.	मेघालय	300	0	300	3169.15	0	3169.15	77.03	4005.32	1078.13
15.	मिजोरम	0	0	0	645.25	0	645.25	0	645.25	0
16.	नागालैंड	0	0	0	2166.59	0	2166.59	0	2306.92	36.14
17.	उड़ीसा	1234.24	411.41	1645.65	30708.08	1986.76	32694.84	77.99	51090.05	12284.89
18.	पंजाब	573.75	0	573.75	1650.17	0	1650.17	0	3781.11	4.84
19.	राजस्थान	60	0	60	52870.96	4262.66	57133.62	0	74254	41833.35
20.	सिक्किम	0	0	0	364.75	0	364.75	0	883.73	30.35
21.	तमिलनाडु	1600	133.33	1733.33	21718.57	2413.16	24131.73	77.25	35198.55	24252.25
22.	त्रिपुरा	849.77	0	849.77	12451.45	185.6	12637.05	30	13801.6	1588.29
23.	उत्तर प्रदेश	3134.48	0	3134.48	33654.81	4450	38104.81	293.89	63835.55	8671.35
24.	पश्चिम बंगाल	2400	833.33	3233.33	64261.88	2581.79	66843.67	153.78	92244.05	19173.32
25.	छत्तीसगढ़	968.5	0	968.5	47130.45	3957.87	51088.32	214.48	66613.79	37622.15
26.	झारखंड	0	44.44	44.44	27544.98	7202.62	34747.6	61.7	60838.94	21771.42
27.	उत्तरांचल	290.92	51.06	341.98	6448.97	200	6648.97	8.58	9398.87	1219.45
	कुल	21235.28	2328.53	23563.81	560202.1	41087.28	601289.4	13265.05	978556.14	308867.83

[हिन्दी]

छोटे और मध्यम कस्बों का विकास

815. योगी आदित्यनाथ:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छोटे और मध्यम आकार के कस्बों के संरचनात्मक विकास हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्यवार चयनित शहरों और कस्बों के नाम क्या हैं;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार प्रत्येक शहर के लिए कितनी राशि आबंटित की गयी है;

(ङ) क्या इन योजनाओं के अंतर्गत आबंटन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, हां। जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के उप घटक के रूप में केन्द्र प्रायोजित छोटे एवं मझोले शहरों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) स्कीम 2001 की जनगणना के अनुसार 63 जेएनएनयूआरएम मिशन शहरों के अलावा सभी छोटे एवं मझौले आकार के शहरों में अवस्थापना सुविधाओं के वित्तपोषण के लिए दिसम्बर, 2005 में शुरू की गई थी। इसमें छोटे एवं मझौले कस्बों का समेकित विकास स्कीम (आईडीएसएसएमटी) तथा त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) का विलय कर दिया गया है।

इस स्कीम के उद्देश्य हैं:-

(1) अवस्थापना सुविधाओं में सुधार तथा कस्बों एवं शहरों में टिकाऊ सार्वजनिक परिसंपत्तियों तथा गुणवत्तान्मुख सुविधाओं के सृजन में सहायता करना।

(2) अवस्थापना विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ाना।

(3) कस्बों एवं शहरों में नियोजित एकीकृत विकास को बढ़ावा देना।

शहरी नवीकरण, जलापूर्ति सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंधन, जल निकासी, सड़कें, पार्किंग स्थल, विरासत स्थलों का विकास, भू-अपरदन पर रोक और जलाशयों का संरक्षण यूआईडीएसएसएमटी के अनुमत्य घटक हैं।

(ग) यह स्कीम 2001 की जनसंख्या के अनुसार 63 जेएनएनयूआरएम मिशन शहरों के अलावा सभी कस्बों एवं शहरों में लागू है।

(घ) योजना आयोग राज्यवार सांकेतिक आबंटन करता है। राज्य सरकारें शहरों/कस्बों को वरीयता दे रही हैं। स्कीम के प्रथम वर्ष यथा 2005-06 में बजट आबंटन 90 करोड़ रुपये था जिसमें राज्यवार आबंटन विनिर्दिष्ट नहीं किया गया था। वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान क्रमशः 900 करोड़ रुपये तथा 74.00 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। यूआईडीएसएमटी के लिए विगत दो वर्षों के दौरान राज्यवार सांकेतिक आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एवं कर्नाटक ने यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत और अधिक धनराशि की मांग की है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को आबंटित केन्द्रीय अंश

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेशों का नाम	2006-07	2007-08
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	68.84	53.93
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.05	0.82
3.	असम	14.22	11.14
4.	बिहार	35.60	28.03
5.	छत्तीसगढ़	18.92	14.83
6.	गोवा	3.10	2.43
7.	गुजरात	49.40	38.70
8.	हरियाणा	27.46	21.52
9.	हिमाचल प्रदेश	2.45	1.92

1	2	3	4
10.	जम्मू-कश्मीर	4.97	3.90
11.	झारखंड	16.07	12.60
12.	कर्नाटक	62.21	48.75
13.	केरल	32.69	25.61
14.	मध्य प्रदेश	62.22	48.23
15.	महाराष्ट्र	93.33	73.12
16.	मणिपुर	1.77	1.39
17.	मेघालय	1.01	0.79
18.	मिजोरम	1.15	0.91
19.	नागालैंड	1.44	1.13
20.	उड़ीसा	25.52	20.00
21.	पंजाब	31.81	24.93
22.	राजस्थान	56.38	44.16
23.	सिक्किम	0.17	0.13
24.	तमिलनाडु	99.12	77.66
25.	त्रिपुरा	1.93	1.51
26.	उत्तर प्रदेश	133.08	104.27
27.	उत्तरांचल	7.54	5.14
28.	पश्चिम बंगाल	44.26	34.68
29.	दिल्ली	0.15	0.12
30.	पांडिचेरी	0.77	0.61
31.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.63	0.49
32.	चंडीगढ़	0.00	0.00
33.	दादर एवं नगर हवेली	0.27	0.21
34.	लक्षद्वीप	0.15	0.11
35.	दमन और दीव	0.31	0.24
	कुल	900.00	704.00

[अनुवाद]

'पैन' जारी करने हेतु संशोधित दिशानिर्देश

816. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग ने विदेश में रहने वाले भारतीयों, विदेशी नागरिकों अथवा कंपनी, भारत में जिनका कार्यालय नहीं है उन ट्रस्ट अथवा फर्मों को स्थायी लेखा संख्या (पैन) का आबंटन करने हेतु संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने पैन जारी किए गए हैं;

(घ) क्या इसका कर संग्रहण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) स्थाई खाता संख्या (पैन) के आवंटन हेतु अनिवासी द्वारा भारत में प्रतिनिधि कर निर्धारिती रखने संबंधी अपेक्षा समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा, अनिवासियों को पैन आवंटित करने की प्रक्रिया सरल बनाई गई है।

(ग) गत तीन वित्त वर्षों के दौरान ऐसे व्यक्तियों, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, को आवंटित पैन की संख्या नीचे दी गई है:-

2004-05	22,235
2005-06	48,901
2006-07	37,065

अनिवासियों को ऐसे पैन के आवंटन में वृद्धि का अनुमान लगाना संभव नहीं है जिसका श्रेय संशोधित दिशानिर्देशों के निर्गम को दिया जा सकता है।

(घ) और (ङ) अनिवासियों से कर संग्रहण का अलग से ब्यौरा नहीं रखा जा रहा है।

बेंगलूरू में रिंग रोड का निर्माण

817. श्री पी.सी. गद्दीगउडर: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक राज्य सरकार से बेंगलूरू के बाहरी भाग में अगडी रोड को मैसूर रोड से जोड़ने वाले एक और रिंग रोड को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नोटरी

818. डा. शफीकुर्रहमान बर्क: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नोटरी की नियुक्ति हेतु क्या मानदण्ड अपनाया गया है;

(ख) क्या नोटरी की नियुक्ति हेतु संसद सदस्यों अथवा अन्य गणमान्य व्यक्तियों की सिफारिश अपेक्षित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान संसद सदस्यों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों की सिफारिश पर कितनी नोटरी की नियुक्ति की गई है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) नोटेरियों को सुनिश्चित रूप से नोटेरी अधिनियम, 1952 और नोटेरी नियम, 1956 के अनुसार नियुक्त किया जाता है।

(ख) और (ग) जी नहीं।

(घ) ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं क्योंकि नोटेरियों की नियुक्ति और संसद सदस्यों और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सिफारिशों के बीच कोई संबंध नहीं है। तथापि, 1 अगस्त, 2004 से 31 जुलाई, 2007 के दौरान नियुक्त किए गए नोटेरियों की संख्या 1531 है।

[अनुवाद]

टेलीविजन कर

819. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार टेलीविजन सेट की खरीद पर कर लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि सं. 54 के अनुसार माल, जिसमें टेलीविजन शामिल है, की राज्य के अन्दर बिक्री अथवा खरीद पर कर लगाना राज्य का विषय है। तदनुसार, वर्तमान में प्रचलित माल की बिक्री अथवा खरीद पर कराधान की वैट प्रणाली संबंधित राज्य सरकारों के दायरे के अंतर्गत है और केन्द्रीय सरकार के दायरे से बाहर है। अतः केन्द्रीय सरकार का टेलीविजन सेट की खरीद पर कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

असंगठित क्षेत्र के माध्यम से ऋण

820. श्री तूफानी सरोज: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा असंगठित/औपचारिक क्षेत्र के माध्यम से ऋण देने के कार्य की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा वर्ष 2006-07 के वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन विधिक सलाहकार,

श्री एस.सी. गुप्ता की अध्यक्षता में एक तकनीकी दल का गठन साहूकारी को अभिशासित करने वाले विद्यमान विधायी ढांचे की क्षमता तथा इसके साथ-साथ विभिन्न राज्यों में प्रवर्तन मशीनरी की समीक्षा करने और इसमें सुधार लाने के लिए सिफारिशें करने हेतु किया गया था। तकनीकी दल द्वारा प्रस्तावित माडल विधान में निम्नलिखित व्यवस्था है:-

* साहूकारों द्वारा अनिवार्य पंजीकरण तथा अपने पंजीकरण का आवधिक नवीकरण कराने हेतु एक सरल तथा निर्बाध कार्य-प्रक्रिया;
* बेहतर प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए एक सरलीकृत विवाद समाधान तंत्र;
* दाम्दूपट का नियम अपनाना, जिससे साहूकार द्वारा प्रभार्य ब्याज की अधिकतम राशि पर रोक लगाई जा सके; और

दल की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है और पणधारियों की टिप्पणियों हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों को परामर्श प्रक्रिया के भाग के रूप में भेज दी गई है। इन परिस्थितियों में इसके कार्यान्वयन हेतु कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

[अनुवाद]

शिक्षा और स्वास्थ्य पर सेवाकर

821. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महीनों तक चर्चा करने के बाद केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाओं पर कर लगाने के संबंध में सर्वसम्मति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आम आदमी से जुड़ी ऐसी बुनियादी सुविधाओं पर कर लगाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या शिक्षा और स्वास्थ्य पर कर लगाना शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन है; और

(घ) यदि हां, तो इन करों से आम आदमी पर कितना बोझ पड़ने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को समाप्त करने के कारण राज्यों को प्रतिपूर्ति करने के पैकेज के भाग के रूप में सेवा कर लगाने पर विचार किए जाने के लिए प्रारंभिक रूप से 44 नई सेवाओं की पहचान की गई थी, जिनमें अन्यों के साथ-साथ, शिक्षा सेवाएं-नामत: स्कूल पूर्व शिक्षा सेवाएं, सामान्य माध्यमिक शिक्षा सेवाएं, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सेवाएं, तकनीकी और व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा सेवाएं और माध्यमिक पश्चात् तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाएं-नामत:, अस्पताल सेवाएं, प्राथमिक चिकित्सा तथा दंत सेवाएं और अन्य मानव स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं।

चूंकि सेवा कर लगाने से होने वाले संग्रहण ऐसी प्रतिपूर्ति के लिए सहमत पैकेज के भाग के रूप में समस्त उपार्जन राज्यों को होने का प्रस्ताव है, इसलिए 44 नई सेवाओं की सूची राज्यों के वित्तमंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति को उनके विचार-विमर्श के लिए और सेवाएं जिनके लिए भारत सरकार द्वारा कर लगाया जाना चाहिए उनके बारे में सिफारिश करने के लिए अग्रेषित किया गया है। यह मुद्दा अधिकार प्राप्त समिति के विचार विमर्शाधीन है, जिसके लिए औपचारिक सिफारिश की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

लोहे के गेट लगाया जाना

822. डा. राजेश मिश्रा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संसद सदस्यों के निमित्त बने आवासीय काम्पलेक्स/फ्लैट यथा नार्थ एवेन्यू, साऊथ एवेन्यू, वी.पी. हाउस के मुख्य प्रवेश पर संसद सदस्यों की सुरक्षा के मद्देनजर लोहे के गेट लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो अनुमानित व्यय का ब्यौरा क्या है और इस कार्य के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) नार्थ एवेन्यू साऊथ एवेन्यू के आवासीय परिसर के चारों ओर गेट युक्त चारदीवारी का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। वी.पी. हाऊस के चारों ओर चारदीवारी पहले से ही है जिसमें लोहे का गेट लगा हुआ है।

(ख) व्यय का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है, क्योंकि वास्तुशिल्प की संकल्पना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

ई-स्टाम्प शुरू करना

823. **श्री फ्रांसिस फैन्थम:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लोगों के दस्तावेजों का पंजीकरण करने हेतु ई-स्टाम्प शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जाली ई-स्टाम्प का प्रयोग न होना सुनिश्चित करने के लिए क्या सावधानियां बरती गयी हैं;

(घ) क्या स्टाक होल्डिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया ने ई-स्टाम्प के प्रयोग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) सरकार ने भारत में कुछ चुनिंदा शहरों में प्रायोगिक आधार पर ई-स्टाम्प प्रणाली शुरू करने का पहले से ही निर्णय ले लिया है और स्टाम्प होल्डिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि. (एसएचसीआईएल) को इस परियोजना के लिए केंद्रीय रिकार्ड पालक एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत कर दिया है। इस परियोजना में भाग लेने के इच्छुक राज्यों को एसएचसीआईएल ई-स्टाम्प प्रणाली मुहैया करा रहा है। यह प्रणाली फरवरी, 2007 में गुजरात के दो शहरों यथा, अहमदाबाद और गांधीनगर में शुरू हो चुकी है और भलीभांति कार्य कर रही है। जालसाजी को रोकने हेतु ई-स्टाम्प में निम्नलिखित हाई-टेक सुरक्षा पहलू समाविष्ट हैं:

(1) अनोखी पहचान संख्या (यूआईएन)-इस प्रणाली द्वारा स्टाम्प प्रमाणपत्र को अनोखी पहचान संख्या के साथ तैयार किया जाता है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। कोई भी व्यक्ति यूआईएन के साथ ई-स्टाम्प वेबसाइट पर स्टाम्प प्रमाणपत्र की जांच कर सकता है।

(2) 2 डी बार कोडिंग-'टैम्पर-प्रूफ' प्रमाणपत्र सुनिश्चित करने हेतु स्टाम्प प्रमाणपत्र के महत्वपूर्ण पहचान विषयों को कूटबद्ध करना।

(3) प्रकाशीय वाटरमार्किंग-स्टाम्प प्रमाणपत्र की नकल किए जाने की संभावना को समाप्त करना। इसका लाभ यह है कि जब प्रमाणपत्र की फोटो कापी तैयार की जाती है तो दस्तावेज पर वाटरमार्क परिवर्तित होकर 'कापी' के रूप में आ जाएगा।

(4) माइक्रोप्रिंट-माइक्रो प्रिंटिंग जालसाजी-रोधी लक्षण के रूप में कार्य करता है जिसका तथ्य यह है कि इस प्रकार के छोटे आकार के पाठ की प्रतिलिपि तैयार करना बहुत कठिन है।

(5) ई-स्टाम्पिंग प्रणाली की पहुंच ऐसे प्राधिकृत प्रयोक्ताओं को दी जाती है जिनके पास प्रयोक्ता आईडी और प्रारम्भिक पासवर्ड उपलब्ध हैं। उपभोक्ता को प्रारम्भिक पासवर्ड परिवर्तित करना अपेक्षित होगा उसके बाद ही वह सिस्टम तक पहुंचने के लिए अधिकृत होगा। उपभोक्ता को नियमित आधार पर पासवर्ड बदलने की जरूरत होती है।

सरकारी क्षेत्र के बैंक में निदेशकों की नियुक्ति

824. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निदेशकों की नियुक्ति हेतु कोई स्वतंत्र निकाय स्थापित करने का सुझाव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में अतिराप्पिल्ली जल विद्युत परियोजना

825. **श्रीमती सी.एम. सुजाता:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केरल अतिराप्पिल्ली में जल विद्युत परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना को आवश्यक स्वीकृति दे दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा पर्यावरण तथा इस क्षेत्र के आदिवासियों की आजीविका के संरक्षण के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) केरल सरकार का केरल राज्य बिजली बोर्ड के माध्यम से अतिराप्पिल्ली, केरल में एक जल विद्युत परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अतिराप्पिल्ली जल विद्युत परियोजना (163 मे.वा.) हेतु अप्रैल, 2004 के मूल्य स्तर पर 385.6 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 31 मार्च, 2005 को तकनीकी-आर्थिक अभिस्वीकृति (टी.इ.सी.) प्रदान की थी। के.वि.प्रा. के अनुसार शुरू में उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय अभिस्वीकृति 20.01.1998 को प्रदान की गई थी। माननीय केरल उच्च न्यायालय के निर्णय (17.10.2001) के आधार पर पर्यावरणीय अभिस्वीकृति निलम्बित कर दी गई। न्यायालय ने जन सुनवाई संचालित किए जाने का निर्देश दिया था। केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केएसपीसीबी) द्वारा 6.2.2002 को जून सुनवाई की गई। परियोजना के लिए पर्यावरणीय अभिस्वीकृति कुछ निबंधन एवं शर्तों की सख्त अनुपालना के अध्याधीन पुनः बहाल की गई।

पर्यावरणीय अभिस्वीकृति दिए जाने और परियोजना क्रियान्वित किए जाने के विरुद्ध माननीय केरल उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिकाएं (पीआईएल) दायर की गई। माननीय केरल उच्च न्यायालय ने दिनांक 23.03.2006 के अपने निर्णय में परियोजना की पर्यावरणीय अभिस्वीकृति को रद्द कर दिया और के.एस.पी.सी.बी. को निर्देश दिया कि वह ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद नए सिरे से जन सुनवाई करे और इसे दो माह में पूरा करें। के.एस.पी.सी.बी. द्वारा 15 जून, 2006 को जन सुनवाई को गई और रिपोर्ट पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को 22 जुलाई, 2006 को प्रस्तुत की गई। पर्यावरण मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने 23.08.2006 और 15.11.2006 को संपन्न हुई अपनी बैठकों में प्रस्ताव पर विचार किया और अभिवेदन प्राप्त होने पर ईएसी की उप-समिति ने अप्रैल, 2007 के दौरान प्रस्तावित स्थल का दौरा किया और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कुछ निबंधन एवं शर्तों को कड़ी अनुपालना के अध्यधीन 18.07.2007 को नई पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्रदान की है।

(घ) और (ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण की रक्षा हेतु दी गई अभिस्वीकृति में तीन वर्षों के अन्दर आवाह क्षेत्र उपचार योजना पूरी करने, अतिराप्पिल्ली झरने में वर्ष की संपूर्ण अवधि के दौरान अनिवार्यतः जलराशि छोड़ना, जैव-विविदता इत्यादि अध्ययन करवाने जैसी शर्तों का प्रावधान किया है।

अभिस्वीकृति में आदिवासियों की आजीविका सुरक्षित रखने के लिए आदिवासी बस्तियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने, मौजूदा स्कूलों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने, आदिवासी परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने इत्यादि जैसे उपायों का प्रस्ताव है।

कृषि ऋण पर ब्याज दर

826. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड ने कृषि ऋण पर ब्याज दर बढ़ायी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) नाबार्ड न तो किसानों को सीधे उधार देता है न ही उसका किसानों को सीधे उधार देने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि ऐसा करने के लिए उसके पास आवश्यक अवसंरचनात्मक और संगठनात्मक ढांचा नहीं है। यद्यपि, नबार्ड कृषि ऋण के लिए बैंकों को पुनर्वित्त मुहैया करवाता है। वर्ष 2006-07 के दौरान नाबार्ड ने भारत सरकार की ब्याज आर्थिक सहायता के जरिए जिला केन्द्रीय मध्यवर्ती बैंकों की ओर से प्रति वर्ष 2.5% की रियायती ब्याज दर पर राज्य सहकारी बैंकों को अल्पकालिक (मौसमी कृषि कार्यों) पुनर्वित्त उपलब्ध करवाया है। इस पुनर्वित्त को प्राप्त करने की शर्त यह है कि सहकारी बैंक प्रति वर्ष 7% की ब्याज दर से प्रत्येक उधारकर्ता को 3.00 लाख रु. का फसल ऋण प्रदान करेगा। इस छूट वाले पुनर्वित्त पर ब्याज दर को 2007-08 में प्रतिवर्ष 3% तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, 3,00,000/- रु. के मूल तक फसल ऋण की ब्याज दर उधारकर्ता के लिए वही रहेगी। किसानों को प्रति वर्ष 7% की ब्याज दर से अल्पकालिक उत्पादन ऋण उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड की क्षेत्रीय बैंकों को पुनर्वित्त की ब्याज दर 4.5% प्रतिवर्ष ही रहेगी।

दूरसंचार क्षेत्र में पीजीसीआईएल

827. श्री विजय कृष्ण: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया (पीजीसीआईएल) दूरसंचार क्षेत्र में कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पीजीसीआईएल द्वारा इस पर आज तक कितना निवेश किया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी, हां। पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल) ने अक्तूबर, 1998 में भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात वर्ष 2001 में टेलीकाम व्यवसाय में प्रवेश किया। तदुपरांत एक छोर से दूसरे छोर तक बेंडविड्थ प्रदान करने के लिए पीजीसीआईएल ने जनवरी, 2001 में दूरसंचार विभाग से इंफ्रास्ट्रक्टर प्रोवाइडर-2 (आईपी-2) लाइसेंस प्राप्त किया और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए मई, 2003 में एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (आईएसपी) श्रेणी ''ए'' लाइसेंस भी प्राप्त किया है। जुलाई, 2006 में पीजीसीआईएल ने नेशनल लांग डिस्टेंस आपरेटर (एनएलडीओ) लाइसेंस भी प्राप्त किया है ताकि वह सरकारी एजेंसियों/विभागों, रक्षा सेवाओं और कारपोरेट्स जैसी स्थापनाओं तक प्रत्यक्ष पहुंच बनाकर अपनी उपभोक्ता संख्या में वृद्धि कर सके। वर्तमान में पीजीसीआईएल के पास देश भर में लगभग 60 शहरों में कुल मिलाकर 20,000 किमी. का बैकबौन नेटवर्क विद्यमान है।

(ग) भारत सरकार ने पीजीसीआईएल द्वारा 934.23 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर ''दूरसंचार व्यापार हेतु बैकबोन टेलीकाम नेटवर्क की स्थापना'' परियोजना को कार्यान्वित किए जाने का अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

बैंकों द्वारा गरीबों को सेवाएं

828. **श्री मोहन रावले:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में बड़ी तादाद में गरीब लोग औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के दायरे से बाहर हैं क्योंकि वाणिज्यिक बैंक, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को सेवाएं उपलब्ध कराना अर्थक्षम नहीं पाते;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गरीबों को वित्तीय दायरे में लाने के लिए नीति बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) सरकार को यह जानकारी है कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर है। इस वित्तीय रूप से बहिष्कृत आबादी को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के तहत लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

* बैंकों को सलाह दी गयी है कि वे या तो शून्य या बहुत कम न्यूनतम शेष से मुख्य बैंकिंग 'अतिरिक्त सुविधा सहित' खाता मुहैया करवाएं।
* अतिरिक्त सुविधा रहित खाता खोलने के नियमों को आसान बनाया गया है।
* क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को बिना किसी जमानती के, अतिरिक्त सुविधा रहित खातों में सीमित ओवरड्राफ्ट सुविधाओं की अनुमति देने की सलाह दी गयी है।
* एक बार में भुगतान योजना के तहत, ऋण का भुगतान करने वाले छोटे उधारकर्ताओं को नया ऋण प्राप्त करने का पात्र बनाया गया है।
* जमानत राशि, उद्देश्य या ऋण के अंतिम प्रयोग के आग्रह के बिना उपयुक्त लाभार्थियों को सामान्य क्रेडिट कार्ड जारी करना।
* बैंकों को वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने में गैर-सरकारी संगठनों, स्वसहायता समूहों, व्यष्टि वित्त संस्थानों और अन्य नागरिक समाज संगठनों की मध्यस्त के रूप में सेवाएं लेने की अनुमति दी गयी है।
* सभी राज्य स्तरीय बैंककारी के समिति संयोजक बैंकों को 100% वित्तीय समावेशन के लिए अपने-अपने राज्य/संघीय प्रदेशों के कम से कम एक जिले की पहचान हेतु कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। कई राज्यों में, एसएलबीसी ने 100% वित्तीय समावेशन हेतु बड़ी संख्या में जिलों की पहचान की है और उन्हें कवर करने के लिए कदम उठाए हैं।
* बैंकों को वित्तीय समावेशन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रयास बढ़ाने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

निर्यातकों को ऋण

829. **श्री मो. ताहिर:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यातकों के लिए बैंकों से ऋण राशि में कटौती की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे निर्यात क्षेत्र नियत किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) निर्यातकों के निम्नलिखित वर्गों को उपलब्ध कराए

जा रहे रुपया निर्यात ऋण के संबंध में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 2 प्रतिशत बिन्दु वार्षिक की ब्याज सहायता के प्रावधान के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने 13 जुलाई, 2007 को परिपत्र संख्या डीबीओडी.डीआईआर (ईएक्सपी) बीसी.सं. 22/04.02.01/2007-08 जारी किया:

1. विनिर्दिष्ट क्षेत्र

   (1) वस्त्र (हथकरघा सहित)

   (2) सिले-सिलाए वस्त्र

   (3) चमड़ा उत्पाद

   (4) हस्तशिल्प

   (5) अभियांत्रिकी उत्पाद

   (6) प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद

   (7) समुद्री उत्पाद

   (8) खेल-कूद के सामान

   (9) खिलौने

2. लघु और मध्यम (एमएमई) क्षेत्र में सभी निर्यातक।

तनदुसार, अब बैंक निर्यातकों की इन श्रेणी से, 1 अप्रैल, 2007 से 31 दिसम्बर, 2007 तक की अवधि के लिए बकाया निर्यात ऋण पर, 180 दिन तक के पोत-लदान-पूर्व ऋण और 90 दिन तक के पोत-लदानेतर ऋण पर अधिकतम, बीपीएलआर-4.5% ब्याज प्रभारित करेंगे (निर्यातकों की अन्य श्रेणी हेतु 2.5% को घटाते हुए बीपीएलआर से अधिक नहीं, की तुलना में)।

[अनुवाद]

वैश्विक तापन और प्रदूषण पर अध्ययन

830. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग से बढ़ते प्रदूषण और वैश्विक तापन के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) बढ़ते हुए वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव का आकलन करने के लिए इस मंत्रालय के संगठन, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.), भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे तथा अन्य भारतीय अनुसंधान संस्थान और देश के अनुसंधान समूह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिल कर अनेक नए एवं पहले से जारी अध्ययनों पर कार्य कर रहे हैं। भारत, विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यू.एम.ओ.) का सक्रिय सदस्य है तथा यह विश्व जलवायु कार्यक्रम (डब्ल्यू.सी.पी.) और वायुमण्डलीय अनुसंधान और पर्यावरण कार्यक्रम (ए.आर.ई.पी.) में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जलवायु और पर्यावरण से जुड़े अन्य पैरामीटरों का मानीटरन करने के लिए भारत वैश्विक जलवायु प्रेक्षण प्रणाली (जी.सी.ओ.एस.) का सक्रिय भागीदार भी है।

[हिन्दी]

कारों पर अत्यधिक कर

831. श्री रामजीलाल सुमन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी विकास मंत्रालय से कारों पर कर में वृद्धि करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) शहरी विकास मंत्रालय ने बजट 2007-08 स्तर के पूर्व वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया था कि शहरी परिवहन में चलायी जाने वाली बसों पर उत्पाद शुल्क को कम कर दिया जाय और इस प्रकार जो राजस्व की हानि हो उसको निजी वाहनों पर इसी अनुपात में ज्यादा ड्यूटी लगाकर पूरा किया जाय। सरकार ने इस अनुरोध की जांच परख की है और इस सुझाव से सहमत न होने का निर्णय लिया है। जिसके निम्नलिखित कारण हैं-

(1) सरकार ने बजट 2006-07 में विनिर्दिष्ट आकार और क्षमता वाली छोटी कारों पर उत्पाद शुल्क को 24% से कम करके 16 कर दिया है, जिसका उद्देश्य भारत को छोटी और ईंधन क्षमता प्रधान कारों के विनिर्माण के क्षेत्र में धुरी राष्ट्र बनाना है।

(2) बड़ी कारों पर उत्पाद शुल्क 24% है जो कि विनिर्मित अधिकांश मदों पर लगने वाली 16% की सिनवैट दर से काफी अधिक है।

[अनुवाद]

बारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत कर्नाटक को धनराशि

832. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 10 जनवरी, 2007 को कर्नाटक सरकार द्वारा बारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2006-07 (दूसरी किस्त) के लिए 88.80 करोड़ रुपए जारी करने संबंधी प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या धनराशि जारी कर दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

शहरी गरीबी उन्मूलन

833. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी गरीबी उपशमन के लिए एक राष्ट्रीय कोर समूह का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समूह ने कोई अध्ययन किया है और कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कुल जनसंख्या की तुलना में शहरी गरीबों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जी हां, शहरी गरीबी उपशमन के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में नवम्बर, 2006 में एक राष्ट्रीय कोर दल का गठन किया गया है। यह दल, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)-शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) और एकीकृत आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और शहरी गरीबी उपशमन और स्लम विकास संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में अप्रोच दस्तावेज/कार्यनीति तैयार करने में मंत्रालय की सहायता करेगा।

(ग) और (घ) इस कोर दल ने इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया है और इसका गठन, शहरी गरीबी उपशमन संबंधी विभिन्न मुद्दों पर नीति और कार्यक्रम तैयार करने में मंत्रालय की सहायता करने के लिए किया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा मिश्रित रिकाल अवधि (एमआरपी) और एक समान रिकाल अवधि (यूआरपी), दोनों विधियों से किए गए 61वें चक्र के सर्वेक्षण के आधार पर योजना आयोग द्वारा यथा अनुमानित शहरी गरीबों की राज्यवार संख्या और वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य/संघ-शासित प्रदेश की कुल आबादी भी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कुल राज्य आबादी	2004-05 में शहरी गरीबों की अनुमानित संख्या (लाख में)	
			एमआरपी विधि	यूआरपी विधि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	76210007	45.50	61.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	1097968	0.07	0.09
3.	असम	26655528	0.93	1.28

1	2	3	4	5
4.	बिहार	82998509	27.09	32.42
5.	छत्तीसगढ़	20833803	16.39	19.47
6.	दिल्ली	13850507	15.83	22.30
7.	गोवा	1347668	1.62	1.64
8.	गुजरात	50671017	21.18	27.19
9.	हरियाणा	21144564	7.99	10.60
10.	हिमाचल प्रदेश	6077900	0.17	0.22
11.	जम्मू-कश्मीर	10143700	2.34	2.19
12.	झारखंड	26945829	10.63	13.20
13.	कर्नाटक	52850562	53.28	63.83
14.	केरल	31841374	13.92	17.17
15.	मध्य प्रदेश	60348023	68.97	74.03
16.	महाराष्ट्र	96878627	131.40	146.25
17.	मणिपुर	2166788	0.14	0.20
18.	मेघालय	2318822	0.12	0.16
19.	मिजोरम	888573	0.11	0.16
20.	नागालैंड	1990036	0.09	0.12
21.	उड़ीसा	36804660	24.30	26.74
22.	पंजाब	24358999	3.52	6.50
23.	राजस्थान	56507188	40.50	47.51
24.	सिक्किम	540851	0.02	0.02
25.	तमिलनाडु	62405679	58.59	69.13
26.	त्रिपुरा	3199203	0.14	0.20
27.	उत्तर प्रदेश	166197921	100.47	117.03
28.	उत्तराखंड	8489349	7.75	8.85
29.	पश्चिम बंगाल	80171697	26.64	35.14
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	356152	0.27	0.32
31.	चंडीगढ़	900635	0.36	0.67

1	2	3	4	5
32.	दादरा व नगर हवेली	220490	0.16	0.15
33.	दमन एवं दीव	158204	0.14	0.14
34.	लक्षद्वीप	60650	0.05	0.06
35.	पांडिचेरी	974345	1.34	1.59
	कुल	1028610328	682.02	807.96

प्रति व्यक्ति ऋण भार

834. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति ऋण भार कितना है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक ऋण पर ब्याज के भुगतान के रूप में कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) इसे कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार, भारत सरकार का कुल ऋण 2,536,164 करोड़ रुपये था। इसलिए 31 मार्च, 2007 तक प्रति व्यक्ति ऋण भार 22,604 रुपये है।

(ख) वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 (सं.अ.) के संबंध में भारत सरकार द्वारा अदा की गई ब्याज की राशि क्रमश: 126,934 करोड़ रुपये और 146,192 करोड़ रुपये है। वर्ष 2007-08 से संबंधित जून तक की गई ब्याज अदायगी 34,274 करोड़ रुपये है।

(ग) केन्द्र सरकार के बकाया ऋण भार की रखाव लागत कम करने के लिए अभी हाल ही में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) ऊंची ब्याज दर वाली पूर्ववर्ती व्यवस्था के दौरान संविदित ऊंची कूपन दर वाली सरकारी प्रतिभूतियों की वापस-खरीद।

(2) राज्य ऋण योजना के तहत प्राप्त हुई आय को राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) को ऊंजी कूपन दर वाली विशेष प्रतिभूतियों की अदायगी करने के लिए इस्तेमाल करना।

(3) द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्रोतों से लिए गए ऊंची लागत के विदेशी ऋणों की अदायगी। राजकोषीय वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौराम विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और कई द्विपक्षीय स्रोतों को 6 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक के विदेशी ऋण की समय पूर्व अदायगी की जा चुकी है।

एन.टी.पी.सी. और एन.एच.पी.सी. में स्थानीय लोगों को रोजगार

835. प्रो. प्रेम कुमार धूमल: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश में स्थापित की जा रही एन.टी.पी.सी. और एन.एच.पी.सी. विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत समूह ''ग'' और ''घ'' की सेवाओं में कितने स्थानीय लोगों को नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश में एन.टी.पी.सी. और एन.एच.पी.सी. द्वारा स्थापित की जा रही परियोजनाओं में ऐसे प्रावधान संबंधी समझौता किए जाने के बावजूद अभी भी स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसरों से वंचित रखा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) एनटीपीसी की कोलडेम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसकी स्थापना हिमाचल प्रदेश राज्य में की जा रही है में नियुक्त किये गये स्थानीय लोगों की संख्या समूह-'ग' में 5 है। इस समय इस परियोजना में समूह-'घ' की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल प्रदेश में स्थापित की जा रही एनएचपीसी की परियोजनाओं नामश: पार्वती-II, पार्वती-III और चमेरा-III में नियुक्त किये गये स्थानीय लोगों की संख्या

समूह-'घ' में 32 है। समूह-'ग' में नियुक्ति करना रिक्ति की उपलब्धता और पात्रता मानदंड की पूर्ति पर निर्भर करेगा।

(ख) से (घ) जी नहीं। एनटीपीसी/एनएचपीसी, हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के मध्यम निष्पन्न हुए करार में निम्न प्रावधान किये गये है:-

* परियोजना हेतु अपेक्षित मात्रा तक गैर कुशल स्टाफ की भर्ती उपयुक्तता और कार्य की उपलब्धता के आधार पर हिमाचल प्रदेश के भूविस्थापितों/अन्य निवासियों से की जायेगी।

* कुशल वर्तमान श्रेणी में किसी कर्मचारी को भर्ती करने की आवश्यकता को संबंधित श्रेणी के अंतर्गत रोजगार के मानदंड जैसा कि निगम द्वारा निर्णित है को पूरा करने की शर्त पर हिमाचल प्रदेश के भू-विस्तापितों/ अन्य निवासियों से भरा जायेगा। इस संबंध में प्रथम वरीयता भू-विस्थापितों को दिया जाना है।

* भू-विस्थापितों, अनुपलब्ध होने की दशा में यह आवश्यकता राज्य के स्थानीय रोजगार कार्यालय/क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों से भरी जायेगी।

करार की शर्तें पूरी कर ली गई है।

[अनुवाद]

टिहरी जल विद्युत परियोजना

836. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू करने और इसकी उत्तरी ग्रिड को आपूर्ति करने का लक्ष्य पहले चरण में जून, 2006 रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो अभी तक इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस परियोजना के पहले, दूसरे और तीसरे चरण में विद्युत उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसे हासिल करने के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है तथा इस संबंध में कितनी सफलता हासिल किए जाने का अनुमान है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) 1000 मेगावाट के टिहरी बांध एवं एचपीपी, चरण-I के लिए नवम्बर, 2004 में अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार 250 मे.वा. की अलग-अलग तीन यूनिटें जून, 2005 में तथा 250 मे.वा. की अंतिम यूनिट को जुलाई, 2005 में चालू की जानी थी। किन्तु पुनर्वास एवं पुन:स्थापन (आरएण्डआर) मामले तथा टनेल शाफ्ट में राक फाल की वजह से फरवरी/मार्च, 2006 में आरंभन कार्यक्रम को प्रत्येक चार यूनिटों के मामले में पुन: संशोधित कर जून, 2006 जुलाई, 2006, अगस्त, 2006 एवं सितम्बर, 2006 कर दिया गया। हालांकि टिहरी जल विद्युत परियोजना चरण-I की चारों यूनिटों (यूनिट IV, III, II एवं I) को ग्रिड के साथ क्रमश: 17.7.2006, 25.10.2006, 30.01.2007 तथा 19.03.2007 को तुल्यकालिक कर दिया गया है।

वर्ष 2006-07 के दौरान परियोजना से 1384 मि.यू. क्षमता के लक्ष्य की तुलना में 891 मि.यू. ऊर्जा पैदा की गई है। वर्ष 2007-08 के लिए ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 2773 मि.यू. रखा गया है तथा 713 मि.यू. के समानुपाती लक्ष्य की तुलना में अब तक 780 मि.यू. के उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।

(ग) टिहरी हाइड्रो काम्प्लेक्स 2400 मे.वा. के प्रथम चरण, अर्थात् टिहरी बांध एवं एचपीपी (1000 मे.वा.) ने पहले ही विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया है, जैसा कि उपर्युक्त प्रश्न (क) और (ख) के उत्तर में वर्णित है। टिहरी पावर कामप्लेक्स की शेष दो परियोजनाओं, अर्थात् कोटेश्वर एचईपी (400 मे.वा.) तथा टिहरी पंप्ड स्टोरेज स्कीम (1000 मे.वा.) से विद्युत उत्पादन क्रमश: जून, 2010 तथा जून, 2011 में चालू होने का कार्यक्रम है।

बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक

837. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में सरकार के स्वामित्व वाले विभिन्न बैंकों के प्रमुखों की एक बैठक बुलाई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में आम आदमी को वैयक्तिक ऋण प्रदान करने को विनियमित करने के आदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। वित्त मंत्री जी ने 1 अगस्त, 2007 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ समीक्षा-बैठक की थी। बैठक के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ, अल्पसंख्यकों

के लिए ऋण बढ़ाने, वित्तीय समावेशन, शिक्षा ऋण, कृषि के लिए ऋण की उपलब्धता, लघु एवं मझौले उद्यमियों को ऋण, आदि पर विचार-विमर्श किया गया था।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

एनआरईजीएस का कार्यान्वयन

838. श्री नवीन जिन्दल: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को अभी तक राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) किन-किन राज्यों ने धनराशि को पूरा खर्च नहीं किया है;

(ग) क्या मंत्रालय के राष्ट्रीय स्तर के निरीक्षकों द्वारा इस योजना के कार्यकरण की समीक्षा के लिए एनआरईजीएस के अंतर्गत सभी जिलों का दौरा किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उनके द्वारा योजना के कार्यान्वयन में किन खामियों का उल्लेख किया गया है और उनको दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) अपेक्षित ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) एनआरईजीए मांग आधारित है और न कि आबंटन आधारित। काम मांगने वाले पंजीकृत जाबकार्ड धारक को काम मांगने के लिए 15 दिनों के भीतर रोजगार मुहैया कराना होता है। इसलिए, राज्यों को उपलब्ध निधियों की 60% राशि के उपयोग के पश्चात और अधिक निधियों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाती है ताकि मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध रहे।

(ग) से (ङ) राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं ने चरण-I के 200 जिलों का दौरा किया है। राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टें संबंधित राज्य सरकारों को भेजी गई हैं ताकि आवश्यक सुधारात्मक/उपयुक्त कार्रवाई की जा सके। एनआरईजीए के विस्तार के दूसरे चरण में शामिल किए गए है 130 जिलों में से, राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं ने हाल ही में 113 जिलों का दौरा किया है।

विवरण

एनआरईजीए के अंतर्गत केंद्रीय रिलीज

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06 के दौरान	2006-07 के दौरान	2007-08 के दौरान
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	16474.81	102541.43	58854.24
2.	अरुणाचल प्रदेश	446.31	1450.85	105.38
3.	असम	33650.13	26550.85	36091.87
4.	बिहार	30806.30	54831.38	29319.08
5.	छत्तीसगढ़	785.00	71850.74	48486.45
6.	गुजरात	4241.12	7433.94	2883.78
7.	हरियाणा	873.82	3589.64	2751.97
8.	हिमाचल प्रदेश	898.37	4667.64	5470.63

1	2	3	4	5
9.	जम्मू-कश्मीर	1135.29	4136.37	4176.29
10.	झारखंड	23429.66	55854.59	27544.985
11.	कर्नाटक	4402.10	24850.69	14772.67
12.	केरल	1169.18	3739.51	2784.05
13.	मध्य प्रदेश	13713.82	190944.20	131603.46
14.	महाराष्ट्र	19743.56	21815.64	1008.75
15.	मणिपुर	461.63	1692.89	1088.13
16.	मेघालय	1457.87	3224.68	3669.15
17.	मिजोरम	770.91	2023.90	865.25
18.	नागालैंड	1031.28	910.11	2166.59
19.	उड़ीसा	7384.75	78380.49	32567.08
20.	पंजाब	822.54	3445.75	1650.17
21.	राजस्थान	4142.11	78041.00	59070.96
22.	सिक्किम	722.16	691.50	364.75
23.	तमिलनाडु	6571.72	18409.21	28462.41
24.	त्रिपुरा	2572.97	2754.66	12451.45
25.	उत्तरांचल	1269.11	4470.60	6456.9
26.	उत्तर प्रदेश	33242.07	56914.69	33775.72
27.	पश्चिम बंगाल	17038.15	38868.84	68635.88
	कुल	229256.74	864085.54	617078.05

तटीय क्षेत्रों में मृदा अपक्षरण

839. **श्री एम. अप्पादुरई:** क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारत में, विशेषकर तमिलनाडु में सुनामी के पश्चात् समुद्रतट/तटीय क्षेत्रों के अनेक भागों में लगातार मृदा अपक्षरण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में ऐसे मृदा अपक्षरण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या निवारणात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने राज्यों के समुद्रतट/तटीय क्षेत्रों में मृदा अपक्षरण को रोकने के लिए किसी प्रकार की तकनीकी सहायता प्राप्त करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप एवं पांडिचेरी के संघ शासित प्रदेश, तटीय

क्षेत्रों में मृदा अपक्षरण की समस्या का सामना कर रहे हैं। मुख्यत: मृदा अपक्षरण रोकने के लिए स्कीम को बनाने, निरीक्षण करने और उसका निष्पादन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इन स्कीमों को बाढ़ नियंत्रण के तहत राज्य सरकारों को वार्षिक योजना कोष से योजना आयोग वित्त-पोषित करता है। इस समय भारत सरकार दो विभिन्न स्कीमों नामत: (1) राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना; और (2) तटीय संरक्षण संरचनाओं का विकास करने के लिए राज्य क्षेत्र की स्कीम के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, जिससे समुद्र-तटबंध/वंक्षण बनाकर तथा अन्य अपक्षरण रोकने वाले कार्य करके भविष्य में मृदा अपक्षरण को रोका जा सके। इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

(1) राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना (एनसीपीपी):

केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी के संघ शासित प्रदेशों के प्रस्तावों को एनईपीपी के तहत शामिल किया गया है।

(2) स्टेट सेक्टर स्कीम (एसएसएस):

एसएसएस गंगा बेसिन राज्यों के अलावा तटीय क्षेत्रों में विवेच्य प्रति-अपक्षरण कार्यों पर 46.17 करोड़ रु. की लागत आई, जिसे दसवीं योजना में कार्यान्वित किया गया। "तुतुकडी में पेरियातलाई में वंक्षण का निर्माण (400 मी.)" नामक समुद्र रोधी अपक्षरण स्कीम पर 3.09 करोड़ रु. की लागत आई, जो तमिलनाडु सरकार से प्राप्त हुई थी तथा इसे स्टेट सेक्टर स्कीम में शामिल किया गया है। तमिलनाडु प्रस्ताव हेतु 3.09 करोड़ रु. की अनुमानित लागत में से केंद्र सरकार का अंश 2.32 करोड़ रु. है, जिसे दसवीं योजना के दौरान तमिलनाडु सरकार को जारी कर दिया गया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारें, राज्यों के समुद्रतटों/तटीय क्षेत्रों में मृदा अपक्षरण रोकने के लिए किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता पाने के उद्देश्य से जल संसाधन मंत्रालय के तहत केंद्रीय जल और ऊर्जा अनुसंधान स्टेशन (सीडब्ल्यूपीआरएस), पुणे से निरंतर संपर्क स्थापित कर रही है।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र के रूप में मुंबई

840. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र बनाए जाने के संबंध में उच्च अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं। मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र बनाने संबंधी उच्च अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को पुनर्निवेशन प्राप्त करने और समिति की मुख्य सिफारिशों पर सहमति प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

देश में पंजीकृत कंपनियां

841. श्री हितेन बर्मन: क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पंजीकृत कंपनियों की कुल संख्या राज्यवार कितनी है;

(ख) पंजीकृत कंपनियों में से राज्यवार कितनी कंपनियां बंद पड़ी हैं;

(ग) पंजीकृत कंपनियों के बंद होने के क्या कारण हैं; और

(घ) बंद पड़ी कंपनियों को पुन: चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गई है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) विवरण-I संलग्न है।

(ख) विवरण-II संलग्न है।

(ग) पंजीकृत कम्पनियों के बन्द होने के कारण निम्नलिखित सभी या इनमें से कोई एक हो सकता है:-

(1) व्यापार कार्य आरंभ करने के अयोग्य होना।

(2) व्यापार कार्य आरंभ करने के इच्छा न होना।

(3) व्यापारिक नीतियों, सरकारी नीतियों के कारण व्यापार के हालातों में परिवर्तन।

(4) वित्तीय रुग्णता।

(5) आर्थिक जीवनक्षमता न होना आदि।

(घ) सभी बंद पड़ी कम्पनियों को पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है।

विवरण I

दिनांक 31.03.2006 तक देश में पंजीकृत कम्पनियों की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	8412
2.	असम	5232
3.	बिहार	11346
4.	गुजरात	45861
5.	हरियाणा	6815
6.	हिमाचल प्रदेश	2469
7.	जम्मू-कश्मीर	2205
8.	कर्नाटक	35927
9.	केरल	16905
10.	मध्य प्रदेश	16960
11.	महाराष्ट्र	158868
12.	मणिपुर	198
13.	मेघालय	535
14.	नागालैण्ड	327
15.	उड़ीसा	7800
16.	पंजाब	16452
17.	राजस्थान	20518
18.	तमिलनाडु	63755
19.	त्रिपुरा	118
20.	उत्तर प्रदेश	28928
21.	पश्चिम बंगाल	87597
22.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	10
23.	अरुणाचल प्रदेश	283
24.	चण्डीगढ़	7624
25.	दादरा और नगर वेली	171
26.	दिल्ली	141561
27.	गोवा	3978
28.	दमन और दीव	129
29.	लक्षद्वीप	1
30.	मिजोरम	39
31.	पुडुचेरी	1345
	कुल	732169

विवरण II

वर्ष 2005-06 (दिनांक 31.03.2006 तक) में पंजीकृत कम्पनियों में से बन्द पड़ी कम्पनियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	8
2.	असम	9
3.	बिहार	0
4.	गुजरात	0
5.	हरियाणा	3
6.	हिमाचल प्रदेश	0
7.	जम्मू-कश्मीर	0
8.	कर्नाटक	5
9.	केरल	0
10.	मध्य प्रदेश	367

1	2	3
11.	महाराष्ट्र	444
12.	मणिपुर	0
13.	मेघालय	2
14.	नागालैण्ड	2
15.	उड़ीसा	0
16.	पंजाब	45
17.	राजस्थान	50
18.	तमिलनाडु	102
19.	त्रिपुरा	0
20.	उत्तर प्रदेश	3
21.	पश्चिम बंगाल	4
22.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
23.	अरुणाचल प्रदेश	0
24.	चण्डीगढ़	0
25.	दादरा और नगर हवेली	0
26.	दिल्ली	316
27.	गोवा	0
28.	दमन और दीव	0
29.	लक्षद्वीप	0
30.	मिजोरम	0
31.	पुडुचेरी	20
	कुल	1380

[हिन्दी]

दिल्ली से मलिन बस्तियों को अन्यत्र बसाया जाना

842. **श्री पंकज चौधरी:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली के सभी मलिन बस्तियों/झुग्गियों को उसी स्थान पर उन्नयन करने/अन्यत्र बसाये जाने को अंतिम रूप देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के अनुसार स्लम और झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों की उन भूमि पाकेटों, जो सार्वजनिक/प्राथमिकता उपयोग के लिए आवश्यक नहीं हैं, का उसी स्थान पर उन्नयन करना स्क्वेटरों के पुनर्वास के लिए किफायती मकानों का प्रावधान करते हुए पहला विकल्प है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में स्वजलधारा को पुनः शुरू करना

843. **श्री प्रह्लाद जोशी:**
श्री पी.सी. थामस:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र द्वारा प्रायोजित "स्वजलधारा" योजना को बंद कराने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने इस योजना को पुनः शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मंत्रालय में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) जी, हां। यह निर्णय जनवरी, 2006 में आयोजित वार्षिक अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है जहां अनेक राज्य मंत्रियों ने अनेक सिफारिशें की हैं तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सामुदायिक योगदान को अनिवार्य बनाने के संबंध में व्यावहारिक दिक्कतों को उठाया है। तथापि, भारत सरकार के स्वजलधारा के सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया है, राज्यों के लिए केन्द्र से वित्त पोषण की प्रणाली में केवल एक परिवर्तन किया है, 90:10 केन्द्रीय: सामुदायिक अंश से 50:50 केन्द्र: राज्य अंश। राज्य अपने राज्य अंश के प्रतिशत घटक के रूप में स्थानीय स्थितियों के अनुसार सामुदायिक योगदान को संस्थागत तथा प्रोत्साहित कर सकते हैं।

(ग) और (घ) कर्नाटक सहित राज्य सरकारों ने केन्द्र की योजना को उनके मौजूदा रूप में जारी रखने का आग्रह किया है। तथापि, राज्यों के साथ परामर्श करने के बाद स्वजलधारा की वित्त पोषण प्रणाली में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। सभी

राज्यों में योजना के कार्यान्वयन तथा वित्त पोषण प्रणाली के संबंध में एकरूपता लाने के लिए सरकार का दृष्टिकोण ऊपर बताए अनुसार ही रहेगा। भारत सरकार उन सभी चल रही परियोजनाओं जिसमें पर्याप्त वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति हुई है, को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोला जाना

844. श्री संतोष गंगवार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोले जाने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की राज्य-वार कितनी शाखाएं खोली गई हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) बैंकों को वर्तमान शाखा प्राधिकार नीति के अंतर्गत, बैंकों द्वारा आम जनता को दी गई बैंकिंग सुविधाओं के स्वरूप एवं कार्य क्षेत्र, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को वास्तविक ऋण का प्रवाह, वित्तीय अन्तर्वेशन को बढ़ावा देने की आवश्यकता, उपयुक्त नई सेवाओं को शुरू करना तथा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उन्नत उपयोग जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण तथा बैंक सुविधा रहित क्षेत्रों में शाखाएं खोलने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नई बैंक शाखा के प्राधिकार के निर्धारण में, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यूनतम शेष राशि संबंधी अपेक्षाओं, जमाकर्त्ताओं की न्यूनतम बैंकिंग अथवा 'अतिरिक्त सुविधा रहित' बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच, मूल बैंकिंग कार्यकलाप जैसे जमाराशियों की स्वीकृति एवं ऋण का प्रावधान और ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता तथा आवेदक बैंक में लागू उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र की विद्यमानता के लिए प्रतिबद्धता शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा प्राधिकार नीति का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाना भी है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में गत तीन वर्षों के दौरान खोली गई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की संख्या से संबंधित राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित ग्रामीण बैंकों की खोली गई शाखाओं की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	संघ राज्य क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार	-	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	7	5	12
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-
4.	असम	2	4	1
5.	बिहार	2	1	6
6.	चंडीगढ़	-	-	-
7.	छत्तीसगढ़	-	-	-
8.	दादरा व नगर हवेली	-	-	-
9.	दमन व दीव	-	-	-

1	2	3	4	5
10.	दिल्ली	–	–	–
11.	गोवा	3	3	5
12.	गुजरात	2	4	14
13.	हरियाणा	2	7	15
14.	हिमाचल प्रदेश	4	9	13
15.	जम्मू-कश्मीर	7	6	1
16.	झारखण्ड	–	1	3
17.	कर्नाटक	8	10	16
18.	केरल	3	3	3
19.	लक्षद्वीप	–	–	–
20.	मध्य प्रदेश	1	–	–
21.	महाराष्ट्र	1	2	15
22.	मणिपुर	–	–	–
23.	मेघालय	1	1	1
24.	मिजोरम	–	–	1
25.	नागालैंड	–	–	–
26.	उड़ीसा	3	5	7
27.	पुडुचेरी	–	–	2
28.	पंजाब	5	4	11
29.	राजस्थान	2	3	5
30.	सिक्किम	1	–	1
31.	तमिलनाडु	5	5	14
32.	त्रिपुरा	–	–	–
33.	उत्तराखंड	2	2	3
34.	उत्तर प्रदेश	3	6	12
35.	पश्चिम बंगाल	2	5	6
	कुल	66	86	170

[अनुवाद]

एक्सटेंशन आफ दिल्ली ला (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट, 2006 का विस्तार

845. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली ला (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट, 2006 के 18 मई, 2007 से प्रभावहीन होने के बाद दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली में विशेषकर शाहदरा उत्तरी जोन जिसे कि पहले ही दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में शामिल किया जा चुका है, अवैध निर्माणों को तोड़ना शुरू कर दिया है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी कालोनियों में रहने वाले गरीब तथा असहाय लोगों जिनके आवास निर्दयता से दिल्ली नगर निगम द्वारा तोड़े जा रहे हैं, को शीघ्र राहत प्रदान करने के लिए स्थगन अवधि को एक वर्ष और आगे बढ़ाए जाने, जैसा कि दिल्ली ला (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट, 2006 में प्रावधान है, के लिए चालू सत्र में विधान पेश करने का है; और

(ग) यदि हां, तो यह विधान कब तक प्रभावी हो जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि ऐसी संपत्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है जिनके स्वामियों ने अपने भवनों को दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के प्रावधानों के अनुसार नियमित कर लिया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2007 को 4 जुलाई, 2007 को प्रख्यापित किया गया था ताकि अध्यादेश के प्रभावी होने से एक वर्ष की अवधि के भीतर अंतिम रूप से तैयार की जाने वाली निम्नलिखित नीतियों के तहत आने वाले व्यक्तियों के संबंध में संबंधित एजेंसियों द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लोगों को अस्थाई राहत दी जा सके और उन्हें होने वाली परिहार्य कठिनाइयों तथा अपूर्णीय हानि को कम किया जा सके:-

(1) दिल्ली में सुस्थिर, नियोजित और मानवीय ढंग से विकास सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के प्रावधानों के अनुसार स्लम वासियों और झुग्गी झोपड़ी बस्तियों की पुनर्स्थापन और पुनर्वास की नीति;

(2) दिल्ली मास्टर-2021 में यथा निर्धारित राष्ट्रीय शहरी फेरी वाला तथा हॉकर नीति के अनुरूप शहरी फेरी वालों के विनियमन के लिए कार्यनीति;

(3) अनुमत्य भवन निर्माण की सीमा से अधिक निर्माण वाले मौजूदा फार्म हाऊसों के बारे में नीति; और

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर निर्मित स्कूलों, औषधालयों, धार्मिक संस्थानों, सांस्कृतिक संस्थानों के संबंध में नीति।

सरकार, अध्यादेश के स्थान पर संसद के अधिनियम द्वारा चालू सत्र में विधान लाना चाहती है।

भूमि का आवंटन

846. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड:**
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी विकास मंत्रालय ने गत दस वर्षों के दौरान आर.के. पुरम तथा चाणक्यपुरी में विभिन्न सरकारी संगठनों तथा विभागों को भूमि बेची है;

(ख) यदि हां, तो बेची गई भूमि, क्रेता संगठनों का नाम, क्षेत्र का बिक्री मूल्य तथा क्रय मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन संगठनों के नाम क्या हैं जिन्होंने आज की तिथि तक भवन का निर्माण नहीं किया है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चूककर्त्ताओं की क्या जिम्मेदारी तय की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

असम में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना

847. **श्री मणी कुमार सुब्बा:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने असम में 750 मेगावाट क्षमता वाले एक विद्युत संयंत्र की स्थापना करने के लिए असम सरकार के साथ कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) एनटीपीसी लि. असम के वर्तमान गैर-प्रचालन बोंगाईगांव ताप विद्युत स्टेशन (टीपीएस) (4×60 मे.वा.) के स्थल पर कोयला आधारित 750 मे.वा. (3×250 मे.वा.) का कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना की स्थापना कर रहा है। इस संबंध में असम में एपीजीसीएल के 240 मे.वा. (4×60 मे.वा.) बोंगईगांव ताप विद्युत स्टेशन की वर्तमान बुनियादी सुविधाओं को एनटीपीसी लि. को स्थानांतरित करने एवं एनटीपीसी लि. द्वारा उसी स्थल पर नए 3×250 मे.वा. विद्युत स्टेशन की स्थापना के लिए एनटीपीसी लि., असम सरकार एवं असम ताप उत्पादन निगम लि. के बीच स्थानांतरण करार हुआ है।

परियोजना से विद्युत आपूर्ति हेतु असम राज्य बिजली बोर्ड (एएसईबी) के साथ एनटीपीसी लि. द्वारा दिनांक 30.05.2007 को विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए।

4496.24 करोड़ रु. (2006 की तीसरी तिमाही का मूल्य स्तर) की अनुमानित लागत के साथ बोंगाईगांव टीपीएस (750 मे.वा.) की व्यवहार्यता रिपोर्ट एनटीपीसी लि. द्वारा तैयार की गई। पर्यावरण स्वीकृति सहित परियोजना के लिए सभी मूल लिंकेज/स्वीकृतियां पहले ही प्राप्त की जा चुकी हैं। परियोजनाओं से वर्ष 2010-11 से लाभ मिलना शुरू होने की संभावना है।

डीडीए के लाटरी के ड्रा में अनियमितताएं

848. श्री जुएल ओराम: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी आवासीय योजनाओं के अंतर्गत आवासों के आबंटन हेतु लाटरी प्रणाली में कोई खामी/अनियमितताएं पाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डीडीए के कर्मचारियों तथा उनके संबंधियों को लाटरी के ड्रा में आसानी से आवास का आवंटन हो जाता है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान लाटरी के ड्रा में ऐसे कितने मामले सामने आए हैं; और

(ङ) इन कमियों को दूर करने तथा आवेदकों के साथ न्याय करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) जी, नहीं।

(ङ) तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि फ्लैटों के आवंटन की प्रणाली को पारदर्शी बना दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों, विभिन्न संगठनों से निष्पक्ष निर्णायकों और मीडिया की उपस्थिति में फ्लैटों के लिए कम्प्यूटरीकृत ड्रा निकाला जाता है। ड्रा की इस प्रक्रिया को भी जनता के अवलोकनार्थ कार्यालय के बाहर बड़ी स्क्रीन पर समानान्तर रूप से प्रदर्शित किया जाता है। ड्रा के परिणाम स्वागत कक्ष में नोटिस बोर्ड पर तत्काल लगा दिए जाते हैं, वेबसाइट पर दे दिए जाते हैं तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दिए जाते हैं। उपर्युक्त व्यवस्थाओं का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है तथा शिकायतों की गुंजाइश कम हो गई है। आबंटियों को परेशानी से बचाने के लिए जहां कहीं संभव हो, और सुधार करने हेतु इस प्रक्रिया और व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा की जाती है।

बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत प्लाटों का स्वामित्व अधिकार

849. श्री रघुनाथ झा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वितरित आवासीय प्लाटों के आवंटितियों/अनुवर्ती क्रेताओं को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्लाटों को नियमित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है तथा यह प्रक्रिया कब तक शुरू हो जाएगी;

(घ) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा पारित किए गए संकल्प की प्रति सरकार को प्राप्त हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह सूचित किया है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत आबंटितियों को स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने का मामला उसके विचाराधीन है।

बैंकों में अप्रयुक्त पड़ी धनराशि

850. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कंपनियों के एक लाख करोड़ रुपये की धनराशि बैंकों में अप्रयुक्त पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है यथा उपलब्ध जानकारी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन

851. **श्री रशीद मसूद:** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की कमी का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने ईवीएम खरीदने के लिए कोई समझौता किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में ही विनिर्मित ईवीएम खरीदने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हां। इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों (ईवीएम) का क्रय दो पब्लिक सेक्टर विनिर्माता फर्मों अर्थात्, भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर और इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद से, उनके साथ किये गये पृथक् करारों के अधीन किया जा रहा है।

(ङ) ईवीएम का विनिर्माण ऊपर उल्लिखित दो भारतीय पब्लिक सेक्टर कंपनियों द्वारा पहले ही देश में किया जा रहा है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

झारखंड में डीआरडीए के अंतर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

852. **श्री टेक लाल महतो:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान झारखंड में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन (डीआरडीए) के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु अब तक आवंटित की गई धनराशि तथा उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) झारखंड में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) प्रशासन ने स्वरोजगार के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), मजदूरी रोजगार के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाएं, आश्रयहीनों को आवास मुहैया कराने के लिए इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी), और समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), तथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान जैसी योजनाओं को कार्यान्वित किया।

(ख) विगत तीन वर्षों अर्थात् 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवंटित तथा झारखंड राज्य द्वारा उपयोग में लाई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुपालन तथा कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी हेतु आवधिक प्रगति रिपोर्टों, समीक्षा समिति की बैठकों का कार्य-निष्पादन, क्षेत्र अधिकारियों की योजना, संसद सदस्यों, राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी वाली राज्य और जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के माध्यम से निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रमों की निगरानी की एक

व्यापक प्रणाली बनाई है। राज्य सरकारों को पांच आयामी कार्यनीति अपनाने की भी सलाह दी गई है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (1) योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, (2) पारदर्शिता, (3) जनभागीदारी और (4) जवाबदेही तथा लेखा-परीक्षा, और (5) सभी स्तरों पर कड़ी सतर्कता और निगरानी।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान (2004-05 से 2006-07) झारखंड राज्य में कार्यक्रम-वार वित्तीय प्रगति को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

कार्यक्रम	2004-05		2005-06		2006-07	
	केन्द्रीय आवंटन	कुल उपयोग	केन्द्रीय आवंटन	कुल उपयोग	केन्द्रीय आवंटन	कुल उपयोग
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	31543.52	39485.11	37791.40	52866.14	3338.58	4694.11
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	4757.98	5587.89	4757.98	6518.55	5278.02	6037.02
इंदिरा आवास योजना	14351.50	16031.18	6423.93	13022.74	6829.31	11782.16
एनएफएफडब्ल्यूपी/एनआरईजीए*	22595.70	2888.16	40315.90	30468.51	उपलब्ध नहीं	71155.13
सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम*	1065.02	1065.02	1555.76	1555.76	479.25	479.25
समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम*	205.65	शून्य	303.25	97.21	232.93	723.52

नोट: व्यय/उपयोग उपलब्ध निधियों से किया गया है, जिसमें अथशेष+केन्द्रीय रिलीज+राज्य रिलीज शामिल हैं।

*मांग आधारित योजना होने की वजह से राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है। इन योजनाओं के अंतर्गत राशि राज्यों को रिलीज की जाती है।

[अनुवाद]

फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र

853. श्री उदय सिंह: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र पानी की कमी का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पानी की कमी के कारण संयंत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र (एसीपीएस) को गंगा जल की हिस्सेदारी पर भारत-बंगला देश संधि, 1996 के कार्यान्वयन के बाद से 1 मार्च से 10 मई की विनियम अवधि के दौरान फीडर नहर में जलस्तर इनटेक चैनल से कम हो जाने के कारण पानी की उपलब्धता कम होने की वजह से उत्पादन हानि हो रही।

वर्ष 2000-2001 से फीडर नहर से कम जल उपलब्धता के कारण उत्पादन का विवरण निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	उत्पादन क्षति (मि.यू.)*
1.	2006-07	290.83
2.	2005-06	391.68
3.	2004-05	शून्य
4.	2003-04	शून्य
5.	2002-03	शून्य
6.	2001-02	100.18
7.	2000-01	02.93

*मि.यू. - मिलियन यूनिट

तथापि चालू वर्ष 2007-08 के दौरान जुलाई, 2007 के अंत तक फरक्का एसटीपीएस ने पानी की कमी का सामना नहीं किया है।

(घ) फीडर नहर में जल स्तर की कमी के प्रभाव को घटाने के लिए एनटीपीसी लि. ने कैपिटल अभिवृद्धि स्कीम के अधीन केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) से अनुमोदन की तर्ज पर वर्तमान स्टेशन के लिए लिफ्ट पंप हाउस के कार्य का ठेका प्रदान किया है जो सर्कुलेटिंग वाटर (सीडब्ल्यू) पंप के इनटेक चैनल को फीडर नहर से पानी पंप करेगा।

जाली मुद्रा

854. श्री अधीर चौधरी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत छह महीनों के दौरान देश में विभिन्न बैंकों द्वारा जाली मुद्रा जब्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में जाली मुद्रा के परिचालन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जनवरी से जून, 2007 तक बैंकिंग क्षेत्र में 68205 जाली करेंसी नोटों का पता लगाया था, जिनका मूल्य 1,50,62,320 रुपए है। इन जाली नोटों का मूल्य वर्गवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

	10 रुपए	20 रुपए	50 रुपए	100 रुपए	500 रुपए	1000 रुपए
कुल नोट सं.	60	246	3578	43425	18611	2285
कुल मूल्य	600	4,920	1,78,900	43,42,500	93,05,500	22,85,000

(ग) और (घ) 29 जून, 2007 की स्थिति के अनुसार 5,07,364 करोड़ रुपये के नोट परिचालन में हैं। परिचालन में भारतीय बैंक नोटों के कुल परिमाण की तुलना में जाली नोटों की मात्रा बहुत कम है।

(ङ) देश में भारतीय करेंसी में जाली नोटों के प्रचालन को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं: जाली नोटों की तस्करी को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सतर्कता में वृद्धि करना; अखबारों और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से सुरक्षात्मक पहलुओं संबंधी सूचना का प्रचार-प्रसार करना तथा बैंकों के सभी मुख्य कार्यालयों में जाली नोट संबंधी सतर्कता प्रकोष्ठ बनाना। बैंक नोटों में अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपाय भी शामिल किये गये हैं जिनसे जालसाजी करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार ने जाली करेंसी नोटों के मामलों की जांच पर निगरानी के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को नोडल एजेंसी नामित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जाली नोटों का पता लगाने के तंत्र को भी सुदृढ़ बनाया है।

कंपनी अधिनियम का उल्लंघन

855. श्री जोवाकिम बखला: क्या कार्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लगभग 50 प्रतिशत कंपनियां कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों के हित प्रभावित होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन कंपनियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(घ) कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के निपटान को सरलीकृत करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) और (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंध बड़ी संख्या में कारपोरेट

संबंधी प्रक्रियाओं को विनियमित करते हैं। किसी कम्पनी की कानूनी बाध्यताओं में वार्षिक विवरणियां दायर करना और अन्य विभिन्न प्रकार की गतिविधियों पर आधारित दस्तावेज दायर करना सम्मिलित है। निवेशकों के हित प्राथमिक रूप से सूचीबद्ध पब्लिक कम्पनियों से जुड़े होते हैं जहां वार्षिक विवरणियां और तुलनपत्र आदि दायर करने सहित अनुपालन 50% से काफी अधिक होता है।

(ग) निरीक्षणों/जांचों के आधार पर अनुपालन न करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध सक्षम न्यायाधिकार वाले न्यायालयों में अभियोजन दायर किये जाते हैं।

(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 621क के उपबंधों के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत (चाहे वह अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो या उसके किसी अधिकारी के द्वारा किया गया हो) किसी अपराध जिसमें केवल कारावास का ही दंड हो या कारावास और जुर्माने का भी दंड हो, जो किसी अभियोजन शुरू करने के पूर्व या उसके बाद किसी कम्पनी या इसके अधिकारी द्वारा, जैसा भी मामला हो, के भुगतान करने या उधार पर, केन्द्र सरकार द्वारा प्रशमित किया जा सकता है। यदि अपराध प्रशमित किये जाने का विकल्प नहीं रखा गया है, तो याचिकाएं विधि के सक्षम न्यायालय में दायर की जाती हैं।

औषधि कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें

856. श्री सुब्रत बोस:
श्री रमेश बर्मन:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (एमआरटीपीसी) को औषधि कंपनियों द्वारा कदाचार के बारे में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) जी, हां।

(ख) औषधि कंपनियों के खिलाफ शिकायतों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) अर्द्ध-न्यायिक निकाय होने के कारण एमआरटीपी आयोग कार्यवाहियां पूरी करने के पश्चात् इन मामलों का निपटान करेगा तथा इन मामलों में सरकार के पास निर्णय देने/कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है।

विवरण

औषधि कंपनियों के खिलाफ एमआरटीपी आयोग में प्राप्त शिकायतों के ब्यौरे

क्र.सं.	मामला सं.	नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	आरटीपीई 11/2004	बत्रा एसोसिएट्स बनाम जॉनसन एंड जॉनसन लिमिटेड, दिल्ली	दिनांक 21.8.2007 को अतिरिक्त निदेश देने हेतु मामला सूचीबद्ध है।
2.	यूटीपीई 96/2005	डी.जी. (आईएंडआर) बनाम डाबर इंडिया लिमिटेड	दिनांक 18.10.2006 को मामले का निपटान कर दिया गया
3.	यूटीपीई सं. 76/2005	माथेयू मेमन बनाम डीएवीओ लेबोरेट्रिज लिमिटेड एवं अन्य, इंदौर	दिनांक 24.9.2007 को विवाधक विरचित करने हेतु मामला सूचीबद्ध है
4.	यूटीपीई सं. 56/2005	सोनी एजेंसीज, हैदराबाद बनाम इंडु फॉर्मास्यूटिकल लिमिटेड, मुम्बई	दिनांक 19.9.2007 को अतिरिक्त निदेश देने हेतु मामला सूचीबद्ध है

1	2	3	4
5.	आरटीपीई 2/2005	कृपा मेडीकेयर बनाम फाईजर इंडिया लिमिटेड मुम्बई	दिनांक 14.5.2007 को मामले का निपटान कर दिया गया
6.	आरटीपीई 06/2005	सुरेश एजेंसीज बनाम नोवारटीस इंडिया लिमिटेड	दिनांक 6.9.2007 को आवेदन 12क के विचारार्थ मामला सूचीबद्ध है
7.	आरटीपीई 33/2006	डी.जी. (आईएंडआर) बनाम विभिन्न औषधि निर्माताओं	मामले को डी.जी. (आईएंडआर) के पास जांच-पड़ताल हेतु भेजा गया था। डी.जी. (आईएंडआर) से प्रारंभिक जांच-पड़ताल रिपोर्ट मिलने की प्रतीक्षा है।
8.	आरटीपीई 69/2006	डी.जी. (आईएंडआर) बनाम इंटस फॉर्मास्यूटिकल लिमिटेड	दिनांक 3.9.2007 को विवाद्यक विरचित करने हेतु मामला सूचीबद्ध है।
9.	आरटीपीई 11/2007	विभिन्न औषधि निर्माता कंपनियां	मामले को डी.जी. (आईएंडआर) के पास जांच-पड़ताल हेतु भेजा गया था। डी.जी. (आईएंडआर) से प्रारंभिक जांच-पड़ताल रिपोर्ट मिलने की प्रतीक्षा है।

आयकर अधिनियम में संशोधन

857. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नया आयकर अधिनियम लाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयकर कानून बनाने के लिए गठित विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नया आयकर अधिनियम मौजूदा अधिनियम की अपेक्षा कितना सरल होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। विशेषज्ञ समूह ने दिनांक 8 सितम्बर, 2006 को रिपोर्ट सौंप दी थी।

(ग) और (घ) विशेषज्ञ समूह ने आयकर अधिनियम के यौक्तिकीकरण एवं सरलीकरण की सिफारिश की है। सरकार इसकी जांच कर रही है। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि नया आयकर अधिनियम किस सीमा तक सरल होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल

858. प्रो. एम. रामदास:
श्री मदन लाल शर्मा:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जारी दिशा-निर्देश क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में केन्द्र और राज्य स्तर पर समितियां गठित की हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजनाओं को मंजूर करने के लिए राज्यों में स्वीकृति समितियां बनाई गई हैं। केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि इन समितियों के सदस्य भी हैं। ये समितियां उस समय बैठकें करती हैं जब संबधित राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की योजनाएं होती हैं।

शहरी आवास हेतु नई नीति

859. श्री आनंद विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सभी को किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराने और शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार करने की दोहरी समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए शहरी आवास हेतु नई नीति लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त नीति को कब तक अंतिम रूप दिये जाने और कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ग) मौजूदा राष्ट्रीय आवास तथा पर्यावास नीति, 1998 में लागू हुई। उभरती नई परिस्थितियों में, विशेषकर शहरी गरीबों के लिए आवास विकास की स्थिति को सुदृढ़ करने और बढ़ाने के लिए आवास नीति को अद्यतन करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति के प्रारूप में अन्य बातों के साथ-साथ आवास और संबंधित अवस्थापना के विकास की गति को तेज करने, किराया और स्वामित्व, दोनों आधारों पर पर्याप्त और किफायती आवास स्टाक बनाना, राज्य सरकारों/विकास प्राधिकरणों को अपने मास्टर प्लानों/जोनिंग प्लानों को आवधिक रूप से अद्यतन करने के लिए प्रोत्साहित करना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) तथा अल्प आय समूह (एलआईजी) श्रेणियों पर विशेष ध्यान देते हुए आवास में विकसित भूमि की आपूर्ति बढ़ाने में सहायता करने के प्रावधान किये गये हैं। नीति को शीघ्र ही अंतिम रूप दिये जाने और कार्यान्वित किये जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

किसानों को ऋण

860. श्री वी.के. ठुम्मर:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों को बैंकों से ऋण लेने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है जिन्होंने सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य का पालन करते हुए ऋण प्रदान नहीं किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार किसानों को उद्योग की तर्ज पर ऋण प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों को दिये गये ऋण का वर्षवार और बैंकवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, द्वारा ''कृषक परिवारों की ऋणग्रस्तता' (किसानों की स्थिति के मूल्यांकन सर्वेक्षण के भाग के रूप में-59वां चक्र) के संबंध में वर्ष 2001 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, 89.35 मिलियन कृषक परिवारों में से, 43.42 मिलियन (48.6%) परिवार ऋणग्रस्त थे। सरकार ने कृषि ऋण के संवितरण को दुगुना करने के लिए जून 2004 में कृषि ऋण पैकेज की घोषणा की थी। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2003-04 में 86,981 करोड़ रुपये के कृषि ऋण की उपलब्धता के आधारभूत आंकड़ों से वर्ष 2006-07 के दौरान कृषि ऋण की उपलब्धता 2,03,297 करोड़ रुपये हो गई है।

(ग) और (घ) किसानों द्वारा खरीफ एवं रबी 2005-06 हेतु लिये गये फसल ऋणों पर ब्याज का बोझ कम करने के लिए 1,00,000 रुपये तक की मूल राशि पर ऋणकर्त्ता की देयता के 2 प्रतिशत बिन्दु के बराबर राशि उनके खाते में जमा कर दी गई थी। इसके बाद, खरीफ 2006 से यह सुनिश्चित करने के लिए

कि किसानों को मूल राशि पर 3 लाख रुपये की उच्चतर सीमा सहित 7% पर अल्पावधि उत्पादन ऋण प्राप्त हो, सरकार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंको को उनके स्वयं के संसाधनों से दिये गये ऋण पर 2% वार्षिक की ब्याज सहायता तथा सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड से उनके ऋणों पर रियायती दरों पर पुनर्वित्त दे रही है।

(ङ) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसानों को दी गई ऋण राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए विशेष कृषि ऋण योजना

वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान कृषि को बैंकवार संवितरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	संवितरण	
		2005-06	2006-07*
1	2	3	4
1.	भारतीय स्टेट बैंक	20895.76	25248.66
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर जयपुर	980.74	1319.89
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1387.13	1799.82
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	814.73	1123.15
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	1274.00	1660.00
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	3203.15	3683.32
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1628.24	1939.78
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	1729.32	2090.48
9.	इलाहाबाद बैंक	2847.33	3525.24
10.	आंध्रा बैंक	2724.75	3468.25
11.	बैंक आफ बड़ौदा	4302.38	5452.46
12.	बैंक आफ इंडिया	4399.67	5778.64
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	1673.18	2134.00
14.	केनरा बैंक	7211.20	-
15.	सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	3294.28	4472.90
16.	कार्पोरेशन बैंक	1106.61	2115.91
17.	देना बैंक	901.42	1315.40

1	2	3	4
18.	इंडियन बैंक	3604.37	4651.70
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	4207.57	5896.91
20.	ओरियन्टल बैंक आफ कॉमर्स	1486.13	2602.83
21.	पंजाब नेशनल बैंक	9855.93	12954.36
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	1697.37	2566.73
23.	सिंडिकेट बैंक	3107.14	4388.37
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	4438.00	5333.39
25.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1401.00	1902.64
26.	यूको बैंक	2375.64	3112.57
27.	विजया बैंक	1730.75	2273.55
	कुल	94277.79	112810.95

*अनंतिम

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति

861. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:**
श्रीमती के. रानी:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति लाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त नीति को अंतिम रूप दिया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) इस नीति को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय बायो ईंधन नीति तैयार की है जिसमें बायो ईंधनों के सतत् उत्पादन, रूपान्तरण और अनुप्रयोगों के माध्यम से देश में ऊर्जा सुरक्षा की प्राप्ति और घरेलू रूप से उत्पादित बायो ईंधनों द्वारा कच्चे तेल अथवा उत्पादों के आयात को कम करने के लिए कार्य-नीति की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। राष्ट्रीय बायो ईंधन नीति को सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा अनुमोदित हो जाने के पश्चात् इस नीति का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जाएगा।

एनटीपीसी द्वारा विद्युत उत्पादन उपकरणों का विनिर्माण

862. **श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के पास विद्युत उपकरण विनिर्माण कार्यकलापों को करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनटीपीसी विद्युत उपकरण विनिर्माण व्यवसाय में विविधता ला रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपकरणों का उत्पादन कब शुरू किये जाने का प्रस्ताव है और उत्पादन किन-किन स्थानों पर किया जाएगा?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) अभी तक एनटीपीसी के पास स्वयं ही विद्युत उपकरणों के निर्माण संबंधी कार्यकलापों को शुरू करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता नहीं है। किन्तु, एनटीपीसी एक कुशल भागीदार के साथ भागीदारी कर सकती है जो कि उत्पादन में विशेषज्ञता ला सकता हो जिससे आयोजना, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन, प्रचालन विशेषज्ञता में एनटीपीसी की शक्ति के साथ समन्वय करके व्यवहार्य उपकरण उत्पादक तथा ईपीसी कांट्रैक्टर को विकसित करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।

(ग) से (ङ) एनटीपीसी ने ट्रांसफार्मर एंड इलैक्ट्रिकल केरल लिमिटेड (टीईएलके) केरल में केरल सरकार के 44.6% हिस्सा लेने का निर्णय लिया है। दिनांक 23.6.2007 को एनटीपीसी, टीईएलके और केरल सरकार के बीच इससे संबंधित करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं। टीईएलके ट्रांसफार्मरों के उत्पादन के व्यवसाय में एक राज्य स्वामित्व वाली कंपनी है। टीईएलके, जो कि केरल के एमाक्यूलम जिले में अंगमाली में स्थापित है, अलग-अलग प्रकार के तथा अलग-अलग क्षमताओं वाले ट्रांसफार्मरों का उत्पादन पहले से ही कर रही हैं।

पारेषण और वितरण घाटा

863. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:**
श्री सूरज सिंह:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत के पारेषण और वितरण घाटे में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में विद्युत के पारेषण और वितरण घाटे में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर राज्य विद्युत यूटिलिटियों की वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के लिए कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानि क्रमशः 34.90%, 34.33% और 34.54% थी। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

एटी एंड सी हानियों के कारण निम्नवत हैः

(1) तकनीकी हानियां

* विद्यमान लाइनों और सब-स्टेशन उपस्करों की ओवरलोडिंग
* पुराने एवं अप्रचलित नेटवर्क
* न्यून एचटी:एलटी अनुपात
* उपस्करों की खराब मरम्मत एवं अनुरक्षण
* पर्याप्त कैपेसिटरों की अधिष्ठापना न होना
* निम्न स्तरीय व अकुशल तथा खराब गुणवत्ता के वितरण उपस्कर
* अंतिम उपभोक्ता डिवाइस का कमजोर विद्युत घटक

(2) वाणिज्यिक हानियां

* दोषपूर्ण मीटर
* चोरी और दुरुपयोग
* मीटरों के साथ छेड़छाड़
* कार्मिकों का न्यूनतम दायित्व
* खराब मीटरिंग दक्षता
* बकाया का वसूल न होना।

(ग) केन्द्र सरकार ने सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों में कमी के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम पर बल देने के लिए राष्ट्रीय सर्वसम्मति बनाई है। 28 मई, 2007 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में एक प्रस्ताव पर आम सहमति व्यक्त की गई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऊर्जा लेखा एवं संपरीक्षा तथा विद्युत चोरी की कृतसंकल्प समाप्ति को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य बेसलाईन डाटा तथा सूचना तकनीक प्रयोग को स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से उपर्युक्त सहायता के साथ, राज्यों की प्रतिबद्धता शामिल थी। सम्मेलन में, राज्यों ने आगामी 5 वर्षों में समग्र एटी एंड सी हानियों में अधिकाधिक कमी करने और त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के तहत आने वाले परियोजना क्षेत्रों में इसे 15% तक लाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।

एपीडीआरपी 2002-03 में शुरू किया गया था जिसमें अंतर्गत हानियों को कम करने के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक एवं प्रबंधन

उपायों को शुरू करने के लिए राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी। तकनीकी उपायों में वितरण प्रणाली का उत्थान एवं सुदृढ़ीकरण हाई वोल्टेड वितरण प्रणाली अपनाना, सूचना तकनीक हस्तक्षेप आदि शामिल थे। वाणिज्यिक उपायों में मीटरिंग और बिलिंग तथा संशोधित राजस्व एकत्रीकरण की उन्नत प्रक्रिया को शामिल किया गया। प्रबंधन उपायों में भावी विस्तार के लिए ऊर्जा लेखा गणना और उचित नेटवर्क प्लानिंग अपनाना, वितरण प्रणाली की निगरानी की तैयारी आदि को शामिल किया गया।

क्षेत्र में प्रतियोगिता लाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 पारित किया गया था। यह अधिनियम विद्युत की चोरी को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए एक कानूनी ढांचा भी प्रदान करता है।

विवरण

क्षेत्र	राज्य	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
पूर्वी	बिहार	66.25	66.01	67.46
	झारखंड	62.47	69.24	54.10
	उड़ीसा			
	सेन्ट्रल ईएससीओ	49.97	55.81	42.55
	नार्थर्न ईएससीओ	45.05	39.52	36.77
	सदर्न ईएससीओ	38.21	36.65	45.48
	वेस्टर्न ईएससीओ	38.32	35.89	37.84
	सिक्किम	66.67	63.60	64.45
	पश्चिम बंगाल	32.87	23.91	26.60
	कुल	46.92	43.07	40.70
उत्तर-पूर्वी	अरुणाचल प्रदेश	16.34	25.43	37.19
	असम	43.55	39.31	
	सेंट्रल असम ईडीसीएल			37.77
	लोअर असम ईडीसीएल			28.25
	अपर असम ईडीसीएल			39.62
	मणिपुर	69.70	88.56	77.83
	मेघालय	39.35	38.12	18.47
	मिजोरम	38.70	24.61	16.92

1	2	3	4	5
	नागालैंड	55.63	43.13	45.04
	त्रिपुरा	14.84	20.78	24.08
	कुल	42.30	41.17	33.28
उत्तर	दिल्ली			
	बीएसईएस राजधानी पावर लि.	45.72	41.98	39.06
	बीएसईएस यमुना पावर लि.	55.54	51.70	48.58
	नार्थ दिल्ली पावर लि.	48.16	35.89	28.01
	हरियाणा			
	दक्षिण हरियाणा बीवीएनल	40.53	43.96	40.78
	उत्तर हरियाणा बीवीएनल	40.09	43.37	41.90
	हिमाचल प्रदेश	9.26	21.71	15.15
	जम्मू व कश्मीर	68.79	68.33	68.25
	पंजाब	25.52	24.00	25.84
	राजस्थान			
	अजमेर वीवीएनएल	46.21	49.76	47.55
	जोधपुर वीवीएनएल	45.75	47.57	47.03
	जयपुर बीवीएनएल	41.68	43.22	42.26
	उत्तर प्रदेश			
	दक्षिण वीवीएन			
	मध्य वीवीएन	51.46	58.02	55.59
	पश्चिम वीवीएन	39.48	38.72	49.46
	पूर्वी वीवीएन	38.29	32.40	42.43
	उत्तरांचल	45.36	58.07	46.08
	कुल	43.48	45.62	38.20

1	2	3	4	5
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	40.14	41.25	40.41
	एपीसीपीडीसीएल			
	एपीईपीडीसीएल	18.99	23.96	18.82
	एपीएनपीडीसीएल	0.00	14.27	12.67
	एपीएसपीडीसीएल	9.80	21.91	15.26
	कर्नाटक	17.06	20.55	16.51
	बंगलौर एस्कॉम			
	गुलबर्गा एस्कॉम			
	हुबली एस्कॉम	28.91	27.62	35.75
	मंगलौर एस्कॉम	43.86	42.99	52.74
	चेस्कॉम	31.65	41.65	40.38
	केरल	25.82	26.63	20.83
	पांडिचेरी			46.03
	तमिलनाडु	32.73	32.12	25.95
	कुल	20.53	16.46	16.05
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	20.64	19.41	20.46
	गोवा	22.71	23.92	23.73
	गुजरात	30.99	32.30	38.19
	दक्षिण जीवीसीएल	21.28	17.27	15.92
	मध्य जीवीसीएल	35.48	35.15	
	पश्चिम जीवीसीएल			22.40
	उत्तर जीवीसीएल			24.61
	मध्य प्रदेश			43.05
	एमपी मध्य केवीवीसीएल			27.57
	एमपी पश्चिम केवीवीसीएल	41.52	54.27	50.35

1	2	3	4	5
	एमपी पूर्वी केवीवीसीएल			43.20
	महाराष्ट्र			46.91
	एमएसईडीसीएल			26.51
	कुल	38.95	26.62	50.22
	कुल योग			35.71
		37.55	35.48	36.88
		34.90	34.33	34.54

(स्रोत: पावर फाइनेंस कारपोरेशन)

आई.सी.ए.आई. के नए प्रशिक्षण केन्द्र

864. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया (आई.सी.ए.आई.) देश के विभिन्न शहरों विशेषकर तमिलनाडु में नए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसमें अनुमानित निवेश का ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य है; और

(ग) इस नए केन्द्रों की स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (आई.सी.ए.आई.) के पास दक्षिणी क्षेत्र जिसके क्षेत्राधिकार में तमिलनाडु एवं अन्य दक्षिणी राज्य आएंगे, के सहित पूरे देश में विभिन्न संभावित स्थलों पर उत्कृष्टता केन्द्रों को स्थापित करने की योजनाएं हैं।

(ख) वर्तमान में किया गया अनुमानित निवेश निम्नानुसार है:

राशि (करोड़ रुपये में)	उद्देश्य
2.46	हैदराबाद में भूमि की प्राप्ति हेतु भुगतान किया गया
10.00	हैदराबाद में केन्द्र के निर्माण/विकास हेतु आबंटित
12.00	अन्य स्थानों पर भूमि की खरीद हेतु आबंटित

(ग) इस उद्देश्य से कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में लेखा-परीक्षक के चयन की प्रक्रिया

865. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के बैंकों में लेखा-परीक्षकों के चयन के संबंध में नई नीति तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) वैश्विक रूप से स्पर्द्धात्मक बनने के लिए अपने लेन-देन को अधिक कुशलता से करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ज्यादा प्रचालन छूट देने के मामले में सरकार ने 22.2.2005 को एक स्वायत्त पैकेज की घोषणा की है। अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक से विचार-विमर्श के बाद, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक और शाखा लेखा परीक्षक नियुक्त करने हेतु ये विकल्प दिये गये थे:

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक और शाखा लेखा परीक्षक के नाम क्रमशः भारत के नियोजन और महालेखा परीक्षक और इंस्टीट्यूट आफ

चार्टड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया से सीधे प्राप्त कर सकते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से उन्हें नियुक्त कर सकते हैं।

अथवा

(2) वर्तमान प्रक्रिया अपनाई जा सकती है और भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के परामर्श से उन्हें नियुक्त कर सकता है।

किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक ने 2006-07 की अवधि में उन्हें दी गई उपर्युक्त स्वायत्तता का प्रयोग नहीं किया।

इस प्रक्रिया को संशोधित करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र हेतु मानदंड

866. डा. धीरेंद्र अग्रवालः
श्री हरिकेवल प्रसादः
श्री के.एस. रावः
श्री किन्जरपु येरननायडुः
श्री हेमलाल मुर्मूः
श्री भानु प्रताप सिंह वर्माः
श्री ए. साईं प्रतापः
श्री रघुराज सिंह शाक्यः
श्री बालासोवरी वल्लभनेनीः
श्री प्रतीक पी. पाटीलः
श्री सज्जन कुमारः
डा. राजेश मिश्राः
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधियाः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई राज्य सरकारों ने किसानों की भूमि अधिगृहीत कर ली है और इसे वाणिज्यिक कार्यकलापों तथा विशेष आर्थिक जोन (एस.ई.जेड.) की स्थापना हेतु निजी कंपनियों को दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों/उद्योग द्वारा भूमि अधिग्रहण की सीमा निर्धारित करने हेतु कोई विनियम बनाने का है ताकि इससे कृषि भूमि में कमी न आए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या भूमि अधिग्रहण के कारण गांवों से किसान और ग्रामीण शिल्पकार पलायन करने लगे हैं और वे बेरोजगार हो गए हैं;

(छ) यदि हां, तो क्या प्रभावित किसानों और भू-स्वामियों का पुनर्वास किया गया है और इनको पर्याप्त मुआवजा दिया गया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और रोजगार हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) संविधान में भूमि एक राज्य विषय होने के कारण, इसका प्रबंधन राज्य सरकारों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इस संबंध में केन्द्र सरकार की भूमिका केवल एक सलाहकार और समन्वयक की है। प्रत्येक राज्य भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, जो कम्पनियों के लिए तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस.ई.जेड) के लिए भूमि के अर्जन हेतु भी लागू है, के तहत विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि का अर्जन करता है।

(ग) से (ङ) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए भूमि अर्जन के मामले में, बंजर तथा ऊसर भूमि के अर्जन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और यदि अपेक्षित हो, तो विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए एक फसली कृषि भूमि का अर्जन किया जा सकता है। उन्होंने आगे यह सलाह भी दी है कि यदि न्यूनतम क्षेत्र आवश्यकताओं को पूरा करने, विशेष रूप से बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए, दो फसली कृषि भूमि के कुछ भाग का अर्जन किया जाना मजबूरी हो, तो दो फसली कृषि भूमि ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए अपेक्षित कुल भूमि के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(च) से (झ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पुनर्स्थापन और पुनर्वास के संबंध में राष्ट्रीय नीति, 2003 (एन.पी.आर.आर.-2003) तैयार की थी, जिसे मंत्रिमंडल द्वारा 15 जनवरी, 2004 को अनुमोदित किया गया था। इसके अलावा, बहुत सी राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/एजेंसियों की अपनी पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीतियां हैं। एन.पी.आर.आर.-2003 के उपबंधों में मूल न्यूनतम व्यवस्थाओं को निर्धारित किया गया है। तथापि, राज्य

सरकारें तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/एजेंसियां अपनी स्वयं की नीतियों के उपबंधों का उस सीमा तक पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं, जहां तक इन नीतियों में एन.पी.आर.आर.-2003 में उपलब्ध कराये गये लाभों से अधिक लाभ उपलब्ध कराये गये हों। जबकि एन.पी.आर.आर.-2003 तथा राज्य सरकारों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/एजेंसियों की पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीतियों में विस्थापन प्रक्रिया में रुकावट लाने वाली बहुत सी समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है, तथापि पुनर्स्थापन और पुनर्वास से संबंधित ऐसे बहुत से मामले मौजूद हैं जिन्हें अभी भी अपर्याप्त रूप से हल किया हुआ माना गया है।

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के संशोधित प्रारूप की, इसे मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के प्रारूप तथा भूमि अर्जन से संबंधित मामलों से संबद्ध विधिक उपायों को अंतिम रूप देने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा गठित मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) द्वारा जांच की जा रही है। प्रारूप पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति में भूमि अर्जन के द्वारा प्रभावित तथा किन्हीं कारणों से अनैच्छिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हेतु उपबंध किये गये हैं। इसके अलावा, प्रारूप नीति में यह व्यवस्था भी की गई है कि अधिग्रहण निकाय (आर.बी.), उन प्रभावित व्यक्तियों, जिन्हें परियोजना के कारण अपना रोजगार खोना पड़ता है, को रोजगार में प्राथमिकता देगा, बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों तथा प्रभावित व्यक्ति रोजगार के लिए उपयुक्त हों।

[अनुवाद]

मोबाइल कोर्ट की स्थापना

867. श्री जी. करुणाकर रेड्डी:
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मौके पर ही निर्णय सुनाने के लिए मोबाइल कोर्ट स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) मोबाइल कोर्ट प्रणाली के अंतर्गत आरंभ में किन-किन राज्यों को सम्मिलित किये जाने का विचार है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (ग) सरकार ने 15 मई, 2007 को राज्य सभा में ग्राम न्यायालय विधेयक, 2007 पुरःस्थापित किया है।

[हिन्दी]

अवसंरचनात्मक सुविधाएं

868. श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जुलाई, 2007 के "दैनिक जागरण" में "वर्ष 2025 तक देश की जनसंख्या 1.5 बिलियन हो जाएगी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर शहरों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, हां। समाचार पत्र रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि देश की आबादी वर्ष 2025 तक 1.5 मिलियन हो जाएगी।

(ग) तीव्र शहरी वृद्धि से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक कार्यनीति तैयार की है और 3 दिसम्बर, 2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किया है जिसका उद्देश्य, शहरी अवस्थापना/सेवा सुपुर्दगी प्रणाली में दक्षता, सामुदायिक भागीदारी तथा नागरिकों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टेटलों की जवाबदेयता पर विशेष ध्यान देते हुए 63 चुनिंदा शहरों का सुधार आधारित, फास्ट ट्रैक, नियोजित विकास करना है.

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत 63 चुनिंदा शहरों से भिन्न अन्य शहरों के लिए छोटे और मझौले नगरों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) है जिसका उद्देश्य सभी अन्य नगरों/शहरों में अवस्थापना सुधार करना है।

[अनुवाद]

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश

869. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोत्चा:
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत योजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने वारंगल और तिरुपति शहरों को जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत सम्मिलित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या आवश्यक कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) भारत सरकार ने चुनिंदा 63 शहरों में अवस्थापना के विकास के लिए सुधारों से जुड़ी केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने हेतु 3 दिसम्बर, 2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किया था। मिशन की प्रगति का ब्यौरा इस प्रकार है:

(1) अब तक 63 शहर विकास योजनाएं (सीडीपी) प्रस्तुत और मूल्यांकित की गई है।

(2) सुधार कार्यसूची पर बातचीत की गई है तथा 57 शहरों के साथ करार ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

(3) 578 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं जिसमें से 230 परियोजनाएं सीएसएमसी द्वारा स्वीकृत/संस्तुत की गई तथा 1763.96 करोड़ रुपये की राशि की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री, भारत सरकार श्री के. चन्द्रशेखर राव ने जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत वारंगल और तिरुपति शहरों को शामिल करने हेतु प्रस्ताव किया है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत शामिल शहरों की संख्या लगभग 60 रखने का निर्णय भारत सरकार के अनुमोदन से लिया गया था। तथापि, जो शहर जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शामिल नहीं है, उन्हें जेएनएनयूआरएम के दूसरे घटक नामत: छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत शामिल किया गया है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट

870. श्री एल. राजगोपाल: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) द्वारा राज्य-वार कितने मामलों का निपटारा किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार दीवानी मामलों हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कोर्टों को कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) राज्यों द्वारा रिपोर्ट किये गये अनुसार, त्वरित निपटान न्यायालयों द्वारा उनके प्रारंभ से, निपटाये गये मामलों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्यों का नाम	त्वरित निपटान न्यायालयों द्वारा निपटाये गये मामलों की संख्या	निम्नलिखित तारीख को
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	126468	30.06.07
2.	अरुणाचल प्रदेश	594	31.12.05
3.	असम	14050	अप्रैल, 2004
4.	बिहार	29178	31.3.05
5.	छत्तीसगढ़	43670	30.04.07
6.	गोवा	2181	31.12.05
7.	गुजरात	232817	30.06.07
8.	हरियाणा	14845	01.05.07
9.	हिमाचल प्रदेश	10659	31.05.07
10.	जम्मू-कश्मीर	कोई त्वरित निपटान न्यायालय नहीं	
11.	झारखंड	51855	30.06.07
12.	कर्नाटक	76948	30.06.07
13.	केरल	52304	31.05.07

1	2	3	4
14.	मध्य प्रदेश	40242	दिसंबर, 2004
15.	महाराष्ट्र	223308	31.05.07
16.	मणिपुर	985	अप्रैल, 2004
17.	मेघालय	287	नवंबर, 2005
18.	मिजोरम	892	01.07.07
19.	नागालैंड	287	31.12.05
20.	उड़ीसा	28734	30.06.07
21.	पंजाब	19399	01.06.07
22.	राजस्थान	74053	30.06.07
23.	सिक्किम	कोई त्वरित निपटान न्यायालय नहीं	
24.	तमिलनाडु	254040	31.03.07
25.	त्रिपुरा	2858	दिसम्बर, 2005
26.	उत्तर प्रदेश	242828	30.06.07
27.	उत्तरांचल	63902	31.05.07
28.	पश्चिमी बंगाल	57591	31.05.07
	योग	1664975	

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा आवास ऋण

871. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी बैंकों से आवास ऋण के मामले में जल्दबाजी न करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने उक्त निदेशों पर आपत्ति की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोत्तरी

872. **श्री एम. राजामोहन रेड्डी:** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाने के लिए इस न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय अभिलेख अधिवक्ता और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों की न्यायाधीश पदसंख्या का पुनर्विलोकन प्रत्येक तीन वर्ष में किया जाता है।

1.1 दिशा-निदेशों के अनुसार, किसी उच्च न्यायालय में, स्थायी न्यायाधीशों की अपेक्षित पदसंख्या को, पिछले पांच वर्षों के दौरान मुख्य मामलों की औसत संस्थिति को राष्ट्रीय औसत या उस उच्च न्यायालय में प्रति वर्ष प्रति न्यायाधीश मुख्य मामलों के निपटान की औसत दर, जो भी अधिक हो, से विभाजित करके संगणित किया जाता है। यदि संबंधित उच्च न्यायालय में प्रति न्यायाधीश निपटारा राष्ट्रीय औसत से भी कम है तो पदसंख्या में वृद्धि किये जाने की बजाए, संबंधित उच्च न्यायालय से मामलों के निपटारे की दर में सुधार करने के लिए उपाय करने की अपेक्षा की जाती है। यदि संबंधित उच्च न्यायालय का औसत निपटारा, राष्ट्रीय औसत से अधिक है तब तदनुसार, न्यायाधीश पदसंख्या में वृद्धि पर विचार किया जाता है।

1.2 दो वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए उच्च न्यायालयों में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति की भी मंजूरी दी जाती है। किसी उच्च न्यायालय में, अपर न्यायाधीशों की अपेक्षित पदसंख्या को, पिछले दो वर्षों के दौरान लंबित मुख्य मामलों की संख्या को राष्ट्रीय औसत या उस उच्च न्यायालय में प्रति वर्ष प्रति न्यायाधीश मुख्य मामलों के निपटान की औसत दर, जो भी अधिक हो, से विभाजित करके संगणित किया जाता है। अपर न्ययाधीशों की पदसंख्या का पुनर्विलोकन केवल तभी किया जाता है, यदि पिछले 5 वर्ष के दौरान लंबित मामलों के बकायों में वृद्धि हुई हो और प्रति न्यायाधीश निपटारा राष्ट्रीय औसत से अधिक हो।

2. वर्ष 2006 में त्रैवार्षिक पुनर्विलोकन के परिणामस्वरूप, संबंधित राज्य सरकारों की सहमति के अधीन रहते हुए नीचे दिये गये ब्यौरों के अनुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 106 पद अनुमोदित किये गए हैं:

(1) इलाहाबाद	65 न्यायाधीश
(2) आंध्र प्रदेश	27 न्यायाधीश
(3) कलकत्ता	08 न्यायाधीश
(4) दिल्ली	01 न्यायाधीश
(5) कर्नाटक	01 न्यायाधीश
(6) केरल	01 न्यायाधीश
(7) पंजाब और हरियाणा, तथा	02 न्यायाधीश
(8) मध्य प्रदेश	01 न्यायाधीश

3. उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश पदसंख्या नियत करने के लिए कोई मानदंड नहीं है। उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश पदसंख्या का पुनर्विलोकन, उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 के निबंधनों के अनुसार, लंबित मामलों और निपटाए गए मामलों की संख्या को ध्यान में रखते हुए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से किया जाता है। उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 में अंतिम बार 1986 में संशोधन किया गया था, जिसमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को छोड़कर, पच्चीस न्यायाधीशों के लिए उपबंध किया गया था।

डीमैट खाते के लिए नियम

873. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डीमैट खाते के लिए नियमों में परिवर्तन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) अनेकानेक डीमैट खाते खोलने से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए सेबी ने डीमैट खाते खोलने एवं उनका प्रचालन करने के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) को अनिवार्य कर दिया है। तदनंतर, प्रतिभूति बाजारों में सभी लेन-देनों के लिए पैन को अनिवार्य बना दिया गया है।

सहकारी बैंकों का परिसमापन

874. श्री राम कृपाल यादव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई सहकारी बैंकों का अब तक परिसमापन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सहकारी बैंकों द्वारा कितनी धनराशि का भुगतान नहीं किया गया था;

(घ) क्या परिसमाप्त किए गए सहकारी बैंकों को वित्तीय रूप से सुदृढ़ बैंकों के साथ विलय की अनुमति दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सहकारी बैंकों के परिसमापन की घोषणा में किसी घोटाले का पता चला है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (छ) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध जानकारी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

ठेके के आधार पर कार्य करने वाले मजदूरों का पुलिस सत्यापन

875. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नार्थ एवेन्यु, साउथ एवेन्यु तथा अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा कार्य करने के लिए ठेके पर लगाए जाने वाले मजदूरों का पूर्व पुलिस सत्यापन कराने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) संबंधित ठेकेदार की यह जिम्मेदारी है कि वह नियुक्त किए गए श्रमिकों का पुलिस सत्यापन कराए।

[अनुवाद]

हैदराबाद मेट्रो रेल

876. डा. एम. जगन्नाथः क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद में प्रस्तावित मेट्रो रेल नेटवर्क के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी सहायता की मांग की गई है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है;

(ङ) क्या इस प्रकार की मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए कोई नीति/दिशानिर्देश बनाए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार (जी ओ ए पी) ने हैदराबाद में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (वी जी एफ) के रूप में केन्द्रीय वित्तीय सहायता मांगी है जिसे वे सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के माध्यम से आगे दिए गए रूटों पर कार्यान्वित करना चाहती है:

मियांपुर-एल बी नगर	-	29.87 कि.मी.
सिकन्दराबाद-फलकनुमा	-	14.78 कि.मी.
हब्सीगुडा-शिल्पारामम	-	21.74 कि.मी.
कुल	-	66.39 कि.मी.

राज्य सरकार द्वारा अनुमानित परियोजना लागत 8760 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार ने अपेक्षित केन्द्रीय सहायता की ठीक-ठीक राशि नहीं बताई है। यह राशि चयनित बोलीकर्ता द्वारा मांगी गई वी जी एफ की राशि पर निर्भर करेगा।

(ग) वित्त मंत्रालय के प्राधिकृत संस्थान जिसके 1.5.2007 को "अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी की वित्तीय सहायता स्कीम" के अंतर्गत परियोजना पर विचार किया था, उसने आंध्र प्रदेश सरकार को तकनीकी बोलीकर्ताओं के चयन की अनुमति दे दी है।

(घ) यह उत्तर उपर्युक्त के पैरा (ख) में दिए अनुसार ही होगा।

(ङ) जी हां।

(च) वित्त मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत वीजीएफ के रूप में परियोजना लागत का 20% पूंजीगत अनुदान के रूप में परियोजना निर्माण के स्तर पर अनुमत्य है तथा शेष 40% तक वीजीएफ पर विचार किया जा सकता है बशर्ते राज्य सरकार या सांविधिक प्राधिकरण, जिसका प्रोजेक्ट है, अपने बजट में से अतिरिक्त अनुदान प्रदान करे। अन्य किसी भी रूप में सहायता प्रस्ताव पर प्राधिकृत समिति द्वारा विचार किया जा सकता है तथा प्रत्येक मामले के आधार पर मंजूरी वित्त मंत्री के अनुमोदन से दी जाती है।

[हिन्दी]

काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम

877. श्री पुन्नूलाल मोहलेः क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में छत्तीसगढ़ में काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार के ध्यान में अनियमतताएं आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) से (ग) काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी) नवम्बर, 2004 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) की प्रस्तावना के रूप में शुरू किया गया था। इसे 2.2.2006 से एनआरईजीए में मिला दिया गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एनएफएफडब्ल्यूपी के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार के आरोप वाली एक रिपोर्ट की जानकारी सरकार को मिली थी। इसे जांच और उपयुक्त कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया था।

[अनुवाद]

गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज

878. श्री अनवर हुसैन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज की दयनीय स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज को महानगरों के किसी अन्य स्टॉक एक्सचेंज की तरह बनाने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (जीएसईएल) में सितम्बर, 2003 से कोई कारोबार नहीं हो रहा है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। प्राधिकारियों ने स्टॉक एक्सचेंजों के लिए भेद-भाव रहित विनियामक ढांचा निर्धारित किया है। यह स्टॉक एक्सचेंज और इसके संघटकों का उत्तरादायित्व है कि वे विनियामक ढांचे का अनुपालन करते हुए कारोबार करे। तथापि सेबी ने 29 अगस्त, 2005 को जीएसईएल के निगमीकरण और कंपनीकरण की योजना को अनुमोदित कर दिया है।

[हिन्दी]

छठा वेतन आयोग

879. श्री अजीत जोगी:
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट को कब तक प्रस्तुत किए जाने तथा कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

(ख) क्या सरकार रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने में हो रहे विलम्ब को देखते हुए अंतरिम राहत प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के अधीन कुछ विभागों द्वारा दूसरी सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति को कार्यान्वित न किए जाने संबंधी मामलों की जांच की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) छठे वेतन आयोग ने सरकार को सूचित किया है कि आशा है कि वह अपनी रिपोर्ट निर्धारित तारीख अर्थात् 4 अप्रैल, 2008 से पहले प्रस्तुत कर देगा। उसके बाद ही सरकार रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर विचार करेगी। चूंकि रिपोर्ट के निर्धारित तारीख से पहले ही आने की आशा है, इसलिए किसी अंतरिम राहत पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ङ) से (छ) केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई सुनिश्चित कॅरियर स्तरोन्नयन स्कीम (ए.सी.पी.एस.) केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। ए.सी.पी. स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, दूसरी सुनिश्चित कॅरियर स्तरोन्नयन स्कीम को कार्यान्वित न किए जाने संबंधी किसी भी विशिष्ट दृष्टांत की सूचना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को नहीं दी गई है।

[अनुवाद]

बजट बनाने में पारदर्शिता

880. डा. आर. सेनथिल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बजट बनाने तथा वित्तीय कार्यकलापों पर जनता को केवल सीमित जानकारी उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार बजट बनाने की प्रक्रिया में और पारदर्शिता लाने तथा भागीदारी बढ़ाने पर विचार कर रही है:

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) बजट तैयार करने की प्रक्रिया में, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय प्रयोजनों वाली नीतियों पर संबंधित प्रशासनिक

मंत्रालयों द्वारा विचार किया जाना, सक्षम प्राधिकारी द्वारा औपचारिक संरचित प्रक्रिया के माध्यम से उनकी समीक्षा तथा अनुमोदन प्राप्त करना, बजट अनुमानों में शामिल करना, मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन और अंतिम रूप से बजट को संसद में प्रस्तुत किया जाना शामिल है। विशेषज्ञों, उद्योग, व्यापार, कृषि, श्रम आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न संबंधित समूहों के साथ औपचारिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। बजट बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न संबंधित समूहों और व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी को अनेक प्रतिवेदनों और ज्ञापनों के माध्यम से तथा कार्यशालाओं/विचार-गोष्ठियों में लोगों के बीच हुए वाद-विवाद के माध्यम से तथा बजट पर संकेन्द्रित प्रिंट/इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। सूचना के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देने तथा बजट को आकार देने वाली नीतियों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए विधायी दल के नेताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे या तो वित्त मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति के उनके सदस्यों के माध्यम से अथवा पृथक रूप से अपने सुझाव भेजें।

संसद को प्रस्तुत किए गए बजट दस्तावेजों में वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्व और व्यय आदि के प्रस्तावों के संबंध में विस्तृत सूचना तथा व्याख्यात्मक विवरण शामिल होते हैं। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत परिणामी बजट, वार्षिक रिपोर्ट और अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों में उस मंत्रालय/विभाग से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के तहत वित्तीय और वास्तविक लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का ब्यौरा दिया जाता है। आर्थिक समीक्षा, अनुदानों की पूरक मांगों, वित्त लेखों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की लेखा-परीक्षा रिपोर्टों सहित ये दस्तावेज उस वर्ष के संबंधित बजटीय ब्यौरों/वित्तीय गतिविधियों का लेखा जोखा प्रदान करते हैं। जहां मुख्य बजट दस्तावेजों को वित्त मंत्रालय की वेब साइट http://finmin.nic.in/ पर देखा जा सकता है, वहीं अन्य दस्तावेज अलग-अलग मंत्रालयों/विभागों/सीएजी, जैसा भी मामला हो, से प्राप्त किए जा सकते हैं।

प्रयोज्य संवैधानिक और विधिक ढांचे तथा संसदीय परिपाटियों के अधीन बजट तैयार करने की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाना और बजट तैयार करने/प्रलेखन में पारदर्शिता में वृद्धि करना एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में एनआरईजीएस के संबंध में सर्वेक्षण

881. श्री सुग्रीव सिंह: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा केन्द्र (सीईएफएस) ने उड़ीसा के के.बी.के. जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के कार्यान्वयन का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या राज्य में उक्त योजना के कार्यान्वयन में कोई त्रुटि पायी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना के कार्यान्वयन में भविष्य में ऐसी त्रुटियों को होने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा केन्द्र द्वारा अभी रिपोर्ट को रिलीज किया जाना है।

[हिन्दी]

भारत और ईरान के बीच समझौता

882. श्री रामदास आठवले: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईरान और भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत गणराज्य की सरकार तथा विज्ञान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ईरान इस्लामिक गणराज्य की सरकार के बीच विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर दिनांक 25 जनवरी, 2003 को नई दिल्ली में एक अंतर-सरकारी करार पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) इस समझौते में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर सहयोग में विकास को बढ़ावा देना।

2. प्रारंभ में विशिष्ट क्षेत्रों, जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा औद्योगिक प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी, भेषज अनुसंधान, पर्यावरण और सतत विकास में सहयोग कर विकास।

3. विशेषज्ञों के दौरों और आदान-प्रदान, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सेमिनारों/कार्यशालाओं के आयोजन, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिकों के प्रशिक्षण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना के संबंध में अनुभव के आदान-प्रदान, महिला उद्यमिता और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी आदि के माध्यम से सहयोग।

4. विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए एक संयुक्त समिति की स्थापना। संयुक्त समिति पारस्परिक हित के क्षेत्रों के निर्धारण, सहयोग के कार्यक्रम का विनिर्माण करने, नीतिगत पहलुओं पर विचार करने और करार के कार्यान्वयन की प्रगति पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगी।

5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित अपने-अपने संगठनों, उद्यमों और संस्थानों के बीच सहयोग में बढ़ावा देना।

[अनुवाद]

बैंकों द्वारा जाली करेंसी को जब्त करना

883. श्री निखिल कुमारः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान देश में विभिन्न बैंकों द्वारा जाली करेंसी जब्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश की अर्थव्यवस्था पर जाली करेंसी के प्रभाव का आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष जुलाई, 2006 से जून, 2007 के दौरान बैंकिंग माध्यमों में पता लागए गए विभिन्न मूल्य वर्गों के जाली नोटों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

	10 रुपए	20 रुपए	50 रुपए	100 रुपए	500 रुपए	1000 रुपए	कुल
कुल नोटों की संख्या	122	427	7239	82678	35513	4325	130304
कुल मूल्य	1220	8540	361950	8267800	1776500	4325000	14741010

(ग) और (घ) इस संबंध में सरकार द्वारा कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है। जाली नोटों के संचलन को रोकने के लिए सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय सम्मिलित हैं:

(1) नये/अतिरिक्त सुरक्षा लक्षण युक्त बैंक नोट।

(2) बैंकों को न केवल जाली नोटों का पता लगाने बल्कि आसूचना एकत्र करने और ऐसी सूचना रिजर्व बैंक के पास भेजने के लिए भी अपने तंत्र में सुधार करने का परामर्श दिया गया है।

(3) रिजर्व बैंक जाली नोट बनाने वालों के विरुद्ध सम्मिलित कार्रवाई के लिए आसूचना ब्यूरो और केन्द्रीय जांच ब्यूरो जैसी जांच एजेंसियों तथा राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जाली करेंसी का पता लगाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से चलाए जाते हैं।

(5) करेंसी चेस्टों का रखरखाव करने वाले बैंकों को जाली करेंसी का पता लगाने के लिए नोट छंटाई करने वाली मशीनें लगाने का परामर्श दिया गया है।

चैक द्वारा भुगतान पर शुल्क की कटौती

884. श्री नरहरि महतोः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने उपभोक्ताओं से उनके द्वारा चैक द्वारा भुगतान करने पर शुल्क की कटौती करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी नहीं। 'माइग्रेशन फ्रॉम पेपर बेस्ड फंड्ज मूवमेंट टू इलेक्ट्रॉनिक फंड्ज ट्रांसफर' विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक आंतरिक अध्ययन समूह ने ग्राहकों को सुरक्षित एवं त्वरित इलेक्ट्रॉनिक निधि स्थानांतरण की ओर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कागजी लेन-देन पर ग्राहकों द्वारा देय प्रभार लगाने की अनुशंसा की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस परामर्श को स्वीकार नहीं किया है।

एस.बी.आई. के कार्यकलापों का विस्तार

885. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) का विचार विदेश से अपने कार्यकलापों का और विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां अगले तीन वर्षों में भारत से बाहर बैंकिंग प्रचालन की स्थापना की जानी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। विदेशी बाजारों में अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए, विदेशी परिचालन से अपनी आय बढ़ाने और विप्रेषण प्रवाह एवं अनिवासी भारतीयों द्वारा जनित व्यापार पर अपना कब्जा करने के उद्देश्य से, भारतीय स्टेट बैंक ने विदेशों में विशेषतः चीन, पाकिस्तान, सिंगापुर, पूर्वी अफ्रीका आदि देशों में अपनी गतिविधि बढ़ाने की योजना बनायी है। तथापि नई जगहों पर बैंक का परिचालन, व्यापार संभावना के अलावा विभिन्न नियामक और अन्य अनुमोदनों पर निर्भर करता है।

भूमि का डूबना

886. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल के इडुक्की जिले में बार-बार भूमि के डूबने की घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके वैज्ञानिक कारण का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस घटना का अध्ययन करने के लिए केरल में विशेषज्ञ भेजने का है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) केरल सरकार के तकनीकी एकक, पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केन्द्र (सी.ई.एस.एस.) ने मंकुलम वन प्रभाग के काडुबाथोड़े क्षेत्र में करीब 10 हेक्टेयर भूमि को 10-12 मीटर नीचे धंसता हुआ पाया है। यह घटना अक्टूबर, 2005 से देखी गई है। इस वर्ष हाल में हुई वर्षा के दौरान इस क्षेत्र का कुछ हिस्सा दोबारा धंस गया है।

(ख) प्रारंभिक मूल्यांकन से पता चला है कि ये घटनाएं भू-स्खलन की प्रारंभिक अवस्थाएं हैं जो अत्यधिक गहरी और ढाल वाली मैदानी भूमि के धंसने के कारण हुई हैं। अगले सप्ताह सी.ई.एस.एस. के वैज्ञानिकों का एक दल व्यापक जांच-पड़ताल करने के लिए उस क्षेत्र का दोबारा दौरा करेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

आयकर संबंधी मामलों का अभियोजन

887. श्री विजय कृष्ण: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आयकर अधिनियम प्रावधान के उल्लंघन के संबंध में आयुक्तालय-वार कितने मामलों में अभियोजन किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आयुक्तालय-वार अभियोजन के कितने मामलों में निर्णय लिया गया; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान न्यायालय द्वारा जेल भेजे गए दोषियों अथवा कर अपवंचन करने वालों का आयुक्तालय-वार ब्यौरा क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) गत तीन वर्षों के दौरान आयकर अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मुख्य आयकर आयुक्त (संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी) के क्षेत्र में चलाए गए अभियोजन के मामलों की संख्या निम्नलिखित है:

क्र.सं.	क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद	8	38	-
2.	बंगलौर	3	-	-
3.	भोपाल	-	-	-

1	2	3	4	5
4.	भुवनेश्वर	–	–	–
5.	चेन्नई	–	15	–
6.	दिल्ली	–	–	1
7.	गुवाहाटी	22	19	–
8.	हैदराबाद	–	–	–
9.	जयपुर	–	–	40
10.	कानपुर	–	8	–
11.	कोच्चि	–	8	–
12.	कोलकाता	–	176	–
13.	लखनऊ	–	–	28
14.	मुम्बई	3	–	1
15.	नागपुर	–	–	–
16.	एनडब्ल्यूआर	–	16	3
17.	पटना	61	46	–
18.	पुणे	6	–	–
	कुल	103	326	73

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक मुख्य आयकर आयुक्त (संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी) क्षेत्र में निर्णीत अभियोजन वाले मामलों की संख्या निम्नलिखित है:

क्र.सं.	क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद	3	–	–
2.	बंगलौर	6	–	–
3.	भोपाल	–	–	–
4.	भुवनेश्वर	6	–	–
5.	चेन्नई	–	–	–
6.	दिल्ली	62	22	30
7.	गुवाहाटी	1	–	–
8.	हैदराबाद	–	–	–
9.	जयपुर	–	9	–
10.	कानपुर	–	–	1
11.	कोच्चि	–	–	–
12.	कोलकाता	–	1	5
13.	लखनऊ	–	–	–
14.	मुम्बई	–	–	1
15.	नागपुर	–	–	–
16.	एनडब्ल्यूआर	–	–	2
17.	पटना	–	9	2
18.	पुणे	2	–	–
	कुल	80	41	41

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक मुख्य आयकर आयुक्त (संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी) के क्षेत्र में अभियुक्त को दोषी ठहराने वाले न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों की संख्या निम्नलिखित है:

क्र.सं.	क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद	–	–	–
2.	बंगलौर	–	–	–
3.	भोपाल	–	–	–
4.	भुवनेश्वर	–	–	–
5.	चेन्नई	–	–	–
6.	दिल्ली	–	–	–
7.	गुवाहाटी	1	–	–
8.	हैदराबाद	–	–	–
9.	जयपुर	–	1	–
10.	कानपुर	–	–	1
11.	कोच्चि	–	–	–

1	2	3	4	5
12.	कोलकाता	–	–	–
13.	लखनऊ	–	–	–
14.	मुम्बई	–	–	–
15.	नागपुर	–	–	–
16.	एनडब्ल्यूआर	–	–	–
17.	पटना	–	–	1
18.	पुणे	–	–	–
	कुल	1	1	2

[हिन्दी]

नेट पर केन्द्रीय अधिनियम

888. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटरनेट के जरिए जनता को केन्द्रीय अधिनियम उपलब्ध कराये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समय-समय पर न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों से उत्पन्न स्पष्टीकरण/विनिर्देश भी नेट पर दिए जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने सभी अनिरसित केन्द्रीय अधिनियमों को इंटरनेट और निकनेट पर रखने के लिए उपाय किए हैं, जिन्हें इंटरनेट पर http://indiacode,nic.in के वेबसाइट पते पर देखा जा सकता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अंटार्कटिका में नए अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

889. प्रो. प्रेम कुमार धूमल: क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में अंटार्कटिका में अनुसंधान केन्द्रों में कितने वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या 1981 से हो ही मृत्युओं के लिए प्रतिकूल मौसम संबंधी दशाएं जिम्मेवार है;

(ङ) यदि हां, तो वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) अंटार्कटिका में स्थित इन अनुसंधान केन्द्रों के वार्षिक बजट के लिए कितनी राशि आबंटित की गई;

(छ) क्या सरकार का विचार बजट आबंटन बढ़ाने तथा इन केन्द्रों में वैज्ञानिकों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी हां। अंटार्कटिका के लार्समेन पर्वत क्षेत्र में 69 दक्षिण अक्षांश तथा 76 पूर्व देशांतर के निकट तीसरा अनुसंधान स्थापित करने के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है। नवम्बर, 2006 में राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र, गोवा द्वारा अंटार्कटिक संधि के पर्यावरणीय प्रोटोकॉल के तहत अधिकार प्राप्त करके एक व्यापक पर्यावरण मूल्यांकन रिपोर्ट (सीईई) तैयार की गई है। इसके उपरांत प्रोटोकॉल के तहत गठित पर्यावरणीय प्रोटोकॉल समिति (सीईपी) को सीईई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 30 अप्रैल से 11 मई, 2007 तक नई दिल्ली में आयोजित अंटार्कटिक संधि परामर्शी (एटीसीएम) की 30वीं बैठक के दौरान 10वीं सीईपी की सिफारिश के आधार पर भारतीय सीईई को स्वीकार किया गया है। एनसीएओआर ने नए अनुसंधान केन्द्र के भवन का विस्तृत डिजाइन तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्माण कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है। तथापि, अंटार्कटिक ग्रीष्मकाल के दौरान वार्षिक अभियोजनों के जरिए नए केन्द्र स्थल पर वर्ष 2004 में शुरू किए गए वैज्ञानिक प्रयोग आज भी नियमित रूप से जारी हैं।

(ग) इस समय भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन 'मैत्री' में 8 वैज्ञानिक तथा 16 संभारतंत्र कार्मिक को मिलाकर कुल 24 कार्मिक मौजूद हैं।

(घ) और (ङ) जी नहीं।

(च) इस समय मैत्री अनुसंधान स्टेशन के रख-रखाव के लिए वार्षिक व्यय लगभग 4.00 करोड़ रु. है।

(छ) और (ज) जी हां। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान ध्रुवीय विज्ञान कार्यक्रम के लिए कुल आबंटन 160.00 करोड़ रु. था। अंटार्कटिक अनुसंधान एवं संभारतंत्र कार्यकलापों के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित परिव्यय लगभग 320.00 करोड़ रुपए है। परिव्यय की बढ़ोत्तरी से मैत्री की अनुसंधान एवं संभारतंत्र सुविधाएं सुदृढ़ की जाएंगी, नये अनुसंधान आधार (बेस) का निर्माण किया जाएगा तथा एनसीएओआर की अपनी अनुसंधान सुविधाओं का और विकास किया जाएगा। इसके अलावा, मंत्रालय ने वर्तमान योजना के दौरान आईस-ब्रेकर श्रेणी के अनुसंधान तथा संभारतंत्र जलयान के निर्माण का प्रस्ताव भी रखा है।

[अनुवाद]

पट्टा प्रलेख को रद्द करना

890. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने चार विद्यालयों के भूमि पट्टे को रद्द कर भूमि को खाली करने तथा इसे वापस दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमि पर कब्जा कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार अन्य चूककर्ता विद्यालयों के खिलाफ भी उसी प्रकार की कार्यवाही शुरू कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने मुफ्त शिक्षा (फ्रीशिप) कोटा की शर्तों का पालन न करने के कारण निम्नलिखित चार स्कूलों की लीज रद्द कर दी है:

1. रूकमणी देवी पब्लिक स्कूल
2. बालभारती पब्लिक स्कूल
3. पिनेंकल एजूकेान सोसाइटी
4. ज्ञान मंदिर

(ग) जी, नहीं।

(घ) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन के कारण,

(ङ) और (च) डीडीए ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न दोषी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा अन्ना विश्वविद्यालय के बीच अनुसंधान तथा विकास परियोजना

891. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा तमिलनाडु के अन्ना विश्वविद्यालय ने विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अनुसंधान एवं विकास परियोजना के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी राशि आबंटित की गई/किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इससे विद्युत क्षेत्र के किस प्रकार लाभान्वित होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी हां। 29 जुलाई, 2007 को एनटीपीसी लिमिटेड और अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई (ए.यू.सी.) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन एनटीपीसी लिमिटेड और अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई (ए.यू.सी.) के बीच आपसी हितों के क्षेत्रों में आर एंड डी के सहयोग और प्रोत्साहन पर आधारित है जिसमें हित के आपसी चिह्नित क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यक्रम को जारी रखा गया है तथा एनटीपीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एनर्जी स्टडीज की स्थापना की गई है।

(ग) और (घ) एनटीपीसी लिमिटेड नवरत्न कंपनी होने के कारण ऐसे कार्य हेतु सरकार के वित्त पोषण पर निर्भर नहीं करती है। एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा शुरू की गई सभी गतिविधियों को अपने स्वयं के आंतरिक संसाधनों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

जहां तक ए.यू.सी. के साथ एनटीपीसी लिमिटेड के समझौता का संबंध है, यह एक संरक्षा प्रदान करने वाला समझौता ज्ञापन है। एनटीपीसी और ए.यू.सी. के बीच शुरू की जाने वाली आपसी हित की विशेष आर एंड डी परियोजनाएं विद्युत क्षेत्र के विशेष हित की आर एंड डी परियोजनाओं सहित विस्तृत समीक्षा प्रक्रिया के पश्चात् एक पृथक समझौता ज्ञापन (एम ओ ए) के द्वारा शुरू की जाएंगी।

स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रस्ताव

892. **श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव अभी भी सरकार के पास लंबित है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (घ) कर्नाटक राज्य सहित राज्य सरकारों से सतत् रूप से विशेष परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं। राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर मंत्रालय में उसका मूल्यांकन किया जाता है और दो अंतर-मंत्रालयी समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ये समितियां है-परियोजना जांच समिति और परियोजना अनुमोदन समिति। यदि समिति प्रस्ताव में सुधार करने तथा उसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कोई टिप्पणी करती है तो वह प्रस्ताव टिप्पणियों के अनुपालन के लिए राज्य सरकार को भेज दिया जाता है। इसीलिए, विशेष परियोजनाओं का मूल्यांकन, सुधार और अनुमोदन एक सतत प्रक्रिया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण भूमि घोटाला

893. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:**
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कई करोड़ रुपयों के भूमि घोटाले का पर्दाफाश किया है जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण के उच्च अधिकारी लिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा और क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह बताया है कि उसने वर्ष 2000-2002 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के पांच कार्मिकों के साथ-साथ एक प्राइवेट व्यक्ति तथा अन्य के खिलाफ झुग्गी-झोपड़ी समूहों की पुनर्वास स्कीमों के अंतर्गत भूमि के गैर-कानूनी आबंटन के लिए, भारतीय दंड संहिता तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक नियमित मामला दर्ज किया है।

(ग) सेवारत आरोपी कार्मिकों को गैर-संवेदनशील पदों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। सतर्कता जांच के आदेश दिए गए हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की नई आवासीय योजनाएं

894. **श्री जुएल ओराम:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार भूमि को नीलामी में बेचने की बजाय आवासीय इकाइयों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का कुछ नई आवासीय योजनाएं घोषित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि वह भूमि की नीलामी और रिहायशी मकानों के निर्माण की दोहरी नीति अपना रहा है।

(ख) डीडीए ने यह भी सूचित किया है कि इस समय आवास की किसी नई योजना की घोषणा किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनिवार्य मतदान

895. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्य चुनाव आयोग के छठे सम्मेलन में चर्चित अनिवार्य मतदान की मांग उठाए जाने के बारे में परिचित है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार देश में मतदान के लगातार घट रहे प्रतिशत को देखते हुए अनिवार्य मतदान के संबंध में एक विधेयक लाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार राज्य निर्वाचन आयुक्तों के विभिन्न सम्मेलनों में होने वाली कार्यवाहियों से औपचारिक/प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, क्योंकि यह विषय राज्यों की अधिकारिता से संबंधित है। सरकार राज्य निर्वाचन आयुक्तों के छठे सम्मेलन में, उसके पास उपलब्ध उस सम्मेलन से संबंधित कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार की गई ऐसी किसी मांग के प्रति भिज्ञ नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सीमित देयता भागीदारी संबंधी नीति

896. श्री जोवाकिम बखला: क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सीमित देयता भागीदारी संबंधी नीति की शुरूआत की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है; और

(ग) इस नीति के अंतर्गत पेशेवरों/गैर-पेशेवरों को क्या आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है?

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) और (ख) विधान के आधार पर देश में बनाए जाने वाली और विनियमित किए जाने वाली सीमित देयता भागीदारियों (एलएजपीज्) को सक्षम बनाए जाने का प्रस्ताव है। सरकार ने सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) विधेयक, 2006 नामक एक विधेयक दिनांक 15 दिसम्बर, 2006 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया है। यह विधेयक संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के विचाराधीन है।

(ग) सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) को एक वैकल्पिक कारपोरेट व्यापारिक साधन माना गया है। जिसमें सीमित देयता के लाभों का प्रावधान होगा, लेकिन इसके सदस्यों को पारस्परिक करार पर आधारित एक भागीदारी के रूप उनके अंतरित ढांचे को गठित करने की छूट दी गई है। प्रस्तावित विधान के अधिनियमित होने पर, यह रूप किसी भी तरह की सेवा प्रदान करने वाले या वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों में कार्यरत उद्यमियों, व्यावसायिकों और उपक्रमों को उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप वाणिज्यिक रूप से कारगर साधन तैयार करने में मदद देगा। इसके ढांचे और संचालन में लोचशीलता होने से एलएलपी लघु उपक्रमों के लिए तथा उद्यम पूंजी द्वारा निवेश के लिए एक उपयुक्त साधन भी होगी।

[हिन्दी]

दामोदर घाटी निगम में विकास कार्य

897. श्री टेक लाल महतो: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड में दामोदर घाटी निगम द्वारा अधिग्रहीत अधिकांश भूमि गत कुछ वर्षों के दौरान विकसित नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) झारखंड के उन भू-स्वामियों के आश्रितों को अब तक कितना रोजगार मिला है जिनकी भूमि अधिगृहीत की गई थी;

(घ) क्या सरकार ने दामोदर घाटी निगम को अनुदेश दिया है कि भूमि का विकास किया जाए तथा उन लोगों के आश्रितों को रोजगार दिया जाए जिनकी भूमि अधिगृहीत की गई थी

(ङ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/प्रस्तावित है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) विभिन्न परियोजनाओं की शुरूआत से दामोदर घाटी निगम द्वारा अधिगृहीत की गई भूमि का विकास किया जा चुका है तथा इसे अधिगृहीत किए गए प्रयोजनार्थ प्रयोग किया गया है।

(ग) झारखंड राज्य में डीवीसी की विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण के दौरान अनेक व्यक्तियों को रोजगार दिया गया था। भूमि का नुकसान उठाने वाले/विस्थापित व्यक्तियों को वर्क चार्ज्ड तथा मस्टर रोल स्थापना में रोजगार में वरीयता दी गई थी तथा अंत में उनमें से अधिकांश को दामोदर घाटी निगम के नियमित स्थापना में आमेलित कर लिया गया था। उनमें से कुछ ने अपने-अपने विकल्प के अनुसार छंटनी लाभों को प्राप्त करने के बाद डीवीसी को छोड़ दिया। झारखंड के शेष 1239 विस्थापित व्यक्तियों का एक पैनल बनाया गया था, जिसमें से 528 व्यक्तियों को अब तक दामोदर घाटी निगम में आमेलित किया जा चुका है। शेष विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार के एवज में उन्हें पहले चुकता किए गए मुआवजा के अलावा 3 लाख रुपए की एक-मुश्त राशि देने का निर्णय लिया गया है।

(घ) से (च) दामोदर घाटी निगम द्वारा अधिगृहीत की गई सारी भूमि विकसित की जा चुकी है तथा इसे अधिगृहीत किए गए प्रयोजनार्थ प्रयोग किया गया है। भूमि का नुकसान उठाने वालों को यथा संभव रोजगार भी मुहैया कराया गया था।

भूमि नुकसान उठाने वालों को रोजगार मुहैया कराने का परियोजनावार मसौदा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। अधिगृहीत भूमि के ब्यौरे तथा अधिगृहीत करने के प्रयोजन संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

विस्थापितों को परियोजनावार उपलब्ध रोजगार

स्थान	सूचीबद्ध सं.	आमेलित सं.	अपात्र/मृत्यु सं.	रोजगार प्रतीक्षारत सं.	अभ्युक्तियां
चंद्रपुरा	61	31	30	शून्य	*विवाद के कारण रांची उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पैनल खत्म कर दिया गया। और कहीं रोजगार में लगे या दावा ठीक नहीं है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार नया पैनल बनाया जाना डीसी बोकारो में लंबित है।
बोकारो	174	133	41^	शून्य	^2 की मृत्यु हो गई। 39 और कहीं रोजगार पाए गए।
मैथन	844	242	20 अस्वीकृत	582	
हजारीबाग	13	13		शून्य	
पंचेट	102	75	9@	18	@प्रस्ताव जारी होने के पहले साक्षात्कार के लिए कोई प्रति उत्तर नहीं मिला।
तिलैय्या	15	12	3$	शून्य	$बिहार सरकार के अधीन कहीं और रोजगार पा गए।
कोनार	12	12		शून्य	
गोम्इस	18	10	8^^	शून्य	^^सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं हुए।
कुल	1239	528	111	600	

हाल ही में, कनिष्ट लिपिक सह टंकक का पद केवल संगठन में से प्रतिभा की खोजकर भरा गया है, जो विस्थापित व्यक्तियों में से है।

उपर्युक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि:

(1) पैनल से कोई व्यक्ति चंद्रपुरा, बोकारो, हजारीबाग, तिलैय्या, कोनार तथा झारखंड राज्य के ग्रिड प्रचालन एवं अनुरक्षण प्रभागों (जीओएमडीज) में रोजगार के लिए प्रतीक्षारत नहीं है।

(2) केवल पंचेट में 18% तथा मैथन में 70% रोजगार के लिए प्रतीक्षारत हैं। इसके कारण ये है कि इन स्टेशनों में, जहां कम क्षमता के बांध एवं जल विद्युत स्टेशन मौजूद है; रोजगार की संभावना बहुत कम है।

विवरण II

अधिगृहीत भूमि एवं प्रयोजन के ब्यौरे

	परियोजना का नाम	प्रयोजन जिसके लिए भूमि अधिगृहीत की गई है	कुल अधिगृहीत क्षेत्र एकड़ में
1.	चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन	ताप विद्युत केन्द्र का निर्माण एवं अन्य बुनियादी ढांचा	1883.69
2.	बोकारो थर्मल पावर स्टेशन	ताप विद्युत केन्द्र का निर्माण एवं अन्य बुनियादी ढांचा तथा पुनर्वास	1208.10
3.	कोनार	बांध, जलाश्माय का निर्माण तथा अन्य बुनियादी ढांचा तथा पुनर्वास	6781.57
4.	तिलैय्या	बांध, जलाशय का निर्माण तथा अन्य बुनियादी ढांचा तथा पुनर्वास	26577.59
5.	हजारीबाग	स्थापना तथा मृदा संरक्षण कार्यालय एवं अन्य बुनियादी ढांचा	20.30
6.	पंचेट	बांध, जलाशय का निर्माण तथा अन्य बुनियादी ढांचा	6575.20
7.	मैथन	बांध, जलाशय निर्माण तथा अन्य बुनियादी ढांचा तथा पुनर्वास	11201.09
8.	गोम्ब	उपकेन्द्रों एवं अन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण	2947.95

नई परियोजनाएं

1. कोडरमा ताप विद्युत केन्द्र परियोजना के लिए कुल 1855 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। भू-अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है।

2. मैथन राइट बैंक ताप विद्युत केन्द्र: परियोजना के लिए कुल 1120.82 एकड़ भूमि की आवश्यकता, जिसमें से 621.25 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। परियोजना का निर्माण शीघ्र ही शुरू होगा।

[अनुवाद]

जाली बैंक लेन-देन

898. श्री अधीर चौधरी:
श्री निखिल कुमार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में देश के विभिन्न भागों में जाली बैंक लेन-देन देखने को मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार समानांतर अर्थव्यवस्था में नियंत्रण से बाहर विकास को रोकने हेतु कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान जाली चेकों/मांग ड्राफ्ट के द्वारा धन निकासी के मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.		2004-05		2005-06		2006-07	
		धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रुपए में)	धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रुपए में)	धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रुपए में)
1.	सरकारी क्षेत्र के बैंक	192	935.77	175	888.11	178	927.37
2.	गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	19	72.87	36	98.38	62	215.88
3.	विदेशी बैंक	51	97.10	37	15.22	57	191.81
	योग	262	1105.74	248	1001.71	297	1335.06

(ग) और (घ) सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक को जाली बैंक लेन-देन की घटनाओं के संबंध में गंभीर चिंता है। ऐसे सभी मामलों की सूचना जांच एजेंसियों को दी जाती है और समुचित कार्रवाई की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक, अपने पर्यवेक्षी उत्तरदायित्व के एक भाग के रूप में, बैंकों को समय-समय पर आम धोखाधड़ी संभावित क्षेत्रों तथा बैंकों में धोखाधड़ी की घटनाओं की रोकथाम करने/काम करने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में सलाह देता रहता है। यदि किसी अंदरूनी व्यक्ति के संलिप्त होने का पता चलता है, तब नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

कर्मचारी स्टॉक विकल्पों संबंधी एफ बी टी

899. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फेयर वैल्यू ऑफ इम्पलाई स्टॉक आप्शन्स (ई एस ओ पी एस) को परिभाषित करने के लिए मानदंड को अंतिम रूप दे दिया है जैसा कि 15 जनवरी, 2007 के 'दि फाइनेन्शियल एक्सप्रैस' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसे संबंध में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने ई एस ओ पी एस पर अग्रिम एफ बी टी की प्रथम किश्त अदा करने की तिथि को अस्थगित कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) मानदंडों को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मई, 2007 माह में वित्त अधिनियम, 2007 के अधिनियम के पश्चात्, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विभिन्न पणधारियों से परामर्श करके भिन्न-भिन्न मूल्य-निर्धारण स्वरूप की जांच कर रहा है।

(घ) और (ङ) चूंकि फेयर मार्केट वैल्यू के निर्धारण के मानकों को अभी भी अधिसूचित किया जाना है, अत: केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने उस अनुषंगी लाभ कर जिसका नियोजक द्वारा आबंटन के संबंध में 15 जून, 2007 को अथवा उससे पूर्व भुगतान किया जाना था, के संबंध में अग्रिम कर की प्रथम किस्त के भुगतान की नियत तिथि 15 सितम्बर, 2007 (द्वितीय किस्त की तिथि) तक बढ़ा दी।

(च) आशा है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड विनिर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वीट इक्विटी शेयर के मूल्यांकन के मानकों को बहुत जल्द अंतिम रूप दे देगा।

[हिन्दी]

बैंक ऋण

900. **श्री रशीद मसूदः** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बैंक ग्राहकों को आकर्षक योजनाओं का प्रलोभन देकर ऋण लेने के लिए फंसाते हैं लेकिन ग्राहकों द्वारा पूछे जाने पर योजनाओं की सूक्ष्म जानकारी देने में टालमटोल रवैया अपनाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे ग्राहक द्वारा लिए गए ऋण की पुन: अदायगी नहीं किए जाने का परिणाम सामने आया है;

(ग) क्या सरकार ने बैंक ऋणों की पुन: अदायगी न किए जाने के मामले में खामियों का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के "ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता" के संबंध में मई, 2005 को जारी किए गए और बाद में 6 मार्च, 2007 को संशोधित किए गए दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित किया गया है कि ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को ऋण के निबंधन एवं शर्तों के साथ इसकी सीमा को सूचित करना चाहिए तथा उधारकर्ता को इन निबंधन एवं शर्तों के साथ इसकी सीमा को सूचित करना चाहिए उधारकर्ता को इन निबंधन एवं शर्तों पर पूरी जानकारी दी गई, स्वीकृति को लिखित/रिकॉर्ड में रखना चाहिए। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई ऋण सुविधाओं को नियंत्रित करने वाले निबंधन एवं शर्तें तथा अन्य चेतावनियां, जो उधारदात्री संस्था तथा उधारकर्ता द्वारा बातचीत के उपरांत तय की जाती हैं, को लिखित में रखना चाहिए तथा प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाना चाहिए। ऋण करार में उद्धत सभी अनुलग्नकों की एक-एक प्रति सहित ऋण करार की एक प्रति उधारकर्ता को दी जानी चाहिए।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पास इस संबंध में कोई सूचना नहीं है।

बैंकों में चेकों का खो जाना

901. **श्री वी.के. ठुम्मर:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के ध्यान में बैंकों में चेकों के खो जाने की घटनाएं आई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बैंक-वार देखने को मिले ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कोई जिम्मेवारी निर्धारित की गई है तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उन ग्राहकों जिनके चेक खो गए हैं उन्हें प्रतिपूर्ति करने का कोई प्रावधान है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके द्वारा रखे गए डाटाबेस में पूछे गए अनुसार सूचना नहीं रखी जाती।

(ङ) और (च) भारतहीय रिजर्व बैंक की सलाह पर, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने दिनांक 16 मई, 2005 के अपने परिपत्र के तहत सदस्य बैंकों को अपनी चेक समाहरण नीति में निम्नलिखित शामिल करने का अनुरोध किया हैः

(1) मार्ग में अथवा समाशोधन प्रक्रिया में अथवा अदाकर्ता बैंक की शाखा में गुम हुए चेकों के मामले में, बैंकों को तत्काल खाताधारक के ध्यान में इसे लाना चाहिए जिससे खाताधारक आहरणकर्ता को भुगतान रूकवाने के लिए सूचित कर सके और इस बात का ध्यान भी रख सके कि उसके द्वारा काटे गए कोई भी चेक गुम हुए चेक/लिखत की राशि जमा न होने के कारण अस्वीकार न हो जाए।

(2) ऐसी हानि का दायित्व वसूलीकर्ता बैंकर का होता है न कि खाताधारक का।

(3) बैंकों को खाताधारक को डुप्लीकेट लिखत प्राप्त करने के लिए संबद्ध व्यय की प्रतिपूर्ति करनी चाहिए तथा इसे प्राप्त करने में हुए विलंब हेतु उचित ब्याज भी अदा करना चाहिए।

(4) यदि चेक/लिखत अदाकर्ता बैंक की शाखा में गुम हुआ है, वसूलीकर्ता बैंकर को अदाकर्ता बैंकर से, चेक/लिखत गुम होने के लिए ग्राहक को अदा की गई राशि की, वसूली करने का अधिकार होना चाहिए।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लंबित परियोजनाएं

902. **श्री रघुनाथ झा:**
श्री मोहन सिंह:
श्री जी.एम. सिद्धेश्वर:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार तथा उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित की गई सड़कों का ब्यौरा क्या है;

(ख) बिहार तथा उत्तर प्रदेश में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्माण की जाने वाली सड़कों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार तथा उत्तर प्रदेश में कुछ परियोजनाएं लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कब तक इन लंबित परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत जून, 2007 तक मंजूर किए गए सड़क कार्यों, बनाई गई और बनाई जाने वाली शेष सड़कों के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं:

	बिहार (राज्य एजेंसियां)	बिहार (केन्द्रीय एजेंसियां)	उत्तर प्रदेश	अभ्युक्तियां
मंत्रालय द्वारा स्वीकृत सड़क कार्यों की सं.	969	750	14366	*मई, 07 तक
मंत्रालय द्वारा स्वीकृत लंबाई (कि.मी. में)	2404.58	6469.15	29321.72	
पूरे किए गए सड़क कार्यों की सं.	734*	149	9618	
बनाई गई सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	1686.07	1285.73	16884.89	
शेष सड़क कार्यों की सं.	235	601	4748	
शेष लंबाई (कि.मी. में)	718.51	5183.42	12436.83	

इसके अतिरिक्त, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत शेष पात्र बसावटों को जोड़ने के लिए राज्य सरकारों/केन्द्रीय एजेंसियों को विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत करनी होती हैं।

(ग) और (घ) शेष कार्यों के ब्यौरे ऊपर दिए गए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, सड़क कार्यों के अधूरे रहने के कारण निविदा का कम उत्तर प्राप्त होना, कार्य देने में परिणामी विलम्ब, भूमि और सामग्रियों का उपलब्ध न होना, सांस्थानिक एवं संविदात्मक क्षमता का पर्याप्त न होना, सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं आदि हैं।

(ङ) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत करने और परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्रीय एजेंसियों से अनुरोध किया गया है।

कंपनी अधिनियम का उल्लंघन

903. **श्री हितेन बर्मन:**
श्री सुब्रत बोस:

क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी उद्योगों को लागत लेखापरीक्षा के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित चॉकलेट लागत लेखापरीक्षा की परिधि से बाहर है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) चॉकलेट तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाली कंपनियों को लागत लेखापरीक्षा की परिधि के अंतर्गत लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) और (ख) जी, नहीं। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 233 ख के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, संलग्न विवरण में सूचित 44 उद्योगों में से चुनिंदा कंपनियों पर, जहां जरूरी समझा जाए, जिनके लिए अधिनियम की धारा 209(1) (घ) के तहत लागत लेखा रिकार्ड नियम (सीएआरआर) निर्धारित किए गए हैं, लागत लेखा परीक्षा आदेश जारी कर सकता है। विधायी प्रावधानों का आशय इन मामले में केन्द्र सरकार को विवेकाधिकार प्रदान करता है तथा वह संविधि सभी उद्योगों के लिए अनिवार्य रूप से लागू नहीं होता है।

(ग) और (घ) लागत लेखा परीक्षा आदेश जारी करने में घरेलू तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों, जो विधि वस्तुएं उत्पादित, संसाधित तथा विनिर्मित करती है, के बीच कोई भेद-भाव नहीं किया जाता है।

(ङ) केन्द्र सरकार कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत लागत लेखा संबंधी प्रावधानों के आवेदनों की उन कंपनियों के लिए, जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उत्पादित करती है, आवश्यकता के आधार पर जांच करता है तथा समय-समय पर समुचित आदेश जारी करता है।

विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के तहत आने वाले उद्योगों की सूची

क्र.सं.	उद्योग का नाम
1	2
1.	सीमेंट
2.	साइकिल
3.	टायर एवं ट्यूब
4.	एयर कंडीशनर
5.	रेफ्रिजरेटर
6.	हाई सेल बैटरी के अलावा अन्य बैटरी
7.	विद्युत लैम्प
8.	विद्युत पंखे
9.	विद्युत मोटर
10.	मोटर वाहन
11.	एल्युमिनियम
12.	वनस्पति
13.	भारी औषध
14.	चीनी
15.	औद्योगिक शराब
16.	जूट की वस्तुएं
17.	कागज
18.	रेयन
19.	डाई
20.	पोलिएस्टर
21.	नायलोन
22.	वस्त्र उद्योग
23.	हाई सैल बैटरी
24.	इस्पात के ट्यूब एवं पाइप
25.	अभियांत्रिकी
26.	विद्युत केबल एवं कन्डक्टर
27.	बैयरिंग
28.	दुग्ध उत्पाद
29.	रसायन
30.	फार्मुलेशन्स

1	2
31.	इस्पात प्लांट
32.	कीटनाशक
33.	उर्वरक
34.	साबुन एवं डिटरजैंट
35.	प्रसाधन
36.	फुटवियर
37.	शेविंग सिस्टम
38.	औद्योगिक गैसें
39.	खनन एवं धातुकर्म
40.	इलेक्ट्रानिक उत्पाद
41.	विद्युत
42.	वृक्षारोपण उत्पाद
43.	पेट्रोलियम उद्योग
44.	टेलीकम्युनिकेशन

लघु बचतों पर ब्याज दर में वृद्धि

904. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमारः
श्री धर्मेन्द्र प्रधानः
श्री कीरेन रिजीजूः
श्रीमती निवेदिता मानेः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात का जानकारी है कि डाकघरों में लघु बचतों पर ब्याज की कम दर की वजह से गरीब लोग विशेषकर गांवों में रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार डाकघर बचतों पर ब्याज की दर बढ़ाने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और ऋण बाजार की ब्याज दरों के अविनियमन के साथ सभी निवेशकों के लिए वैकल्पिक बचत विकल्प उपलब्ध हैं। तथापि, भारत सरकार द्वारा प्रशासित विभिन्न शर्तों और ब्याज दर वाली लघु बचत योजनाएं इस तरह तैयार की गई हैं कि उनमें निवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को निवेश के सुरक्षित एवं आकर्षक विकल्प उपलब्ध हों। विगत तीन वर्षों के दौरान, डाकघरों एवं बैंकों में लघु बचत योजनाओं के तहत सकल संग्रहण वर्ष 2004-05 में 1,77,730 करोड़ रुपए, वर्ष 2005-06 में 2,00,148 करोड़ रुपए और वर्ष 2006-07 में 1,81,705 करोड़ रुपए (अनंतिम) रहा है।

(ख) इस समय डाकघर बचत योजनाओं पर ब्याज की दर में परिवर्तन किए जाने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

डीमैट खाते में लेन-देन पर रोक लगाया जाना

905. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधियाः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विनियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा स्टॉक बाजार में ट्रेडिंग हेतु परमानेन्ट अकाउन्ट नम्बर्स (पैन) प्रस्तुत करना बाध्यकारी बनाए जाने के पश्चात नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ने लाखों डीमैट खातों में लेन-देन पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार से रोक लगे खातों का ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है, और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) 9 अगस्त, 2007 के अनुसार, ब्यौरे निम्नानुसार हैः

खाता ब्यौरे	सीडीएसएल	एनएसडीएल
रोके गए डीमैट खातों की संख्या	4,26,363	20,95,179
शून्य धारिता वाले डीमैट खातों की संख्या	2,73,021	11,72,090
धारिता वाले डीमैट खातों की संख्या	1,53,342	9,23,089
धारिताओं का मूल्य (करोड़ रुपए)	15,020.08	85,237.51

(ग) निक्षेपागार निवेशकों में सभी डीमैट खाता धारकों के लिए पैन के अनिवार्य होने के बारे में जागरूकता का सृजन करने और पैन की अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु निक्षेपागार भागीदारों और/अथवा खाता धारकों के साथ आगे कार्यवाही करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं।

[हिन्दी]

विश्व बैंक से ऋण

906. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान विश्व बैंक द्वारा राज्य-वार तथा परियोजना-वार उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु चालू वर्ष के दौरान विश्व बैंक से 2 बिलियन अमेरिकी डालर कर्ज लेने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विश्व बैंक ने स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण में विलंब किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) वित्तीय वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान विश्व बैंक सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) विश्व बैंक से केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों दोनों में ही, विभिन्न परियोजनाओं के लिए वार्षिक उधार लगभग 2.5 बिलियन अमरीकी डालर से 3 बिलियन अमरीकी डालर के बीच हैं। चालू वर्ष का स्तर भी इतनी ही राशि का होने की आशा है। प्रस्तुत की गई परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

वित्त वर्ष 2005-06 और 2006-07 में अनुमोदित विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की सूची

परियोजना का नाम	केन्द्र/राज्य	वचनबद्धता राशि (मिलियन अमरीकी डालर)
1	2	3
वित्त वर्ष 2005-06		
विद्युत प्रणाली विकास परियोजना-III	केन्द्रीय	400.0
भारत: आपातिक सुनामी पुनर्निर्माण परियोजना	केन्द्रीय	465.0
हिमाचल प्रदेश: मध्य हिमालय वाटर शेड विकास परियोजना	हिमाचल प्रदेश	60.0
कर्नाटक म्यूनिसिपल सुधार परियोजना	कर्नाटक	216.0
महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना	महाराष्ट्र	325.0
तमिलनाडु सबलीकरण और निर्धनता उन्मूलन	तमिलनाडु	120.0
तृतीय तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना (टीएनयूडीपी III)	तमिलनाडु	300.0
जोड़		1886.0

1	2	3
वित्त वर्ष 2006-07		
तृतीय आंध्र प्रदेश आर्थिक सुधार ऋण/उधार	आंध्र प्रदेश	225.0
पुनर्जनन एवं बाल स्वास्थ्य, द्वितीय चरण	केन्द्रीय	360.0
तृतीय राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण परियोजना	केन्द्रीय	170.0
राष्ट्रीय कृषि नवीकरण परियोजना	केन्द्रीय	200.0
कर्नाटक स्वास्थ्य प्रणाली	कर्नाटक	141.8
कर्नाटक पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना	कर्नाटक	120.0
उड़ीसा सामाजिक-आर्थिक विकास ऋण-2	उड़ीसा	225.0
पंजाब ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई	पंजाब	154.0
पंजाब राज्य सड़क परियोजना	पंजाब	250.0
तमिलनाडु सिंचित कृषि आधुनिकीकरण और जल संसाधनों की बहाली और प्रबंधन परियोजना	तमिलनाडु	485.0
उत्तरांचल ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई परियोजना	उत्तराखंड	120.0
जोड़		2450.8

विवरण II

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा विश्व बैंक को प्रस्तुत किए गए परियोजनाओं के ब्यौरे (31 जुलाई, 2007 की स्थिति के अनुसार)

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राशि	राज्य
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश शहरी सुधार और नगरपालिका सफाई परियोजना	233	आंध्र प्रदेश
2.	आंध्र प्रदेश जल क्षेत्र सुधार परियोजना	536	आंध्र प्रदेश
3.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई कार्यक्रम	210	आंध्र प्रदेश
4.	बिहार संरचनागत समंजन ऋण	200	बिहार
5.	बिहार विकेन्द्रीकरण सहायता परियोजना	120	बिहार
6.	डैम पुनर्वास और सुधार परियोजना	170	केन्द्रीय
7.	प्रारंभिक बाल विकास परियोजना (आईसीडीएस-IV परियोजना)	450	केन्द्रीय
8.	गुजरात शहरी सुधार परियोजना	130	गुजरात
9.	हिमाचल प्रदेश एसएएल	200	हिमाचल प्रदेश

1	2	3	4
10.	आंध्र प्रदेश में उच्च-घनत्व कोर नेटवर्क के 4,286 कि.मी. का सुधार	320	आंध्र प्रदेश
11.	आईबीआरडी लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के प्रस्ताव	500	केन्द्रीय
12.	भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना	120	केन्द्रीय
13.	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना	35	कर्नाटक
14.	लुहारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (700 मेगावाट)	640	उत्तराखंड
15.	महानदी घाटी विकास परियोजना	830	उड़ीसा
16.	राष्ट्रीय चक्रवात मिटीगेशन परियोजना	250	केन्द्रीय
17.	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना	350	केन्द्रीय
18.	राष्ट्रीय नवीकरण परियोजना	165	केन्द्रीय
19.	पूर्वोत्तर क्षेत्र जीवनयापन परियोजना	515	बहु राज्य
20.	उड़ीसा समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना	120	उड़ीसा
21.	उड़ीसा राजय सड़क परियोजना	250	उड़ीसा
22.	जम्मू और कश्मीर से पाटिसपेटरी जल संभरक प्रबंधन परियोजना	210	जम्मू और कश्मीर
23.	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-II (ग्रामीण सड़क-II)	500	केन्द्रीय
24.	रामपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना	475	हिमाचल प्रदेश
25.	भारत में विद्युत संयंत्र का नवीकरण और आधुनिकीकरण	100	केन्द्रीय
26.	उत्तर प्रदेश और राजस्थान ग्रामीण विद्युत पहुंच कार्यक्रम	50	उत्तर प्रदेश और राजस्थान
27.	सर्वशिक्षा अभियान-II	500	केन्द्रीय
28.	केरल में स्थानीय सरकारों का सुदृढ़ीकरण	120	केरल
29.	स्वयंसिद्ध परियोजना चरण-II	134	केन्द्रीय
30.	तमिलनाडु ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई परियोजना	150	तमिलनाडु
31.	निर्धनता उन्मूलन और अवसंरचना के लिए लक्षित ग्रामीण पहले (टीआरआईपीटीआई)/उड़ीसा ग्रामीण निर्धनता उपशमन परियोजना	70	उड़ीसा
32.	उत्तर प्रदेश विविधकृत कृषि सहायता परियोजना-II	217	उत्तर प्रदेश
33.	असम में राज्य राजमार्ग और मुख्य जिला सड़कों का उन्नयन	200	असम
34.	हरियाणा में राज्य राजमार्ग का उन्नयन	200	हरियाणा
35.	उत्तर प्रदेश एसएएल-II	टीबीडी	उत्तर प्रदेश

1	2	3	4
36.	वेक्टर बोर्न डिजिज कंट्रोल प्रोजेक्ट	200	केन्द्रीय
37.	विष्णुगढ़ पिंपलकोठी (444 मेगावाट)	350	हिमाचल प्रदेश
38.	पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई का त्वरित विकास	272	पश्चिम बंगाल
39.	पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	172	पश्चिम बंगाल

अधिकारियों और न्यायाधीशों के पास बकाया किराया

907. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च अधिकारियों और न्यायाधीशों के पास सरकारी आवास के किराये के रूप में लाखों रुपये बकाया पड़े है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बकाया धनराशि वसूलने में विफल रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बकाया किराया वसूलने हेतु क्या कार्रवाई की गयी है तथा दोषी लोगों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गयी हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) विस्तृत ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) (1) माननीय न्यायालयों द्वारा दिए गए स्थगन के कारण।

(2) कुछ दोषियों के पतों की अनुपलब्धता के कारण।

(3) दोषियों ने समय तथा रोक के लिए प्रार्थना की क्योंकि छूट के लिए उनकी प्रार्थनाएं विचाराधीन है।

(4) दोषियों के पदस्थापन के स्थान की सूचना न मिलने के कारण, जिससे कि संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालयों के माध्यम से वसूली की जा सके।

(ङ) सार्वजनिक परिसर अधिनियम, 1971 के अंतर्गत दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

विवरण I

क्र.सं.	नाम एवं पता	धनराशि	अभ्युक्तियां
1	2	3	4
1.	श्री के. वासुदेवन डी-2/118 किदवई नगर पश्चिम	169867 रुपए	
2.	श्री योगेश्वर दयाल डी-2 के-8-3/13/आरके पुरम	103668 रुपए	
3.	श्रीमती विजया लक्ष्मी डी-2/148, काका नगर	146104 रुपए	
4.	श्री ए.जे. पॉल 204/एस-1 एमबी रोड	187317 रुपए	उच्चतम न्यायालय मामला

1	2	3	4
5.	श्री आर.के. मुखी भट्टाचार्य डी-2/34 शाहजहां रोड	217466 रुपए	
6.	श्री टी.एस. कृपा निधि के-2-2/13 आर.के. पुरम	165327 रुपए	उच्चतम न्यायालय मामला
7.	श्री प्रभात कुमार डी-2/71 पंडारा रोड	150183 रुपए	उच्चतम न्यायालय मामला
8.	श्री एनसी वर्मा डी-2/ए-2735 नेताजी नगर	202605 रुपए	उच्चतम न्यायालय मामला
9.	श्री वी.के. रहिजा डी-2/766 एशियन गेम्स विलेज	135279 रुपए	उच्चतम न्यायालय मामला
10.	श्री मनोहर प्रसाद डी-2/10 कार्नवालिस रोड	132456 रुपए	उच्चतम न्यायालय मामला
11.	श्री समशेर सिंह डी-2/253 विनय मार्ग	793590 रुपए	उच्चतम न्यायालय मामला
12.	श्री विष्णु कुमार बी-45 मोती बाग	292257 रुपए	
13.	श्री क्यू. शमीम डी-2/सी-6 (एमएस) पंडारा रोड	305585 रुपए	
14.	श्री एस.एस. शर्मा डी-2/99 काका नगर	1165741 रुपए	
15.	श्री ए.के. सिन्हा 787, एशियन गेम्स विलेज	362853 रुपए	
16.	श्री एस. सी. वर्मा डी.-2/116 किदवई नगर वेस्ट	396830 रुपए	
17.	श्री एस रामाकृष्णन डी-2/5 किदवई नगर वेस्ट	195354 रुपए	
18.	श्री एस एच खान डी-2/199 काका नगर	320337 रुपए	

विवरण II

टाइप-V ख और उससे उपर के फ्लैटों पर 100000.00 रु. से अधिक की बकाया राशि

क्र.सं.	नाम	फ्लैट सं.	बकाया राशि
1.	अरविन्द कुमार	डी-1/10 चाणक्यपुरी	457272.00
2.	ए.के. गंजु	डी-1/76 चाणक्यपुरी	305483.00
3.	डी. के. विश्वास	सी-2/63 शाहजहां रोड	217941.00
4.	जी.एस. प्रसाद	सी-2/7 तिलक मार्ग	382903.00
5.	गुरचरण सिंह	सी-1/8 हुमायूं रोड	350000.00
6.	एच.एन. शर्मा	सी-2/151 चाणक्यपुरी	517253.00
7.	जयंत मिश्रा	सी-2/61 चाणक्यपुरी	268477.00
8.	जॉन जोसेफ	सी-2/101 मोती बाग	2036907.00
9.	जस्टिस के.के. उषा	सी-1/4 हुमायूं रोड	492388.00
10.	एन. मिश्रा	4-1 (एमएस) शाहजहां रोड	226299.00
11.	ओ.पी. निगम	डी-1/63 चाणक्य पुरी	215549.00
12.	एस.सी. त्रिपाठी	सी-1/49 बापा नगर	110030.00
13.	वी.के. चौधरी	सी-2/75 शाहजहां रोड	2800664.00
14.	तुलसी गौर	डी-1/138 चाणक्यपुरी	1937535.00
15.	गजेन्द्र हल्दिया	सी-2/69 बापा नगर	2486854.00
16.	एस.डी. शर्मा	सी-2/133 चाणक्यपुरी	302467.00
17.	आर.के. करौली	9 जीआरजी रोड	3114269.00
18.	पी.आर. देव	डी-1/93 रबिन्द्र नगर	1038819.00
19.	शफी आलम	डी-1/52 भारती नगर	386878.00
20.	सी.डी. अरहा	सी-1/13 बापा नगर	309773.00
21.	देवेन्द्र दत्त	10 ई हडको प्लेस	1101830.00
22.	धर्मेन्द्र देव	12 कॉपरनिकस लेन	202549.00
23.	सुशीला तिरिया	सी-2/56 मोती बाग	443607.00
24.	संदीप बागची	सी-2/65 मोती बाग	263418.00
25.	जस्टिस अरुण कुमार	10 के एम मार्ग	143844.00
26.	ओ.पी. श्रीवास्तव	3-बी हडको प्लेस	178392.00

[अनुवाद]

नए शहरों का विकास

908. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बड़े शहरों से भीड़ कम करने के उद्देश्य से नए शहरों के विकास के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में क्या योजना बनायी गयी है;

(ग) क्या ऐसी परियोजनाओं हेतु इन राज्यों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ङ) राज्य सरकारों से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मिलियन प्लश शहरों के सेटेलाइट कस्बों/काउंटर मैग्नेट कस्बों में शहरी अवसंरचना विकास की केन्द्र प्रायोजित स्कीम शुरू करने का एक प्रस्ताव है जिसके ब्यौरे प्रस्ताव तैयार होने के पश्चात् ही मिल सकते हैं।

[हिन्दी]

मेडीक्लेम पालिसी

909. **श्री हेमलाल मुर्मु:**
श्री कुलदीप बिश्नोई:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 जुलाई, 2007 के "दैनिक जागरण" में "मेडीक्लेम कराइए, पॉलिसी का बोझ भी उठाइए" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले मेडीक्लेम पॉलिसी-धारकों का राज्य-वार ब्यौरा व संख्या क्या है;

(घ) क्या मेडीक्लेम पॉलिसीधारकों को अपने उपचार के खर्च का एक अंश भुगतान करना पड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पॉलिसीधारकों के शोषण के विरुद्ध क्या सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं/लागू किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। समाचार में मेडीक्लेम पोर्टफोलियो में अधिक दावा अनुपात की वर्तमान स्थिति, प्रीमियम दरों पर सरकार के नियंत्रण को हटाने और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के अपनी मेडीक्लेम पॉलिसी में विभिन्न परिवर्तनों को शुरू करने के प्रयास पर प्रधानता दी गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र की सभी साधारण बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में हानियां हो रही हैं। मेडीक्लेम पोर्टफोलियों जो कि एक स्टैंडर्ड स्वास्थ्य बीमा उत्पाद है, के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के व्यय किए गए दावा अनुपात में 2003-04 में 95% से 2005-06 में 121% (प्रबंधन व्यय रहित) की वृद्धि हुई है। जब दावा अनुपात में बिगड़ती प्रवृत्ति देखी जा रही है तो मेडीक्लेम पोर्टफोलियो के वार्षिक वृद्धि दर में 25% की वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप हानियों में वृद्धि हुई है। विगत समय में, ये कंपनियां अग्नि और इंजीनियरिंग इत्यादि, जो कि प्रशुल्क के अधीन थे जैसी लाभ कमाने वाली पोर्टफोलियो में से प्रति सब्सिडी द्वारा कुछ सीमा इन हानियों को वहन करने में समर्थ थी। तथापि, दिनांक 1.1.2007 से प्रारंभ होने से गैर-प्रशुल्कीकरण की शुरूआत से, अग्नि एवं इंजीनियरिंग के लिए प्रीमियम दर में कटौती के कारण इन क्षेत्रों से प्रति सब्सिडी के लिए गुंजाइश कम हो गई है। इससे कंपनियां इस क्षेत्र से उनको होने वाली हानियों को कम करने के लिए मेडीक्लेम बीमा के तहत प्रीमियम दरों को वृद्धि करके संशोधित करने के लिए विवश हो गई।

(ग) कंपनियों द्वारा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले मेडीक्लेम पॉलिसी धारकों की कुल संख्या के राज्य-वार विवरण नहीं रखे जाते हैं। तथापि, भारतीय साधारण बीमाकर्ता संघ (सार्वजनिक क्षेत्र) ने वर्ष 2006-07 के दौरान कंपनी-वार मेडीक्लेम पॉलिसियों और कवर किए गए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार सूचित की है:

कंपनी	पॉलिसियों की संख्या	व्यक्तियों की संख्या
नेशनल इंश्योरेंस कं.	769043	5475273
न्यू इंडिया एश्योरेंस कं.	1130913	6232431
ओरिएंटल इंश्योरेंस कं.	580934	3098121
युनाइटिड इंडिया इंश्योरेंस कं.	787230	3148923
कुल	3268120	17954748

(घ) और (ङ) कंपनियां अपनी संशोधित मेडीक्लेम पॉलिसियों में कंपनियां को-पेमेंट की पद्धति, जो कि नवीकरण के समय दावा अनुभवों के आधार पर और विशेष बीमारियों के लिए है, को शुरू कर रही है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) पालिसी धारकों के हितों की सुरक्षा के लिए अनुमोदन से पहले पॉलिसी के निबंधन और शर्तों की जांच करता है।

[अनुवाद]

नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा

910. **श्री चन्द्र भूषण सिंह:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री संजय धोत्रे:
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की क्या भूमिका है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्यों को दी जा रही राज्य सहायता/प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) 11वीं योजना के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा लोगों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के महत्व और प्रयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) देश में नवीन और अक्षय ऊर्जा के संवर्धन हेतु मंत्रालय की योजनाएं/कार्यक्रम निम्नलिखित के लिए है;

(1) ग्रिड-इंटरएक्टिव/संवितरित अक्षय विद्युत

(2) शहरी, औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों हेतु अक्षय ऊर्जा

(3) ग्रामीण अनुप्रयोगों हेतु अक्षय ऊर्जा, और

(4) नवीन और अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान एवं विकास

विशिष्ट योजनाएं/कार्यक्रम संलग्न विवरण में सूचीबद्ध हैं।

(ख) केन्द्र सरकार उपरोक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों के विकास और संस्थापना के लिए सहायता उपलब्ध कराती है। दूसरी ओर राज्य सरकारें संबंधित राज्यों में अक्षय स्रोतों के विकास हेतु स्थितियों का सृजन करने के अलावा उपयुक्त बजटीय सहायता के साथ इनमें से कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।

(ग) उपलब्ध कराए जा रहे वित्तीय और राजकोषीय प्रोत्साहनों में पूंजीगत/ब्याज सब्सिडी, त्वरित मूल्यह्रास, रियासत शुल्क और करों से राहत शामिल हैं। केन्द्रीय योजनावार/कार्यक्रमवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) 11वीं योजना अवधि के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से 14000 मेगावाट की क्षमता के संयोजन का प्रस्ताव किया गया है।

(ङ) प्रिंट, डाक और इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों की आवश्यकता और उपयोगिता के संबंध में प्रचार और जागरूकता का सृजन किया जाता है और राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस जैसे विशेष समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। अक्षय ऊर्जा योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए राज्यों में जिला स्तरीय सलाहकार समितियां भी गठित की गई हैं।

विवरण

स्कीम/कार्यक्रम-वार केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सी एफ ए) के ब्यौरे

स्कीम/कार्यक्रम	विशेष श्रेणी के राज्यों में सीएफए/सब्सिडी (पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तरांचल)	अन्य राज्यों में सीएफए/सब्सिडी
1. ग्रिड इंटरएक्टिव/संवितरित अक्षय विद्युत		
लघु पनबिजली	2.25 करोड़ रु. × (क्षमता) ^ 0.646	1.50 करोड़ रु. × (क्षमता) ^ 0.646
बायोमास विद्युत	25 लाख रु. × (क्षमता) ^ 0.646	20 लाख रु. × (क्षमता) ^ 0.646
खोई सह उत्पादन (निजी क्षेत्र) 40 बार एवं अधिक	18 लाख रु. × (क्षमता) ^ 0.646	15 लाख रु. × (क्षमता) ^ 0.646
खोई सह उत्पादन (सहकारी/सार्वजनिक/संयुक्त क्षेत्र)		
40 बार एवं अधिक	40 लाख रु./मेगावाट	40 लाख रु./मेगावाट
60 बार एवं अधिक	50 लाख रु./मेगावाट	50 लाख रु./मेगावाट
80 बार एवं अधिक	60 लाख रु./मेगावाट (अधिकतम सहायता 8.0 करोड़ रु. प्रति परियोजना)	60 लाख रु./मेगावाट (अधिकतम सहायता 8.0 करोड़ रु. प्रति परियोजना)
बायोमास विद्युत (उन्नत प्रौद्योगिकी)	1.2 करोड़ रु. × (क्षमता) ^ 0.646	1.0 करोड़ रु. × (क्षमता) ^ 0.646
पवन विद्युत	3.00 करोड़ रु. × (क्षमता) ^ 0.646	2.50 करोड़ रु. × (क्षमता) ^ 0.646

^ : घात (पावर)

*नई चीनी मिलों (जिन्हें अभी उत्पादन शुरू करना है और वे चीनी मिलें जो बैकप्रेशर पद्धति/मौसमी/आकस्मिक सह उत्पादन का प्रयोग करती हैं) के लिए सब्सिडी ऊपर बताए गए स्तर से आधी होगी।

स्कीम/कार्यक्रम	सीएफए/सब्सिडी
1	2
2. शहरी, औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों हेतु अक्षय ऊर्जा	
औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं	प्रौद्योगिकियों पर निर्भर करते हुए 50.00 लाख रु. से 100 करोड़ रु./मेगावाट ई. (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 20% उच्चतर सब्सिडी)
सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी)	
एसपीवी लालटेन	पूर्वोत्तर और विशेष क्षेत्रों के लिए 2,400 रु. और अन्य के लिए शून्य

1	2
एसपीवी घरेलू रोशनी प्रणालियां	मॉडल पर निर्भर करते हुए पूर्वोत्तर और विशेष क्षेत्रों के लिए 4,500 से 8,600 रु., और सामान्य क्षेत्रों के लिए 2500 से 4,800 रु.
एसपीवी सड़क रोशनी प्रणालियां	पूर्वोत्तर और विशेष क्षेत्रों के लिए 17,300 रु. सामान्य क्षेत्रों के लिए 9,600 रु.
1. किवा. पी. < क्षमता का एसपीवी स्टैंडएलोन विद्युत संयंत्र	पूर्वोत्तर और विशेष क्षेत्रों के लिए 2,25,000 रु./किवा.पी. सामान्य क्षेत्रों के लिए 1,25,000 रु./किवा.पी.
10 किवा.पी. < क्षमता का एसपीवी स्टैंडएलोन विद्युत संयंत्र	पूर्वोत्तर और विशेष क्षेत्रों के लिए 2,70,000 रु./किवा.पी. सामान्य क्षेत्रों के लिए 1,50,000 रु./किवा. पी.
शहरी क्षेत्रों में सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) अनुप्रयोग	
एसपीवी सड़क रोशनी कंट्रोल प्रणालियां	लागत का 25%, अधिकतम 5000 रु. के अध्यधीन
एसपीवी सड़क/सार्वजनिक पार्क रोशनी (74/75 डब्लयूपी मॉड्यूल्स)	लागत का 50%, अधिकतम 10,000 रु. के अध्यधीन और क्रमशः 11 वाट तथा 18 वाट सीएफएल के लिए 12,000 रु.
एसपीवी प्रकाशमान होर्डिंग (अधिकतम 1 किवा.पी. एसपीवी मॉड्यूल के साथ)	लागत का 50%, अधिकतम 15,000 रु. 100 डब्लूपी मॉड्यूल के अध्यधीन
एसपीवी रोड स्टड	लागत का 50%, अधिकतम 1000 रु. के अध्यधीन
एसपीवी ब्लिंकर (न्यूनतम 37 डब्ल्यू. पी. मॉडयूल)	लागत का 50%, अधिकतम 7,500 रु. के अध्यधीन
एसपीवी ट्रैफिक सिग्नल (न्यूनतम 500 डब्ल्यू. पी. मॉड्यूल)	लागत का 50%, अधिकतम 2.5 लाख रु. के अध्यधीन
एसपीवी विद्युत पैक (अधिकतम 1 किवा. पी. मॉड्यूल)	लागत का 50%, अधिकतम 1.00 लाख रु. प्रति किवा.पी. के अध्यधीन
एसपीवी जल पंपन प्रणालियां	प्रयोग किए गए एसपीवी ऐरे का 30 रु./डब्ल्यू पी. अधिकतम 50,000 रु. प्रति प्रणाली के अध्यधीन
सौर जल तापन प्रणालियां (एसडब्ल्यूएचएस)/ अन्य सौर तापीय प्रणालियां	*सौर जल तापन प्रणालियां* घरेलू उपयोगकर्ताओं को 2%, संस्थाओं को 3% और सामुदायिक उपयोगकर्ताओं को 5% की दर पर सब्सिडीकृत ऋण के अलावा मोटिवेटर को प्रोत्साहन के रूप में 100 रु./वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र *सौर वायु तापन/स्टीम उत्पादन प्रणालियां* कुछ सीमाओं के अध्यधीन लागत की 50% की दर पर पूंजीगत सब्सिडी *डीश/सामुदायिक प्रकार के सौर कुकर* लागत का 50%, डिश प्रकार के सौर कुकर हेतु 2,500 रु. और शैफ्लर/सामुदायिक प्रकार के कुकर हेतु 25,000 रु. तक सीमित

1	2
अक्षय ऊर्जा दुकानें	7% की दर पर 10 लाख रु. तक सब्सिडीकृत ऋण और प्रति माह 10,000 रु. तक कार्यनिष्पादन आधारित अनुदान एवं प्रोत्साहन।
लघु एरो-जनरेटर एवं हाइब्रिड प्रणालियां	अविद्युतीकृत द्वीप समूह में उत्पादन लागत का 90% या 2.40 लाख रु./किवा., जो भी कम हो।
	सरकारी समुदाय के प्रयोग हेतु अन्य क्षेत्रों में उत्पादन लागत का 75% या 2.00 लाख रु./किवा., जो भी कम हो।
	अन्य सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उत्पादन लागत का 50% या 1.25 लाख रु./किवा., जो भी कम हो।
3. ग्रामीण क्षेत्रों हेतु अक्षय ऊर्जा	
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बायोमास गैसीफायर	तापीय और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल अनुप्रयोगों हेतु 1.50 लाख रु./100 किवा. ई (दोहरे ईंधन इंजन के साथ)
	1 मेगावाट तक के विद्युत उत्पादन हेतु 15.00 लाख रु./100 किवा. ई (100% प्रोड्यूसर गैस इंजिन के साथ)
	विशेष श्रेणी के राज्यों और द्वीप समूह के लिए 20% उच्चतर सब्सिडी
औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए बायोमास गैसीफायर	तापीय अनुप्रयोगों के लिए 2.00 लाख रु./2.00 लाख रु./300 किवा.ई. दोहरे ईंधन ईंजन के साथ 2.50 लाख रु./100 किवा. ई. 100% प्रोड्यूसर गैस इंजिन के साथ 10.00 लाख रु./100 किवा.ई. संस्थानों में 100% प्रोड्यूसर गैस इंजिन के साथ 15.00 लाख रु./100 किवा.ई.
परिवार प्रकार के बायोगैस संयंत्र	
सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य (असम के मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर)	1 घनमीटर के लिए 11,700 रु.
असम के मैदानी क्षेत्र	1 घनमीटर के लिए 9,000 रु.
जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल (तराई क्षेत्र को छोड़कर), तमिलनाडु का नीलगिरी, दार्जिलिंग के सदर कुर्सोंग और कलिमपोंग सब-डिवीजन, सुंदर बन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4,500 रुपए (1 घनमीटर स्थिर डोम प्रकार के संयंत्र हेतु 3,500 रु. तक सीमित)
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, रेगिस्तानी जिले, छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक, उत्तरांचल का तराई क्षेत्र, पश्चिमी घाट और अन्य अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्र	3,500 रु. (1 घनमीटर स्थिर डोम प्रकार के संयंत्र हेतु 2,800 रु. तक सीमित)
अन्य सभी	2,700 रु. (1 घनमीटर स्थिर डोम प्रकार के संयंत्र हेतु 2,100 रु. तक सीमित)

1	2
दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण	निम्नलिखित सीमाओं के अध्यधीन विद्युत उत्पादन प्रणालियों की विशिष्ट लागत का 90% - संवितरित उत्पादन प्रणलियों हेतु प्रति परिवार 18,000 रु., और - एसपीवी घरेलू रोशनी प्रणालियों हेतु 12,500 रु. प्रति परिवार।
4. नवीन और अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान एवं विकास	
अनुसंधान संस्थाओं, उद्योग और विश्वविद्यालयों से नवीन और अक्षय ऊर्जा के अनुसंधान, डिजाइन और विकास पर अभिनव परियोजनाएं	उन अनसुंधान, डिजाइन और विकास परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 50% जिनमें उद्योग के साथ साझेदारी हो। परियोजना की प्राथमिकता पर निर्भर करते हुए विश्वविद्यालयों तथा सरकारी अनुसंधान संस्थाओं के प्रस्तावों के मामले में परियोजना लागत का 100% तक

मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों हेतु आवास योजनाएं

911. श्री राम कृपाल यादव:
श्री असादुद्दीन ओवेसी:

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी भारत को मलिन बस्तियों से मुक्त बनाने हेतु आवासों के निर्माण के लिए 4000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों हेतु कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गयी है तथा इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने आगामी वर्षों में मलिन बस्ती वासियों और समाज के कमजोर तबके के लोगों हेतु और अधिक आवासों को निर्माण करने हेतु कोई रणनीति तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) सरकार ने शहरी गरीबों को बुनियादी सुविधाएं (बीएसयूपी) कार्यक्रम के तहत 63 चुनिंदा शहरों में शहरी गरीबों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने हेतु जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किया है। अन्य शहरों के लिए आवास और स्लम उन्नयन कार्यक्रम तथा अन्य नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए समेकित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) भी शुरू किया गया है। बीएसयूपी और आईएचएसडीपी दोनो दिसम्बर, 2005 से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

सरकार ने अब तक शहरी गरीबों को बुनियादी सुविधाएं (बीएसयूपी) के तहत मकानों की निर्माण लागत सहित कुल 10,438.45 करोड़ रुपए की परियोजना लागत सहित अब तक 169 परियोजनाओं और समेकित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत मकानों की निर्माण लागत सहित 2406.83 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत की 257 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया हैं।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) दोनों कार्यक्रम मांग आधारित हैं। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सलाह दी गई है कि वे ऐसी परियोजनाओं को प्रस्तुत करें जिसका वास्तविक प्रभाव पड़े बीएसयूपी पर जागरूकता कार्यशालाओं के साथ बीएसयूपी और आइएचएसडीपी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और मूल्यांकन पर लघु कार्यशालाओं का आयोजन कोलकाता, बंगलूरू, जयपुर, पुणे, रायपुर, चेन्नई, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, पटना, लखनऊ, गुवाहाटी, शिलांग (पूर्वोत्तर राज्यों में), अमृतसर और शिमला इत्यादि में किया गया है।

जेएनएनयूआरएम

शहरी गरीबों को बुनियादी सुविधाएं (उपमिशन-II)

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2005-06		2006-07		2007-08	
		अनुमोदित परियोजना की सं.	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित परियोजना की सं.	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित परियोजना की सं.	कुल अनुमोदित परियोजना लागत
1.	आंध्र प्रदेश	5	623.90	9	572.61	2	192.31
2.	चंडीगढ़			2	564.94		
3.	छत्तीसगढ़			4	391.45		
4.	दिल्ली					3	617.28
5.	गुजरात			10	1028.32		
6.	हरियाणा			2	64.23		
7.	हिमाचल प्रदेश			1	9.99		
8.	कर्नाटक			3	238.84	2	56.22
9.	केरल			3	69.20		
10.	मध्य प्रदेश	4	75.05	14	428.22		
11.	महाराष्ट्र			31	2934.82	1	120.81
12.	नागालैण्ड			1	134.50		
13.	राजस्थान			2	277.14		
14.	तमिलनाडु			19	830.26		
15.	त्रिपुरा					1	16.73
16.	उत्तर प्रदेश			5	82.13		
17.	पश्चिम बंगाल			45	1169.51		
	कुल	9	698.95	151	8796.14	9	1003.36

समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	2005-06		2006-07		2007-08	
		अनुमोदित परियोजना की सं.	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित परियोजना की सं.	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित परियोजना की सं.	कुल अनुमोदित परियोजना लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश			25	301.92	1	55.36
2.	असम			3	12.24	2	5.01

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बिहार			7	48.81	1	12.02
4.	छत्तीसगढ़			14	176.50		
5.	गुजरात			8	72.07	3	37.12
6.	हरियाणा			15	238.84		
7.	जम्मू-कश्मीर					10	42.40
8.	कर्नाटक			5	68.46	15	92.58
9.	केरल			15	65.25	7	41.95
10.	मध्य प्रदेश			23	197.16	4	13.02
11.	महाराष्ट			15	152.67	4	46.97
12.	नागालैण्ड			1	87.74		
13.	राजस्थान	3	9.03	17	140.06		
14.	तमिलनाडु			22	146.05	6	53.73
15.	उत्तर प्रदेश			8	29.01		
16.	पश्चिम बंगाल			16	201.20	7	59.65
	कुल	3	9.03	194	1937.99	60	459.81

राष्ट्रीय पुनर्वास नीति का मसौदा तैयार करना

912. डा. एम. जगन्नाथः
श्री के.एस. रावः
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्करः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नई पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा यदि नहीं, तो इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या नई पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और विस्थापित किसानों हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्र शेखर साहू): (क) और (ख) पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के प्रारूप की, इसे मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2007 के प्रारूप तथा भूमि अर्जन से संबंधित मामलों से सम्बद्ध विधिक उपायों को अंतिम रूप देने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा गठित मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) प्रारूप पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति में भूमि अर्जन के द्वारा प्रभावित तथा किन्हीं कारणों से अनैच्छिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हेतु उपबंध किए गए हैं और समाज के कमजोर, वर्गों, विशेषरूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा करने तथा राज्य द्वारा सकारात्मक कार्रवाई किए जाने को सुनिश्चित करने तथा उनके संबंध में संसर्गतापूर्ण और संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही किए जाने के दायित्व राज्यों को सौंपने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में ई-कराधान

913. श्री अनवर हुसैन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र में ई-कराधान की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी हां। सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में ई-कराधान की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने का प्रस्ताव करती है।

जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध हे, आयकर विभाग में ई-प्रशासन के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी कार्यान्वित किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए आयकर विभाग ने शिलांग में क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र (आर सी सी) की स्थापना की है।

जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है सरकार ने मासिक/तिमाही उत्पाद शुल्क विवरणियां नामत: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के तहत ईआर-1, ईआर-2, ईआर-1 और उत्पाद शुल्क योग्य माल के सभी निर्माताओं को केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर क्रेडिट नियमावली 2002 के नियम 7 के उप नियम (6) के तहत निर्धारित डीलर विवरणी, निर्यातोन्मुख इकाइयों और 30.6.2004 से पंजीकृत डीलरों को इलेक्ट्रानिक रूप से दाखिल करने की सुविधा प्रदान की है। उत्पाद शुल्क विवरणियों को इलेक्ट्रानिक रूप से दाखिल करने की सुविधा ऐच्छिक है और यह सभी निर्धारितियों के लिए उपलब्ध है।

इसी प्रकार उत्पाद शुल्क का ई-भुगतान सभी निर्धारितियों के लिए 11 मई, 2005 से प्रचालनात्मक हो गया है। तथापि प्रमुख निर्धारितियों अर्थात जो अप्रैल, 2007 से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का वार्षिक शुल्क 50 लाख रुपए से अधिक अदा कर रहे हैं उनके लिए ई-भुगतान अनिवार्य बनाया गया है।

एलआईसी नीतियां-जब्ती खंड का लोप

914. श्री प्रहलाद जोशी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका में एलआईसी नीतियों से संबंधित जब्ती खंडों को हटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्च न्यायालय ने कर्नाटक में कार्यरत एलआईसी की शाखाओं को उन सभी ऐसे पॉलिसी धारकों को बुलाने का निदेश दिया है जिनकी पॉलिसियां तीन वर्षों की अवधि तक प्रीमियम का भुगतान नहीं करने की वजह से व्यपगत हो गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास जब्ती संबंधी सभी खंडों को हटाने हेतु एलआईसी नीतियों के संबंध में पॉलिसी परिवर्तन लाने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है कि माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 1994 की एक रिट याचिका सं. 22682 के दिनांक 14.12.2006 के आदेश के तहत निगम को निदेश दिया है कि पॉलिसी धारक प्रीमियम की अदायगी द्वारा उनकी पॉलिसियों को जारी रखने में असमर्थ होने की स्थिति में, जब्ती खंड का प्रयोग न करके, पॉलिसी धारकों द्वारा अदा की गई राशि परिपक्कवता अवधि तक की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना पॉलिसी धारकों को वापिस कर दी जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी निदेश दिया है कि एलआईसी को ऐसे दावों जिनमें समय सीमा की शर्त नहीं है उन पर विचार करे और ऐसे समय तक मिलने वाले लाभों सहित प्रीमियम राशि वापिस करे।

(ग) और (घ) जी, हां। तथापि, एलआईसी ने सूचित किया है कि उसने एक रिट अपील फाइल की थी और माननीय उच्च न्यायालय ने 1994 के रिट याचिका सं. 22682 में सिंगल बैंच द्वारा पारित आदेश के लागू करने पर स्थगन आदेश दिया है। अत: माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए स्थगन आदेश के आलोक में, जब्ती खंड को खंडन करने वाला आदेश लागू नहीं हैं।

(ङ) से (छ) जी, नहीं। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 113 में न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रीमियम की अदायगी अपेक्षित है। तदनुसार, एलआईसी ने एक पॉलिसी के लिए प्रदत्त मूल्य प्राप्त करने के लिए अदायगी की अवधि तीन वर्ष निर्धारित की है।

[हिन्दी]

पेयजल आपूर्ति योजनाओं हेतु आवंटित निधियां

915. श्री रामदास आठवले: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान पेयजल आपूर्ति हेतु राज्यों को कोई निधियां आवंटित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों के पेयजल आपूर्ति संबंधी कुछ प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन/लम्बित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनको स्वीकृत किए जाने में विलम्ब (यदि कोई हो) के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ङ) केन्द्र सरकार को विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जल आपूर्ति बढ़ाने हेतु जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं वे इस प्रकार है:

(1) जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन का शहरी अवस्थापना और शासन घटक:

3 दिसम्बर, 2005 को इस मिशन के प्रारंभ से लेकर अब तक 68 जल आपूर्ति परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित किए जा चुके हैं और अब तक अवस्थापना तथा शासन संबंधी उप मिशन के अंतर्गत उनके लिए पहली किस्त के रूप में 56944.58 लाख रुपए की राशि की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी जा चुकी है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

जल आपूर्ति के 6 परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-Iक में दिया गया है। 830 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली "कृष्णा पेयजल आपूर्ति चरण-II नामक परियोजना विचाराधीन है।

जल आपूर्ति के 6 परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है। जिनका संलग्न ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। 830 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली "कृष्णा पेयजल आपूर्ति चरण-II" नामक परियोजना विचाराधीन है।

(2) छोटे तथा मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम

छोटे तथा मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम को 3 दिसम्बर, 2005 को शुरू करने से लेकर अब तक 439497.531 लाख रुपए की कुल लागत वाली जल आपूर्ति की 230 परियोजनाओं का अनुमोदन किया जा चुका है और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की गई प्राथमिकता के अनुसार 96806.966 लाख रुपए की रकम अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जा चुकी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जल आपूर्ति स्कीम का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

शेष 74 जल आपूर्ति स्कीमों के लिए 78992.05 लाख रुपए की पात्र अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में पहली किस्त देने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है तथा निधियां उपलब्ध होने पर राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त दे दी जाएगी।

(3) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम

पिछले तीन वर्षों के दौरान जल आपूर्ति की वृद्धि से संबंधित जो स्कीमें प्राप्त हुई तथा उनके लिए जो धनराशियां आवंटित की गई हैं उनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम का विलय छोटे तथा मझोले कस्बों के लिए 3 दिसम्बर, 2005 को शुरू की गई शहरी अवस्थापना विकास स्कीम में कर दिया गया है। इस प्रकार त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो रहा है।

(4) पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लिए 10 प्रतिशत एक मुश्त प्रावधान

सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के कस्बों के लाभ के लिए स्कीमें/परियोजनाएं इस स्कीम के अंतर्गत शुरू की जाती हैं।

पिछले तीन वर्ष के दौरान स्वीकृत निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है तथा जल आपूर्ति की वृद्धि हेतु विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है।

10 प्रतिशत एक मुश्त प्रावधान स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं का अनुमोदन होना है क्योंकि वर्तमान वित्त वर्ष के लिए स्कीम को जारी रखने के संबंध में अभी अनुमोदन दिया जाना है।

विवरण I

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवसंरचना और शासन घटक के तहत जलापूर्ति के संबंध में अनुमोदित परियोजनाएं और जारी राशि

क्र.सं.	राज्य	शहर	सेक्टर	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)	अनुमत्य केन्द्रीय अंश (लाख रु. में)	जारी करने के लिए अनुमोदित केन्द्रीय अंश (लाख रु. में)	संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की तारीख	जारी केन्द्रीय अंश (लाख रु. में)	जारी करने की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	राजस्थान	अजमेर-पुष्कर	जल आपूर्ति	अजमेर शहर के लिए जलापूर्ति	18873.00	15098.4	3774.60	6.10.2006	2400.00	20.12.2006
2.	गुजरात	अहमदाबाद	जल आपूर्ति	नर्मदा मेन नहर से कोटापुर डब्ल्यूटीपी तक पाइप लाइन, कोटरपुर के पास साबरमती नदी में 330 एमएलडी इनटेक वैल, रसाका में जल शोधन संयंत्र	5383.25	1884.137	471.00	21.3.2006	300.00	29.3.2006
3.	पंजाब	अमृतसर	जल आपूर्ति	अमृतसर के लिए जल आपूर्ति सीवेज एवं सीवेज शोधन	17934.00	8967	2241.75	19.9.2006	2241.75	20.12.2006
4.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	जल आपूर्ति	जलाशय, वितरण तंत्र तथा अन्य संबद्ध कार्यों के साथ 7 एमजीडी डब्ल्यूटीपी	2878.00	1439	359.75	28.6.2006	359.75	19.7.2006
5.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	जल आपूर्ति	पश्चिम बंगाल में आसनसोल शहरी क्षेत्र के तहत रानी गंज में 42 एमएलडी जल आपूर्ति परियोजना	3627.00	1813.5	453.38	25.10.2006	453.38	22.11.2006
6.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	जल आपूर्ति	आसनसोल शहरी क्षेत्र के तहत जमुरिया में 22.7 एमएलडी जल आपूर्ति परियोजना, पश्चिम बंगाल	1453.00	726.5	181.63	25.10.2006	181.63	22.11.2006
7.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	जल आपूर्ति	आसनसोल नगर निगम के लिए जल आपूर्ति स्कीम	8982.96	4491.48	1122.87	22.2.2007	1122.87	31.3.2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	मध्य प्रदेश	भोपाल	जलापूर्ति	गैस प्रभावित क्षेत्रों में जलापूर्ति	1418.00	709	177.29	21.3.2006	177.29	29.3.2006
9.	कर्नाटक	बंगलौर	जलापूर्ति	सीडब्ल्यूएसएस स्टेज-4 फेज-1 से 100एमएलडी अतिरिक्त पानी की वृद्धि	1226.00	429.1	85.82	8.12.2006	85.82	20.12.2006
10.	कर्नाटक	बंगलौर	जलापूर्ति	बंगलौर जल ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए बल्क फ्लो मीटरिंग प्रणाली	1531.00	535.85	107.17	8.12.2006	107.17	20.12.2006
11.	तमिलनाडु	मदुरै	ठोस कचरा प्रबंधन	मदुरै के लिए ठोस कचरा प्रबंधन	11374.30	5687.15	1421.79	28.12.2006	1421.79	15.1.2007
12.	चंडीगढ़ (संघ शासित)	चंडीगढ़	जल आपूर्ति	चंडीगढ़ में हरित क्षेत्रों की सिंचाई हेतु तृतीयक शोधित सीवेज के संग्रहण द्वारा पेयजल का संरक्षण	3672.60	2938.08	734.52	25.8.2006	734.52	23.5.2007
13.	चंडीगढ़ (संघ शासित)	चंडीगढ़	जल आपूर्ति	चंडीगढ़ में 24 घंटे जलापूर्ति हेतु रिमोट कंप्यूटरीकृत निरीक्षण सिस्टम के साथ उपयुक्त मॉनीटरिंग और ऑटोमेशन के लिए उपयुक्त जलापूर्ति अवसंरचनाओं का अद्यतन	2026.00	1620.8	405.20	25.8.2006	405.20	23.5.2007
14.	तमिलनाडु	चेन्नई	जल आपूर्ति	चेन्नई में जलापूर्ति प्रणाली में सुधार	32200.00	11270	2817.50	24.11.2006	2817.50	15.12.2006
15.	तमिलनाडु	चेन्नई	जल आपूर्ति	चेन्नई में आईटी कारीडोर के साथ जल आपूर्ति एवं सीवरेज प्रणाली अवस्थापना (7 पैकेज)	4177.00	1461.95	365.49	22.12.2006	365.49	23.1.2007
16.	तमिलनाडु	चेन्नई	जल आपूर्ति	तंबरम नगरपालिका में जल आपूर्ति का सुधार	3261.60	1141.56	285.39	8.1.2007	285.39	23.1.2007
17.	तमिलनाडु	चेन्नई	जल आपूर्ति	मिंजूर में समुद्री जल डीसेलीनेशन संयंत्र	8780.00	7024	1756.00	2.2.2007	1756.00	7.3.2007
18.	तमिलनाडु	चेन्नई	जल आपूर्ति	पेरूर नगर पंचायत के लिए जलापूर्ति सुधार	1235.79	432.5265	108.13	18.5.2007	108.13	13.6.2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	तमिलनाडु	चेन्नई	जल आपूर्ति	मदुराण्वायल के लिए जलापूर्ति सुधार	2330.00	815.5	203.88	20.7.2007	0	
20.	केरल	कोचीन	जल आपूर्ति	कोच्चि भाग-1 के लिए जलापूर्ति प्रणाली	20117.00	10058.5	2514.65	22.2.2007	502.92	28.3.2007
21.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जलापूर्ति	साहेब नगर टीबीआर से प्रशासन नगर तक पाइप लाइन के लिए डीपीआर	9493.00	3322.55	831.00	27.3.2006	831.00	29.3.2006
22.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जलापूर्ति	कृष्णा नगर से सिकन्दराबाद का डाइवर्जन	8120.00	2842	710.50	27.3.2006	710.50	29.3.2006
23.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जलापूर्ति	मुसी के उत्तर में अतिरिक्त संग्रहण सुविधाओं में ग्रीड कार्य का सुधार	2981.00	1043.35	260.84	19.9.2006	260.83	13.10.2006
24.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जलापूर्ति	मुसी के दक्षिण में अतिरिक्त संग्रहण सुविधाओं में ग्रीड कार्य का सुधार	3355.00	1174.25	293.56	19.6.2006	293.56	13.10.2006
25.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जलापूर्ति	एचएमडब्ल्यूएसएसबी की पूरी प्रणाली में सभी जलाशयों और बड़ी आपूर्ति पाइप लाइनों के लिए पर्यवेक्षण नियंत्रण तथा डाटा अर्जन प्रणाली और फ्लो, लेवल और क्लोरीन उपाय मुहैया करना।	990.00	346.5	86.63	9.3.2007	86.62	8.5.2007
26.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	जलापूर्ति	यसवंत सागर जलापूर्ति प्रणाली वृद्धि स्कीम	2375.00	1187.5	297.00	27.3.2006	297.00	29.3.2006
27.	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	जलापूर्ति	इटानगर के लिए जलापूर्ति अभिवर्द्धन	7725.32	6952.788	1738.20	26.3.2007	1738.20	28.6.2007
28.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जल आपूर्ति	धापा में जल शोधन योजना, 30 एमजीडी, फेज-1	9875.00	3456.25	864.06	28.6.2006	864.06	19.7.2006
29.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जल आपूर्ति	मौजूदा जल वितरण नेटवर्क के साथ महेशतला भूमिगत जलाशय का समेकन	1717.00	600.95	150.24	28.6.2006	150.24	19.7.2006
30.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जल आपूर्ति	गांधी मैदान, अकरा में भूमिगत जलाशय सह बूस्टर पंपिंग स्टेशन	1066.00	373.1	93.28	28.6.2006	93.28	19.7.2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जल आपूर्ति	बांस बेरिया में 15 एमजीडी जल शोधन योजना	4492.00	1572.2	393.05	28.6.2006	393.05	19.7.2006
32.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जल आपूर्ति	उलूबेरिया में 10 एमजीडी जल शोधन योजना	4558.00	1595.3	398.83	28.6.2006	398.83	19.7.2006
33.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जल आपूर्ति	बरुई पुर नगर पालिका के लिए जल आपूर्ति स्कीम	951.85	333.151	83.29	22.2.2007	83.29	31.3.2007
34.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जल आपूर्ति	हावड़ा नगर निगम के जोड़े गए क्षेत्रों के लिए जलापूर्ति स्कीम	9068.91	3174.118	793.53	18.5.2007	793.53	13.6.2007
35.	तमिलनाडु	मदुरै	जल आपूर्ति	मदुरे निगम को जल आपूर्ति, सुधार कार्य एवं प्रणाली सुधार (फेज-I तथा फेज-II)	5931.60	2965.8	741.45	14.7.2006	741.45	18.8.2006
36.	तमिलनाडु	मदुरै	जल आपूर्ति	थिरुप्पकुंद नगर पालिका तथा हरवेपट्टी कस्बा पंचायत के लिए संयुक्त जल आपूर्ति स्कीम हेतु थिरुप्परकुंदरम नगर पालिका विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	969.57	484.785	96.96	8.1.2007	96.96	23.1.2007
37.	तमिलनाडु	मदुरै	जल आपूर्ति	अन्नैयूर म्युनिसिपलिटी के लिए जलापूर्ति स्कीम के संबंध में अन्नैयूर म्युनिसिपलिटी डीपीआर	788.00	394	98.50	5.3.2007	98.50	8.5.2007
38.	तमिलनाडु	मदुरै	जल आपूर्ति	मदुरै के लिए वैगई नदी पर चेक डैम का निर्माण	477.00	238.5	59.63	22.2.2007	59.63	31.3.2007
39.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	जलापूर्ति	मुम्बई-4 के लिए मिडिल वैतरणा जलापूर्ति परियोजना	132950.00	46532.5	11633.13	22.2.2007	2326.00	28.3.2007
40.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	जलापूर्ति	थाणे के अतिरिक्त 100 एम एल डी जलापूर्ति स्कीम के लिए डीपीआर	7118.00	2491.3	622.83	8.1.2007	249.13	31.1.2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	जलापूर्ति	मालाबार हिल जलाशय से क्रास मैदान (3.6 कि.मी.) भूमिगत टनल	93.98.79	3289.576	822.39	20.7.2007	0	
42.	कर्नाटक	मैसूर	जलापूर्ति	मैसूर शहर के लिए जलापूर्ति वितरण की रिमॉडलिंग	19454.00	15563.2	3890.80	8.12.2006	3112.64	15.1.2007
43.	महाराष्ट्र	नांदेड	जलापूर्ति	उत्तर नांदेड़ में जलापूर्ति का सुधार	9087.00	7269.6	1818.00	31.7.2006	1817.50	13.10.2006
44.	महाराष्ट्र	नांदेड़	जलापूर्ति	नांदेड़ दक्षिण के लिए जलापूर्ति	4945.00	3956	989.00	25.8.2006	989.00	13.10.2006
45.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	कैनाल की जगह पर मोटर लाइन एमएसपाइप लाइन द्वारा महादुल्ला तक पेंच जलाशय के लिफटिंग वाटर	14463.70	7231.85	1807.96	8.9.2006	1800.00	31.10.2006
46.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	नागपुर शहर में जलापूर्ति वितरण की वृद्धि और उन्नयन	3793.00	1896.5	474.12	21.3.2006	474.12	29.3.2006
47.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	जलापूर्ति के लिए ऊर्जा आडिट परियोजना	2503.62	1251.81	312.95	21.3.2006	312.95	29.3.2006
48.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	जल क्षेत्र रिसाव का पता लगाना	329.77	164.885	41.22	21.3.2006	41.22	29.3.2006
49.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	जल आडिट परियोजना	2500.00	1250	312.50	21.3.2006	312.50	29.3.2006
50.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	जलापूर्ति पेंच-4 भाग-2	6196.00	3098	774.50	28.12.2006	774.50	31.1.2007
51.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	जलापूर्ति पेंच-4 भाग-3	8059.27	4029.635	1007.38	28.12.2006	1007.38	31.1.2007
52.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	जलापूर्ति पेंच-4 भाग-4	10460.68	5230.34	1307.58	28.12.2006	1307.58	20.2.2007
53.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	कान्हन वृद्धि स्कीम	8217.00	4108.5	1027.12	22.12.2006	1027.12	31.1.2007
54.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	खराब जल का रिसाइकिल और पुनर्उपयोग	13011.00	6505.5	1626.38	22.12.2006	813.00	20.2.2007
55.	महाराष्ट्र	नासिक	जलापूर्ति	जलापूर्ति परियोजनाओं का चल रहा कार्य	5052.00	2526	631.50	10.11.2006	631.50	31.1.2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	महाराष्ट्र	पुणे	जल आपूर्ति	पिंपरी चिंचवाड के लिए जल आपूर्ति प्रस्ताव (4)	35862.00	17931	4482.75	22.12.2006	4482.75	20.2.2007
57.	गुजरात	राजकोट	जल आपूर्ति	राजकोट के लिए जल आपूर्ति परियोजना	8562.00	4281	1070.00	27.3.2006	1070.00	29.3.2006
58.	छत्तीसगढ़	रायपुर	जल आपूर्ति	आरएमासी के विस्तार किए गए क्षेत्र सहित जलापूर्ति स्कीम बढ़ाना	30364.00	24291.2	6072.80	8.9.2006	4800.00	31.10.2006
59.	गुजरात	सूरत	जल आपूर्ति	सूरत शहरी विकास प्राधिकरण की वंसू शहरी बस्ती के लिए जल आपूर्ति परियोजना	1919.00	959.5	239.80	10.5.2006	239.80	8.6.2006
60.	गुजरात	सूरत	-वही	पालनपुर क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति परियोजना	995.00	497.5	124.30	10.5.2006	124.30	8.6.2006
61.	गुजरात	सूरत	-वही	एमएमसी के सरथाना, कतारगाम और रैंडर वाटर वर्क्स बढ़ाना	14068.65	7034.325	1758.58	26.3.2007	1758.58	8.5.2007
62.	केरल	तिरूवंतपुरम	जल आपूर्ति	जलापूर्ति का सुधार	8716.00	6972.8	1743.20	26.3.2007	881.56	31.3.2007
63.	गुजरात	वड़ोदरा	जल आपूर्ति	जलापूर्ति स्रोत बढ़ाना	4105.00	2052.5	513.13	28.6.2006	513.13	19.7.2006
64.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	जल आपूर्ति	अनसर्वड क्षेत्रों में भूमिगत जल निकासी सुविधाएं प्रदान करना	3548.00	1774	444.00	27.3.2006	444.00	29.3.2006
65.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	जल आपूर्ति	विजयवाड़ा नगर निगम में जलापूर्ति सुविधा बढ़ाना	7231.00	3615.5	903.88	2.2.2007	361.55	22.2.2007
66.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	जल आपूर्ति	जलापूर्ति बढ़ाने के लिए टीएसआर से वेन्दादा औरकोमादी जंक्शन तक जलापूर्ति लाइन मुहैया कराना	2340.00	1170	292.50	10.5.2006	292.50	5.10.2006
67.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	जल आपूर्ति	थातीपुडी जलाशय से टाउन सर्विस जलाशय और पम्पिंग यूनिटों तक मौजूदा थातीपुड़ी को बदलने के लिए डीपीआर	6228.00	3114	778.50	10.5.2006	778.50	8.6.2006
68.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	जल आपूर्ति	गाजूवाका क्षेत्र तक जलापूर्ति बढ़ाना	3976.00	1988	497.00	5.3.2007	384.64	28.3.2007
				कुल (लाख रुपए में)	612868.24	302677.6465	75598.16		56944.58	

विवरण Iक

जेएनएनयूआरएम के उप-मिशन-1 यूआईजी के अंतर्गत मौजूदा मूल्यांकनाधीन जलापूर्ति परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	शहर	परियोजना का नाम	सेक्टर	कुल परियोजना लागत (लाख रु. में)	मंत्रालय में डीपीआर प्राप्ति की तारीख	मूल्यांकन एजेंसी	मूल्यांकन एजेंसी को डीपीआर भेजने की तारीख	स्थिति	टिप्पणी
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	एचएमडब्ल्यूएसएसबी के वितरण नेटवर्क के अंतर्गत पंपिंग स्टेशनों के लिए व्यापक ऊर्जा ऑडिट	जल आपूर्ति	2890.00	14.5.2007	सीपीएचईईओ	14.5.2007	मूल्यांकनाधीन	
2.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	जीवीएमसी के गजुवाका क्षेत्र लिए जलापूर्ति वितरण प्रणाली मुहैया करना	जल आपूर्ति	2620.00	25.5.2007	सीपीएचईईओ	25.5.2007	मूल्यांकनाधीन	
3.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	मारोसी से रूपारेल कॉलेज (12 कि.मी.) भूमिगत सुरंग	जल आपूर्ति	34736.00	16.1.2007	सीपीएचईईओ	9.8.2007	मूल्यांकनाधीन	एमसीजीएम द्वारा उत्तर प्रस्तुत कर दिए गए हैं
4.	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा के लिए जलापूर्ति परियोजना	जल आपूर्ति	36676.00	3.7.2007	सीपीएचईईओ	3.7.2007	मूल्यांकनाधीन	
5.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर शहर के आंतरिक पुराने क्षेत्र के लिए जलापूर्ति स्कीम, खण्ड-II तथा II	जल आपूर्ति	62678.00	3.7.2007	सीपीएचईईओ	3.7.2007	मूल्यांकनाधीन	
6.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ में जलापूर्ति कार्य (फेज I पार्ट I खंड 1 से 5)	जल आपूर्ति	60931.00	3.7.2007	सीपीएचईई ओ	3.7.2007	मूल्यांकनाधीन	
				कुल (लाख रु. में)	200531.00					

विवरण II

यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत अब तक (18.6.07) की जलापूर्ति स्कीमों की राज्य/कस्बा-वार स्थिति

(लाख रु. में)

क्र.सं.	कस्बे	कुल अनुमोदित लागत	जारी एसीए (पहली किस्त)			डीपीआर तैयार करने के लिए 1.5% प्रोत्साहन राशि सहित जारी कुल एसीए
			2005-06	2006-07	2007-08	
1	2	3	4	5	6	7
	आंध्र प्रदेश					
1.	पुतिवेंदुल	4200.00	1344.00			1344.00

1	2	3	4	5	6	7
2.	कंडूकर	5700.00	1824.00			1824.00
3.	मरकारपुर	4200.00	1344.00			1344.00
4.	मिर्यल्गुद	274.00		87.68		87.68
5.	अदीलाबाद	1000.00	320.00			320.00
6.	कदप	2923.00				0.00
7.	सूर्यपेट	2348.00		939.00		939.00
8.	रायदुर्ग	4239.00		738.53	1020.66	1759.19
9.	कादिरी	4546.00		792.01	1094.58	1886.59
10.	नालगोंडा	444.00		178.00		178.00
11.	ओंगले	1554.00		270.74	374.17	644.91
12.	प्रोद्दुतर	1680.00		292.69	404.51	697.20
13.	नर्सरॉपित	1164.00				0.00
14.	भीमुनिपटनम	1064.00		185.37	256.19	441.56
15.	निर्मल	2709.00		1084.00		1084.00
16.	मचेर्ल	91.00		36.00		36.00
17.	नगरि	3540.00		616.74	852.36	1469.10
18.	जम्मलमड्डुगु	1169.00		203.67	281.47	485.14
19.	नारायणपेट	903.00		157.33	217.42	374.75
20.	अनंथपुर	6500.00		1132.43	1565.07	2697.50
21.	मंगलागिरी	130.00		22.65	31.30	53.95
22.	जानागांव	1570.00		273.53	378.02	651.55
23.	रयचोत्य	3182.00				0.00
24.	विनुकोंडा	960.00				0.00
25.	वनपर्थी	2808.00		489.21	676.11	1165.32
26.	चिरल	619.00		107.85	149.04	256.89
27.	संग रेड्डी	1484.00		0.00		0.00
28.	तनुकु	1414.00		0.00		0.00

1	2	3	4	5	6	7
29.	बोधन	1807.00		314.82	435.09	749.91
30.	श्रीकाकुलम	2092.00		364.47	503.71	868.18
31.	रामचंद्र पुरम	1163.00				0.00
32.	मंचेरिअल	2287.00		398.45	550.66	949.11
33.	पोन्नुर	1243.00				0.00
34.	महबुब नगर	6838.00		1191.32	1646.45	2837.77
35.	सिद्दिपेट	4512.00		786.08	1086.40	1872.48
36.	कुरनूल	3309.00		576.50	796.74	1373.24
37.	पुत्तुर	3904.00				0.00
38.	सतेनापल्ली (एम)	2040.00		355.41	491.19	846.60
39.	वारंगल (एमसी)	16446.00		2865.23	3959.86	6825.09
40.	निजामाबाद	3592.00				0.00
	लागत	111648.00	4832.00	14459.71	16771.00	36062.71
	स्कीमों की संख्या	40	4	26		30
	असम					
1.	लखीपुर (पाचर)	826.760	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	होजाइ	1403.40	0.00	490.82	0.00	490.82
	लागत	2230.160	0.00	490.82	0.00	490.82
	स्कीमों की संख्या	2	0	1	0	1
	छत्तीसगढ़					
1.	बिलासपुर	4142.60	0.00	1657.04	0.00	1657.04
2.	रायगढ़	1524.50	0.00	609.80	0.00	609.80
3.	कोंडगांव	451.55	0.00	180.62	0.00	180.62
	कॉस्ट	6118.65	0.00	2447.46	0.00	2447.46
	स्कीमों की संख्या	3		3	0	3
	गुजरात					
1.	खेड़ा	496.59	198.64			198.64
2.	मेहसाणा	940.74	376.30			376.30

1	2	3	4	5	6	7
3.	कदि	523.51	209.40			209.40
4.	गोधरा	1446.53	578.61			578.61
5.	राधनपुर	224.53	89.81			89.81
6.	हिम्मतनगर	814.94		325.97		325.97
7.	प्रंतिज	279.93		111.97		111.97
8.	सुरेंद्रनगर	765.13		306.05		306.05
9.	वलसाड़	618.59		247.43		247.43
10.	गोंदल	1434.04		573.61		573.61
11.	धोराजी	841.61		336.65		336.65
12.	भरूच	1371.98		548.79		548.79
13.	कपड़्वंज	823.58		329.43		329.43
14.	अमेर्लि	1082.95		433.18		433.18
15.	जामनगर	2015.31		806.12		806.12
16.	भावनगर	2096.07		838.43		838.43
17.	पालीताना	473.69		189.48		189.48
18.	जूनागढ़	1598.64		639.46		639.46
19.	धनेर	416.35		159.03	13.76	172.79
20.	बोरियवि	434.35		165.90	14.36	180.26
21.	दकोर	477.04		182.21	15.77	197.98
22.	लुनवाडा	477.04		182.21	15.77	197.98
23.	चलल	503.64		192.36	16.65	209.01
24.	जेतपुर	2384.09				0.00
25.	बिल्लिमोर	806.25		307.94	26.65	334.59
26.	सोनगढ़	334.30		127.68	11.05	138.73
27.	चकलसी	713.20				0.00
28.	पेथापुर	428.20				0.00
29.	वीजापुर	273.04				0.00

1	2	3	4	5	6	7
30.	रजुला	366.89				0.00
31.	सर्वकुंडला	555.45				0.00
32.	धागंधा	1461.04				0.00
	लागत	27454.18	1452.76	6994.32	113.18	8560.26
	स्कीमों की संख्या	32	5	20		25
	जम्मू-कश्मीर					
1.	डोडा	2633.60	0.00	964.47	260.15	1224.62
2.	भद्रवह	1177.98	0.00	431.40	116.36	547.76
3.	सुंदरबनी	930.71	0.00	340.84	91.94	432.78
4.	सांबा	1882.00	0.00	689.23	185.90	875.13
5.	कठुआ	2136.60	0.00	782.47	211.05	993.52
6.	उधमपुर	2882.00	0.00	1055.45	284.68	1340.13
	लागत	11642.89	0.00	4263.86	1150.08	5413.94
	स्कीमों की संख्या	6	0	6		6
	कर्नाटक					
1.	बिरूर	1339.00	0.00	555.69		555.69
2.	सिद्दपुर	524.90	0.00	217.83		217.83
3.	हिरकेरूर	1617.00	0.00	671.05		671.05
4.	दवनगेरे	355.80	0.00	147.66		147.66
5.	हुबली-धारवाड़	990.21	0.00	195.93	215.00	410.93
6.	होलेनरिसिपुर	89.79	0.00			0.00
7.	यारगोल (कोलार-बंगरपेट-मलूर)	7992.00	0.00			0.00
	लागत	12908.70	0.00	1788.16	215.00	2003.16
	स्कीमों की संख्या	7	0	5		5
	केरल					
1.	पय्यन्नुर	4019.00	0.00	864.09	803.80	1667.89
2.	अलप्पुझा	9194.00	0.00	1916.71	1838.80	3815.51

1	2	3	4	5	6	7
3.	त्रिशूर (कार्पो.)	11064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	लागत	24277.00	0.00	2840.80	2642.60	5483.40
	स्कीमों की संख्या	3		2		2
	मध्य प्रदेश					
1.	इटारसी	1467.83	0.00	587.13	0.00	587.13
2.	बुदनी	194.60	0.00	77.84	0.00	77.84
3.	गढ़कोटा	468.49	0.00	187.40	0.00	187.40
4.	विदिशा	1557.52	0.00	623.01	0.00	623.01
5.	दमोह	1066.72	0.00	426.69	0.00	426.69
6.	टीकमगढ़	983.18	0.00	393.27	0.00	393.27
7.	मलाजखंड	276.50	0.00	110.60	0.00	110.60
8.	जओरा	663.00	0.00	265.20	0.00	265.20
9.	रेहली	602.75	0.00	221.89	19.21	241.10
10.	छत्तरपुर	1593.80	0.00	586.73	50.79	637.52
11.	बियोरा	709.47	0.00	261.18	22.61	283.79
12.	रीवा	1427.87	0.00	525.65	45.50	571.15
13.	सिरोंज	622.96	0.00	229.33	19.85	249.18
14.	सनवद	729.68	0.00	268.62	23.25	291.87
15.	शुजलपुर	1745.32	0.00	642.52	55.61	698.13
16.	मंडसौर	3216.84	0.00	571.51	49.47	620.98
17.	पन्ना	1808.37	0.00	665.73	57.62	723.35
	लागत	19134.89	0.00	6644.30	343.91	6988.21
	स्कीमों की संख्या	17		17		17
	महाराष्ट्र					
1.	इस्लामपुर	1454.00	0.00	603.41		603.41
2.	भोर	319.20	0.00	132.47		132.47
3.	आश्ता	673.50	0.00	279.50		279.50

1	2	3	4	5	6	7
4.	सांगली (जलापूर्ति सीवरेज) मीराज, कुपवाड	7902.00	0.00			0.00
	सांगली मीराज, (जलापूर्ति सीवरेज) कुपवाड	3562.00	0.00			0.00
5.	मंगलवेधा	796.50	0.00	330.54		330.54
6.	चोपडा	486.00	0.00	201.69		201.69
7.	कोल्हापुर	5844.00	0.00			0.00
8.	पुसाद	839.00	0.00	348.14		348.14
9.	बारामति	1368.00				
10.	भद्रावती	1752.50	0.00	715.96		715.96
11.	जालना	12399.00	0.00			0.00
12.	मालेगांव	4611.00	0.00	912.40	1001.17	1913.57
13.	चिपलुन	956.00	0.00	189.17	207.57	396.74
14.	संगोल	2145.00	0.00			0.00
15.	बीद	2076.00	0.00			0.00
16.	अमलनेर	2487.00	0.00			0.00
17.	वाशिम	2997.00	0.00			0.00
18.	अचलपुर	3759.00	0.00	743.81	816.18	1559.99
19.	दपोली	142.00	0.00			0.00
20.	अमरावती	9329.00	0.00			0.00
21.	औरंगाबाद	35967.00	0.00			0.00
22.	सोनीपीठ	298.00	0.00			0.00
23.	सैलू	1189.000	0.00			0.00
24.	पथरी	1043.00	0.00			0.00
25.	परभणी	10448.00	0.00			0.00
26.	तेल्हर	614.00	0.00			0.00
27.	तासगांव	1456.00	0.00			0.00
28.	अकोट	1957.00	0.00			0.00

1	2	3	4	5	6	7
29.	यवतमल	1096.00	0.00			0.00
30.	अहमदनगर	2539.00	0.00			0.00
31.	शहद	1724.00	0.00			0.00
32.	श्रीरामपुर	4357.00	0.00			0.00
33.	चालिसगांव	407.00	0.00			0.00
34.	कराद	2910.00	0.00			0.00
35.	परौला	403.00	0.00			0.00
36.	बासमथ	3213.00	0.00			0.00
37.	मनमाड	336.00	0.00			0.00
38.	मूर्तिजापुर	1767.00	0.00			0.00
39.	जींतुर	909.00	0.00			0.00
	लागत	1385530.70	0.00	4457.09	2024.92	6482.01
	स्कीमों की संख्या	40	0	10		10
	मणिपुर					
1.	थोबल	1386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	कक्चिंग	1327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	जिरिबन	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	मोइरंग	1779.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	बिश्नुपुर	1209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	लागत	6277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	स्कीमों की संख्या	5	0	0		0
	नागालैण्ड					
1.	वोखा	3284.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	लॉग्लेंग	1016.22	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	किफिरे	700.67	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	पेरैन टाऊन	1264.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	लागत	6265.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	स्कीमों की संख्या	4	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	राजस्थान					
1.	उदयपुर	5395.00	0.00	2060.08	178.31	2238.39
	लागत	5395.00	0.00	2060.08	178.31	2238.39
	स्कीमों की संख्या	1	0	1	0	1
	तमिलनाडु					
1.	थिरूपथुर	648.00	0.00	259.20		259.20
2.	गुडलूर	525.00	0.00	210.00		210.00
3.	वल्पै	221.40	0.00	88.56		88.56
4.	स्लिविल्लिपुथुर	2949.19	0.00	1179.68		1179.68
5.	विक्रम्सिंगपुराम	246.00	0.00	98.40		98.40
6.	नमक्काल	990.50	0.00	396.20		396.20
7.	अरक्कोनम	844.70	0.00	337.88		337.88
8.	अरंथंगि	340.00	0.00	136.00		136.00
9.	पल्लदम	891.23	0.00	356.49		356.49
10.	करूर	110.38	0.00	44.15		44.15
11.	थिरूथनि	512.30	0.00	204.92		204.92
12.	म्यलाड्ढ	25.91	0.00	10.36		10.36
13.	देवकोट्टी	30.00	0.00	12.00		12.00
14.	विल्लुपुरम	955.00	0.00	382.00		382.00
15.	मनिमुथरू	130.84	0.00	52.34		52.34
16.	मूलकरैपति	226.00	0.00	90.40		90.40
17.	थेवराम	252.25	0.00	100.90		100.90
18.	पनैपुराम	155.37	0.00	62.15		62.15
19.	कोम्बै	223.00	0.00	89.20		89.20
20.	सेवुगपति	141.84	0.00	56.74		56.74
21.	बूंधिपुराम	61.18	0.00	24.47		24.47
22.	नल्लूर	62.69	0.00	25.08		25.08

1	2	3	4	5	6	7
23.	मरूंगुर	31.26	0.00	12.50		12.50
24.	थिमिरि	101.00	0.00	40.40		40.40
25.	थिरूकजहुकुंदराम	105.00	0.00	42.00		42.00
26.	कल्लिंजुर	105.27	0.00	42.11		42.11
27.	शेंबक्कम	78.65	0.00	31.46		31.46
28.	अमूर	110.00	0.00	44.00		44.00
29.	मरैमलैनगर	254.00	0.00	101.60		101.60
30.	थंजावुर	904.00	0.00	361.60		361.60
31.	इरोड	588.16	0.00	235.26		235.26
32.	गंधि नगर	29.15	0.00			0.00
33.	रामनाथपुरम	4770.00	0.00	878.00	1030.00	1908.00
34.	पर्मकुदि	5824.30	0.00	1072.07	1257.65	2329.72
35.	सिवगंगै	3279.90	0.00			0.00
36.	कीलकरै	2015.50	0.00	370.99	435.21	806.20
37.	रामेश्वरम	3376.50	0.00			0.00
38.	मुदुकुलथुर	1127.00	0.00			0.00
39.	मंदपम	893.00	0.00			0.00
40.	सयत्कुदि	853.00	0.00			0.00
41.	थोंदि	930.00	0.00			0.00
42.	आर.एस. मंगलम	567.00	0.00			0.00
43.	कमुथि	801.00	0.00			0.00
44.	अबिरमम	339.00	0.00			0.00
45.	थिरूपथुर	1447.00	0.00			0.00
46.	हयनकुडी	1121.00	0.00			0.00
47.	नेरकुप्पई	314.00	0.00			0.00
48.	पोन्नमरवथ्य	721.00	0.00	132.71	155.69	288.40
	लागत	41229.07	0.00	7581.82	2878.55	10460.37
	स्कीमों की संख्या	48	0	35		35

1	2	3	4	5	6	7
	उत्तर प्रदेश					
1.	फिरोजाबाद	2638.88	0.00	1095.13		1095.13
2.	फतेहपुर (जिला फतेहपुर)	1570.04	0.00	651.57		651.57
3.	सिद्धार्थ नगर	203.36	0.00	84.39		84.39
4.	उन्नाव	385.09	0.00	159.81		159.81
5.	बस्ती	973.26	0.00	403.90		403.90
6.	बलिया	804.23	0.00	307.17	26.59	333.76
7.	एटा	962.48	0.00	367.61	31.82	399.43
8.	गोंडा	985.71	0.00		409.07	409.07
9.	बुलंदशहर	1937.86	0.00		804.21	804.21
	लागत	10460.91	0.00	3069.58	1271.69	4341.27
	स्कीमों की संख्या	9		7	2	9
	पश्चिम बंगाल					
1.	सिलिगुड़ी	2271.00	0.00	942.47		942.47
2.	हल्दिया	558.57	0.00	231.81		231.81
3.	तामलुक	1135.60	0.00	471.28		471.28
4.	रामपुरहाट	715.67	0.00	297.00		297.00
5.	सुरी	965.73	0.00	400.78		400.78
6.	गुश्कर	780.27	0.00	323.81		323.81
7.	कृष्णनगर	1243.00	0.00	515.85		515.85
8.	बहरामपुर	1270.00	0.00	527.05		527.05
9.	शांतीपुर	1724.00	0.00	715.46		715.46
10.	कातवा	1298.14	0.00	538.73		538.73
11.	आरामबाग	1122.21	0.00		465.71	465.71
	लागत	13084.19	0.00	4964.23	465.71	5429.94
	स्कीमों की संख्या	11		10	1	11

1	2	3	4	5	6	7
	दादरा एवं नगर हवेली					
1.	सिलवासा और आमली	1864.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	लागत	1864.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	स्कीमों की संख्या	1	0	0		0
	उड़ीसा					
1.	सम्बलपुर	976.00	0.00	209.84	195.20	405.04
	लागत	976.00	0.00	209.84	195.20	405.04
	स्कीमों की संख्या	1	0	1		1
	कुल लागत	439497.53	6284.76	62272.07	28250.15	96806.96
	स्कीमों की संख्या	230	9	144	3	156

विवरण III

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत प्राप्त और सरकार के विचाराधीन जल आपूर्ति बढ़ाने संबंधी स्कीमों की राज्यवार संख्या

	राज्य	एयूडब्ल्यूएसपी के तहत मंजूर स्कीम की कुल संख्या	गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत स्कीमों की सं.			गत तीन वर्षों के दौरान जारी कुल राशि (लाख रु. में)		
			2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	42	20	शून्य	शून्य	1367.27	630.26	283.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	3		शून्य	शून्य	113.27	0.00	10.88
3.	असम	21	3	शून्य	शून्य	635.27	0.00	0.00
4.	बिहार	33	10	शून्य	शून्य	219.87	687.69	392.95
5.	छत्तीसगढ़	42	1	शून्य	शून्य	200.96	0.00	0.00
6.	गोवा	4		शून्य	शून्य	0.00	0.00	0.00

	1	2	3	4	5	6	7	8
7.	गुजरात	70	19	शून्य	शून्य	867.83	212.84	296.42
8.	हरियाणा	38	4	शून्य	शून्य	563.80	166.33	263.11
9.	हिमाचल प्रदेश	16	4	शून्य	शून्य	232.15	170.46	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	15	10	शून्य	शून्य	1198.68	876.90	0.00
11.	झारखंड	16	7	शून्य	शून्य	417.93	18.09	339.87
12.	कर्नाटक	45	10	शून्य	शून्य	1060.73	953.99	148.16
13.	केरल	13	3	शून्य	शून्य	231.55	0.00	315.98
14.	मध्य प्रदेश	147	19	शून्य	शून्य	822.68	0.00	150.31
15.	महाराष्ट्र	37	9	शून्य	शून्य	1104.19	0.00	727.65
16.	मणिपुर	26	2	शून्य	शून्य	254.07	0.00	0.00
17.	मेघालय	2		शून्य	शून्य	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	8		शून्य	शून्य	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैण्ड	2		शून्य	शून्य	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	35	7	शून्य	शून्य	577.39	299.92	245.19
21.	पंजाब	16	5	शून्य	शून्य	161.54	0.00	111.06
22.	राजस्थान	72	11	शून्य	शून्य	1545.97	31.77	788.96
23.	सिक्किम	2		शून्य	शून्य	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	93	31	शून्य	शून्य	808.19	249.56	109.79
25.	त्रिपुरा	12	3	शून्य	शून्य	309.53	63.56	240.55
26.	उत्तर प्रदेश	390	23	शून्य	शून्य	1664.93	0.00	272.83
27.	उत्तरांचल	22	3	शून्य	शून्य	138.77	62.63	65.51
28.	पश्चिम बंगाल	22	3	शून्य	शून्य	103.43	0.00	0.00
	कुल	1244	207			14600.00	4424.00	4763.02

विवरण IV

पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लिए 10 प्रतिशत एक मुश्त प्रावधान

10 प्रतिशत एक मुश्त प्रावधान स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत जल आपूर्ति वृद्धि परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	दी गई राशि
	अरुणाचल प्रदेश		
	2004-2005		
1.	तवांग नगर, अरुणाचल प्रदेश को जल आपूर्ति की व्यवस्था (निष्पादक एजेंसी राज्य सरकार)	854.53	500.62
2.	जयरमपुर, अरुणाचल प्रदेश में जल आपूर्ति को बेहतर बनाना (निष्पादक एजेंसी राज्य सरकार)	627.19	392.19
3.	नमसाई नगर, अरुणाचल प्रदेश के लिए जल आपूर्ति की वृद्धि (निष्पादक एजेंसी राज्य सरकार)	606.91	404.60
	2005-2006		
1.	सेप्पा नगर, अरुणाचल प्रदेश के लिए जल आपूर्ति की वृद्धि (निष्पादक एजेंसी राज्य सरकार)	826.20	275.40
	नागालैण्ड		
	2004-05		
1.	त्यूनसांग नगर के लिए ग्रेविटि जल आपूर्ति की व्यवस्था (निष्पादक एजेंसी राज्य सरकार)	1511.80	1007.88

विवरण V

पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लिए 10 प्रतिशत एक मुश्त प्रावधान

जल आपूर्ति वृद्धि स्कीमों के संबंध में विचाराधीन परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत
1.	तेजू जल आपूर्ति (वृद्धि तथा पुनर्गठन) परियोजना, अरुणाचल प्रदेश	1931.00
2.	नागालैण्ड पुलिस बल की बटालिनों के लिए विभिन्न परिसरों हेतु नागालैण्ड राज्य के लिए जल आपूर्ति वृद्धि	2327.00

निर्यातकों को ऋण

916. श्री संतोष गंगवार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बैंकों को रुपए के निरंतर मजबूत होने के कारण प्रभावित हो रहे निर्यातकों को सस्ते ऋण प्रदान करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) निर्यातकों के निम्नलिखित वर्गों को उपलब्ध कराए जा रहे रुपया निर्यात ऋण के संबंध में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 2 प्रतिशत बिन्दु वार्षिक की ब्याज सहायता के प्रावधान के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने 13 जुलाई, 2007 को परिपत्र संख्या डीबीओडी, डीआईआर (ईएक्सपी) बीसी सं. 22/04.02.01/2007-08 जारी किया:

I. विनिर्दिष्ट क्षेत्र

(1) वस्त्र (हथकरघा सहित)

(2) सिले-सिलाए वस्त्र

(3) चमड़ा उत्पाद

(4) हस्तशिल्प

(5) अभियांत्रिकी उत्पाद

(6) प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद

(7) समुद्री उत्पाद

(8) खेल-कूद के समान

(9) खिलौने

II. लघु और मध्यम (एमएमई) क्षेत्र में सभी निर्यातक।

तदनुसार, अब बैंक निर्यातकों की इन श्रेणी से, 1 अप्रैल, 2007 से 31 दिसम्बर, 2007 तक की अवधि के लिए बकाया निर्यात ऋण पर, 180 दिन तक के पोत-लदान-पूर्व ऋण और 90 दिन तक के पोत-लदानेत्तर ऋण पर अधिकतम, बीपीएलआर-4.5%, ब्याज प्रभारित करेंगे (निर्यातकों की अन्य श्रेणी हेतु 2.5% को घटाते हुए बीपीएलआर से अधिक नही, की तुलना में)।

[अनुवाद]

एन.आर.आई. प्रेषण

917. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) प्रेषणों की कुल राशि राज्य-वार कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की विद्यमान प्रबंधन सूचना प्रणाली में मांगे गए अनुसार आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सूचना देने के लिए नियत मार्च के अंतिम शुक्रवार के अनुसार वर्ष 2005, 2006 तथा 2007 के लिए कुल बकाया जमाराशियां क्रमशः 1,06,942 करोड़ रुपए, 1,14,831 करोड़ रुपए तथा 1,22,243 करोड़ रुपए थी।

डाकघरों के माध्यम से मजदूरी का संवितरण

918. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत डाकघरों के माध्यम से मजदूरी के संवितरण के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में संचार मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान डाकघरों के माध्यम से करने की संभावना का पता लगाने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डाक विभाग से सम्पर्क किया है। तथापि, डाक विभाग ने 2% की दर से सेवा प्रभार की मांग की है। मामले पर चर्चा चल रही है।

पंजाब एंड सिंध बैंक के विरुद्ध शिकायत

919. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक लिमिटेड के विरुद्ध ऋण राशि की वापसी अदायगी में असफल रहने वाले कर्जदारों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि बैंक ने कर्जदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बजाय गारंटीदाताओं को उनकी संपत्तियों की नीलामी के लिए धमकाया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) पंजाब एंड सिंध बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें केवल एक शिकायत मिली है जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि बैंक उन ऋण लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है जो ऋण राशि की वापसी अदायगी में असफल रहे हैं। बैंक ने बताया है कि गारंटीदाता के विरुद्ध कार्रवाई ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) के वसूली अधिकारी द्वारा की जा रही है न कि बैंक द्वारा। डीआरटी का यह मानना था कि गारंटीदाता बैंक को देय ऋण की वापसी अदायगी के लिए अन्य प्रतिवादियों की तरह समान रूप से जवाबदेह है, और इस प्रकार बैंक को प्रभारित सम्पत्ति की बिक्री करके बैंक की देय राशि की वसूली करने का आदेश दिया।

चूंकि यह मामला न्यायाधीन है, सरकार द्वारा इस पर कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है।

भारतीय शेयर बाजार में विदेशी आतंकवादियों का खतरा

920. **श्री जुएल ओराम:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने पार्टिसिपेटरी नोट्स पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है, जिनके कारण विदेशी निवेशक पहचान बताए बिना भारतीय शेयर बाजारों में निवेश कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की यह है कि पार्टिसिपेटरी नोट्स (पीएन) की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और तद्नुसार सुझाव दिया है कि पार्टिसिपेटरी नोट्स के नए निर्गमों की अनुमति न दी जाए। हालांकि, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पार्टिसिपेटरी नोट्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं कहा है। "विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेशों को प्रोत्साहित करने और सट्टेबाजी संबंधी प्रवाहों के प्रति पूंजी बाजारों की नजाकत को नियंत्रित करने" संबंधी भारत सरकार द्वारा डा. अशोक लाहिड़ी की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह ने पीएन के मामले की जांच की और सिफारिश की है कि पीएन के लिए वर्तमान व्यवस्था जारी रहनी चाहिए।

(ग) सेबी (एफआईआई) विनियम, 1995 के साथ पठित सेबी अधिनियम, 1992 के अनुसार कोई भी एफआईआई आधारिक प्रतिभूतियों के रूप में भारतीय लिखितों (इक्विटी /ऋण/डेरिवेटिव) के साथ विनियमित इकाई होने के नाते अंशदाता को पार्टिसिपेटरी नोट्स जारी कर सकता है। इसके अतिरिक्त, पीएन का यदि कोई अधोगामी निर्गम होता है तो उसे केवल संस्थाओं को विनियमित करने के लिए भी किया जा सकता है। विनियमों में पीएन जारी करने वाली एफआईआई से भी अपेक्षा होगी कि वह प्रत्येक महीने के अंत में निर्धारित प्ररूप में रिपोर्ट दायर करें जिसमें इसके द्वारा जारी पार्टिसिपेटरी नोट्स के सभी अंशदाताओं के नामों का भी उल्लेख किया जाए। एफआईआई को ऐसा आश्वासन भी देना होगा जिसमें यह घोषणा होगी कि वह या इससे संबद्ध संस्थाओं ने उक्त सूचना अवधि के दौरान भारतीय स्थानिकों/एनआरआई/पीआईओ/ओसीबी से/को कोई भी पीएन जारी नहीं किया है/खरीदा है/अंशदान किया है।

[हिन्दी]

विभिन्न न्यायालयों द्वारा मामलों का निपटान

921. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:**
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा आज की तारीख तक विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा निपटाए गए सिविल और आपराधिक मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने सिविल और आपराधिक मामले निपटाए गए;

(ग) न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार को राज्य सरकारों से उच्च न्यायालयों में लंबे समय से लंबित मामलों के निपटान के संबंध में सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा वर्ष 2004 और 2005 के दौरान निपटाए गए सिविल और दांडिक मामलों की संख्या, जैसा कि उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया था, दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों से वर्ष 2006 और आज की तारीख तक जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

(ख) उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री से जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

(ग) मामलों के निपटान में लगने वाला समय और संबंधित पहलू अनन्य रूप से न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तथापि, सरकार ने, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों में मामलों के शीघ्र निपटान को सुकर बनाने के लिए निम्नलिखित उपाए किए हैं:

* उच्च न्यायालयों में समय-समय पर न्यायाधीश पद संख्या का पुनर्विलोकन करना और रिक्तियों का तुरंत भरा जाना।
* ऐसे 1562 त्वरित निपटान न्यायालयों के जो राज्यों में तारीख 31.3.2005 को कार्यकरण कर रहे थे, कार्यकाल को और पांच वर्षों अर्थात् 31.3.2010 तक विस्तारित किया गया है।
* दाडिंव मामलों के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित करने के विचार से दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता में समुचित परिवर्तन किए गए हैं।
* न्यायालयों के कंम्पूटरीकरण के माध्यम से न्यायिक अवसंरचना का आधुनिकीकरण।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा मामलों का निपटान

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	2004		2005	
		सिविल मामले	दांडिक मामले	सिविल मामले	दांडिक मामले
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद	108982	56668	111909	48389
2.	आंध्र प्रदेश	46883	8715	43056	8032
3.	बम्बई	81274	15560	101811	27160
4.	कलकत्ता	48057	11621	45995	28527
5.	छत्तीसगढ़		11049*	9473	6085
6.	दिल्ली	86515	15379	36268	12707
7.	गुजरात	36180	12605	60596	20328
8.	गुवाहाटी	12731	3037	22423	6027
9.	हिमाचल प्रदेश	10971	2288	12436	1758

1	2	3	4	5	6
10.	जम्मू-कश्मीर	108194	38772	20229	1300
11.	झारखंड	8116	11238	6423	9911
12.	कर्नाटक	66988	6303	54178	7569
13.	केरल	50789	15094	59702	17019
14.	मद्रास	122460	55559	127778	64074
15.	मध्य प्रदेश	86504	48134	81364	36215
16.	उड़ीसा	14415	12963	30102	19143
17.	पटना	21297	45894	18173	36670
18.	पंजाब और हरियाणा	31767	22946	33277	27599
19.	राजस्थान	27850	22426	40936	21586
20.	सिक्किम	85	38	65	18
21.	उत्तरांचल	14460	3139	18793	3194

*सिविल और दांडिक मामले सम्मिलित हैं।

आर.बी.आई. और नाबार्ड के दिशानिर्देश

922. **श्री बी.के. हुम्मर:**
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के जिला सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड के दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(घ) सरकार द्वारा गुजरात के सहकारी बैंकों के विरुद्ध बैंक-वार क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) अब तक की गई कार्रवाई का क्या निष्कर्ष निकला?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत सौंपी गई विनियामक शक्तियों के अधीन विभिन्न अनुदेश तथा दिशानिर्देश जारी किये हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 के अंतर्गत नाबार्ड को डीसीसीबी का सांविधिक निरीक्षण करने की शक्ति दी गई है। पाई गई कमियां तथा निरीक्षण रिपोर्ट संबंधित बैंक को अनुपालनार्थ और भारतीय रिजर्व बैंक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित की जाती है। अधिकांश मामलों में कमियों को निर्धारित समयावधि में दूर किया जाता है। तथापि, स्थायी कमियों का अनुवर्तन नाबार्ड द्वारा बाद के निरीक्षणों में किया जाता है।

गुजरात में 20 सहकारी बैंकों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड के दिशानिर्देशों का उल्लंघन पाया गया है। इन निरीक्षणों के आधार पर, तीन डीसीसीबी के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई प्रारंभ की गई है:

(क) पंचमहल डीसीसीबी-बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 10 मई, 2003 के पत्र के तहत जारी किये गये निदेशों के आधार पर बैंक के बोर्ड का अधिक्रमण किया गया

था। आरसीएस द्वारा 11 मई, 2006 के पत्र के तहत प्रशासनिक समिति की अवधि मई, 2007 तक बढ़ा दी गई थी।

(ख) सुरेन्द्रनगर डीसीसीबी-रजिस्ट्रार, सहकारी समिति (आरसीएस) द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 2006 के आदेश के तहत बैंक के बोर्ड का अधिक्रमण किया गया था और प्रशासक नियुक्त किया गया था।

(ग) अमरेली डीसीसीबी-आरसीएस, गुजरात सरकार ने बोर्ड के अधिक्रमण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क किया है।

[अनुवाद]

विद्युत प्रशुल्क नीति

923. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:**
श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत प्रशुल्क नीति की मूल दिशानिर्देश क्या है;

(ख) उपभोक्ताओं के विभिन्न क्षेत्रों ''घरेलू'' वाणिज्यिक औद्योगिक तथा कृषि हेतु प्रशुल्क की दरें निर्धारित करते समय क्या अनुपात रखा जाएगा;

(ग) क्या नौवीं तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में घरेलू, कृषि तथा वाणिज्यिक विद्युत खपत हेतु विद्युत प्रशुल्क में कई गुना वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विद्युत प्रशुल्क को युक्तिसंगत बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ङ) वितरण लाइसेंसदारी द्वारा चार्ज किये जाने वाले विद्युत टैरिफ का निर्धारण करना राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) का सांविधिक कार्य है। इस कार्य में एसईआरसी विद्युत अधिनियम, 2003 में निहित प्रावधानों से मार्गदर्शन मिलता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा टैरिफ नीति और प्रतिस्पर्धा, सक्षमता, संसाधनों के किफायती उपयोग, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को प्रोत्साहित करने वाले कारकों के प्रावधान के साथ ही बिजली की लागत की वसूली तर्कसंगत रूप में सुनिश्चित करने और क्रॉस सब्सिडियां घटाने के प्रावधान है। एसईआरसी से यह अपेक्षा है कि विभिन्न स्टेकहोल्डरों की सुनवाई करने के बाद टैरिफ का निर्धारण पारदर्शी रूप से करे।

विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा 6 जनवरी, 2006 को अधिसूचित टैरिफ नीति में बिजली के उत्पादन, के टैरिफ निर्धारण पारेषण एवं वितरण संबंधी दृष्टिकोण दिये गये हैं। टैरिफ के युक्तिकरण के लिए नीति में निम्नलिखित प्रावधान दिये गये हैं:

(1) निर्दिष्ट स्तर, यानि 30 यूनिट प्रतिमाह से कम खपत करने वाले गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ताओं को राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार क्रॉस सब्सिडी के माध्यम से विशेष सहायता प्रदान की जा सकती है। उपभोक्ताओं के ऐसे निर्धारित समूह के लिए टैरिफ औसत आपूर्ति लागत का न्यूनतम 50% होगा। इस प्रावधान की पांच वर्षों के बाद पुनः जांच की जाएगी।

(2) इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कि टैरिफ विद्युत आपूर्ति लागत को उत्तरोत्तर परिलक्षित करता है, एसईआरसी इस लक्ष्य के साथ रोडमैप अधिसूचित करेगा कि वर्ष 2010-2011 के अंत तक टैरिफ आपूर्ति की औसत लागत के +/- 20% के भीतर हो। रोड मैप में क्रॉस सब्सिडी में क्रमिक रूप से कमी लाने के दृष्टिकोण पर आधारित मध्यवर्ती लक्ष्य भी होंगे।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ में और दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए बिजली की औसत दर क्रमशः संलग्न विवरण I, II और III में दी गई हैं।

बिजली का टैरिफ समग्र बिजली खरीद लागत के साथ-साथ वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय निष्पादन अर्थात समेकित तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों (एटी एंड सी) प्रचालनात्मक व्ययों, प्रणाली उन्नयन/संवर्धन इत्यादि के लिए पूंजीगत निवेश पर निर्भर है।

विवरण I

उपभोक्ताओं श्रेणीवार औसत टैरिफ, 1997-98

(पैसे/कि.घं.)

क्र.सं.	राज्य बिजली बोर्ड	घरेलू	वाणिज्यिक	कृषि/सिंचाई	औद्योगिक	रेलवे कर्षण	राज्य से बाहर	समग्र औसत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	165.58	369.04	16.12	340.00	380.87	36.71	166.65
2.	असम	117.87	320.38	476.70	192.56	0.00	0.00	215.81
3.	बिहार	110.39	225.43	12.15	275.99	330.01	172.49	200.80
4.	दिल्ली (डीवबी)	243.40	465.78	372.36	492.12	456.93	67.08	323.97
5.	गुजरात	164.00	330.00	18.00	338.70	405.00	0.00	184.00
6.	हरियाणा	203.95	337.82	61.08	372.20	372.19	120.00	187.36
7.	हिमाचल प्रदेश	60.00	220.00	50.00	198.00	-	150.67	162.32
8.	जम्मू व कश्मीर	31.50	57.90	12.50	46.00	-	-	34.35
9.	कर्नाटक	166.00	489.12	11.55	415.05	331.15	-	152.20
10.	केरल	77.99	279.88	54.63	163.20	102.00	-	124.60
11.	मध्य प्रदेश	74.48	362.37	5.30	377.48	532.28	151.85	170.36
12.	महाराष्ट्र	151.80	430.33	21.46	354.44	338.83	200.98	208.81
13.	मेघालय	83.22	153.82	49.30	158.17	-	143.84	129.14
14.	उड़ीसा (ग्रिडको)	132.30	330.78	84.95	322.27	373.69	-	259.04
15.	पंजाब	148.50	276.33	0.00	241.75	-	197.20	147.79
16.	राजस्थान	125.71	296.17	34.58	323.60	320.13	208.99	187.89
17.	तमिलनाडु	157.26	331.05	1.60	296.16	300.28	109.01	194.63
18.	उत्तर प्रदेश	104.95	303.61	49.65	383.45	414.53	15.98	171.56
19.	पश्चिम बंगाल	106.80	214.00	23.27	280.52	336.18	320.34	182.02
		137.23	295.42	20.22	314.63	382.17	138.53	180.85
ऊर्जा विभाग								
1.	अरुणाचल प्रदेश	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
2.	गोवा	93.65	234.94	55.26	226.28	0.00	118.51	187.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	मणिपुर	70.00	140.00	70.00	70.00	0.00	0.00	83.60
4.	मिजोरम	93.00	110.00	0.00	105.00	0.00	0.00	96.00
5.	नागालैंड	160.00	280.00	0.00	225.00	0.00	0.00	191.02
6.	पांडिचेरी	85.71	209.91	7.52	175.85	0.00	0.00	144.55
7.	सिक्किम	77.00	122.00	0.00	106.00	0.00	0.00	75.00
8.	त्रिपुरा	70.00	105.00	60.00	105.00	0.00	0.00	48.00
	ईडी का औसत	78.10	177.24	21.24	189.86	0.00	-	132.27
	अखिल भारत औसत	136.18	293.59	20.22	312.73	382.17	138.14	180.33

स्रोत-योजना आयोग

विवरण II

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

वित्तीय अध्ययन एवं सहायता प्रभाग

विद्युत की अनुमानित औसत दर दर्शाने वाला विवरण (31.3.2002 के अनुसार)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	आंध्र प्रदेश (एपीट्रांस्को)	01.04.2002	238.50	396.63	492.25	553.50	677.50	691.75	39.58	38.19	419.66	408.12	425.51	72.79	404.50	460.04	132/220 के.वी. पर
2.	असम	01.09.1998	228.20	280.92	292.35	566.40	490.59	494.17	144.50	109.18	284.26श् 139.76ग्रा	321.60	352.79	365.71	373.72		
3.	बिहार (शहरी) (ग्रामीण)	01.06.2001	206.70श् 63.60ग्रा	270.30	279.84	1213.91	858.81	858.81	64.95	63.60	693.53	706.93	464.48	467.22	464.56	519.22 269.21	25 के.वी. पर 132 के.वी. पर
4.	छत्तीसगढ़	01.03.1999	157.20	269.73	294.78	438.34	497.95	505.19	75.53	55.10	304.19	396.20	434.59	437.71	427.23	466.69	132/200 के.वी. पर
5.	गुजरात (शहरी) (ग्रामीण)	10.10.200	391.50श् 333.50ग्रा	516.30श् 439.80ग्रा	588.60श् 501.40ग्रा	638.00	677.15	679.33	65.36	62.24	401.17	459.36[illegible]	513.96	554.24	565.38	540.95	
6.	हरियाणा (यूएचबीवीएन)	01.09.2001	338.00	384.25	419.50	434.00	434.00	434.00	65.00	65.00	443.00	443.00	424.00	424.00	412.00	441.23	11 के.वी. पर
7.	हिमाचल प्रदेश	01.11.2001	115.75	199.69	227.48	327.50	317.50	316.25	69.90	66.84	258.84	257.17	276.54	279.11	282.57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
8.	जम्मू-कश्मीर	01.04.1999	292.80	244.00	244.00	489.22	311.10	311.10	40.26	40.26	164.70	164.70	164.70	164.70			
9.	झारखंड (शहरी)	मार्च 2001	139.00श	150.75	161.10	451.00	287.80	289.90	40.15	31.09	157.09	140.54	211.99	214.58	212.07	275.21	25 के.वी. पर
	ग्रामीण		46.00ग्रा													269.21	132 के.वी. पर
10.	कर्नाटक (केपीटीसीएल)	29.12.2000	256.00	337.50	421.00	611.25	575.76	577.88	50.00	50.00	341.32	406.65	446.65	459.17	467.44	478.75	11 के.वी. पर
11.	केरल	15.05.1999	107.80	384.81	500.62	773.75	915.55	955.53	76.37	74.78	376.41	364.51	379.44	385.02		348.67	110 के.वी. पर
12.	मध्य प्रदेश	5.10.2001	146.35	406.46श	421.05श	514.38	672.79	674.18	120.00	105.60	427.42	533.14	469.35	505.47	498.88	467.10	132/220 के.वी. पर
				346.94ग्रा	360.78ग्रा												
13.	महाराष्ट्र	01.01.2002	301.46	406.39	488.95	458.36	586.61	605.82	123.28	117.44	313.13	366.75	431.31	438.44		427.00	
14.	मेघालय	01.09.2001	130.00	182.50	205.00	288.50	314.50	317.75	76.00	76.00	266.12	287.77	219.75	222.23			
15.	उड़ीसा (ग्रिडको)	01.02.2001	135.00	315.00	315.00	415.00	455.00	455.00	105.00	105.00	320.00	340.00	344.26	357.06	384.46	407.45	25/33 के.वी. पर
16.	पंजाब	16.8.2001	201.40	311.39	348.09	429.25	429.25	429.25	57.00	55.10	324.25	367.30	376.75	376.75	365.57	465.00	11 के.वी. पर
17.	राजस्थान (केवीवीएनएल) (शहरी)	01.04.2001	32.50	305.63श	302.25श	550.00	551.00	553.00	105.03	83.40	391.04	417.66	447.07	448.83	450.19	446.66	
	(ग्रामीण)		292.75	277.57ग्रा	274.53ग्रा												
18.	तमिलनाडु	01.12.2001	204.75	359.63	442.58	598.50	606.90	607.95	20.00	20.00	327.81	493.72	445.60	462.61	469.04	511.16	
19.	उत्तर प्रदेश (यूपीपीसीएल) (शहरी)	16.09.2001	321.50श	327.13	316.25	599.00	491.00	492.50	72.25	64.28	413.09श	396.54श	393.63श	397.35श	383.79श	471.70	132 के.वी. से कम
	(ग्रामीण)		99.00ग्रा								350.98ग्रा	336.91ग्रा	337.43ग्रा	340.63ग्रा	325.74ग्रा	433.64	132 के.वी. और अधिक
20.	उत्तरांचल (यूपीसीएल) (शहरी)	01.01.2002	229.00श	239.00	273.00	484.00	454.00	460.25	67.40	50.51	386.04	404.66	346.15	349.66	340.22	479.21	25 के.वी. पर
	(ग्रामीण)		72.00ग्रा													467.52	132 के.वी. और कम
21.	प. बंगाल (शहरी)	01.04.2001	200.81श	330.90श	397.75श	367.40श	461.25श	461.25श	74.67	173.00	341.58	421.96	391.98	369.10	379.50	391.70	25 के.वी. पर
	(ग्रामीण)		171.68ग्रा	310.00ग्रा	354.74ग्रा	356.95ग्रा	450.00ग्रा	450.00ग्रा								361.70	132 के.वी. पर
22.	अरुणाचल प्रदेश	01.02.2000	162.50	211.78	231.75	357.50	387.50	391.25	-	-	345.00	361.44	393.95	394.89	-	-	
23.	गोवा	01.04.2002	122.00	170.75	216.50	314.50	344.50	363.25	102.00	102.00	257.00	297.00	339.19	342.29	350.35	-	
24.	मणिपुर	12.07.2001	262.20	299.70	-	429.70	302.20	396.00	272.20	272.20	287.20	367.41	336.41	353.33	337.20	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
25.	मिजोरम जिला मुख्यालय व अंचल क्षेत्र	01.03.2000	155.00	212.50	160.00	250.00	300.00	300.00	70.00	70.00	165.32	101.23	62.01	67.15	80.58	-	
	अन्य क्षेत्र			181.25	147.50												
26.	नागालैंड (शहरी) ग्रामीण	01.06.2001	250.00यू 200.00आर	300.00यू 200.00आर	300.00यू 200.00आर	350.00	380.00	380.00	150.00	150.00	250.00	275.00	275.00	275.00	-	-	
27.	सिक्किम (शहरी) (ग्रामीण)	01.11.2000	90.00	230.63	281.25	270.00	375.00	387.50	157.50	225.70	355.40यू 252.54आर	216.26	258.47	261.26	-	-	
28.	त्रिपुरा	01.08.2001	346.00	240.00	220.00	755.00	330.00	363.00	75.00	120.00	175.00	209.45	-	-	-	-	
29.	अं. व नि. द्वीप समूह	01.11.2001	115.00	243.75	289.50	330.00	410.00	420.00	75.00	75.00	285.30	298.63	-	-	-	-	
30.	चंडीगढ़	01.02.2001	174.00	250.25	283.50	401.00	401.00	401.00	103.68	102.75	301.00	336.00	381.00	381.00	369.90	-	
31.	दादर व नगर हवेली	01.02.1987	72.50	85.63	88.25	122.00	124.40	124.70	50.00	50.00	170.10	170.36	180.86	181.85	-	-	
32.	दमन व दीव	01.05.1999	130.00	172.50	204.00	237.50	263.50	266.75	55.00	55.00	230.00	251.48	258.83	261.01	-	-	
33.	दिल्ली	01.06.2001	157.50	252.00	327.60	526.00	462.00	525.00	78.75	78.75	430.50	430.50	459.05	462.30	454.80	480.58	11 के.वी. पर
34.	एनडीएमसी	01.06.2001	158.00	252.25	327.70	580.00	462.00	525.00	-	-	431.00	431.00	-	-	-	576.00	
35.	लक्षद्वीप	01.04.2000	200.00	337.50	375.00	650.00	650.00	650.00	-	-	450.00	450.00	-	-	-	-	
36.	पांडिचेरी	01.10.2001	55.00	113.75	150.50	348.40	340.08	339.04	11.74	7.27	246.24	258.72	317.52	333.42	-	-	
37.	अहमदाबाद इले. कं.	26.02.1998	314.03	385.43	422.19	423.61	635.04	643.92	313.74	313.18	369.66	400.90	418.51	421.84	-	-	
38.	कोलकाता (सीईएससी)	01.04.2002	270.80	462.92	543.95	314.93	635.63	435.24	-	-	474.44	532.13	528.54	532.09	524.40	537.94	
39.	डीवीसी (क) झारखंड क्षेत्र	01.09.2000	-	-	-	906.00	623.25	635.63	-	-	-	-	320.42	328.33	334.89	409.32	33 के.वी. पर
	(ख) प. बंगाल क्षेत्र		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336.38	344.89	351.94	391.37	132 के.वी. पर
40.	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि.	01.05.1999	180.25	338.44	404.83	361.18	467.00	467.00	207.00	293.54	327.66	445.44	400.46	406.46	-	-	
41.	मुम्बई (बेस्ट)	15.07.1997	84.00	305.51	441.48	622.00	757.60	802.80	-	-	669.06	721.15	418.43ई	422.08ई	-	-	
	(बीएसईएस)	1.4.2000	154.56	436.31	447.86	603.58	636.01	647.48	-	-	565.01	473.47	343.34	323.64	-	-	
	(टाटा)	01.12.1998	145.60	324.53	381.60	419.29	419.29	419.29	-	-	404.44	400.44	365.87	369.64	379.23	400.44	6.6 के.वी. से 33 के.वी.

यू-शहरी, आर-ग्रामीण। ई: 98 पैसे/किलोवाट के रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार के अलावा। एफ: 10 पैसे/किलोवाट के रिएक्टिव प्रभार के अलावा।

विभिन्न उपभोक्ता समूहों के लिए अधिसूचित टैरिफ के विभिन्न मानदंड हैं। उक्त तुलना किसी माह में अनुमानित भार तथा खपत स्तर का है।

उक्त विवरण एफ.एस. एंड ए. डिवीजन, सीईए द्वारा संसूचित विद्युत टैरिफ, विद्युत शुल्क/कर एवं एफसीए के आधार पर तैयार किया गया है।

विवरण III

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

वित्तीय अध्ययन एवं सहायता प्रभाग

विद्युत की अनुमानित औसत दर दर्शाने वाला विवरण (1.5.2007 तक अद्यतन)

क्र.सं.	यूटिलिटी का नाम	से प्रभावी टैरिफ	घरेलू 1 कि.वा. (100 किवाघं./माह)	घरेलू 4 कि.वा. (40 किवाघं./माह)	घरेलू 10 कि.वा. (1000 किवाघं./माह)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	01.04.2007	238.50	396.63	492.25
2.	असम	04.08.2006	310.00	411.50	445.00
3.	बिहार	01.11.2006	233.20 यू		
			76.32 आर	294.05	362.52
4.	छत्तीसगढ़	01.10.2006	189.10	238.50	334.58
5.	गुजरात	01.04.2006	389.00 यू	512.50 यू	582.70 यू
			288.00 आर	397.25 आर	459.35 आर
6.	हरियाणा	01.11.2006	361.20	415.05	455.52
7.	हिमाचल प्रदेश	8.7.2006	201.00	242.25	259.50
8.	जम्मू व कश्मीर	01.04.1999	122.00	222.00	222.00
9.	झारखंड	01.01.2004	163.00 यू	183.00	182.00
			74.00 आर		
10.	कर्नाटक	1.11.2006	292.43 डी	418.30 डी	482.32 डी
			292.43 ई	413.05 ई	482.32 ई
			260.93 एफ	381.55 एफ	442.42 एफ
11.	केरल*	01.04.2006	187.00	398.89	517.61
12.	मध्य प्रदेश	01.04.2006	335.59 सी	423.61 सी	442.96 सी
			329.89 एन	411.73 एन	430.83 एन
13.	महाराष्ट्र	01.10.2006	272.60	395.80	476.44
14.	मेघालय	01.10.2004	180.00	246.25	275.50
15.	उड़ीसा	01.04.2006	135.20	247.00	286.00
16.	पंजाब	01.04.2006	247.10	374.15	408.80

1	2	3	4	5	6
17.	राजस्थान	01.01.2005	417.50 यू	396.88 यू	392.75 यू
			390.25 आर	363.81 आर	358.53 आर
18.	तमिलनाडु	01.02.2006	120.00	216.25	269.50
19.	उत्तर प्रदेश	1.12.2004	282.00 यू	339.75	351.30
			124.00 आर	112.75	110.50
20.	उत्तरांचल	01.04.2006	215.00	215.00	215.00
21.	पश्चिम बंगाल	01.04.2006	216.58 यू	298.74 यू	368.84 यू
			210.46	287.33 आर	350.38 आर
22.	अरुणाचल प्रदेश	01.02.2000	162.50	211.88	231.75
23.	गोवा	01.04.2002	122.00	170.75	216.50
24.	मणिपुर	03.09.2002	262.20	299.70	302.20
25.	मिजोरम (जिला मुख्यालय अंचल क्षेत्र)	01.06.2006	170.00 180.00	247.50 195.00	249.00 198.00
26.	नागालैंड	01.04.2006	272.00	310.25	337.70
27.	सिक्किम	01.04.2006	105.75	266.06	322.43
28.	त्रिपुरा	01.07.2006	215.00	365.00	365.00
29.	अं. व नि. द्वीप समूह	01.07.2003	130.00	275.00	326.00
30.	चंडीगढ़	01.08.2005	179.00	304.00	204.00
31.	दादर व नगर हवेली	01.10.2006	130.00	172.50	204.00
32.	दमन व दीव	01.10.2006	130.00	172.50	204.00
33.	दिल्ली बीवाईपीएल/ बीआरपीएल/एनडीपीएल	01.10.2006	277.20	348.50	434.70
34.	दिल्ली एनडीएमसी	01.04.2006	158.00	252.25	327.70
35.	लक्षद्वीप	01.09.2004	100.00	300.00	300.00
36.	पांडिचेरी	16.04.2002	55.00	113.75	150.50
37.	अहमदाबाद इलै. कं.	01.08.2002	374.65	433.39	464.19
38.	कोलकाता (सीईएससी)	01.04.2006	279.84	460.05	530.06
39.	डीवीसी (क) बिहार क्षेत्र (ख) पश्चिम बंगाल क्षेत्र	01.09.2000 -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6
40.	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि.	01.04.2005	231.00	292.10	292.10
41.	मुम्बई (बेस्ट)	01.10.2006	110.20	262.80	361.64
	मुम्बई (रिलायंस इनर्जी)	01.10.2006	336.44	422.40	678.60
	मुम्बई टाटा	01.10.2006	227.80	436.40	569.96

यू: शहरी आर: ग्रामीण
एफ: ग्राम पंचायत के अंतर्गत क्षेत्र
एन: निरन्तर आपूर्ति न किए जाने वाले क्षेत्र
ई: अन्य स्थानीय निकायों के अंतर्गत क्षेत्र
सी: निरन्तर आपूर्ति क्षेत्र
डी: बंगलौर मेट्रो क्षेत्र

क्र.सं.	यूटिलिटी का नाम	से प्रभावी टैरिफ	वाणिज्यिक 2 कि.वा. (300 किवाघं./माह)	वाणिज्यिक 10 कि.वा. (1500 किवाघं./माह)	वाणिज्यिक 30 कि.वा. 4500 किवाघं./माह)	वाणिज्यिक 50 कि.वा. (7500 किवाघं./माह)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	01.04.2007	599.33	624.67	628.89	629.73
2.	असम	04.08.2006	528.33	528.33	536.31	536.31
3.	बिहार	01.11.2006	515.87 यू	503.85	500.09	499.33
			51.94 आर			
4.	छत्तीसगढ़	01.10.2006	436.41	519.17	519.37	519.41
5.	गुजरात	01.04.2006	599.17	631.23	625.74	624.65
6.	हरियाणा	01.11.2006	473.00	473.00	473.00	473.00
7.	हिमाचल प्रदेश	8.7.2006	440.67	427.33	437.33	436.44
8.	जम्मू व कश्मीर	01.04.1999	277.00	277.00	277.00	277.00
9.	झारखंड	01.01.2004	438.67	438.67	438.67	438.67
10.	कर्नाटक	1.11.2006	637.88 डी	651.18 डी	653.39 डी	653.84 डी
			618.63 ई	630.53 ई	632.51 ई	632.91 ई
			609.87 एफ	623.18 एफ	625.39 एफ	625.83 एफ
11.	केरल*	01.04.2006	727.84	889.90	962.74	969.98
12.	मध्य प्रदेश	01.04.2006	645.77	647.31	647.57	647.62
13.	महाराष्ट्र	01.10.2006	491.71	541.63	576.09	579.05
14.	मेघालय	01.10.2004	409.33	446.67	452.89	454.13
15.	उड़ीसा	01.04.2006	384.80	443.04	452.74	454.69
16.	पंजाब	01.04.2006	469.30	469.30	469.30	469.30
17.	राजस्थान	01.01.2005	556.67	554.00	555.78	556.13

1	2	3	4	5	6	7
18.	तमिलनाडु	01.02.2006	602.00	607.60	608.30	808.63
19.	उत्तर प्रदेश	1.12.2004	452.33 यू	452.33	452.33	452.33
			152.33 आर	152.33	152.33	152.33
20.	उत्तरांचल	01.04.2006	315.00 डब्ल्यू	315.00 डब्ल्यू	315.00 डब्ल्यू	315.00 डब्ल्यू
			365.00 एम	365.00 एम	365.00 एम	385.00 एम
21.	पश्चिम बंगाल	01.04.2006	362.21 यू	526.08 यू	586.34 यू	598.39 यू
			356.82 आर	524.95 आर	585.96 आर	598.16 आर
22.	अरुणाचल प्रदेश	01.02.2000	370.00	390.00	393.33	394.00
23.	गोवा	01.04.2002	327.00	357.00	373.67	377.00
24.	मणिपुर	03.09.2002	302.20	302.20	381.80	381.80
25.	मिजोरम (जिला मुख्यालय अंचल क्षेत्र)	01.06.2006	266.67	266.67	266.67	266.67
26.	नागालैंड	01.04.2006	398.00	431.60	437.20	438.32
27.	सिक्किम	01.04.2006	335.25	396.45	408.15	410.49
28.	त्रिपुरा	01.07.2006	353.33	456.67	456.67	456.67
29.	अं. व नि. द्वीप समूह	01.07.2003	406.67	465.33	475.11	477.07
30.	चंडीगढ़	01.08.2005	347.00	347.00	347.00	347.00
31.	दादर व नगर हवेली	01.10.2006	248.33	265.67	268.56	269.13
32.	दमन व दीव	01.10.2006	248.33	265.67	268.56	269.13
33.	दिल्ली बीवाईपीएल/ बीआरपीएल/ एनडीपीएल	01.10.2006	596.75	596.75	622.76	622.76
34.	दिल्ली एनडीएमसी	01.04.2006	482.00	525.00	525.00	525.00
35.	लक्षद्वीप	01.09.2004	480.00	480.00	480.00	480.00
36.	पांडिचेरी	16.04.2002	274.74	325.34	333.78	335.47
37.	अहमदाबाद इलै. कं.	01.08.2002	549.33	610.35	616.81	618.71
38.	कोलकाता (सीईएससी)	01.04.2006	447.34	575.89	593.93	597.53
39.	डीवीसी (क) बिहार क्षेत्र	01.09.2000	-	-	-	-
	(ख) पश्चिम बंगाल क्षेत्र		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
40.	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि.	01.04.2005	280.74	305.83	304.81	304.61
41.	मुम्बई (बेस्ट)	01.10.2006	467.05	589.65	656.77	670.20
	मुम्बई (रिलायंस इनर्जी)	01.10.2006	678.30	741.08	776.18	776.18
	मुम्बई टाटा	01.10.2006	590.10	544.90	742.01	742.01

यू: शहरी आर: ग्रामीण
एफ: ग्राम पंचायत के अंतर्गत क्षेत्र
एन: निरन्तर आपूर्ति न किए जाने वाले क्षेत्र
डब्ल्यू: टीओडी मीटर के साथ
ई: अन्य स्थानीय निकायों के अंतर्गत क्षेत्र
एम: टीओडी मीटर के बिना
डी: बंगलौर मेट्रो क्षेत्र

क्र.सं.	यूटिलिटी का नाम	से प्रभावी टैरिफ	कृषि 2 एचपी (400 किवार्घ./माह)	कृषि 5 एचपी (1000 किवार्घ./माह)	कृषि 10एचपी (2000 किवार्घ./माह)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	01.04.2007	29.38	23.75	21.88
2.	असम	04.08.2006	240.00	240.00	240.00
3.	बिहार	01.11.2006	51.50 आरएस	51.50 आरएस	51.50 आरएस
			61.50 यूएस	61.50 यूएस	61.50 यूएस
4.	छत्तीसगढ़	01.10.2006	32.50	32.50	42.50
5.	गुजरात	01.04.2006	69.75	69.75	69.75
6.	हरियाणा	01.11.2006	17.50	17.50	17.50
7.	हिमाचल प्रदेश	8.7.2006	188.00	185.00	184.00
8.	जम्मू व कश्मीर	01.04.1999	102.00	102.00	102.00
9.	झारखंड	01.01.2004	28.75	28.75	28.75
10.	कर्नाटक	1.11.2006	45.00 जी	45.00 जी	55.00 जी
			110.00 एच	110.00 एच	115.00 एच
11.	केरल*	01.04.2006	74.80	74.80	74.80
12.	मध्य प्रदेश	01.04.2006	182.50	205.00	212.50
13.	महाराष्ट्र	01.10.2006	90.00 आई	90.00 आई	90.00 आई
			75.00 जे	75.00 जे	75.00 जे
14.	मेघालय	01.10.2004	116.00	116.00	116.00
15.	उड़ीसा	01.04.2006	102.00	102.00	102.00
16.	पंजाब	01.04.2006	0.00	0.00	0.00
17.	राजस्थान	01.01.2005	78.75	75.60	74.55

1	2	3	4	5	6
18.	तमिलनाडु	01.02.2006	0.00	0.00	0.00
19.	उत्तर प्रदेश	1.12.2004	224.00 यू 45.00 आर	224.00 यू 45.00 आर	224.00 यू 45.00 आर
20.	उत्तरांचल	01.04.2006	81.60 यू 69.00 आर	78.00 यू 65.40 आर	76.80 यू 64.20 आर
21.	पश्चिम बंगाल	01.04.2006	147.00	147.00	147.00
22.	अरुणाचल प्रदेश	01.02.2000	-	-	-
23.	गोवा	01.04.2002	102.00	102.00	102.00
24.	मणिपुर	03.09.2002	272.20	272.20	272.20
25.	मिजोरम (जिला मुख्यालय अंचल क्षेत्र)	01.06.2006	65.82	65.82	65.82
	अन्य क्षेत्र				
26.	नागालैंड	01.04.2006	150.00	150.00	150.00
27.	सिक्किम	01.04.2006	180.00	247.50	326.25
28.	त्रिपुरा	01.07.2006	87.46	87.46	134.92
29.	अं. व नि. द्वीप समूह	01.07.2003	90.00	90.00	90.00
30.	चंडीगढ़	01.08.2005	165.00	165.00	165.00
31.	दादर व नगर हवेली	01.10.2006	55.00	55.00	55.00
32.	दमन व दीव	01.10.2006	55.00	55.00	55.00
33.	दिल्ली बीवाईपीएल/ बीआरपीएल/ एनडीपीएल	01.10.2006	162.20	162.20	162.20
34.	दिल्ली एनडीएमसी	01.04.2006	-	-	-
35.	लक्षद्वीप	01.09.2004	-	-	-
36.	पांडिचेरी	16.04.2002	0.00	20.67	19.83
37.	अहमदाबाद इलै. कं.	01.08.2002	311.64	311.64	311.64
38.	कोलकाता (सीईएससी)	01.04.2006	-	-	-
39.	डीवीसी (क) बिहार क्षेत्र (ख) पश्चिम बंगाल क्षेत्र	01.09.2000	- -	- -	- -
40.	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि.	01.04.2005	277.00	271.00	269.00

1	2	3	4	5	6
41.	मुम्बाई (बेस्ट)	01.10.2006	-	-	-
	मुम्बाई (रिलायंस इनर्जी)	01.10.2006	214.50	214.50	214.50
	मुम्बाई टाटा	01.10.2006	-	-	-

यू: शहरी आर: ग्रामीण आरएफ: ग्रामीण अनुसूची
यूएस: शहरी अनुसूची जी: सामान्य एच: शहरी फीडर
आई: श्रेणी एक जोन क्षेत्र जे: श्रेणी दो जोन क्षेत्र

क्र.सं.	यूटिलिटी का नाम	से प्रभावी टैरिफ	लघु उद्योग 10 कि.वा. (1500 किवाघं./माह)	मध्यम उद्योग 50 कि.वा. (7500 किवाघं./माह)	बृहद उद्योग 1000 60% एल.एफ.कि.वा. (438000 किवाघं./माह)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	01.04.2007	415.40	414.33	380.30
2.	असम	04.08.2006	385.67 यू	450.33	370.20
			254.00 आर		
3.	बिहार	01.11.2006	490.38	525.72	497.84
4.	छत्तीसगढ़	01.10.2006	304.52	413.35	423.47
5.	गुजरात	01.04.2006	450.82	480.37	507.01
6.	हरियाणा	01.11.2006	483.00	504.90	462.00
7.	हिमाचल प्रदेश	8.7.2006	376.33	395.44	317.11
8.	जम्मू व कश्मीर	01.04.1999	157.00	147.00	157.00
9.	झारखंड	01.01.2004	405.62	405.62	412.95
10.	कर्नाटक	1.11.2006	418.40 डी	521.47 डी	490.28 डी
			397.96 ओ	477.57 ओ	471.71 ओ
11.	केरल*	01.04.2006	390.50	390.50	385.02
12.	मध्य प्रदेश	01.04.2006	396.13	521.00	509.09
13.	महाराष्ट्र	01.10.2006	555.23	611.77	346.55 बी
					420.75 ओ
14.	मेघालय	01.10.2004	383.33	408.67	253.92
15.	उड़ीसा	01.04.2006	322.40	335.81	357.10
16.	पंजाब	01.04.2006	374.70	413.20	413.20
17.	राजस्थान	01.01.2005	421.28	459.68	463.83

1	2	3	4	5	6
18.	तमिलनाडु	01.02.2006	458.85	488.57	452.11
19.	उत्तर प्रदेश	1.12.2004	452.33 यू 408.00 आर	452.33 यू 408.00 आर	438.36 यू 395.42 आर
20.	उत्तरांचल	01.04.2006	305.09	305.09	282.10
21.	पश्चिम बंगाल	01.04.2006	378.52 यू 363.45 आर	468.89 यू 448.31 आर	463.68
22.	अरुणाचल प्रदेश	01.02.2000	345.00	353.33	393.86
23.	गोवा	01.04.2002	257.00	297.00	342.29
24.	मणिपुर	03.09.2002	287.20	381.80	336.09
25.	मिजोरम (जिला मुख्यालय अंचल क्षेत्र)	01.06.2006	196.08	193.08	67.15
26.	नागालैंड	01.04.2006	280.00	296.33	314.68
27.	सिक्किम	01.04.2006	414.00 यू 300.00 आर	288.18	312.30
28.	त्रिपुरा	01.07.2006	300.00	336.67	-
29.	अं. व नि. द्वीप समूह	01.07.2003	316.67	327.33	-
30.	चंडीगढ़	01.08.2005	350.33	387.00	360.70
31.	दादर व नगर हवेली	01.10.2006	230.00	253.40	299.97
32.	दमन व दीव	01.10.2006	250.00	282.34	279.97
33.	दिल्ली बीवाईपीएल/ बीआरपीएल/ एनडीपीएल	01.10.2006	560.00	560.00	560.30
34.	दिल्ली एनडीएमसी	01.04.2006	431.00	431.00	-
35.	लक्षद्वीप	01.09.2004	330.00	330.00	--
36.	पांडिचेरी	16.04.2002	247.52	257.50	320.15
37.	अहमदाबाद इलै. कं.	01.08.2002	396.72	446.40	411.62
38.	कोलकाता (सीईएससी)	01.04.2006	388.08	478.34	432.74
39.	डीवीसी (क) बिहार क्षेत्र	01.09.2000	-	-	364.55
	(ख) पश्चिम बंगाल क्षेत्र		-	-	389.21

1	2	3	4	5	6
40.	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि.	01.04.2005	280.99	302.43	319.46
41.	मुम्बाई (बेस्ट)	01.10.2006	441.77	531.71	340.53
	मुम्बाई (रिलायंस इनर्जी)	01.10.2006	69.86	729.27	557.17
	मुम्बाई टाटा	01.10.2006	522.92	697.22	456.05

यू: शहरी आर: ग्रामीण डी: बंगलौर मेट्रो क्षेत्र ओ: अन्य क्षेत्र

क्र.सं.	यूटिलिटी का नाम	से प्रभावी टैरिफ	भारी उद्योग 10000 60% एल.एफ. (4380000 किवार्ष./माह)	भारी उद्योग (33 के.वी.) 20000 कि.वा. 60% एल.एफ. (8760000 किवार्ष./माह)	रेलवे कर्षण 12500 कि.वा. (25000000 किवार्ष/माह)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	01.04.2007	418.60	407.68	410.03
2.	असम	04.08.2006	369.07	358.05	
3.	बिहार	01.11.2006		484.56	531.89 25 केवी पर
					525.89 132 केवी पर
4.	छत्तीसगढ़	01.10.2006	423.47	452.40	477.22 132 केवी पर
5.	गुजरात	01.04.2006	546.70	546.50	561.12 132 केवी पर
6.	हरियाणा	01.11.2006	462.00	450.00	481.29 11 केवी पर
7.	हिमाचल प्रदेश	8.7.2006	305.02	302.80	-
8.	जम्मू व कश्मीर	01.04.1999	157.00		
9.	झारखंड	01.01.2004	412.95	392.95	516.50 25 केवी पर
					477.69 132 केवी पर
10.	कर्नाटक	1.11.2006	501.07 डी	499.57 डी	485.88
			482.50 ओ	480.99 ओ	
11.	केरल*	01.04.2006	385.02		360.29 110 केवी पर
12.	मध्य प्रदेश	01.04.2006	509.09	502.81	468.33 132/220 केवी पर
13.	महाराष्ट्र	01.10.2006	346.55 बी		390.00
			470.58 ओ		
14.	मेघालय	01.10.2004	253.53		

1	2	3	4	5	6
15.	उड़ीसा	01.04.2006	357.05	357.05	413.48 25/33 केवी पर
16.	पंजाब	01.04.2006	413.20	400.92	447.00 132 केवी पर
17.	राजस्थान	01.01.2005	463.83	460.65	451.00
18.	तमिलनाडु	01.02.2006	462.61	452.11	526.47
19.	उत्तर प्रदेश	01.12.2004	438.38	419.38	472.22 132 केवी से नीचे
			395.42 आर	378.34 आर	452.78 132 केवी और उससे ऊपर
20.	उत्तरांचल	01.04.2006	282.10	275.68	
21.	पश्चिम बंगाल	01.04.2006	463.48	443.18	450.84 25 केवी पर
					417.52 132 केवी पर
22.	अरुणाचल प्रदेश	01.02.2000	394.89		
23.	गोवा	01.04.2002	342.29	342.29	
24.	मणिपुर	03.09.2002	336.09	336.09	
25.	मिजोरम (जिला मुख्यालय अंचल क्षेत्र)	01.06.2006	67.15	67.15	
	अन्य क्षेत्र				
26.	नागालैंड	01.04.2006	314.97		
27.	सिक्किम	01.04.2006	312.30		
28.	त्रिपुरा	01.07.2006			
29.	अं. व नि. द्वीप समूह	01.07.2003			
30.	चंडीगढ़	01.08.2005	360.70	350.21	
31.	दादर व नगर हवेली	01.10.2006	301.00		
32.	दमन व दीव	01.10.2006	281.00		
33.	दिल्ली बीवाईपीएल/ बीआरपीएल/ एनडीपीएल	01.10.2006	560.30	547.32	517.26 11 केवी पर
34.	दिल्ली एनडीएमसी	01.04.2006	-	-	576.00
35.	लक्षद्वीप	01.09.2004	-	-	-
36.	पांडिचेरी	16.04.2002	332.72		
37.	अहमदाबाद इलै. कं.	01.08.2002	411.62		
38.	कोलकाता (सीईएससी)	01.04.2006	432.74	417.01	377.30

1	2	3	4	5	6
39.	डीवीसी (क) बिहार क्षेत्र	01.09.2000	364.55	350.71	451.72 33 केवी पर
	(ख) पश्चिम बंगाल क्षेत्र		389.21	374.21	432.83 132 केवी पर
40.	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि.	01.04.2005	319.46	-	
41.	मुम्बई (बेस्ट)	01.10.2006	340.53	-	
	मुम्बई (रिलायंस इनर्जी)	01.10.2006	557.17	-	
	मुम्बई टाटा	01.10.2006	456.05	0.00	511.85 33/22/11/6.6 केवी

यू: शहरी आर: ग्रामीण डी: बंगलौर मेट्रो क्षेत्र

बी: बीएसआर/पीएमआर क्षेत्र ओ: अन्य क्षेत्र

एनआरईजीएस के लिए निर्धारित धनराशि का दुरुपयोग

924. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के लिए निर्धारित धनराशि का प्रयोग अन्य लाभकारी कार्यों के लिए किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वे राज्य कौन-कौन से हैं, जहां ऐसे अन्यत्र उपयोग का पता चला है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वैकल्पिक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का विकास

925. प्रो. प्रेम कुमार धूमल:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री अबु अयीश मंडल:
श्री संजय धोत्रे:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में वाहनों हेतु ईंधन के वैकल्पिक स्रोत के रूप में हाइड्रोजन के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा हाइड्रोजन ईंधन से वाहन चलाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या सरकार हाइड्रोजन के विकास की उच्च लागत को देखते हुए इसके विकास के लिए राजसहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या पहल की गई है/की जा रही है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) भारत में हाइड्रोजन ऊर्जा के विकास हेतु राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड के मार्गदर्शन में एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप तैयार किया गया है। इस राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप में हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण, अनुप्रयोगों, सुरक्षा, कोडों तथा मानकों और वर्ष 2020 तक की अवधि हेतु क्षमता निर्माण सहित हाइड्रोजन ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय अंतराल को दूर करने के लिए आवश्यक अनुसंधान, विकास, प्रदर्शन तथा अन्य प्रयासों की पहचान की गई है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप में वाहनों में ईंधन के रूप में तथा विद्युत उत्पादन के लिए हाइड्रोजन के प्रयोग हेतु दो प्रमुख पहलों की सिफारिश भी की गई है। इस रोड मैप में यह परिकल्पना की गई है कि वर्ष 2020 तक भारतीय सड़कों पर लगभग एक मिलियन हाइड्रोजन चालित वाहन चलेंगे।

(ग) और (घ) चूंकि वाहनों में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के प्रयोग की प्रौद्योगिकी अभी भी अनुसंधान एवं विकास की अवस्था में है, अतः वाहनों में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन की शुरुआत करने के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराने की अभी कोई योजना नहीं है।

(ङ) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दो दशकों से हाइड्रोजन ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक आधार के एक अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन कार्यक्रम की सहायता की जा रही है और देश में हाइड्रोजन ऊर्जा के संवर्धन हेतु विभिन्न पणधारियों के साथ नियमित रूप से विचार-विमर्श किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

अनुसंधान एवं विकास हेतु विधान

926. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए एक विधान लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विधान को कब तक लाए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) सभी वैज्ञानिक विभागों द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान का संवर्धन करना अनिवार्य है। यह अनेक उपायों को प्राप्त किये जाने के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है। इसमें पर्याप्त वित्तीय संसाधनों को प्राप्त किया जाना, और अधिक संस्थागत सहायता लिया जाना, आवश्यक विविध नीतियों और संभावित वैधानिक उपायों को उपयुक्त रूप से लागू करना शामिल है।

(ख) इस अवस्था में, जब सभी विकल्प विचाराधीन और उन पर विचार किया जा रहा है, किसी भी विवरण पर, यदि कोई हो, जब तक उन्हें अंतिम रूप नहीं दिया जाता, उन पर विचार नहीं किया जा सकता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एनआरईजीएस के अंतर्गत धनराशि का उपयोग

927. श्री हंसराज गं अहीरः क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों ने केन्द्र सरकार से धनराशि प्राप्त होने के बावजूद भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसे खर्च नहीं किया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन राज्यों के विरुद्ध कोई उपचारात्मक कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) एनआरईजीए मांग आधारित है और इसलिए इसके कार्यान्वयन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। रोजगार की मांग करने वाले पंजीकृत व्यक्ति को रोजगार की मांग के 15 दिनों के भीतर कार्य मुहैया करना पड़ता है। उपलब्ध संसाधनों की 60 प्रतिशत धनराशि के उपयोग का दर्शाने वाले प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात जिलों को निधियां रिलीज करने पर विचार किया जाता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बफर स्टॉक हेतु चीनी मिलों को अतिरिक्त ऋण

928. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकों को निदेश दिये हैं कि वे चीनी मिलों को 20 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक बनाने के लिए आसान शर्तों पर 420 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण प्रदान करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैंकों द्वारा इन चीनी मिलों को प्रदान किये गये प्राथमिक तथा अतिरिक्त ऋणों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) सरकार ने, दिनांक 1 मई, 2007 से एक वर्ष के लिए 20 लाख टन चीनी का एक बफर स्टॉक (सुरक्षित भंडार)

बनाया है जिसमें चीनी विकास निधि से ली गई 378 करोड़ रुपये की बफर सब्सिडी सम्मिलित है। बफर स्टॉक बनाने से बैंक चीनी मिलों को अतिरिक्त ऋण प्रदान करता है क्योंकि सुरक्षित भंडार के लिए मार्जिन राशि नहीं रखी जाती है। तदनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 11 जुलाई, 2007 के अपने परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं. 20/08.7.06/2007-08 के द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अनुदेश दिया है कि मार्जिन राशि को संबंधित चीनी मिलों को अतिरिक्त ऋण के रूप में जारी करें, यह राशि 420 करोड़ रुपये आंकी गई है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में आरजीजीवीवाई

929. **श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र को कोई धनराशि स्वीकृत तथा जारी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 52.60 करोड़ रुपये की लागत पर महाराष्ट्र की चार परियोजनाएं कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत की जा चुकी हैं। जब योजना लागू की गई तब अप्रैल, 2005 में योजना के अंतर्गत दिनांक 10.8.2007 तक के लिये महाराष्ट्र को इस योजना के अंतर्गत कुल 10.02 करोड़ रुपये जारी किये गये।

बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन

930. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एमआरटीपी) आयोग ने अपनी प्राथमिक सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि कुछ वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट कार्ड संबंधी नवम्बर 2005 के भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वे बैंक कौन-कौन से हैं, जिन्होंने क्रेडिट कार्ड संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है;

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जी, हां। आईसीआईसीआई बैंक, सिटी बैंक और एचएसबीसी को क्रेडिट कार्ड व्यवसाय में स्वतंत्र ठेकेदार बताए बिना प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों के जरिये, अपने क्रेडिट कार्ड बिक्री करने और उसे बढ़ाने, जनसाधारण को क्रेडिट कार्ड सेवाएं देते समय प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों द्वारा कथित गलत व्यापार कार्य में लगे होने और बैंकों की क्षमता से ज्यादा वादे करने, ग्राहकों को उनकी भाषा में अत्यंत महत्वपूर्ण निबंधन और शर्तों की जानकारी दिये बिना क्रेडिट कार्ड आवेदन मांगने, अत्यंत महत्वपूर्ण निबंधन और शर्तों को आवेदन पत्र का मुख्य हिस्सा बनाए बिना क्रेडिट कार्ड सेवा के लिए आवेदन आमंत्रित करने, आवेदन पत्रों में अपेक्षाकृत बारीक अक्षर प्रयोग करने, खातों के विवरण सही समय पर उपलब्ध करवाए बिना जुर्माने लगाने, पावती जारी किये बिना चुकौती के चेक स्वीकार करने जैसे भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के कथित उल्लंघन हेतु एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग की ओर से जांच नोटिस मिला है।

(घ) और (ङ) बैंक की सहापराधिता प्रमाणित होने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक, अपनी प्रणाली व प्रक्रिया सुधारने के लिए बैंक को सलाह देने, बैंक पर अर्थ दंड लगाने सहित ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपयुक्त नियामक कार्रवाई करता है।

संपूर्ण सफाई अभियान के अंतर्गत धनराशि का आवंटन

931. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने सम्पूर्ण सफाई अभियान के दिशानिर्देशों में किये गये परिवर्तनों के मद्देनजर धनराशि के बारे में प्रस्ताव सौंपे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव हेतु धनराशि जारी की जा चुकी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) धनराशि को कब तक जारी कर दिये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (घ) संपूर्ण स्वच्छता अभियान के दिशा-निर्देशों में किये गये परिवर्तन के मद्देनजर कर्नाटक के सभी 27 जिलों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन्हें अनुमोदित कर दिया गया है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) एक मांग आधारित कार्यक्रम है और इसीलिए संबंधित राज्य द्वारा की गई मांग के अनुसार और निर्धारित मानदंडों के भीतर निधियां रिलीज की जाती हैं। वर्ष 2007-08 में, कर्नाटक को अपनी मांग के अनुसार आज तक 551.23 लाख रुपये रिलीज किये गये हैं।

सीमावर्ती क्षेत्रों में धन शोधन

932. श्री जुएल ओराम: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में धन शोधन के सीमापार मामलों तथा संदिग्ध आतंकवादी वित्तपोषण के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 2004-05, 2006-07 तथा 2007-08 में आज की तारीख तक कितने मामले पकड़े गए; और

(घ) इन मामलों में लिप्त व्यक्तियों/संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राज्यों का ऋण भार

933. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार ऋण के भार से दबे राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 2005-06 से बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य के ऋण सुदृढ़ीकरण एवं राहत सुविधा के अंतर्गत राज्य-वार कितना ऋण माफ किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) राज्यों के बकाया ऋण तथा अन्य देनदारियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वित्त मंत्रालय को देय ऋणों तथा बारहवें वित्त आयोग द्वारा यथा-संस्तुत राज्यों की ऋण समेकन एवं राहत सुविधा के अंतर्गत वर्ष 2005-06 से राज्यों को प्रदान की गई ऋण माफी के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

विवरण I

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	बकाया ऋण तथा अन्य देयताएं (31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	91445
2.	अरुणाचल प्रदेश	1950
3	असम	19122
4.	बिहार	54897
5.	छत्तीसगढ़	14986
6.	गोवा	5886
7.	गुजरात	86138
8.	हरियाणा	29940
9.	हिमाचल प्रदेश	18373
10.	जम्मू एवं कश्मीर	15049
11.	झारखंड	23087
12.	कर्नाटक	53909
13.	केरल	57688
14.	मध्य प्रदेश	53545
15.	महाराष्ट्र	154556
16.	मणिपुर	3264
17.	मेघालय	2849

1	2	3
18.	मिजोरम	3147
19.	नागालैंड	2943
20.	उड़ीसा	39388
21.	पंजाब	57609
22.	राजस्थान	72652
23.	सिक्किम	1553
24.	तमिलनाडु	68655
25.	त्रिपुरा	4975
26.	उत्तर प्रदेश	161358
27.	उत्तरांचल	15197
28.	पश्चिम बंगाल	126226
	सभी राज्य	1240387

स्रोत: राज्य वित्त वर्ष 2006-07, नवम्बर 2006 के बजट का एक अध्ययन।

विवरण II

क्र.सं.	राज्यों के नाम	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को देय कुल बकाया ऋण (1.4.2007 की स्थिति के अनुसार)	वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के लिए दी गई कुल ऋण माफी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	14770.97	1186.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	427.37	20.21
3.	असम	2170.04	
4.	बिहार	8155.63	
5.	छत्तीसगढ़	2077.11	186.52
6.	गोवा	703.03	20.21
7.	गुजरात	10829.88	787.76
8.	हरियाणा	2034.56	96.67
9.	हिमाचल प्रदेश	956.39	72.49
10.	जम्मू-कश्मीर	1962.89	
11.	झारखंड	2592.11	
12.	कर्नाटक	8886.85	716.66
13.	केरल	5261.83	
14.	मध्य प्रदेश	8461.63	726.12
15.	महाराष्ट्र	8304.81	339.97
16.	मणिपुर	1157.54	75.08
17.	मेघालय	328.76	14.90
18.	मिजोरम	308.80	12.93
19.	नागालैंड	340.20	15.87
20.	उड़ीसा	8583.84	763.80
21.	पंजाब	3071.32	131.42
22.	राजस्थान	7356.15	617.40
23.	सिक्किम	186.25	
24.	तमिलनाडु	6226.80	526.56
25.	त्रिपुरा	476.92	22.25
26.	उत्तरांचल	375.46	13.08
27.	उत्तर प्रदेश	21503.81	2127.62
28.	पश्चिम बंगाल	14541.49	
	कुल	142052.44	8473.83

एन.ओ.सी. जारी करने हेतु फीस

934. श्री हरिसिंह चावड़ा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक तथा सहकारी बैंक अब भी ऋण हेतु किसानों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) जारी करने के लिए फीस वसूल रहे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा एन.ओ.सी. जारी करने में मानदंडों का पालन न करने के लिए पिछले वर्ष से आज की तारीख तक सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इसका क्या परिणाम निकला?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 अप्रैल, 2007 के परिपत्र के जरिये सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं कि बैंक छोटे और सीमांत किसानों, बंटाईदारों और इसी तरह के अन्य व्यक्तियों से 50,000 रुपये तक की राशि के ऋण देते समय अदेयता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की मांग न करें और उसके बजाय, ऋणकर्ता से एक स्व-घोषणा प्राप्त कर लें।

[अनुवाद]

सीमेंट के मूल्यों में लगातार वृद्धि

935. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सीमेंट के मूल्यों में हो रही लगातार वृद्धि के मामले को एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (एमआरटीपीसी) के हवाले किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) एमआरटीपीसी द्वारा इस संबंध में सीमेंट विनिर्माताओं के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) और (ख) वर्ष 2006 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने सीमेंट के मूल्यों से संबंधित दो मामलों को एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एमआरटीपी) आयोग के हवाले किया था। इन संदर्भों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) आयोग ने, एमआरटीपी अधिनियम, 1969 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण) को संबंधित मामले में जांच करने तथा रिपोर्ट पेश करने का निदेश दिया है।

विवरण

सीमेंट के मूल्यों से संबंधित मामले, जिन्हें कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एमआरटीपी) आयोग के हवाले किया गया है

1. बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ने सितम्बर, 2006 में यह आरोप लगाते हुए एक प्रतिवेदन दिया था कि सीमेंट विनिर्माताओं ने उत्पाद शुल्क, चूना-पत्थर, रॉयल्टी, बिक्री कर, रेलभाड़ा आदि में किसी प्रकार की वृद्धि के न होने पर भी सीमेंट के मूल्यों में अनुचित वृद्धि की है। यह प्रतिवेदन आयोग को अग्रेषित कर दिया गया था।

2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय (पहले कंपनी कार्य मंत्रालय) ने एसीसी लिमिटेड तथा मै. बल्क सीमेंट कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड के मध्य हुए करार से संबंधित मामले का अवलोकन किया जो कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत की गई जांच के आधार पर प्रथम दृष्ट्या, अन्य बातों के साथ-साथ एमआरटीपी अधिनियम, 1969 की धारा 2 की उपधारा (ण) तथा धारा 33 के तहत परिभाषा के अनुसार कतिपय प्रतिबंधित व्यापारिक व्यवहार में लिप्त पाई गई।

[हिन्दी]

ग्रामीण योजनाओं हेतु उपयोगिता प्रमाण-पत्र सौंपा जाना

936. **श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय राज्य सरकारों ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण योजनाओं हेतु जारी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं सौंपे हैं;

(ख) यदि हां तो उपयोगिता प्रमाण-पत्र न सौंपने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (घ) उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु निधियां रिलीज करना एक सतत् प्रक्रिया है। कार्यक्रमों

के दिशानिर्देशों में यह व्यवस्था है कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां (डीआरडीए)/जिला परिषदें/कार्यान्वयन एजेंसियां केन्द्रीय निधियों की रिलीज के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को नए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त एवं उपयोग की गई निधियों के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र तथा लेखा-परीक्षित लेखा विवरण जैसे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करेंगी।

[अनुवाद]

बी.आई.एफ.आर. को सौंपे गये रुग्ण उद्योग संबंधी मामले

937. **श्री मनसुखभाई डी. वसावाः**
श्री काशीराम राणाः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपे गये रुग्ण उद्योगों संबंधी मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को रेफर किये गए रुग्ण उद्योगों के मामलों का ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

वर्ष	मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	रुग्ण घोषित	संस्वीकृत योजनाएं
2004	399	180	162	11
2005	180	93	66	02
2006	118	50	35	04

नोटः "निपटाए गए" मामलों में रद्द किये गये, समाप्त कर दिये गये, बनाए रखे जाने के अयोग्य, अस्वीकृत किये गये और एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के अधीन मामले शामिल हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति

938. **श्रीमती मनोरमा माधवराजः क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत में हुई वर्तमान आर्थिक वृद्धि के मद्देनजर अमरीकी दाता एजेन्सी यूएस एड (यूएसएआईडी) ने भारतीय अर्थव्यवस्था का दर्जा 'विकासशील देश' से बढ़ाकर 'विकासवादी देश' का कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यूएस एड (यूएसएआईडी) ने भारत को दी जाने वाली सहायता में अपनी भागीदारी बहुत कम कर दी है जबकि इसके विपरीत पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के लिए इसने अपना हिस्सा लगभग 85 प्रतिशत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। हालांकि, यह ध्यान दिया जाए कि जब किसी देश को विकासवादी देश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो क्षमता निर्माण हेतु (लोगों में निवेश करने के लिए) उसे अधिक आवंटन दिया जाता है, यह स्थिति तब नहीं होती जब उसे विकासशील के रूप में चिन्हित किया जाता है।

(ग) अमरीकी राजकोषीय वर्ष 2008 के लिए यूएस एड ने अमरीकी सरकार से भारत के लिए 81 मिलियन अमरीकी डालर की विदेशी सहायता का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, अमरीकी राजकोषीय वर्ष 2008 के लिए यूएस एड ने अफगानिस्तान के लिए 1067.05 मिलियन अमरीकी डालर और पाकिस्तान के लिए 785 मिलियन अमरीकी डालर की विदेशी सहायता का अनुरोध किया है, जो इन सभी को मिलाकर दक्षिणी और केन्द्रीय एशियाई देशों के लिए अनुरोध की गई 2.19 बिलियन अमरीकी डालर की राशि का लगभग 84.48 प्रतिशत बनता है। हालांकि, राजकोषीय वर्ष 2008 के लिए बजट को अभी तक अमरीकी कांग्रेस द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

जलवायु परिवर्तन

939. **श्री प्रबोध पाण्डाः क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देश में कितनी परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) क्या जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नवीन तरीके विकसित करने हेतु परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहायता मांगी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जीईएफ संसाधनों के प्रदाता एवं प्राप्तकर्ता दोनों के रूप में भारत में स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) और बहुपक्षीय भूमंडलीय पर्यावरणीय सुविधा (जीईएफ) की पहल पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जलवायु परिवर्तन से जूझने से संबंधित परियोजनाओं का समन्वयन करता है। अब तक, लगभग 265 सीडीएम परियोजनाओं को प्रचालन हेतु पंजीकृत किया गया है और लगभग 714 और आने वाली है। जीईएफ द्वारा वित्तपोषित जलवायु परिवर्तन से जुड़ी 17 राष्ट्रीय पूर्ण आकार की और मध्यम आकार की परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

(ख) और (ग) जीईएफ परियोजनाएं तीन कार्यान्वित एजेंसियों- यूएनडीपी, विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा चलायी जाती हैं। जीईएफ लघु अनुदान कार्यक्रम (एसजीपी), गैर सरकारी संगठनों, स्थानीय समुदायों और अन्य निचले स्तर के संगठनों की प्रत्यक्ष भागीदारी हेतु साधन उपलब्ध कराकर जीईएफ के पूर्ण और मध्यम आकार की परियोजनाओं के लिए धनराशि प्रदान करता है। वर्ष 1996 से एसजीपी भारत ने जीईएफ अनुदानों के तहत 185 परियोजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है।

जैव-प्रौद्योगिकी के विकास हेतु कोष

940. **श्री अबु अयीश मंडल**: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में जैव-प्रौद्योगिकी के विकास हेतु विशेष कोष स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी नहीं। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) प्रस्ताव तथा वार्षिक योजना (2007-2008) के अलावा जैव-प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए विशेष कोष को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत में जलवायु परिवर्तन

941. **श्री ए. साई प्रतापः**
श्री के.सी. पल्लानी शामीः
श्री ई.जी. सुगावनमः

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जलवायु परिवर्तन के अध्ययन हेतु एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और दल के विचारार्थ विषय क्या है और उसके कौन-कौन सदस्य हैं; और

(ग) इसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसके प्रमुख सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं।

(ख) विस्तृत विचारार्थ विषय एवं संरचना नीचे दी गई हैं:

* भारत में मानवोत्पत्ति-विज्ञान जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों का अध्ययन करना।
* उन उपायों का पता लगाना, जिन्हें हमें भविष्य में मानवोत्पत्ति-विज्ञान जलवायु परिवर्तन दुष्प्रभावों की संभावित दोषपूर्णता पर ध्यान देने के लिए करने होंगे।
* उपर्युक्त (क) और (ख) से संबंधित अन्य कोई मामला।

विशेषज्ञ समिति की संरचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) आदेशानुसार, विशेषज्ञ समूह का गठन करने पर, विशेषज्ञ समिति की समयावधि तीन वर्ष के लिए होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से और आगे बढ़ाया जा सकता है। विशेषज्ञ समिति प्रत्येक वर्ष मंत्रालय को एक अंतरिम/अनंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

विवरण

''जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों पर विशेषज्ञ समिति'' की संरचनाः विशेषज्ञ समिति की संरचना निम्न प्रकार हैः

1. डॉ. आर. चिदम्बरम, भारत सरकार के प्रदान वैज्ञानिक सलाहकार-अध्यक्ष।
2. डॉ. आर.के. पचौरी, महानिदेशक, टी.ई.आर.आई.।
3. प्रो. एन.एच. रवीन्द्रनाथ, आई.आई.एस.सी., बेंगलुरु।
4. प्रो. ए.के. गोसाईं, आई.आई.टी. नई दिल्ली।
5. डॉ. कंचन चोपड़ा, आई.ई.जी. दिल्ली।
6. डॉ. लिगिया नोरॉन्हा, टी.ई.आर.आई।

7. डॉ. आनन्द पटवर्धन, टी.आई.एफ.ए.सी.।

8. डॉ. आर. सुकुमार, आई.आई.एस.सी. बेंगलुरु।

9. डॉ. एस.के. सिक्का, वैज्ञानिक सचिव, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय।

निम्नलिखित को पदेन सदस्य के रूप में नामित किया गया है:

1. सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय।
2. सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
3. सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय।
4. सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग।
5. सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद।
6. प्रदान सलाहकार, पर्यावरण से संबद्ध योजना आयोग।
7. निदेशक, आई.आई.टी.एम., पुणे।
8. प्रमुख, पर्यावरण प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), पूसा, नई दिल्ली।
9. निदेशक, मलेरिया अनुसंधान केन्द्र, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।
10. निदेशक, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा।
11. कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली।
12. महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद्, देहरादून, और
13. संयुक्त सचिव (जलवायु परिवर्तन), सचिव

यूरोपीय संघ की सहायता से क्रियान्वित योजनाएं

942. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ देश में कुछ परियोजनाओं को सहायता प्रदान कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) यूरोपीय संघ द्वारा सहायता दी जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

यूरोपीय संघ द्वारा सहायता दी जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुदान राशि (मिलियन यूरो)	करार की तारीख	31.3.2007 तक संचयी संवितरण करोड़ रुपए/ मिलियन यूरो
1.	हरियाणा समुदाय वानिकी परियोजना	23.30	24.1.1997	78.368/15.473
2.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्रक विकास कार्यक्रम	240.00	02.9.1997	1182.395/226.802
3.	सर्वशिक्षा अभियान	200.00	12.10.2001	1035.36/190.00
4.	राज्य भागीदारी कार्यक्रम-छत्तीसगढ़ और राजस्थान	160.00	14.08.2006	87.856/14.998

न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण

943. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक राज्य-वार कितने न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण हो चुका है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में अब तक राज्य-वार कितना अनुमानित व्यय हुआ है; और

(ङ) देश में सभी न्यायालयों को कब तक कम्प्यूटरीकृत किये जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) चार महानगरीय शहरों में सात सौ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण की एक स्कीम को पूरा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, राज्य की राजधानियों या ऐसे नगरों में, जहां उच्च न्यायालय अवस्थित है, नगर न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण आरंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत रिपोर्ट किये गये अनुसार 781 न्यायालयों का कम्पयूटरीकरण राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी), कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा किया गया है।

(ख) से (ङ) सरकार ने फरवरी, 2007 में, देश में लगभग 13,000 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक स्कीम का अनुमोदन किया था, जिसका प्रथम चरण 442 करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित किया जाना है। यह स्कीम एनआईसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और मार्च, 2007 तक उसे 187 करोड़ रुपये की राशि दे दी गई थी। एनआईसी ने सभी न्यायिक अधिकारियों को लैपटाप उपलब्ध कराते हुए स्कीम का कार्यान्वयन आरंभ कर दिया है, जिस पर लगभग 36 करोड़ रुपये का व्यय आया है। स्कीम के सभी तीनों चरणों को पांच वर्ष में पूरा किये जाने की संभावना है।

आई.सी.ए.आई. में अनियमितताएं

944. श्री सुब्रत बोस: क्या **कार्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया के कार्यकरण में हो रही अनियमितताएं तथा संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणामों की घोषणा में कथित हेरफेर सरकार की जानकारी में आए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संस्थान के कार्यकरण में पारदर्शिता लाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) और (ख) सामान्यत:, संस्थान के कार्यकरण से संबंधित किसी भी विषय में उठाये जा रहे मुद्दों पर, यदि कोई हो, सरकार तथा संस्थान द्वारा तथ्यों को सुनिश्चित करने और चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 में यथा प्राधिकृत के अनुसार कदम उठाने पर विचार किया जाता है। संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणामों की घोषणा में किसी प्रकार का हेरफेर नहीं पाया गया है। हाल ही में, सामान्य योग्यता परीक्षा (सीपीटी) जो दिनांक 5 अगस्त, 2007, को आयोजित की गई थी, में प्रश्नपत्रों के प्रकटन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा परीक्षा पूरी तरह से रद्द कर दिया गया तथा उसके स्थान पर दिनांक 26 अगस्त, 2007 को परीक्षा दुबारा आयोजित की जाएगी।

(ग) आईसीएआई एक सांविधिक निकाय है जिसके द्वारा चार्टर्ड अकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 में समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अनुसार तथा उसके तहत बनाए गए नियम-विनियम के अनुसार कार्य करना अपेक्षित है। चार्टर्ड अकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 में अन्य बातों के साथ-साथ, संस्थान के कार्यकरण में और अधिक सुधार लाने की दृष्टि से वर्ष 2006 में संशोधित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार आईसीएआई एक लोक प्राधिकरण भी है।

जलवायु परिवर्तन के लिए पृथक विभाग

945. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोत्चा: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के तटीय गांवों में ग्लोबल वार्मिंग प्रक्रिया के परिणाम दिखने लगे हैं;

(ख) क्या देश के विभिन्न हिस्सों में जलवायु परिवर्तनों की वजह से अभूतपूर्व वर्षा और बाढ़ आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी नहीं। इस समय विशिष्ट स्थानों (लोकेशन्स) पर ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों को अलग करना कठिन है क्योंकि स्थानीय स्तरीय परिवर्तनों के लिए जटिल भौतिक कारकों की अधिकता जिम्मेदार होती है।

(ख) जी नहीं। हुई वर्षा और आई बाढ़ प्राकृतिक वर्षा की परिवर्तनशीलता के अनुरूप है। इन घटनाओं के लिए विशिष्ट रूप से केवल जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

कंपनियों के विरुद्ध लंबित मामले

946. **श्री जोवाकिम बखला:** क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बहुत सी कंपनियां के विरुद्ध लंबित मामलों में सहायता और सलाह देने हेतु समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई विचारार्थ विषय तय किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे न्यायालयों में मामलों की संख्या को कम करने में कितनी सहायता मिलने की संभावना है?

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अभियोजन तन्त्र को कारगर बनाने के लिए दिनांक 5 मई, 2005 को श्री ओ.पी. वैश्य, वरिष्ठ अधिवक्ता की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था।

(ग) और (घ) जी, हां। संदर्भों की निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई थीं:

(1) अपराधों की बड़ी श्रेणियां जिनके लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के उल्लंघन हेतु दायर किये गये मामले लम्बित हैं, की पहचान तथा उसकी अवधि;

(2) लम्बे समय तक लम्बित होने के कारण, जहां लागू हों;

(3) इन मामलों के निपटान में तीव्रता लाने के लिए पूर्व में किये गये उपायों की समीक्षा, उनका परिणाम तथा बाधाएं;

(4) उन अर्थोपाय की पहचान करना जिनके माध्यम से इन मामलों का निपटान शीघ्र किया जा सकता था;

(5) पूर्णतः तकनीकी स्वरूप के मामलों के शीघ्रता से निपटान हेतु अर्थोपाय तथा इसे निश्चित समय सीमा में समर्थकारी बनाने हेतु कारगर तंत्र।

(ङ) सरकार को समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिसकी जांच की गई है तथा कानून के उपबंधों के अनुसार संबंधित न्यायालयों में दायर किये गये मामलों की अनुवर्ती कार्रवाई हेतु मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं। ऐसी संभावना है कि ऐसी अनुवर्ती कार्रवाई से विचाराधीन मामलों के शीघ्र निपटान में मदद मिलेगी।

पंजाब एंड सिंध बैंक के विरुद्ध शिकायतें

947. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पंजाब एंड सिंध बैंक के अध्यक्ष तथा अन्य निदेशकों/अधिकारियों के विरुद्ध विभिन्न अनियमितताओं/कदाचारों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने पंजाब एंड सिंध बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर.पी. सिंह के विरुद्ध 12.7.2007 को एक शिकायत अग्रेषित की थी। आरोप मुख्य रूप से विभिन्न पक्षों को मीयादी ऋणों/अन्य ऋणों की मंजूरी, बैंक द्वारा वस्तुओं की खरीद, परिसंपत्तियों की बिक्री और अनुप्रयोज्य खातों पर कार्रवाई से संबंधित थे। आरोपों की जांच की गई और यह पाया गया कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी।

नेशनल बिल्डिंग आर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट

948. **डा. एम. जगन्नाथ:**
श्री भर्तृहरि महताब:
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेशनल बिल्डिंग आर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्गीय लोगों के लिए मकानों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्गीय लोगों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे लोगों का आवास प्रदान करने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अनुमोदन दे दिया है तथा धनराशियों को आबंटन सुनिश्चित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ग) जी, हां। शहरी आवासों की कमी का अनुमान लगाने के लिए शहरी आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा गठित एक तकनीकी समूह ने वर्ष 2007 (11वीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में) की स्थिति के अनुसार देश के शहरी क्षेत्रों में 24.71 मिलियन आवासों की कमी होने का अनुमान लगाया है। जिसके 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 26.53 मिलियन तक हो जाने की संभावना है। आवासों की कमी का बड़ा भाग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है।

(घ) से (च) सरकार ने शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधा (बीएसयूपी) कार्यक्रम के अंतर्गत 63 चुने हुए शहरों में शहरी गरीबों को आवश्यक सुविधाएं देने हेतु जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी रिनेवल मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किया है। गैर-मिशन शहरों में आवास और स्लम विकास कार्यक्रम तथा अन्य नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए समेकित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) शुरू किया है। बीएसयूपी और आइएचएसडीपी दोनों का कार्यान्वयन दिसम्बर, 2005 से किया जा रहा है। शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधा (बीएसयूपी) तथा समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत अब तक सरकार द्वारा अनुमोदित कुल प्रोजेक्ट लागत तथा जारी धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

क्र.सं.	स्कीम	अनुमोदित कुल प्रोजेक्ट लागत (करोड़ रु. में)	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी धनराशि (करोड़ रु. में)
1.	शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधा (बीएसयूपी)	10498.45	1138.27
2.	समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	2406.83	759.79

[हिन्दी]

गरीबी उपशमन

949. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछली पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी उपशमन में हो रही कठिनाइयों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गरीबी उपशमन के लिए अन्य योजनाओं को एनआरईजीएस जैसी एक एकल योजना में मिलाने जैसे कोई सकारात्मक उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कुछ प्रमुख कार्यक्रम अर्थात्, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) कार्यान्वित कर रहा है। संबंधित कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार इन योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय के विभिन्न गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की सख्त निगरानी की जाती है जिसके लिए एक व्यापक बहु-साधन निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है। राज्य सरकारों और इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में शामिल जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ सीधा संबंध रहा है। इस प्रकार इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में अनुसंधान संस्थाओं और राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता जैसे सरकारी और निजी स्रोतों से सतत जानकारी प्राप्त करने की प्रणाली अस्तित्व में है।

अनुभवों के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों का पुनर्गठन एक सतत प्रक्रिया है। आईएवाई मकानों की इकाई लागत में वृद्धि करने का निर्णय ग्रामीण गरीब आदि को अधिक ऋण प्रवाह के मुद्दे उठाना आदि ऐसे उपाय हैं जो शुरू किये गये हैं। वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय का गरीबी उपशमन के लिए एक ही योजना में किसी योजना को विलय करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

व्यय सुधार

950. **श्री वी.के. ठुम्मर:**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने व्यय सुधार आयोग (ई.आर.सी.) के संबंध में किसी समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे अधिकारियों की पहचान की है जिन्होंने ई.आर.सी. द्वारा सुझाये गये मानदंडों का उल्लंघन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) सरकार ने सरकारी खर्च के सम्पूर्ण दायरे की समीक्षा करने के उद्देश्य से व्यय सुधार आयोग (ई.आर.सी.) का गठन किया था। खाद्य सब्सिडी से संबंधित मदों को छोड़कर, व्यय सुधार आयोग के संबंध में की गई सिफारिशों को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। जहां तक खाद्य सब्सिडी और संबद्ध मामलों से संबंधित सिफारिशों का संबंध है, व्यय सुधार आयोग के सुझावों ने सब्सिडी, अधिप्राप्ति, खाद्यान्न व्यापार, बफर स्टॉक आदि के संबंध में नीतियां बनाने की दिशा में अमूल्य सहयोग दिया है।

सरकार का सतत प्रयास रहा है कि गैर-विकासात्मक खर्च में कटौती की जाए। तदनुसार, वित्त मंत्रालय ने 22.7.2006 को मितव्ययिता के संबंध में व्यापक अनुदेश जारी किये हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

मध्याह्न 12.00 बजे

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री मधु गौड यास्खी (निजामाबाद): महोदय, कृपया मुझे एक मिनट की अनुमति दीजिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैं आपको उचित समय पर बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-08 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल.टी. 6697/07]

(दो) नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-08 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल.टी. 6698/07]

(तीन) पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल.टी. 6699/07]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं शेयर बाजार घोटाले और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की गई कार्रवाई के बारे में आठवीं प्रगति रिपोर्ट-मई, 2007 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

[ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल.टी. 6700/07]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 6701/07]

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): महोदय, मैं आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी. 6702/07]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उपधारा 6 के अधीन भारत ओवरसीज बैंक लिमिटेड (उपक्रमों का भारतीय ओवरसीज बैंक को अंतरण) स्कीम, 2007, जो 12 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 351(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी. 6703/07]

(2) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत ''नृत्य मुद्रा'' विषय पर निर्मित दो रुपये के फेरीटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्कों का निर्माण नियम, 2007, जो 5 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 412(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी. 6704/07]

(3) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अधीन विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (संशोधन) विनियम, 2007 जो 14 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 196(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी. 6705/07]

(4) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 986 जो 14 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट, सीएमडीएटी, टावर 2, तृतीय तल, गांधी इर्विन रोड, एग्मोर, चेन्नई" को निर्धारण वर्ष 2004-05 तथा आगे की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(दो) का.आ. 987 जो 14 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "पंजाब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड, एससीओ 89-90, सेक्टर 34क, सब सिटी सेन्टर, चंडीगढ़-160022" को निर्धारण वर्ष 2006-07 तथा आगे की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 992 जो 14 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "कैन्सर एड एंड रिसर्च फाउंडेशन, बाइकुला म्यूनिसिपल स्कूल बिल्डिंग, भूमि तल, कमरा संख्या 15-18 एन.एम. जोशी मार्ग, 'एस' ब्रिज के पास, बाइकुला (पश्चिम), मुम्बई-400011" को निर्धारण वर्ष 2004-05 तथा आगे की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(चार) का.आ. 993 जो 14 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "सिटी मिशन ऑफ इंडिया, सीएमआई चिल्ड्रेन्स होम, पुष्पा विहार कालोनी, एस.वी. रोड, अम्बेवाडी, पोस्ट बॉक्स नं. 8249, दहिसर, मुम्बई-400068, महाराष्ट्र मुम्बई" को निर्धारण वर्ष 2004-05 तथा आगे की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 994 जो 14 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "क्राई-चाइल्ड रिलीफ एण्ड यू, 189/ए, आनंद एस्टेट, साने गुरुजी मार्ग, मुम्बई-400011" को निर्धारण वर्ष 2004-05 तथा आगे की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(छह) का.आ. 995 जो 14 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "राष्ट्रीय संस्कृति निधि, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति विभाग, दूसरा तल, "बी" विंग, जनपथ भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001" को निर्धारण वर्ष 2004-05 तथा आगे की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(सात) का.आ. 997 जो 14 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "दि ट्रिब्यूशन ट्रस्ट, चंडीगढ़, सेक्टर 29सी, चंडीगढ़" को निर्धारण वर्ष 2004-05 तथा आगे की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 999 जो 14 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "चेन वोमेन डेवलपमेंट सोसायटी, चेन टाउन, मोन जिला, नागालैंड" को निर्धारण वर्ष 2004-05 तथा आगे की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1007 जो 14 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, बेल्ला विस्टा, हैदराबाद-500082" को निर्धारण वर्ष 2004-05 तथा आगे की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(दस) का.आ. 1008 जो 14 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली-110001" को निर्धारण वर्ष 2004-05 तथा आगे की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 1011 जो 14 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, पश्चिमी खण्ड 4, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 2004-05 तथा आगे की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 1013 जो 14 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "सैंटर फार एडवांस्ट स्ट्रेटेजिक स्टडीज, एम.एम.डी.डब्ल्यू. पोतदार कॉम्प्लेक्स, पुणे विश्वविद्यालय कैम्पस, गणेशखंड, पुणे-411007" को निर्धारण वर्ष 2004-05 तथा आगे की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 1016 जो 14 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए हरियाणा समामेलित निधि, सैनिक भवन, सेक्टर-12, पंचकुला" को निर्धारण वर्ष 2004-05 तथा आगे की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 1018 जो 14 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नालॉजी, इंडिया हैबिटेट सेंटर जोन, वी-ए, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003" को निर्धारण वर्ष 2004-05 तथा आगे की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 1019 जो 14 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "तमिलनाडु एक्स-सर्विसेज पर्सनल बेनेवोलेन्ट फण्ड, भूतपूर्व सैनिक कल्याण महानिदेशालय, 22, राजा मुथैया सलाई, चेन्नई-600003" को निर्धारण वर्ष 2004-05 तथा आगे की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 1497 जो 26 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "सेंट जॉन एम्बुलेंस, 1, रेड क्रास रोड, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 2003-04 तथा आगे की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 1498 जो 14 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 2000-01 तथा आगे की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 1694 जो 16 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "जलियावाला बाग नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, अमृतसर" को निर्धारण वर्ष 2004-05 तथा आगे की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-6706/07]

(5) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 449(अ) जो 26 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 450(अ) जो 26 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 649(अ) जो 25 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 650(अ) जो 25 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 499(अ) जो 23 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 509(अ) जो 26 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डिस्प्ले, स्टोरेज डिवाइसेज, सोलर सेल, फोटोवोल्टैक्स, अन्य उन्नत सूक्ष्म और नैनो प्रौद्योगिकी उत्पादों के विनिर्माण, संयोजन और परीक्षण के लिए विनिर्दिष्ट एककों द्वारा आयातित पूंजीगत वस्तुओं पर विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम के अंतर्गत सीवी शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) कस्टम्स हाउस एजेंट्स लाइसेंसिंग (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007 जो 27 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 512(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सीमा शुल्क (मामलों का निपटान) नियम, 2007 जो 28 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 393(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी. 6707/07]

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (मामलों का निपटान) नियम, 2007 जो 28 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 394(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 432(अ) जो 15 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 494(अ) जो 19 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 6/2006-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 515(अ) जो 30 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केरल एग्रो मशीनरी कारपोरेशन लिटिमेड, कलमासरी द्वारा विनिर्मित तथा कैम्को कांजीकोड को मंजूरी प्रदत्त आंतरिक दहन इंजनों को विद्युत टिल्लर्स का विनिर्माण किये जाने के लिए छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी. 6708/07]

(7) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सा.का.नि. 502(अ) जो 24 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और थाइलैंड में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित होने वाले बायस टायर, ट्यूब तथा फ्लैप के भारत में आयात पर अभिहित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों के आधार पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 504(अ) जो 25 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रूस और सउदी अरब में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित होने वाले हेक्सामाइन के आयात पर सनसेट समीक्षा निष्कर्षों में अभिहित प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी. 6709/07]

(8) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 2 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 266(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी. 6710/07]

(9) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत धन शोधन निवारण (संव्यवहारों के स्वरूप तथा

मूल्य के अभिलेख रखना, बैंककारी कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों तथा मध्यस्थों की सूचना रखने की प्रक्रिया तथा रीति और प्रस्तुत करने का समय तथा पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) संशोधन नियम, 2007 जो 24 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 389(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी. 6711/07]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री पवन कुमार बंसल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (संशोधन) नियम, 2007 जो 24 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 390(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) डाकघर बचत खाता (संशोधन) नियम, 2007 जो 12 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 481(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी. 6712/07]

(2) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 9 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) (दूसरा संशोधन) योजना, 2007 जो 29 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1057(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) (दूसरा संशोधन) योजना, 2007 जो 29 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1058(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी. 6713/07]

अपराह्न 12.02 बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

सदस्यों की निरर्हता के लिए याचिका को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे सभा को सूचित करना है कि 26 मार्च, 2007 को श्री राजेश वर्मा ने लोक सभा सदस्य (दल-बदल के आधार पर निरर्हता) नियम 1985 के नियम 6 के अधीन मोहम्मद शाहिद अखलाक, श्री रमाकांत यादव और श्री भालचन्द्र यादव के विरुद्ध तीन याचिकाएं दायर की थीं जिसमें निवेदन किया गया था कि इन सदस्यों को अपने मूल राजनीतिक दल अर्थात् बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता से स्वैच्छिक तौर पर त्यागपत्र देने के कारण संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2 (1) (क) के अधीन सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हक घोषित किया जाए।

उक्त नियमों के नियम 7(3) के अनुसार मैंने अनुबंध सहित तीनों याचिकाओं की प्रतियां मंगायी और इस मामले में अपनी टिप्पणियां देने के प्रयोजन से प्रतिवादियों के पास भेज दी।

उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के पश्चात तथा मामले की प्रकृति और परिस्थितियों के दृष्टिगत मैंने तीनों याचिकाओं को उक्त नियमों के नियम 7(4) के अधीन विशेषाधिकार समिति को प्रारम्भिक जांच करने तथा वर्तमान सत्र के अंतिम दिवस से पूर्व मुझे इस बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए भेजने का निर्णय किया है।

अपराह्न 12.04 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ असैनिक परमाणु सहयोग समझौते पर चर्चा करने के लिए सूचनाओं की ग्राह्यता

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, सर्वश्री लाल कृष्ण आडवाणी, संतोष गंगवार और राम गोपाल यादव ने लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 184 के अंतर्गत सादृश्य सूचनाएं दी हैं, जिसमें निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:

[अध्यक्ष महोदय]

"कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 123 परमाणु समझौता के मामले में 13 अगस्त, 2007 को प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर विचार करने के पश्चात् इस सभा की राय है कि समझौता पर पुन: वार्ता किये जाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अमरीकी कांग्रेस द्वारा हाइड अधिनियम पारित किये जाने के पश्चात् संसद द्वारा व्यक्त की गई आपत्तियों का पूर्णत: निराकरण हो सके और उस वाद-विवाद के उत्तर में प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन पूरे हों और भारत की सामरिक तथा विदेश नीति की स्वतंत्रता पूर्णत: सुरक्षित रहे।"

सूचनाओं की विषयवस्तु के अवलोकन से पता चलता है कि प्रस्ताव के प्रभावी भाग में ऐसी अपेक्षा की गई है कि प्रस्ताव में उल्लिखित उद्देश्य से सरकार द्वारा अमेरिकी सरकार के साथ हस्ताक्षरित 123 परमाणु समझौते पर सरकार पुनः वार्ता करे।

हमारे संविधान के अनुसार, संसद द्वारा बनाई गई किसी समीचीन विधि के अभाव में, विदेशी देशों के साथ संधि और समझौते करने संबंधी केन्द्रीय सरकार का अधिकार संप्रभु और निर्बाध है और ऐसी कोई भी संधि अथवा समझौता संसद के किसी हस्तक्षेप के बिना प्रभावी हो जाता है। यह भी सुस्थापित तथ्य है कि किसी सन्धि अथवा समझौते को लागू करने अथवा इसके प्रवर्तन हेतु संसद का अनुसमर्थन प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार संसद सरकार द्वारा किये गये किसी भी संधि अथवा समझौते के अंतिम स्वरूप अथवा प्रवर्तनीयता को प्रभावित किये बगैर उस पर केवल चर्चा कर सकती है।

सभा पटल पर रखे गए प्रस्तावों में अपेक्षित है कि सरकार उनमें उल्लिखित उद्देश्यों पर पुन: वार्ता करे। प्रस्तावों में उल्लिखित प्रयोजनों से समझौते पर सरकार को पुन: वार्ता करने हेतु कहने से प्रभावी प्रस्ताव का आशय किये गये समझौते का निरनुमोदन करना और सरकार द्वारा समझौते को वर्तमान स्वरूप और विषय-वस्तु में लागू नहीं किये जाने की अपेक्षा की गई है जिसका अधिकार सभा को नहीं है और इसका तात्पर्य है सभा द्वारा समझौते को वर्तमान स्वरूप में अस्वीकार करना। ऐसा करना सरकार द्वारा पहले ही किये गये समझौते का निरनुमोदन होगा जो मेरी राय में सभा की सामर्थ्य के अधीन नहीं है। जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है उस उद्देश्य को अप्रत्यक्षत: पूरा नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार गम्भीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात् मेरा मानना है कि उपर्युक्त प्रस्ताव की यथाउल्लिखित सूचनाएं इस आधार पर स्वीकार्य नही हैं और इसलिए इन्हें अस्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रधानमंत्री ने 13 अगस्त, 2007 को भारत-अमरीका परमाणु समझौता के बारे में सभा में एक वक्तव्य दिया है और निस्संदेह सभा को इस पर चर्चा करने का अधिकार है ऐसे उदाहरण हैं जब ऐसे समझौते पर सभा में चर्चा की गई थी। अब तक ऐसा कोई अवसर नहीं आया जब किसी संधि अथवा समझौते पर नियम 184 के अधीन चर्चा की गई हो।

सर्वश्री गुरुदास दासगुप्त, रूपचंद पाल, रामजीलाल सुमन, राजीव रंजन सिंह 'ललन', सी.के. चन्द्रप्पन और प्रबोध पाण्डा ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 193 के अधीन सूचनाएं प्रस्तुत की हैं और मैंने इसे स्वीकृत किया है जिन्हें विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार लिया जाएगा।

जैसाकि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सहमति हुई थी कि माननीय प्रधानमंत्री के सभा में उपस्थित होने पर चर्चा सोमवार, 20 अगस्त, 2007 को निम्नलिखित रूप में की जाएगी।

"कि यह सभा प्रधानमंत्री द्वारा भारत-अमरीका परमाणु समझौते के संबंध में सभा में 13 अगस्त को दिये गये वक्तव्य पर विचार करती है।"

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, हम 20 अगस्त को किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सहमत हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम इस चर्चा के लिए तिथि तय कर लेंगे। मेरे विचार से प्रतिपक्ष के नेता चर्चा आरंभ करेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा पटल पर पत्रों के रखे जाने के पश्चात मैं प्रतिपक्ष के नेता को किसी अन्य मुद्दे पर बोलने की अनुमति दूंगा।

मद सं. 8, महासचिव।

अपराह्न 12.06 बजे

वित्तीय समितियां—एक समीक्षा

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मैं "वित्तीय समितियां (2006-07)— एक समीक्षा" का हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, **देखिये** संख्या एल.टी. 6714/07]

12.07 बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

बाईसवां, तेईसवां प्रतिवेदन और विवरण

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): अध्यक्ष जी, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2006-2007) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों और विवरण की एक-एक प्रति प्रस्तुत करता हूं:

*(1) 'कारगिल पुनरीक्षा समिति के प्रतिवेदन के अनुसरण में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली को सुधारने के बारे में रक्षा प्रबंध के विशेष संदर्भ में' मंत्रियों के समूह के प्रतिवेदन के कार्यान्वयन की स्थिति की पुनरीक्षा संबंधी 22वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(2) 'रक्षा क्षेत्र में चिकित्सा सेवा और शिक्षा की पुनरीक्षा के बारे में समिति के बारहवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही' संबंधी 23वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के आठवें प्रतिवेदन के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 12.08 बजे

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

बीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष जी, मैं 'दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स की उपलब्धता और मूल्य प्रबंधन' विषय पर समिति के 7वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का 20वें प्रतिवेदन** की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.10 बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

एक सौ छियानवेवां, एक सौ सत्तानवेवां, एक सौ अठानवेवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय, मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

1. 'विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा'' के बारे में समिति के 172वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 196वां प्रतिवेदन।
2. 'केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से संबंधित प्रमुख मुद्दे' के बारे में समिति के 183वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 197वां प्रतिवेदन।
3. 'नवोदय विश्वविद्यालयों से संबंधित प्रमुख मुद्दे' के बारे में समिति के 184वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 198वां प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छे, हिन्दी में बोलने के प्रयास हेतु मैं आपको बधाई देता हूं। बहुत अच्छे।

---

*क्रमांक (एक) में उल्लिखित प्रतिवेदन 20 जुलाई, 2007 को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा तथा माननीय सभापति, राज्य सभा को प्रस्तुत किया गया तथा क्रमांक (दो) में उल्लिखित प्रतिवेदन क्रमशः 3 अगस्त, 2007 और 9 अगस्त, 2007 को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा तथा माननीय सभापति, राज्य सभा को प्रस्तुत किया गया।

**यह प्रतिवेदन रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति, 2006-2007 द्वारा 24 जुलाई, 2007 को जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष के निदेशों के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया था। माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत 20वें प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया था।

अपराह्न 12.11 बजे

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 2006 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.12 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

उनतालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 39वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.13 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) वित्त मंत्रालय से संबंधित आर्थिक कार्य, व्यय और विनिवेश विभाग के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के तैंतालीसवें और पैंतालीसवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं लोक सभा समाचार, भाग-2 दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के तहत माननीय अध्यक्ष लोक सभा के निदेश 73-क के अनुसरण में वित्त संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग तथा विनिवेश विभाग के 43वीं और 45वें प्रतिवेदन में सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर रखना अपना सौभाग्य समझता हूं।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) का 43वां प्रतिवेदन 28 नवम्बर, 2006 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। यह "पूंजी बाजार में सुधार प्रक्रिया की प्रभावोत्पादकता हाल का आईपीओ घोटाला" से संबधित है। प्रतिवेदन में समिति ने विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और छत्तीस (36) सिफारिशें की जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है। ये सिफारिशें मुख्य रूप से घोटाले की कार्यप्रणाली, घोटाले के परिमाण और "घोटालेबाजों" को लाभ, सेबी के प्रमुख निष्कर्ष, कार्वी ग्रुप ऑफ कम्पनीज की भूमिका, बैंकों की संलिप्तता के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निष्कर्ष, निक्षेपागारों की भूमिका, वित्त मंत्रालय, सेबी और निक्षेपागारों द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई और सुधार के लिए सुझावों जैसे मुद्दों से संबंधित है।

प्रतिवेदन में सन्निहित सिफारिशों/अवलोकनों संबंधी की गई कार्रवाई विवरण 7 मार्च, 2007 को वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजे गये थे। समिति द्वारा 43वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की वर्तमान प्रास्थिति अनुबंध-क में निर्दिष्ट है।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की 45वीं प्रतिवेदन 14 दिसम्बर, 2006 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग, व्यय तथा विनिवेश विभाग) की अनुदानों की मांगों (2006-07) से सम्बद्ध है। प्रतिवेदन में समिति ने विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और 10 सिफारिशें की, जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है। ये सिफारिशें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह, कृषि क्षेत्र में निवल ऋण प्रवाह का 18 प्रतिशत सुनिश्चित करने के लक्ष्य की अनुपालना में निजी क्षेत्र के बैंकों की असफलता, ग्रामीण आधारभूत ढांचा विकास निधि (आरआईडीएफ), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, नाबार्ड को प्रदान की जा रही आर्थिक सहायता की योजना, सूक्ष्म ऋण पर प्रभार योग्य ब्याज, सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के लाभों में गिरावट, सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के निष्पादन की मॉनीटरिंग हेतु दक्षता मानदंडों के समूह और वार्षिक लक्ष्यों के उद्देश्य के विवरण, केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के विनिवेश के संबंध में संसद के समक्ष श्वेत पत्र, राष्ट्रीय निवेश निधि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति जैसे मुद्दों से संबधित है।

प्रतिवेदन में सिफारिशों/अवलोकनों के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी विवरण वित्त संबंधी स्थायी समिति को दि. 16 मार्च और 9 अप्रैल, 2007 को प्रस्तुत किये गये थे। 45वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति अनुबंध-ख में दर्शाई गई है।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 6715/2007]

मैं इस अनुबंधों में दी गई विषय-वस्तु को पढ़ने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लूंगा। मेरा अनुरोध है कि इन्हें पढ़ा हुआ माना जाए।

अपराह्न 12.14 बजे

(दो) ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के बाईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): मैं लोक सभा के सितम्बर, 2004 के समाचार भाग-2 द्वारा जारी माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73क के अनुपालन में ग्रामीण विकास विभाग की ग्रामीण विकास से संबंधित स्थायी समिति के प्रतिवेदन वर्ष 2006-07) में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य सभा पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

ग्रामीण विकास से संबंधित स्थायी समिति का 22वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) 3 अगस्त, 2006 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की ग्रामीण आवास योजना से संबंधित थे। समिति के प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 31.7.2007 को ग्रामीण विकास से संबंधित स्थायी समिति को भेज दी गई थी।

उक्त प्रतिवेदन में समिति ने 50 सिफारिशें की हैं जिन पर सरकार को कार्रवाई करने को कहा गया है। ये सिफारिशें मुख्य रूप से ग्रामीण आवास की जरूरतों तथा उसका वित्तपोषण, ग्रामीण आवास के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, डिजाइन और इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन इत्यादि के संबंध में हैं।

समिति द्वारा दी गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति मेरे वक्तव्य के साथ संलग्न अनुबंध में दी गई है, जो सदन के पटल पर प्रस्तुत है। मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ लिया गया समझा जाये।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 6716/07]

अपराह्न 12.15 बजे

(तीन) कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के उनचासवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73क के अनुसरण में वित्त संबंधी स्थायी समिति का 49वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर अपना विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

समिति द्वारा उपरोक्त प्रतिवेदन में कुल 5 सिफारिशें की गई जिनमें सरकार की ओर से कार्रवाई की आवश्यकता है। समिति द्वारा दी गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति इस विवरण के अनुलग्नक में दी गई है। जिसे सदन के सभा पटल पर रखा गया है। मैं अनुलग्नक के सभी अंशों को पढ़ने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाए।

अपराह्न 12.16 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं आपकी अनुमति से आगामी सोमवार 20 अगस्त 2007 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्यों की घोषणा करता हूं।

1. आज की कार्यसूची से शेष बचे किसी भी सरकारी कार्य मद पर विचार करना।
2. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) अध्यादेश 2007 के निरनुमोदन हेतु सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विधि (विशेष उपबंध) विधेयक पर, विचार तथा पारित करना।
3. निम्नलिखित पर चर्चा तथा मतदान:

(क) अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2007-08 तथा

(ख) अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) 2007-08।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 6717/07]

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

4. निम्नलिखित विधेयकों पर चर्चा तथा पारित करना:

(क) अंतर्देशीय जलयान (संशोधन) विधेयक, 2005 राज्य सभा द्वारा पारित होने के पश्चात।

(ख) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञा''' का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) विधेयक, 2007।

(ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, अनुरोध है कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को विचार हेतु सम्मिलित किया जाए:

1. देश में लाभकारी मूल्य के अभाव के कारण गन्ना, कपास, धान उत्पादक किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं को देखते हुए इनके न्यूनतम समर्थन मूल्य में लागत मूल्य के अनुसार वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाने की आवश्यकता।

2. देश के दुर्गम, दूरदराज के जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण संक्रामक रोगों का प्रकोप और कुपोषण की समस्या को देखते हुए जनजातीय क्षेत्रों में केन्द्र सरकार द्वारा मेडिकल कालेज खोलने और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): महोदय, कृपया सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को चर्चा करने हेतु ग्रहण करने का कष्ट करें:

1. भारत सरकार द्वारा निरंतर दस प्रतिशत आर्थिक विकास दर का दावा किया जा रहा है, परन्तु हाल ही में एन.एस.एस.ओ. द्वारा जारी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि 77% आबादी 20 रुपए रोज से कम की आमदनी कमा रही है। यह गंभीर विषय है। अत: इस पर चर्चा होनी आवश्यक है।

2. भारत वर्ष में आम आदमी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हर हाथ को हुनर की नीति बनाई जानी चाहिए। अत: इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है।

श्री लाल मुनी चौबे: अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप जानते हैं कि यह सवाल उठाने का टाइम नहीं है। आप एक अनुभवी मैम्बर हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय को शामिल करने का कष्ट करें:

1. सलेमपुर में मंछोली, प्रतापपुर तथा सानूघाट से रामजानकी की मार्ग होते हुए मेहरीना बिहार सीमा तक मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का कार्य।

2. माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार के वायदे के मुताबिक बलिया जिले के सुल्तानपुरी के 64 गांवों एवं देवरिया के सलेमपुर, बरहज, भाटपारा क्षेत्रों के गांवों में अग्नि पीड़ित परिवार को इंदिरा आवास उपलब्ध कराने का कार्य।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सुभाष के. देशमुख-उपस्थित नहीं।

डा. करण सिंह यादव (अलवर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए:

(1) न्यायपालिका में आरक्षण प्रदान किये जाने के मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की आवश्यकता।

(2) नौकरियों तथा शिक्षा संस्थानों में आरक्षण नीति को लागू करने में चूक करने वाले अधिकारियों को दंडित करने के लिए विधान लाए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय को शामल करने का कष्ट करें:

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

राजस्थान को केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों के अनावंटित कोटे में से समझौते के अनुसार अतिरिक्त विद्युत आवंटित किये जाने की आवश्यकता।

राजस्थान सरकार अपने हिस्से की विद्युत प्राप्त करने के लिए समय-समय पर केन्द्र सरकार के समक्ष, प्रत्येक स्तर पर चाहे उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो, चाहे मुख्यमंत्रियों तथा ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन हो आदि में लगातार प्रयत्न कर रही है। अतः उसके दावे के औचित्य को शीघ्र ही सिद्ध करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की राय हेतु भेजे जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सभा में चर्चा के लिए शामिल किया जाए।

(1) भूमि अधिग्रहण तथा राष्ट्रीय पुनर्वास नीति पर चर्चा।

(2) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 में आवश्यक संशोधन।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए:

(1) केरल के अलपुज्जा जिले में एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के समानान्तर अलपुज्जा बाईपास पर सड़क उपरिपुलों के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता जिससे कि बाईपास पर यातायात को शीघ्रातिशीघ्र खोला जा सके।

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय को शामिल करने का कष्ट करें:

1. संतुलित विकास योजना के अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा को शामिल करके वहां का आर्थिक विकास किये जाने के कार्य जिससे वहां के लगों की आय बढ़ सके और रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य में पलानय को रोका जा सके।

2. कर रियायत एवं टैक्स हालिडे संबंधी योजनाओं के तहत बनासकांठा में उद्योगों को स्थापित करने का कार्य।

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए:

(1) मेरे निर्वाचन क्षेत्र पालघाट में स्थित केन्द्रीय सरकार के उपक्रम इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के लिए घोषित पुनरुद्धार पैकेज को लागू न किये जाने के कारण कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस पैकेज को शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जाए।

(2) दक्षिण रेल में कोलेंगोड से त्रिसूर तक एक नई रेल लाईन के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कराया गया है। इस रेल लाइन का कार्य निर्माण शीघ्र आरम्भ किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: अगले मद पर आने से पूर्व विधेयक पुरःस्थापित करने का आग्रह है। इसे पूर्वोदाहरणों के तौर पर उद्धृत किये बिना ही इसकी अनुमति दी जाए।

अपराह्न 12.19 बजे

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के लिए एक वर्ष की और अवधि के लिए, विशेष उपबंध करने हेतु और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए एक वर्ष की और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने हेतु और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव पारित हुआ।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड 2, दिनांक 17.8.2004 में प्रकाशित।

अपराह्न 12.20 बजे

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2007*

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): मैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2007 के द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने की आवश्यकता को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.21 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) भारत अमरीकी असैनिक परमाणु समझौते के संबंध में अमरीकी प्रवक्ता द्वारा कथित वक्तव्य के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों प्रक्रिया के अनुसार, हमें पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करनी है। परन्तु मुझे याद आया है कि जिन माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए नोटिस दिए है वे इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के अपने अधिकार को प्रभावित किए बिना इसकी अनुमति देंगे ताकि सदन में उत्तेजना पैदा करने वाले कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की जा सके। मैं इस मामले में थोड़ा सा समय लेना चाहता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपका भी नाम पुकारूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री लाल कृष्ण आडवाणी। परन्तु मैं आपसे संक्षेप में अपने विचार रखने का अनुरोध करता हूं ताकि मैं अन्य सदस्यों को भी बोलने के लिए आमंत्रित कर सकूं तथा हम इस मामले पर पूरी चर्चा बाद में करेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ऐसे मामले पर कुछ टिप्पणियां करने देने की अनुमति दी है जो पूरे सप्ताह संसद में छाया रहा। महोदय, सभा की कार्यवाही पिछले शुक्रवार को शुरू हुई थी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी की मृत्यु हो जाने के कारण उस दिन सभा स्थगित हो गई थी। सोमवार दोपहर के बाद से, विशेषतः जब प्रधान मंत्री ने अमरीका के साथ परमाणु समझौते पर यहां वक्तव्य दिया, यद्यपि इस मामले पर कोई बहस या चर्चा नहीं हुई है परन्तु संपूर्ण सदन इस अकेले एक वक्तव्य से उत्तेजित है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): संपूर्ण सदन नहीं ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: जी हां, मैं इस बात से सहमत हूं। मुझे खेद है। वह ठीक कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह अपने वक्तव्य में सुधार कर रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं अपने वक्तव्य को ठीक कर रहा हूं-संपूर्ण सदन नहीं परन्तु सदन का एक बड़ा भाग ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप छोड़िए। आप जानते हैं।

[अनुवाद]

मुद्दे पर आइये।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सदन का केवल एक बड़ा भाग ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ गठबंधन में भी इस पर एकमत नहीं है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सहित संपूर्ण विपक्ष इस पर एकमत है लेकिन यूपीए में इस पर सहमति नहीं है। यह सत्य है। पिछले साढ़े तीन वर्षों में यह पहली बार हुआ है। आप इस बात पर ध्यान दीजिए, ऐसा पहली बार हुआ है। यह आश्चर्यजनक नहीं है, इसलिए इस सत्र के शुरू होने से पूर्व ही सरकार की ओर से, इस समझौते को यूपीए सरकार की विदेश नीति के केन्द्र बिंदु के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इस बीच स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ आ गई ...*(व्यवधान)*। यह उल्लेखनीय है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): मैं जानना चाहता हूं कि क्या अध्यक्ष के विनिर्णय पर कोई बहस हुई थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने अपने विनिर्णय में कहा था कि इस मामले पर अगले सप्ताह चर्चा की जाएगी। इसलिए, आप इसका संक्षिप्त उल्लेख कीजिए क्योंकि आप इस मुद्दे पर उत्तेजित हैं।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 6718/07।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं हमेशा संक्षेप में ही अपनी बात कहता हूं। मुझे अपनी बात रखने में 5 से 6 मिनट से अधिक समय नहीं लगेगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। मैं माननीय सदस्यों को उन मुद्दों को उठाने के लिए अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: परन्तु सरकार के इस प्रकार के दृष्टिकोण उसके अपने सहयोगियों से भी पृथक हो गए हैं। ...*(व्यवधान)* मैं इससे अवगत हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह इससे प्रसन्न हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: यह मेरा विशेषाधिकार या अधिकार नहीं हैं, परन्तु निश्चित ही ...*(व्यवधान)*

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): जब से चौदहवीं लोक सभा का गठन हुआ है प्रत्येक सत्र पहले के दिन विपक्ष में बैठे माननीय सज्जन सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालते आए हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं विपक्ष के माननीय नेता से अनुरोध करता हूं कि वे अपना भाषण जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इस तरह टोकाटाकी तो होती ही है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे बोलने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया अपने नेता को बोलने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए। श्री आडवाणी के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने नेता के भाषण में व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही काफी बाधित हुई है। श्री आडवाणी कृपया इस मुद्दे पर संक्षेप में बोलिए। कृपया केवल इसका उल्लेख ही कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह दी है।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैं 5-6 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा।

आज के मुख्य समाचार हैं: समर्थन वापिस लेना अवश्यंभावी है: केवल तलाक के कागजात है जिन पर हस्ताक्षर किए जाने शेष है। यह आज का मुख्य समाचार है।

अध्यक्ष महोदय: आप इससे प्रसन्न होंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: छोड़िये ना।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं इससे प्रसन्न नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि यह सरकार चलती रहे और अधिक से अधिक इस प्रकार की गलतियां करती रहे। मैं नहीं चाहता कि सरकार गिर जाए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

[हिन्दी]

आपके पापों का घड़ा पूरा भर जाए, फिर आप जाओ। ...*(व्यवधान)* हमारे लिए पोखरण का निर्णय करना कोई आसान बात नहीं थी और आपने तब भी विरोध किया था। आपके प्रधान मंत्री ने उस समय राज्य सभा में जो भाषण दिया, उसको कोई पढ़े। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: चूंकि हम इस मामले पर बाद में पूर्णरूप से चर्चा करेंगे इसलिए कृपया इसके गुणावगुण की चर्चा मत कीजिए. मुझे विश्वास है कि आप इसकी शुरूआत करेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: जब हम पूर्ण रूप से इस पर चर्चा करेंगे तो मैं निश्चित ही इसका उल्लेख करूंगा। परन्तु मैं केवल आपसे ही निवेदन करूंगा।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): यह अखबार में भी छपा कि

[अनुवाद]

श्री आडवाणी ने, श्री करात को फोन किया। श्री करात को फोन करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: बस हो गया, थोड़ी टोका-टोकी अच्छी है, ज्यादा टोका-टोकी ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: एक वक्तव्य दिया गया था। दूसरे सदन में मेरे दो सहयोगियों ने कहा है कि प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य भ्रामक है तथा उन्होंने अपने तर्क भी दिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया मामले के गुणावगुण में मत जाएं। हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: ऐसा पहली बार हुआ है जबकि सरकार द्वारा किए गये किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर संसद के दोनों सदनों में प्रधान मंत्री के मामले में विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उनमें से एक आपके समक्ष है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): सर, ऐसे टोका-टोकी होगी तो कैसे बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय: यह चलता है।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: उनके मिनिस्टर टोक रहे हैं, लगातार टोक रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: यदि आप नहीं चाहते कि मैं बोलूं, तो मैं बैठ जाऊंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: चूंकि इस विषय पर सोमवार को चर्चा की जाएगी इसलिए हम उसे बाद में भी कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप छोड़िए।

[अनुवाद]

आपको श्री आडवाणी के समर्थन में आने की आवश्यकता नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुझे याद है कि इस सभा में और राज्य सभा में पिछली बार 'हाइड एक्ट' पर चर्चा हुई थी तो उस समय भी ऐसा ही कहा गया था।

अध्यक्ष महोदय: कृपया, आप इसके गुणावगुण पर ध्यान न दें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं इसके गुणावगुण पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। ऐसा ही हुआ है। सदन के नेता ने कल जो वक्तव्य दिया था उस पर आज विभिन्न लोगों ने टिप्पणियां की हैं, विशेषज्ञों ने कहा है कि सदन के नेता की बात ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उस पर सभा में चर्चा की जाएगी।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: उन्होंने ऐसा ही कहा है ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं इससे सहमत नहीं हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आडवाणी जी, मैं आपसे इसके गुणावगुण पर ध्यान न देने का आग्रह करता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करता। ...*(व्यवधान)* यदि मुझे अनुमति दी गई होती तो मैं पांच मिनट में अपनी बात पूरी कर लेता। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको अनुमति दे रहा हूं लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मैं उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सदन के नेता की इस बात का लिखित प्रमाण है। विशेषज्ञों की इस टिप्पणी के जवाब में कि हाइड एक्ट हम पर बाध्यकारी है। उनका यह कहना है कि हाइड एक्ट में जो कुछ कहा गया है वह हम पर बाध्यकारी नहीं है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है आप लोग बैठिए।

[अनुवाद]

अब तक यह चर्चा पूरी हो चुकी होती।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: जी हां, अब तक यह चर्चा पूरी हो चुकी होती । लेकिन वे मुझे इस चर्चा को पूरा नहीं करने दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हूं। आप यह जानते भी हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं केवल एक ही बात का उल्लेख करूंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे इस बात को समाप्त कर देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: समझौता होने के तुरंत पश्चात अमरीकी सरकार के राजनैतिक मामलों के अन्डर सेक्रेटरी निकोलस बर्न्स ने भारत-अमरीका नागरिक परमाणु सहयोग पहल और द्विपक्षीय समझौते के मूल पाठ की स्थिति के बारे में संक्षेप में बताया था। इसका लिखित प्रमाण है। उनसे विशेष तौर पर इस मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जो अब उठाया गया है। प्रश्न था: ''हाइड एक्ट में ...*(व्यवधान)* कृपया, मैं आपसे सहमत नहीं हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: ''हाइड एक्ट में, कांग्रेस ने बिलकुल स्पष्ट कर दिया कि यदि भारत परमाणु हथियार का परीक्षण करता है, तो भारत के साथ अमरीकी सहयोग समाप्त हो जाएगा।'' यह प्रश्न था और अन्डर सेक्रेटरी, निकोलस बर्न्स द्वारा जवाब दिया गया कि जब हमने वह वार्ता शुरू की थी तो हम बहुत सावधान थे इन वार्ताओं का नवीनतम दौर भारत सरकार को यह याद दिलाने के लिए था कि यद्यपि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ किए 5 जुलाई और 6 मार्च को दो समझौते हुए हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी कार्यवाही हुई है। क्या कार्यवाही हुई है? कांग्रेस ने इस पर छः सात महीने से ज्यादा चर्चा की...... भारत-अमरीका नागरिक परमाणु समझौता, 123 समझौता पूर्णतः हाइड एक्ट के अनुरूप है और यह पूरी तरह हाइड एक्ट के दायरे में है। जहां तक कथित वापसी-का-अधिकार के मुद्दे का संबंध है, निस्संदेह हमारे परमाणु ऊर्जा अधिनियम के अंतर्गत परीक्षण होने की स्थिति में अमरीकी राष्ट्रपति को परमाणु ईंधन और परमाणु प्रौद्योगिकियों को वापस लेने का अधिकार है। वापसी-का-अधिकार, निस्संदेह, सुरक्षित रखा गया है, क्योंकि यह कार्य हमारे कानून के अंतर्गत होना चाहिए और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है हम अमरीकी राष्ट्रपति और अमरीकी सरकार के अधिकारों को कैसे समझते हैं, इस बात को यह समझौता 123 समझौता करते समय ध्यान में रखा गया है।

इसके बाद भी यदि आप यह कहते हैं कि हम हाइड एक्ट से नियंत्रित नहीं होते हैं तो यह निश्चित रूप से इस सभा को भ्रमित करने वाली बात है।

अध्यक्ष महोदय: वे इसका उत्तर देंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: आपके विनिर्णय से संबधित केवल एक अंतिम बात को मैं स्वीकार करता हूं कि जिससे यह आवश्यक हो जाता है कि सभा ऐसे समझौते, जो हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता के विरुद्ध हैं, करने के लिए संविधान अथवा कानून में संशोधन करे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सभा कानून बना सकती है। हमें संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: जी हां, हम कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि आवश्यक हो, तो हम संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं। यदि कार्यपालिका कोई ऐसा समझौता करती है जो इस देश को और इस सभा को स्वीकार्य नहीं है, तो जिस प्रकार उन्हें कांग्रेस पर भरोसा है उसी प्रकार हमें संसद पर भी भरोसा है। इसलिए, सरकार को एक ऐसा कानून बनाने के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए, जिसके अनुसार यह बाध्यकारी हो कि यदि कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया जाता है जो हमारी संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा क्षेत्रीय अखण्डता के विपरीत हो इसकी अभिपुष्टि संसद के दोनों सदनों के द्वारा की जाए।

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता ने हाइड एक्ट के संबंध में मेरी टिप्पणी का उल्लेख किया है। मैं अन्य पहलुओं का जिक्र नहीं करूगा। माननीय विपक्ष के नेता ने उप सचिव बर्न्स को उद्धृत किया है। दूसरे सदन में, हाइड एक्ट पर वाद-विवाद के दौरान मैंने राष्ट्रपति बुश को उद्धृत किया जो उन्होंने 18 दिसंबर को हाइड एक्ट पर हस्ताक्षर करते समय कहा था। मैंने राष्ट्रपति बुश के सेक्रेटरी अथवा डिपार्टमेंट आफ स्टेट के अंडर सेक्रेटरी की टिप्पणी को उद्धृत करने के बजाए उनके ही टिप्पणी को शब्दशः उद्धृत किया था कि एक्ट के कुछ प्रावधान परामर्शदायी हैं और अमरीकी प्रशासन की एक्जीक्यूटिव ब्रांच के संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकते। इसलिए 18 जुलाई, 2005 और मार्च, 2006 के संयुक्त वक्तव्यों के अनुपालन में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं इसकी विस्तार से चर्चा करना नहीं चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता से अनुरोध करना चाहता हूं कि सभा में शांति तथा सामान्य स्थिति बहाल होने दें। हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। वह जो कहना चाहते हैं कहें और देश को यह निर्णय करने दें कि कौन सही है और कौन गलत है।

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, चूंकि हम इस मुद्दे पर पूरी चर्चा करेंगे इसलिए अपनी बात बहुत ही संक्षेप में कहें। मैं नेताओं को अनुमति दे रहा हूं क्योंकि हमसे बहुत आग्रह किया गया है?

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, कल हाउस व्यवस्थित नहीं रहा, इसका हमें दुख है लेकिन जब कोई परिस्थिति पैदा हो जाती है तो कुछ सवालों पर सवाल की सफाई आवश्यक हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय, 13 अगस्त को प्रधानमंत्री जी का बयान इस सदन में हुआ और उन्होंने कहा कि भविष्य में परमाणु परीक्षण करना भारत का सार्वभौमिक अधिकार है और उसे कोई रोक नहीं सकता। उसके तत्काल बाद अमरीका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान आया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस पर कल स्वयं सदन के नेता, विदेश मंत्री वक्तव्य दे चुके हैं। एक ही बात को दोहराया नहीं जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अगर भारत परमाणु परीक्षण करता है तो अमरीका भारत के साथ परमाणु सहयोग नहीं करेगा। ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट बिलकुल मिसलीडिंग था। ...*(व्यवधान)* यह अंतिम बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: जब आपका भाषण होगा, तब बोलियेगा। मैं तो आपको बोलने के लिये कहता हूं, इसमें कोई रूकावट नहीं है।

[अनुवाद]

पूरी चर्चा होगी। हम इस पर दो-तीन दिन आप जैसा चाहे चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि 123 करार हुआ है जिसमें कुछ सवालों पर अमरीका और भारत अपनी सुविधानुसार उसकी व्याख्या कर रहे हैं। यहां भ्रान्ति की स्थिति बनी हुई है जो बहुत ही खतरनाक है। प्रधान मंत्री जी का जो स्टेटमेंट हुआ, हमारे विदेश मंत्री उनका बचाव कर रहे हैं। इस सदन को यह जानने का पूरा अधिकार है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सोमवार को जानियेगा।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, अमरीका इस बात को मजबूती के साथ कह रहा है कि भारत एक पक्ष है और वह इस काम में दुस्साहस कैसे कर सकता है। अमरीका यह कहता है कि डील खत्म हो जायेगी, अगर भारत ने परमाणु परीक्षण का काम किया।

अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी का 15 अगस्त को जो भाषण हुआ, उसमें देश के तमाम सवालों पर उन्होंने बात की। अगर यह समझौता इतना उपयोगी था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः इस पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती है। अब श्री गुरुदास दासगुप्त बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमनः तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को यह बात कहनी चाहिये थी। यह देश और सदन को गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं है। यह भारत की संप्रभुता के खिलाफ है। इसलिये हमारी समाजवादी पार्टी चाहती है कि यह करार समाप्त हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यों, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि इस पर पूरी चर्चा होगी।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सलाह बड़ी सावधानीपूर्वक सुनी है। मैं इस समझौते के गुणावगुण की चर्चा नहीं कर रहा हूं जिस हम उस दिन चर्चा करेंगे जो दिन आप चर्चा के लिए निर्धारित करेंगे, लेकिन मैं दो कारणों से उठा हूं। मैं संयुक्त राज्य अमरीका के प्रवक्ता के उस बयान की निंदा करने के लिए उठा हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि भारत में विस्फोट अथा परमाणु परीक्षण होता है तो यह समझौता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। मैं इसकी निंदा करने के लिए उठा हूं। यह भारत की संप्रभुता पर आघात है और हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी है। यही कारण है कि मैं उठा हूं।

दूसरे, मैं यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि माननीय विदेश मंत्री ने एक वक्तव्य दिया गया। निस्संदेह उसकी प्रतियां हमें उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रेस से मुझे यह प्राप्त हुई और यह उचित या अनुचित है, इसका निर्णय आपको करना है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैंने सभा की मनःस्थिति को देखते हुए इसकी अनुमति दी थी और मैंने सोचा कि यह उचित है। इसलिए, कृपया मेरे निर्णय पर प्रश्न मत उठाइए।

श्री गुरुदास दासगुप्तः महोदय, मुझे अत्यंत खेद है और मैं क्षुब्ध हूं, क्योंकि मैं श्री मुखर्जी जी को जानता हूं। वे पुरानी कांग्रेस की गुट-निरपेक्ष शांति और साम्राज्यवाद विरोधी परंपरा को आगे बढ़ाते आ रहे हैं। कल वे बोले थे, लेकिन उन्होंने अमरीकी प्रवक्ता के बयान का उल्लेख नहीं किया। उसका नाम नहीं लिया गया। उन्होंने केवल यही कहा कि एक प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न किसने उठाया है? इस व्यक्ति का नाम नहीं है। श्री मुखर्जी की ओर से इस प्रकार का संकोच क्यों है? क्या यह संकोच है या इस बात का भय है कि अमरीका का प्रतिरोध न किया जाए, क्योंकि हमने एक समझौता किया है। या, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इस समझौता में क्या कोई और बात ऐसी है, जो इस समझौता में नहीं है। मैं अत्यंत सम्मान के साथ उनसे यह जानना चाहता हूं, क्योंकि प्रवक्ता ने स्वतः समाप्त होने की बात कही है, लेकिन समझौते में कहा गया है कि इस समझौते को समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों को एक वर्ष की पूर्व सूचना देनी होगी। तीसरे, इस संबंध में प्रधान मंत्री जी का एक वक्तव्य है। चौथे, विदेश मंत्री का एक वक्तव्य है। इन चारों में विरोधाभास है। इसलिए, मैं यह कहने को बाध्य हूं कि इससे संशय दूर नहीं होता बल्कि इससे संशय पैदा होता है। मेरे मन में एक संशय है। मैं एक देश भक्त भारतीय हूं। मुझे खुशी है, मेरा सम्मान किया गया है, और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं। क्योंकि इस देश ने विश्व में साम्राज्यवाद के विरोध की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है। मैं अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं और भारतीय परंपराओं में समकालीन निश्चित नहीं कर सकता तथा न ही वरिष्ठ सहयोगी श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा दिए गए उस एकदम विनम्र बयान से सहमत हूं जिसमें उन्होंने किसी का काम नहीं बताया है। किस बात का भय है? किस बात का संकोच है?

अध्यक्ष महोदयः वह बयान एक किसी बेनाम व्यक्ति की ओर से है।

श्री गुरुदास दासगुप्तः इस बात से यह स्थिति उत्पन्न हुई है कि हमें अमरीका का प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। जब से भारत की विदेश नीति में इसे एक दायित्व के रूप में लिया है कि हमें अमरीका का प्रतिरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि अमरीका हमारा बहुत ही करीबी दोस्त बन गया है। मुझे अत्यधिक शंका है क्योंकि यह सरकार अमरीका से बहुत करीबी दोस्ती बनाती जा रही है।

अध्यक्ष महोदयः मुझे उम्मीद है कि अब इन बातों पर दोबारा चर्चा नहीं होगी।

श्री गुरुदास दासगुप्तः महोदय, मैंने इस समझौते की अच्छी बातों के बारे में कुछ नहीं कहा है।

अध्यक्ष महोदयः आप जितना चाहे उतना बोल सकते हैं, बशर्ते कि उसके लिए समय उपलब्ध हो।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी का बयान सदन में हुआ था। उन्होंने कहा था कि हम सदन में सूचना दे रहे हैं। इसके बाद बीएसी में चर्चा हुई। यह तय हुआ था कि इस पर बहस होगी। सदन में विवाद नहीं होता, तनाव नहीं होता यदि अमेरिका के प्रवक्ता का बयान अखबारों में नहीं छपा होता। वह जो बयान छपा, उससे साफ जाहिर हुआ और उस पर कई सवाल खड़े हुए। एक तो यह सवाल खड़ा हुआ कि प्रधान मंत्री जी ने जो सदन में बयान दिया है, उसमें कितनी सत्यता है। दूसरा सवाल यह आया कि जो करार हुआ, उस करार को छिपाया जा रहा है और छिपाने का कारण क्या है। एक-एक सदस्य को यह जानने का अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, जो करार हुआ है जैसा कि अमेरिका के प्रवक्ता का बयान आया है कि 123 में अगर परमाणु परीक्षण होगा तो यह समझौता समाप्त हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, एनडीए की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधान मंत्री थे तो अमेरिका की परवाह किये बिना इस देश में परमाणु परीक्षण हुआ। लेकिन आज जो करार हुआ है, जो अखबारों में समाचार छप रहा है, उससे लगता है कि भारत की संप्रभुता पर खतरा है, भारत का सम्मान गिरवी रखा जा रहा है। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, सदन में अब तक की स्थिति बहुत स्पष्ट हो चुकी है कि सरकार इस सवाल पर अल्पमत में है। इसलिए हम सवाल करना चाहते हैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से कि वे करार पर पुनर्विचार करें। वैसे तो चर्चा होगी और हमें मालूम है कि आप नियम 184 में जरूर चर्चा कराएंगे। इसी भरोसे के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप कानून बनाइए, हम दे देंगे।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, हमारा इनसिस्टैन्स है कि 184 में चर्चा होनी चाहिए। आप शब्द बदल दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: आप हमें पावर दीजिए, हम अभी कर देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब लैंग्वेज ठीक नहीं हुई, गड़बड़ हो गई लैंग्वेज में।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा की गई अद्यतन टिप्पणी वामदलों तथा अन्य दलों द्वारा व्यक्त की गई आशंका की ही पुष्टि करती है। राष्ट्र को भ्रमित करने—मैं सभा को भ्रमित करने का नहीं कहूंगा—का प्रयास है और ऐसा लगता है कि हाइड एक्ट और 123 समझौते में कोई संबंध नहीं है। इस अधिनियम को भारत को बांधने के लिए ही पारित किया गया था। अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों के कारण अब यह कहा जा रहा है कि हाइड एक्ट के उपबंध परामर्शदात्री स्वरूप के हैं। अमरीकी कानून में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 1, 2, 3 समझौता और हाइड एक्ट के उपबंधों के बीच विवाद की स्थिति में उनका राष्ट्रीय कानून अर्थात् हाइड एक्ट मान्य होगा।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप समझौता के गुणावगुणों पर बोल रहे हैं?

श्री रूपचंद पाल: महोदय, जब आप इस विषय पर चर्चा की अनुमति देंगे तब हम इस विषय पर अपने विचार रखेंगे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में माननीय विदेश मंत्री जो कह रहे हैं, वह बिल्कुल ही स्वीकार करने के लायक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: अतः, आप उनके वक्तव्य से सहमत नहीं हैं।

श्री त्रिपाठी जी आप की सूचना समय समाप्त होने के बहुत बाद में मिली थी। फिर भी मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, 123 भारत-अमरीकी समझौता के संबंध में सरकार के पक्ष में अल्पमत है और सभा में अधिकांश सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति तथा पूरे राष्ट्र के लिए बहुत ही अपमानजनक स्थिति है। जब 13 तारीख को माननीय प्रधान मंत्री ने एक वक्तव्य दिया तो मैं तब उसके अगले ही दिन अमरीका के अपर सचिव, अधिकारी तथा प्रवक्ता ने प्रधान मंत्री के वक्तव्य का खंडन करते हुए बयान दिया। यह पूरे देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है।

यह और भी दुःखद बात है कि कल जब सदन के नेता ने वक्तव्य दिया, तो उन्होंने अमरीकी प्रवक्ता के वक्तव्य का खंडन नहीं किया। इसलिए, ऐसा लगता है कि इस सरकार ने अवश्य ही कोई गलती की है और लोगों तथा इस सभा की जिस बात में दिलचस्पी है, उससे सरकार सहमत नहीं है।

मेरा उनसे अनुरोध है कि उन्हें इस संबंध में पुनः वार्ता करनी चाहिए। सभा के अधिकांश सदस्यों की यही राय है। सरकार को इसका सम्मान करना चाहिए और पूरे राष्ट्र की भी यही इच्छा है। इस संबंध में उन्हें पुनः वार्ता करनी चाहिए। उन्हें इसे प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए। पूरे देश का यह कहना है कि सरकार को इस संबंध में पुनः वार्ता करनी चाहिए। और 123 अमरीकी समझौता का उस समय तक रोक देना चाहिए जब तक कि पुनः वार्ता पूरी नहीं हो जाती।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे पूरा विश्वास है कि हमें एक बुहत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहुत ही रचनात्मक और व्यापक चर्चा करनी होगी। यह चर्चा शीघ्र ही अगले सोमवार को होगी। हम यह तय करेंगे कि किसानों से संबंधित मुद्दे या इस मुद्दे दोनों में से किसको प्राथमिकता दी जाए। मैं सभा की भावना के अनुसार काम करूंगा। हर कोई इस बात से सहमत है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर इस तरह से चर्चा होनी चाहिए जो इस मुद्दे के महत्व को देखते हुए आवश्यक हो।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): सरकार को भी सभा की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: यह सरकार को तय करना है।

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, मुझे कुछ मिनटों के लिए बोलने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। इस विषय पर और अधिक नहीं।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, मैं अपने दल की ओर से बोलना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इसमें जो आपको ठीक लगे, उसे एडोप्ट कर लीजिए।

...(व्यवधान)

सदस्यों द्वारा निवेदन—*जारी*

(दो) श्री जार्ज फर्नान्डीज, संसद सदस्य द्वारा सभा के बारे में प्रधानमंत्री के विरुद्ध कतिपय टिप्पणी के बारे में

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं आपके ध्यान में और आपके माध्यम से पूरे देश के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि राष्ट्र से संबंधित किसी मामले पर सभी दलों के लिए हर बार सरकार के विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। सभा में लोक दल को अपने विचार रखने का अधिकार है। वे किसी बात का समर्थन या विरोध कर सकते हैं। सभा का यही विचार है और यही इसकी भावना है।

महोदय, चर्चा के लिए आपने जो दिन निर्धारित किया है वह प्रधान मंत्री या विदेश मंत्री की उपलब्धता पर निर्भर करता है जिसके बारे में मैं आपको उपयुक्त समय पर अवगत करा दूंगा। मैं आपकी टिप्पणियों का सम्मान करता हूं और मैं नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा। लेकिन यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सभा में जब इस विषय पर चर्चा का अवसर है। तो देश के प्रधानमंत्री और दूसरे सदन के नेता पर आरोप लगाया जा रहा है और उनका प्रतिकार किया जा रहा है। आज के इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर छपी है।

राजग के संयोजक श्री जार्ज फर्नान्डीज जिन्हें मैं बहुत ही दुरुस्त और सचेत समझता हूं, ने कहा है कि इस प्रकार की संधि पर, यदि वह चीन होता, तो उस देश के प्रधान मंत्री के सिर में गोली मार दी गई होती। *...(व्यवधान)* मैं राजग के संयोजक द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में दिए गए इस प्रकार के आक्षेप, उत्तेजना और भड़काने की निन्दा करता हूं। *...(व्यवधान)* उन्हें या तो क्षमा मांगनी चाहिए या फिर अपनी बात वापस लेनी चाहिए। उन्होंने जो कुछ कहा है मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। *...(व्यवधान)* उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। वे ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? वे या तो दिमागी रूप से दुरुस्त नहीं है; यदि वे दुरुस्त होते तो ऐसा नहीं कहते। *...(व्यवधान)* महोदय, यदि वे मानसिक रूप से दुरुस्त नहीं है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। उन्हें अपनी टिप्पणी वापस लेनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी भी सदस्य को बाध्य नहीं कर सकता। माननीय सदस्य को ही इस संबंध में कोई निर्णय लेना है। उन्होंने यह मामला उठाया है और अब यह कार्यवाही-वृत्तांत में है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सभा को इसकी निंदा करनी चाहिए। सरकार की ओर से हम इसकी निंदा करते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हरेक माननीय सदस्य को प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए तथा लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में देश के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति का समुचित रूप से सम्मान किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं केवल इतना ही कह सकता हूं, और कुछ नहीं मैं किसी सदस्य को कुछ भी कहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, इस वक्तव्य के माध्यम से चीन का नाम लेकर उन्होंने चीन की व्यवस्था को भी अपमानित किया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें कुछ भी कहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कोई निर्णय लेना पूरी तरह उन्हीं पर निर्भर करता है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों यहां मत आइये। अपने स्थानों पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह जी, उन्होंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी सदस्य को कुछ भी कहने के लिए नहीं कह सकता। मैंने अपनी टिप्पणी कर दी है। बहुत हो चुका।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, विपक्ष के नेता को इसकी निंदा करने दें। यदि वे संसदीय प्रणाली का सम्मान करते हैं, तो उन्हें वे इसकी निंदा करें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री के.वी. तंगबालु कृपया अपने स्थान पर जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी सदस्य को बाध्य नहीं कर सकता। यह पूर्णतः उन्हीं पर निर्भर करता है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने यह कहा है कि हमें एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: चीन का नाम लेकर उन्होंने चीन गणराज्य तथा उसकी व्यवस्था का अपमान किया है। उन्होंने देश के नाम को भी कलंकित किया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों कृपया अपने स्थानों पर जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता। वक्तव्य सभा में नहीं दिया गया था। इसलिए उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। मैं अपनी टिप्पणी कर चुका हूं। सभी माननीय सदस्य सम्मान पाने के हकदार है। सभा के किसी भी सदस्य को यह शोभा नहीं देता कि वह देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध इस प्रकार के बयान दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य जी बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, यह अत्यंत अनुचित है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यों, जब मैं बोल रहा हूं तो आप कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री के.वी. तंगबालु जी मैं बोल रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्तः श्री जार्ज फर्नान्डीस को यह स्पष्ट करने दें कि क्या उन्होंने ऐसा बयान दिया था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः सभा में कुछ भी नहीं कहा गया है। उन्होंने जो कहा है उस पर मेरा कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यों कृपया अपने स्थानों पर जाइये। अन्यथा समस्या उत्पन्न हो जाएगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैं अपनी टिप्पणी कर चुका हूं। हम सभी को एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। देश के प्रधानमंत्री तथा उच्च पदों पर आसीन अन्य व्यक्ति पूरा सम्मान पाने के पात्र हैं। अतः हमें ऐसे ढंग से व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि सभा की मर्यादा बनी रहे और हम एक दूसरे पर दोषारोपण न करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैं किसी माननीय सदस्य को कुछ भी कहने का निर्देश नहीं दे सकता। यह तय करना पूर्णतः उन पर निर्भर करता है। यदि उनका मौन कुछ दर्शाता है, तो पूर्णतः सभा तथा देश को यह तय करना है कि उनके मौन के पीछे क्या है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री बसुदेव आचार्य जी, आप केवल एक ही मुद्दा उठा सकते हैं। मैं राज्यों के मुद्दे उठाने की अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्यः महोदय, भूमिहीन ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः नहीं, आप वह मुद्दा नहीं उठा सकते। आप कोई दूसरा मुद्दा उठा सकते हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्यः महोदय, मैं दलितों के बारे में बात कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* महोदय, यह दलितों का प्रश्न है ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं राज्यों के मुद्दों का उल्लेख नहीं करूंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैं अपनी टिप्पणी कर चुका हूं। उसके पश्चात वे टिप्पणी कर चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): उनका वक्तव्य भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से संबंधित है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः हमें सभा में उत्तेजना से बचना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः सभा अपराह्न 1.45 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.56 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 1.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.47 बजे

लोक सभा अपराह्न 1.47 बजे पुनः समवेत हुई।

[**श्रीमती कृष्णा तीरथ** *पीठासीन हुई*]

[अनुवाद]

सभापति महोदयाः सभा अब मद संख्या 17 पर चर्चा करेगी।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयाः एक मिनट रूकिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदया: कृपया अब अपने-अपने स्थान पर जाइए। क्या आप अपने-अपने स्थान पर जा सकते हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदया: हाउस चलेगा या नहीं चलेगा?

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: अगर आप ऐसा करेंगे तो हाउस कैसे चलेगा?

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: कृपया अब अपने-अपने स्थान पर जाइये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: सभा अपराह्न 3.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.49 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.04 बजे

सभापति महोदया: सभा सोमवार पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

लोक सभा सोमवार, 20 अगस्त, 2007/29 श्रावण, 1929 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

*अपराह्न 3.30 बजे गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई गयी। गणपूर्ति नहीं हुई। अपराह्न 3.34 बजे गणपूर्ति के लिए पुन: घंटी बजाई गई। लेकिन गणपूर्ति नहीं हुई। अपराह्न 3.38 बजे गणपूर्ति के लिए पुन: घंटी बजाई गयी, लेकिन फिर भी गणपूर्ति नहीं हुई। तत्पश्चात् महासचिव ने उपस्थित सदस्यों को निम्नानुसार जानकारी दी:-

"सभा में गणपूर्ति नहीं है। अत: सभा की बैठक नहीं हो सकती तथा जब तक गणपूर्ति नहीं होती हम सभा की बैठक आरम्भ नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया है कि सभा अपराह्न 4.00 बजे पुन: समवेत होगी।"

अपराह्न 4 बजे पुन: गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई गई। गणपूर्ति नहीं हुई। महासचिव ने उपस्थित सदस्यों को निम्नानुसार जानकारी दी:-

"सभा में गणपूर्ति नहीं है। जब तक गणपूर्ति न हो सभा की बैठक नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया है कि अब लोक सभा की बैठक सोमवार, 20 अगस्त, 2007 को होगी।"

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख श्री के.एस. राव	81
2.	श्री टेक लाल महतो श्री तथागत सत्पथी	82
3.	श्री उदय सिंह	83
4.	श्री अधीर चौधरी श्री निखिल कुमार	84
5.	श्री सनत कुमार मंडल श्री इकबाल अहमद सरडगी	85
6.	श्री संतोष गंगवार श्री पंकज चौधरी	86
7.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड श्री सुग्रीव सिंह	87
8.	श्री अवतार सिंह भडाना प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	88
9.	श्री स्वदेश चक्रवर्ती	89
10.	श्री सुब्रत बोस	90
11.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्रीमती रूपाताई डी. पाटील	91
12.	प्रो. एम. रामदास श्री मदन लाल शर्मा	92
13.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल श्री रवि प्रकाश वर्मा	93
14.	श्री रशीद मसूद श्री प्रभुनाथ सिंह	94
15.	श्री वी.के. ठुम्मर श्री हंसराज गं. अहीर	95
16.	श्री एम. अप्पादुरई डा. धीरेंद्र अग्रवाल	96
17.	श्री रघुनाथ झा	97
18.	श्री हितेन बर्मन श्री चंद्रकांत खैरे	98
19.	श्री पी. मोहन	99
20.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी श्री सर्वे सत्यनारायण	100

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	785, 802
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	806
3.	आदित्यनाथ, योगी	815
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	859, 924
5.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	866, 907
6.	अहीर, श्री हंसराज गं.	840, 895, 927, 936
7.	अप्पादुरई, श्री एम.	839, 891
8.	आठवले, श्री रामदास	753, 882, 915
9.	'बचदा' श्री बची सिंह रावत	795
10.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	776, 846, 893, 867
11.	बर्मन, श्री हितेन	841, 903
12.	बर्मन, श्री रनेन	856
13.	बर्क, डा. शफीकुर्रहमान	818
14.	बखला, श्री जोवाकिम	855, 896, 946
15.	भडाना, श्री अवतार सिंह	804, 875
16.	भगोरा, श्री महावीर	814
17.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	800
18.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	909
19.	बरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	765, 942
20.	बोस, श्री सुब्रत	856, 903, 944
21.	बोत्चा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	789, 869, 945
22.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	934
23.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	805
24.	चौधरी, श्री पंकज	842

1	2	3
25.	चौधरी, श्री अधीर	854, 898
26.	देवरा, श्री मिलिन्द	780
27.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	834, 921, 933, 949
28.	धोत्रे, श्री संजय	808, 910, 925
29.	धूमल, प्रो. प्रेम कुमार	760, 835, 889, 925
30.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	811, 823
31.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	771
32.	गद्दीगउडर, श्री पी.सी.	817
33.	गढ़वी, श्री पी.एस.	802
34.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	798, 918, 930
35.	गंगवार, श्री संतोष	844, 916
36.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	808, 910, 925
37.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	774, 802
38.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	782
39.	हसन, चौ. मुनव्वर	773
40.	हुसैन, श्री अनवर	811, 878, 913
41.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	754
42.	जगन्नाथ, डा. एम.	757, 807, 876, 912, 948
43.	जैन, श्री पुष्प	770
44.	झा, श्री रघुनाथ	849, 902
45.	जिन्दल, श्री नवीन	758, 762, 813, 838
46.	जोगी, श्री अजीत	813, 879
47.	जोशी, श्री प्रहलाद	766, 815, 843, 914
48.	खैरे, श्री चंद्रकांत	783, 836, 890, 929

1	2	3
49.	खन्ना, श्री अविनाश राय	809
50.	खारवेनथन, श्री एस.के.	761, 811, 814, 837
51.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	752, 833, 888, 943
52.	कृष्ण, श्री विजय	801, 827, 887
53.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	795
54.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	797, 867
55.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	938
56.	महरिया, श्री सुभाष	779
57.	महतो, श्री नरहरि	763, 791, 884
58.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	800, 810
59.	महताब, भर्तृहरि	948
60.	महतो, श्री टेक लाल	852, 897
61.	माने, श्रीमती निवेदिता	904, 918, 930
62.	मसूद, श्री रशीद	851, 900
63.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	786, 865
64.	मिश्रा, डा. राजेश	785, 822, 866
65.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	809, 877
66.	मो. ताहिर, श्री	829
67.	मंडल, श्री अबु अयीश	925, 940
68.	मुर्मु, श्री हेमलाल	788, 866, 868, 909, 928
69.	मुर्मु, श्री रूपचन्द	819
70.	नन्दी, श्री अमिताभ	796, 801
71.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	771
72.	निखिल कुमार, श्री	883, 898
73.	ओराम, श्री जुएल	778, 848, 894, 902, 932

1	2	3
74.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	821, 911
75.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	764, 864, 941
76.	पाण्डा, श्री प्रबोध	939
77.	पाण्डेय, श्री लक्ष्मीनारायण	751
78.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	906
79.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	860, 922
80.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	857, 899
81.	पटैरिया, श्रीमती नीता	754
82.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	775, 866
83.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	948
84.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	768
85.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	846, 867, 893
86.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	798, 813, 904
87.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	815, 866, 906
88.	राजगोपाल, श्री एल.	793, 811, 870
89.	रामदास, प्रो. एम.	858
90.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	910
91.	राणा, श्री काशीराम	787, 937
92.	रानी, श्रीमती के.	861
93.	राव, श्री के.एस.	866, 912
94.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	799, 910
95.	रावले, श्री मोहन	828
96.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	769, 867, 908, 926
97.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	811
98.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	795, 872, 921
99.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	861
100.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	802

1	2	3
101.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	812, 950
102.	रिजीजू, श्री कीरेन	798, 813, 904
103.	साई प्रताप, श्री ए.	866 941
104.	सज्जन कुमार, श्री	785, 866
105.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	832, 892, 919, 931
106.	सरोज, श्री तूफानी	814, 820
107.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	803
108.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	873
109.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	784, 863, 866, 905, 923
110.	सेन, श्रीमती मिनाती	814
111.	सेनथिल, डा. आर.	814, 880
112.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	788, 866, 868
113.	शर्मा, श्री मदन लाल	858
114.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	859, 924, 935
115.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	755, 798, 850, 902, 910
116.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	824, 879, 885, 947
117.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	759, 812
118.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	794, 871, 910
119.	सिंह, चौधरी लाल	792
120.	सिंह, श्री दुष्यंत	826
121.	सिंह, श्री मोहन	902
122.	सिंह, श्री रेवती रमन	802
123.	सिंह, श्री सुग्रीव	881, 899
124.	सिंह, श्री सूरज	863
125.	सिंह, श्री उदय	853

1	2	3
126.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	847, 923
127.	सुगावनम, श्री ई.जी.	772, 941
128.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	825
129.	सुमन, श्री रामजीलाल	831, 863
130.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	777, 886, 917
131.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	912
132.	थामस, श्री पी.सी.	781, 843
133.	ढुम्मर, श्री वी.के.	860, 901, 922, 950
134.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	751
135.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	790, 943
136.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	830, 866, 910

1	2	3
137.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	901, 907, 937
138.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	783, 862, 904
139.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	866, 910
140.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	845, 859, 924, 935
141.	यादव, श्री गिरिधारी	756
142.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	893
143.	यादव, श्री मित्रसेन	796
144.	यादव, प्रो. राम गोपाल	874
145.	यादव, श्री राम कृपाल	767, 911
146.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	816, 866, 869, 923

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कार्पोरेट कार्य	:	90, 98
पृथ्वी विज्ञान	:	
वित्त	:	83, 84, 86, 87, 88, 99
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	
विधि और न्याय	:	96
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	:	95
विद्युत	:	81, 94, 100
ग्रामीण विकास	:	82, 85, 91, 93, 97
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	
शहरी विकास	:	89, 92

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कार्पोरेट कार्य	:	763, 791, 841, 855, 856, 864, 896, 903, 935, 944, 946
पृथ्वी विज्ञान	:	764, 830, 839, 886, 889, 939, 941, 945
वित्त	:	751, 753, 754, 755, 759, 762, 766, 769, 771, 773, 774, 775, 776, 778, 779, 780, 781, 784, 785, 786, 789, 793, 797, 798, 801, 802, 803, 804, 807, 809, 816, 819, 820, 821, 823, 824, 826, 828, 829, 831, 832, 834, 837, 840, 844, 850, 854, 857, 860, 865, 871, 873, 874, 878, 879, 880, 883, 884, 885, 887, 898, 899, 900, 901, 904, 905, 906, 909, 913, 914, 916, 917, 919, 920, 928, 930, 932, 933, 934, 937, 938, 942, 947, 950
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	833, 859, 911, 948
विधि और न्याय	:	795, 818, 851, 867, 870, 872, 888, 895, 921, 922, 943
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	:	757, 768, 861, 910, 925
विद्युत	:	760, 763, 767, 770, 792, 805, 806, 808, 825, 827, 835, 836, 847, 853, 862, 863, 891, 896, 897, 923, 929

ग्रामीण विकास	:	765, 777, 788, 796, 800, 810, 811, 812, 813, 814, 838, 843, 852, 858, 866, 877, 881, 892, 902, 912, 918, 924, 927, 931, 936, 949
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	799, 882, 926, 940
शहरी विकास	:	752, 756, 758, 761, 772, 782, 783, 787, 790, 794, 815, 817, 822, 842, 845, 846, 848, 849, 868, 869, 875, 876, 890, 893, 894, 907, 908, 915.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.—48/28/5/2007 (एन०)
232

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मै. धनराज एसोसिएट्स प्रा. लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।